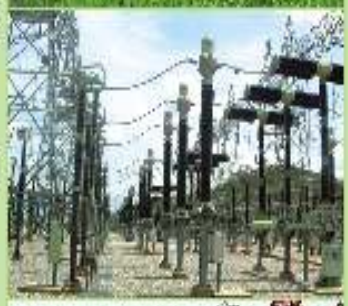

छत्तीसगढ़ शासन

आर्थिक सर्वेक्षण

वर्ष 2013-14

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,

छत्तीसगढ़, रायपुर

आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2013-14

छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण

वर्ष 2013-14

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,
छत्तीसगढ़, रायपुर

प्राक्कथन

''छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2013–14'' नामक यह प्रकाशन आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ द्वारा तैयार किया गया है जिसमें राज्य की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं, सामाजार्थिक स्थिति, उसे प्रभावित करने वाले आधारभूत घटकों एवं राज्य शासन की वर्तमान नीतियों के संदर्भ में प्रगति का विवेचनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

इस प्रकाशन के दो भाग है। प्रथम भाग में शासन की नीतियों के संदर्भ में प्रदेश की सामाजार्थिक एवं अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं, राज्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास की गतिविधियों का विवेचनात्मक अध्ययन है। भाग–2 में संबधित सांख्यिकी तालिकाएँ प्रस्तुत की गई हैं।

''छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2013–14'' प्रकाशन को परिमार्जन एवं नया स्वरूप प्रदान करने में श्री पी.सी. मिश्रा, सचिव के मार्गदर्शन एवं डॉ. हनुमंत यादव, डॉ. अशोक पारख, डॉ. रवीन्द्र ब्रह्मे, डॉ. सुलोचना हबलानी, श्री जे. एस. विरदी का विशेष योगदान रहा। संचालनालय के वे अधिकारी/कर्मचारी विशेषतः श्रीमति विभा चौधरी, श्री जे.आर. मधुकर, श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर, श्री व्ही.पी. सिंह एवं श्री चयन रायचौधरी तथा जिन्होनें इस प्रकाशन को अंतिम रूप देने में प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से अपना योगदान दिया है, प्रशंसा के पात्र हैं।

संबंधित विभागाध्यक्षों, निगमों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख प्रतिष्ठानों द्वारा अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई गई है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं।

रायपुर,

दिनांक : फरवरी, 2014

अमिताभ पाण्डा

आयुक्त, सह–संचालक
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

भाग –1

आर्थिक विवेचना

–:: विषय सूची ::–

भाग–एक (आर्थिक विवेचना)

क्र.	अध्याय विवरण	पृष्ठ संख्या
1	आर्थिक स्थिति –एक समीक्षा	01 – 03
2	जनसंख्या	04 – 12
3	राज्यीय आय	13 – 16
4	मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली	17 – 27
5.	लोक वित्त	28 – 35
6.	संस्थागत वित्त एवं विनियोजन	36 – 37
7.	कृषि एवं संबद्ध सेवाएं	38 – 65
8.	वानिकी	66 – 69
9.	खनिज	70 – 73
10.	उद्योग	74 – 87
11.	विद्युत एवं आधारभूत संरचना	88 – 100
12	ग्रामीण विकास एवं रोजगार	101 – 106
13.	नगरीय विकास	107 – 110
14	सामाजिक क्षेत्र	111 – 138
15.	राज्य योजना आयोग के प्रमुख कार्य एवं गतिविधियॉ	138 – 143

01

आर्थिक स्थिति–एक समीक्षा

1. आर्थिक स्थिति–एक समीक्षा

1.1 वर्ष **2011–2012** में प्रचलित भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद रू. 13287193 लाख था, जिसमें **14.54** प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष **2012–13** में यह रू. 15362069 लाख अनुमानित है। प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि, **2011–12** की तुलना में, वर्ष **2012–13** में **14.07** प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र में **13.85** प्रतिशत एवं तृतीयक क्षेत्र में 18.13 प्रतिशत अनुमानित है।

इसी प्रकार स्थिर (**2004–05**) भावों पर वर्ष **2011–12** में सकल घरेलू उत्पाद रू.**8008163** लाख था, जो **7.56** प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 2012–13 में रू. **8613331** लाख अनुमानित है। क्षेत्रवार वृद्धि प्राथमिक क्षेत्र में 5.97 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र में **7.09** प्रतिशत एवं तृतीयक क्षेत्र में 9.09 प्रतिशत अनुमानित है।

प्रगति की संभावनायें

- कृषि क्षेत्र में प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष **2012–13** में **3409719** लाख रूपये की तुलना में वर्ष **2013-14** में **8.05** प्रतिशत बढ़कर **3684098** लाख रूपये संभावित है।
- यह अनुमान किया गया है कि उद्योग क्षेत्र के प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पादन पिछले वर्ष **2012–13** के **5730623** लाख रूपये से बढ़कर वर्ष **2013–14** में 13.46 प्रतिशत **6486385** लाख रूपये होने की संभावना है।
- अनुमान किया गया है कि वर्ष **2012–13** में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में प्रचलित भावों पर लगभग **14.54** प्रतिशत की वृद्धि होकर वर्ष **2013–14** में **17596111** लाख रूपये होने की संभावना है।
- स्थिर भावों (वर्ष **2004–05**) पर 7.05 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्श **2012–13** के **8613331** लाख रू. की तुलना में **9220515** लाख रूपये संभावित हैं। प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति (निवल राज्य घरेलू उत्पाद) **2012–13** में रू. **50691** से बढ़कर वर्ष **2013–14** में रू. **56990** होने की संभावना है।

2 वर्ष **2012-13** में **8,127.5** हजार मी.टन खरीफ एवं **1,885.67** हजार मी.टन रबी फसलों का उत्पादन हुआ। खरीफ फसलों के उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में **19** प्रतिशत की वृद्धि आई है, जबकि रबी फसलों के उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में **12** प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

3. वर्ष **2012-13** में वेट (प्रान्तीय) कर संग्रहण लक्ष्य **6,150.20** करोड़ रू. के विरूद्ध मार्च **2013** तक **6,072.76** करोड़ रू प्राप्त हुआ, जो कि बजट लक्ष्य का **98.74** प्रतिशत है। वर्ष **2013-14** में वेट (प्रान्तीय) कर हेतु **7,076.00** करोड़ रू. का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके विरूद्ध माह सितंबर **2013** तक **2,916.68** करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हो चुका हैं। वर्ष **2012-13** में केन्द्रीय विक्रय कर में बजट लक्ष्य **1199.80** करोड़ रू. के विरूद्ध **855.86** करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ, जो कि बजट लक्ष्य का **71.33** प्रतिशत है। इसका कारण पेट्रोल, डीजल, सीमेंट, आयरन ओर, टू–व्हीलर, एल्यूमिनियम, टेलीविजन, एण्ड इलेक्ट्रानिक्स गुड्स, डिटर्जेंट, फर्टीलाईजर आदि से कम राजस्व प्राप्त हुआ है। वर्ष **2013-14** में केन्द्रीय विक्रय कर हेतु **1399.80** करोड़ रू. के लक्ष्य के विरूद्ध माह सितंबर **2013** तक **369.34** करोड़ रू. की राजस्व प्राप्ति हो चुकी है। वर्ष **2012-13** में प्रवेश कर के **950.00** करोड़ रू. लक्ष्य के विरूद्ध **954.30** करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ है जो कि लक्ष्य का 100.45 प्रतिशत है। वर्ष **2013-14** में प्रवेश कर के अंतर्गत **1192.00** करोड़ रू. के लक्ष्य के विरूद्ध सितंबर **2013** तक **395.31** करोड़ रू. की राजस्व प्राप्ति हो चुकी है। वर्ष **2012-13** में वृत्तिकर के अंतर्गत बजट लक्ष्य **1.12** करोड़ रू. के विरूद्ध **2.72** करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो कि लक्ष्य का **242.86** प्रतिशत है। वर्ष **2013-14** में वृत्ति कर के अंतर्गत लक्ष्य **1.12** करोड़ रू. के विरूद्ध सितंबर **2013** तक **0.23** करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। वर्ष **2012-13** में होटल कर अंतर्गत बजट लक्ष्य **2.65** करोड़ रू. के विरूद्ध **4.12** करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ जो कि निर्धारित लक्ष्य का **155.47 %** है। वर्ष **2013-14** में होटल कर के अंतर्गत बजट लक्ष्य **3.04** करोड़ रू. के विरूद्ध सितंबर **2013** तक **0.65** करोड़ रू. की राजस्व वसूली हो चुकी है।

4. वर्ष 2012–13 में महात्मा गॉधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कुल उपलब्ध राशि रू. 2610.79 करोड़ के विरूद्ध राशि रू. 2231.87 करोड़ व्यय कर कुल 1194.34 लाख मानव दिवस सृजित किए गए। योजना में मांग के आधार पर 26.37 लाख परिवारों को रोजगार प्रदाय किया गया। वर्ष 2013–14 में माह सितंबर 2013 तक योजना में कुल उपलब्ध राशि रू. 1693.95 करोड़ के विरूद्ध रू. 1341.85 करोड़ व्यय कर 666.53 लाख मानव दिवस सृजित किए गए। मांग के आधार पर कुल 19.83 लाख परिवारों को रोजगार प्रदाय किया गया।

5. दुर्ग जिले में स्थित भिलाई इस्पात संयत्र द्वारा वर्ष **2012.13** में **5.21** मिलियन टन हॉट मेटल, **5.01** मिलियन टन क्रूड स्टील, **4.36** मिलियन टन विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन किया गया जो कि, इन उत्पादों की लक्षित क्षमता से क्रमशः **14.6**, **27.7** एवं **38.4** प्रतिशत अधिक है।

6. वित्तीय वर्ष **2012-13** में कुल **12465.988** मिलियन यूनिट (तापीय **12101.309** मिलियन यूनिट, जलीय **358.461** मिलियन यूनिट एवं अन्य सह–उत्पादन **4.435** मिलियन यूनिट) विद्युत का उत्पादन हुआ। सितंबर, **2013** के अंत तक कुल स्थापित क्षमता **2424.70** मेगावाट हो गई है इसमें **2280** मेगावाट ताप विद्युत, **138.70** मेगावाट जल विद्युत तथा **6** मेगावाट अन्य (सह–उत्पादन) की स्थापित क्षमता है।

7. वर्ष **2012-13** के अंत की स्थिति में **18938** ग्राम विद्युतीकृत हैं। शेष **629** अविद्युतीकृत ग्रामों में से **543** वनबाधा रहित ग्रामों एवं अन्य शेष **86** ग्रामों का विद्युतीकरण ''**राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण**'' कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाना है।

8. प्रदेश में न्यादर्श पंजीयन प्रणाली अनुसार वर्ष **2012** में जन्म दर **24.5** और मृत्यु दर **7.9** तथा शिशु मृत्यु दर **47** प्रति हजार आंकी गई है।

9. वर्ष **2012-13** में प्राथ. शाला **8**, माध्य. शाला **30**, हाई स्कूल **0**, उच्च. मा. शाला **200** इस प्रकार कुल **238** शालाएं प्रारंभ की गई हैं तथा वर्ष **2013–14** में प्राथ. शाला **45**, माध्य. शाला **35**, हाई स्कूल **54**, उच्च. मा. शाला **150** इस प्रकार कुल **284** शालाएं प्रारंभ की गई हैं।

10. छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 204 शासकीय, 242 अशासकीय अनुदान रहित एवं 14 अनुदान प्राप्त महाविद्यालय हैं। वर्ष 2012.13 में छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में लगभग 125656 छात्र छात्राएं अध्ययनरत थे जिसमें लगभग 21437 सामान्य छात्र, 19072 अनुसूचित जाति तथा 28575 छात्र अनुसूचित जनजाति के थे एवं 56572 अन्य पिछड़ावर्ग के छात्र छात्राएं अध्ययनरत थे।

राज्य में वर्ष 2013.14 की स्थिति में 49 अभियांत्रिकी महाविद्यालय संचालित हैं जिनकी प्रवेश क्षमता 18870 विद्यार्थियों की है। राज्य में 43 पालिटेक्निक संस्थायें हैं जिनकी प्रवेश क्षमता 7120 विद्यार्थियों की है। इसके साथ 18 एम.बी.ए, 01 आर्किटेक्चर एवं 10 एम.सी.ए. पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाऐं हैं।

11. दिनॉक **01-04-2013** की स्थिति में चिन्हित **73563** बसाहटों में **5588** पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटें पाई गईं जिनमें आयरन युक्त **5242** बसाहटें, सेलेनिटी युक्त **132** बसाहटें एवं फ्लोराइड युक्त **214** बसाहटें पाई गई हैं। वर्ष **2013–14** में **2600** पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में वैकल्पिक व्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, कार्य प्रगति पर है। विद्युत अनुपलब्ध ग्राम/बसाहटें **460 Solar Pump** आधारित योजना क्रियान्वित कर पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

12. मार्च **2011-12** के अंत में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या **3104** हजार थी जो मार्च **2013** में बढ़कर **3437** हजार (**10.73** प्रतिशत की वृद्धि) हो गई है। यात्री वाहनों में **12.31** प्रतिशत, कार एवं जीप में **13.27** प्रतिशत, दोपहिये वाहनों में **10.58** प्रतिशत तथा अन्य प्रकार के वाहनों में **10.20** प्रतिशत वृद्धि परिलक्षित हुई है।

02

जनसंख्या

2. जनसंख्या

2.1 भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा संचालित जनगणना 1911 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से पर्वतीय राज्य–जम्मूकाश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों को छोड़कर छत्तीसगढ़ सबसे विरल प्रदेश है। जनांकीकीय विशेषताओं जैसे– जाति, लिंग, साक्षरता, कार्यस्थिति साथ ही मकानों की विशेषताएँ जैसे–मकान की स्थिति, सुविधाएँ एवं परिसंपत्ति का विवरण जो कि नीचे दर्शाया गया है, के अनुसार जनसंख्या का वर्गीकरण किया गया है।

2.2 जनसंख्याः–

क्षेत्रफल की दृष्टि से छ.ग. का देश में 10वां स्थान था, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह 16वें स्थान पर था। राज्य की जनसंख्या 2.55 करोड़ थी, जो कि भारत की कुल जनसंख्या (121.06 करोड़) का 2.11 प्रतिशत था। दूसरी ओर राज्य का क्षेत्रफल 1.35 लाख वर्गकि.मी. था, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल (132.87 लाख वर्ग कि.मी.) का 4.11 प्रतिशत था। जनसंख्या के महत्वपूर्ण संकेतांक छ.ग. एवं भारत का नीचे दर्शित है (सारणी 2.1), जबकि जिले अनुसार चयनित जनसंख्या संकेतांक परिशिष्ट 2.23 में दर्शाया गया है।

सारणी 2.1 जनसंख्या के महत्वपूर्ण सूचक

सूचक	छत्तीसगढ़		भारत	
	2001	2011	2001	2011
जनसंख्या (लाख में)				
कुल व्यक्ति	208	255	10,287	12,106
पुरूष	105	128	5,322	6,231
महिला	104	127	4,965	5,874
ग्रामीण व्यक्ति	166	196	7,425	8,335
पुरूष	83	97	3,816	4,276
महिला	83	98	3,609	4,058
शहरी व्यक्ति	42	59	2,862	3,771
पुरूष	21	30	1,506	1,954
महिला	20	29	1,356	1,816
दशकीय वृद्धि (%)	18.3	22.6	21.5	17.7
शहरी जनसंख्या (%)	20.1	23.2	27.8	31.2
जनसंख्या (0 से 6 वर्ष) (लाख में)				
कुल व्यक्ति	36	37	1,638	1,644
पुरूष	18	19	850	857
महिला	18	18	788	757
कुल जनसंख्या के 0–6 व र्ष का अनुपात	17.1	14.3	15.9	13.6
लिंगानुपात (महिला, प्रति हजार पुरूषों पर)				
संपूर्ण जनसंख्या	989	991	933	943
बच्चे (0से 6 वर्ष)	975	969	927	919
जनसंख्या घनत्व (प्रतिवर्ग कि.मी)	154	189	325	382
साक्षरता दर प्रतिशत में (7 वर्ष एवं ऊपर)	64.7	70.3	64.8	73.0

2.3 जनगणना मकान एवं परिवारः–

राज्य में 66 लाख जनगणना मकान थे, जिसमें से 94 प्रतिशत भरे हुए एवं लगभग 6 प्रतिशत खाली थे। कुल जनगणना मकान का 76 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र एवं 24 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में था। छ.ग. राज्य में मकानों का लगभग 13 प्रतिशत मकानों का उपयोग गैर निवासी उद्देश्य से किया जा रहा है।

2.4 पेयजल की सुविधा की उपलब्धता :–

छ.ग. राज्य में हैंडपंप पेयजल का मुख्य स्रोत है। जबकि नल (20.7 प्रतिशत), कुआं (1.4 प्रतिशत) एवं ट्यूब वेल (7.2 प्रतिशत) पेयजल के अन्य स्रोत है। केवल परिवारों के 19.0 प्रतिशत को परिसर में ही उपलब्ध है, जबकि शेष 81.0 प्रतिशत परिवार को परिसर के नजदीक या परिसर से काफी दूर (26.5 प्रतिशत) उपलब्ध है। केवल अधिकतम शहरी क्षेत्र जैसे–दुर्ग एवं रायपुर में 40 प्रतिशत से अधिक परिवारों द्वारा पेयजल हेतु नलों का उपयोग किया जाता है।

2.5 प्रकाश के स्रोतः— छ.ग. राज्य में 75 प्रतिशत से अधिक परिवार विद्युत को प्रकाश के मुख्य स्रोत के रूप में उपयोग कर रहे हैं। लगभग 23 प्रतिशत परिवार प्रकाश हेतु मिट्टी तेल का उपयोग, जो कि बलरामपुर में 67.9 प्रतिशत एवं रायपुर में 5.5 प्रतिशत है, जो अत्यधिक भिन्नता लिए हुए है। सौर ऊर्जा का प्रयोग बीजापुर में सबसे अधिक (3.9 प्रतिशत), जशपुर में (3.8 प्रतिशत) और कोरिया में (3.4 प्रतिशत) था।

2.6 स्नानघर एवं नाली की सुविधा की उपलब्धता :— 5 परिवारों में से 4 परिवार के पास स्नानघर उपलब्ध नहीं है। बलरामपुर, मुंगेली, गरियाबंद, कोण्डागांव, बेमेतरा एवं जशपुर के 90 प्रतिशत से अधिक परिवारों के पास किसी भी प्रकार के स्नानघर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। छ.ग. में 3/4 परिवार के पास नाली की सुविधा उपलब्ध नहीं है एवं लगभग 1/5 परिवार के द्वारा खुली नालियों का प्रयोग किया जाता है। केवल 5 प्रतिशत परिवारों के पास बंद नालियों की सुविधा उपलब्ध है।

2.7 शौचालय सुविधा :— 4 में से केवल 1 परिवार को अपने परिसर में शौचालय सुविधा उपलब्ध है, जबकि शेष 3/4 परिवार शौच हेतु खुले स्थान का उपयोग करते हैं।

2.8 रसोईघर एवं खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन :— लगभग 56 प्रतिशत परिवार के पास मकान के अंदर या मकान के बाहर रसोईघर उपलब्ध है, किंतु 40 प्रतिशत परिवार अभी भी घर के अंदर बिना रसोई घर के खाना बनाते हैं। जिला सूरजपुर, कोण्डागांव एवं कांकेर के 75 प्रतिशत परिवार के पास रसोईघर है। जिला रायगढ़, बलौदाबाजार, नारायणपुर एवं जांजगीर–चांपा के 40 प्रतिशत से कम परिवारों को रसोईघर की सुविधा उपलब्ध है। प्रत्येक 10 परिवार से केवल 1 परिवार के पास **LPG** गैस उपलब्ध है, जबकि बहुतायत परिवार रसोई के लिए जलाऊ लकड़ी पर निर्भर है। जिला दुर्ग एवं रायपुर को छोड़कर अन्य जिलों के 20 प्रतिशत से कम परिवारों के पास **LPG** कनेक्शन उपलब्ध हैं, जिसमें से मुख्यतः 10 प्रतिशत से कम परिवारों के पास **LPG** कनेक्शन है।

2.9 परिवारों के पास उपलब्ध परिसंपत्ति एवं बैंकिंग सुविधा :— छ.ग. राज्य में लगभग 50 प्रतिशत परिवारों के द्वारा बैंक सेवाओं का उपयोग किया जाता है। लगभग 31 प्रतिशत परिवार के पास टेलीविजन एवं 30 प्रतिशत परिवार मोबाईल, लैंडलाईन फोन या दोनों से संपर्क करते हैं। अधिकांश परिवारों के पास सायकल उपलब्ध है और लगभग 18 प्रतिशत परिवारों के पास मोटर वाहन है, जबकि परिवारों के 27 प्रतिशत के पास कोई परिसंपत्ति जैसे–टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, कम्प्यूटर, सायकल या मोटर वाहन उपलब्ध नहीं है। बीजापुर, दंतेवाड़ा एवं सुकमा शीर्ष 3 जिले हैं, जिसमें ऊपर दर्शायी गयी परिसंपत्ति की न्यूनतम प्रतिशत है।

2.10 जिलेवार परिवारों को उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं एवं परिसंपत्ति का विवरण नीचे परिशिष्ट 2.4 से 2.9 में दर्शाया गया है।

सारणी 2.2 जनगणना 2011 के आधार पर महत्वपूर्ण जनसंख्या सूचकांक

जिला	परिवारों की संख्या	कुल जनसंख्या	साक्षरता दर	लिंगानुपात	बच्चे की लिंगानुपात (आयु समूह 0–6 वर्ष)
बालोद	175469	826165	70.9	1022	983
बलौदाबाजार	271135	1305343	60.0	1004	975
बलरामपुर	159886	730491	47.9	973	964
बस्तर	189958	834375	45.1	1017	987
बेमेतरा	158768	795759	59.0	1001	973
बीजापुर	54757	255230	34.1	984	978
बिलासपुर	443105	1961922	62.2	970	956
दंतेवाड़ा	65176	283479	41.2	1023	1012
धमतरी	170951	799781	68.4	1010	973
दुर्ग	367470	1721948	72.5	966	948
गरियाबंद	147546	597653	58.7	1020	983
जांजगीर–चांपा	364532	1619707	63.0	986	950
जशपुर	192570	851669	58.2	1005	980
कबीरधाम	178446	822526	50.4	996	983
कोण्डागांव	121580	578824	47.5	1033	1006
कोरबा	280073	1206640	62.1	969	966
कोरिया	153274	658917	60.4	968	968
महासमुंद	248561	1032754	61.8	1017	971
मुंगेली	157717	701707	53.6	974	971
नारायणपुर	27982	139820	40.5	994	989
रायगढ़	367962	1493984	63.7	991	947
रायपुर	452544	2160876	69.2	963	959
राजनांदगांव	318488	1537133	65.6	1015	986
सुकमा	55674	250159	29.8	1017	997
सूरजपुर	177327	789043	51.1	981	958
सरगुजा	188836	840352	51.7	980	963
उत्तर बस्तर कांकेर	160937	748941	60.9	1006	978
छत्तीसगढ़	5650724	25545198	60.2	991	969

सारणी 2.3 जनगणना 2011 के अनुसार पेयजल के स्रोत

	परिवारों का प्रतिशत								पेयजल स्रोत की उपलब्धता		
जिला	नल का पानी	कुएँ का पानी	हाथ पंप	नल कूप	झरना	नदी/नहर	टैंक, तालाब, झील	कोई अन्य स्रोत	परिसर के अंदर	परिसर के पास	दूर
बालोद	28.8	8.8	56.4	5.8	0.0	0.1	0.0	0.1	17.2	62.2	20.6
बलौदाबाजार	13.2	10.4	68.4	7.4	0.0	0.4	0.1	0.1	12.6	55.9	31.5
बलरामपुर	4.4	40.8	43.2	1.2	1.5	5.6	0.3	2.9	11.4	45.5	43.1
बस्तर	19.4	5.4	66.9	1.5	4.3	1.8	0.5	0.3	13.5	51.6	34.9
बेमेतरा	14.6	3.6	64.3	16.6	0.0	0.4	0.3	0.2	11.1	54.3	34.6
बीजापुर	3.9	6.2	81.3	0.5	1.7	5.3	0.5	0.6	4.9	51.7	43.5
बिलासपुर	29.0	10.6	52.1	6.8	0.2	0.6	0.2	0.5	26.4	49.1	24.5
दंतेवाड़ा	18.0	4.2	68.5	1.0	5.3	1.5	0.3	1.1	15.2	52.6	32.2
धमतरी	31.4	10.0	51.0	7.2	0.0	0.1	0.1	0.1	22.1	59.5	18.3
दुर्ग	48.8	2.1	38.4	10.3	0.0	0.0	0.1	0.2	36.7	49.8	13.5
गरियाबंद	10.5	11.2	74.0	2.7	0.2	1.1	0.1	0.2	12.0	59.6	28.4
जांजगीर–चांपा	13.6	5.7	72.6	7.8	0.0	0.1	0.1	0.1	15.5	60.5	24.0
जशपुर	4.2	24.1	66.8	0.7	2.3	0.9	0.2	0.8	9.4	56.0	34.6
कबीरधाम	13.3	7.7	71.4	5.9	0.6	0.7	0.3	0.1	13.0	62.0	25.0
कोण्डागांव	10.6	10.9	72.8	1.3	2.6	1.3	0.1	0.4	8.6	54.3	37.1
कोरबा	21.5	22.9	47.7	4.5	0.7	1.7	0.3	0.7	25.9	48.7	25.4
कोरिया	24.1	26.3	40.9	1.4	2.4	2.6	0.8	1.4	25.6	44.6	29.8
महासमुंद	12.8	7.1	73.5	6.2	0.1	0.2	0.1	0.1	11.4	63.2	25.4
मुंगेली	13.0	13.9	66.0	6.4	0.0	0.3	0.2	0.1	15.0	53.7	31.3
नारायणपुर	16.4	7.2	60.6	0.5	5.8	6.9	1.5	0.9	8.8	41.6	49.6
रायगढ़	19.7	8.6	53.6	16.4	0.3	0.6	0.5	0.3	15.9	61.1	23.0
रायपुर	40.4	3.6	38.4	16.8	0.0	0.0	0.2	0.4	35.6	47.1	17.3
राजनांदगांव	23.1	9.1	63.0	4.3	0.1	0.1	0.0	0.2	17.2	62.0	20.8
सुकमा	5.1	4.0	84.2	0.9	2.0	3.4	0.3	0.3	5.2	53.3	41.5
सूरजपुर	7.4	33.3	48.1	5.7	0.8	1.6	0.5	2.5	16.6	47.1	36.3
सरगुजा	9.1	15.3	66.0	5.1	1.4	1.6	0.3	1.3	15.0	53.0	32.0
उत्तर बस्तर कांकेर	11.0	9.2	73.5	4.7	0.8	0.6	0.0	0.2	13.7	59.0	27.2
छत्तीसगढ़	20.7	11.4	58.4	7.2	0.7	0.9	0.2	0.5	19.0	54.5	26.5

सारणी 2.4 जनगणना 2011 के अनुसार प्रकाश के स्त्रोत

जिला	विद्युत	मिट्टी के तेल	सौर ऊर्जा	अन्य	प्रकाश रहित
बालोद	86.5	13.0	0.0	0.3	0.2
बलौदाबाजार	80.9	17.8	0.5	0.4	0.3
बलरामपुर	30.8	67.9	0.5	0.4	0.4
बस्तर	56.2	42.1	1.2	0.3	0.3
बेमेतरा	81.6	17.8	0.1	0.2	0.3
बीजापुर	24.8	66.2	3.9	3.1	2.0
बिलासपुर	87.0	12.3	0.3	0.2	0.2
दंतेवाड़ा	41.3	51.9	2.8	1.9	2.0
धमतरी	88.5	10.2	0.8	0.2	0.2
दुर्ग	92.8	6.6	0.1	0.3	0.2
गरियाबंद	64.1	32.5	2.9	0.2	0.3
जांजगीर–चांपा	89.8	9.6	0.1	0.2	0.3
जशपुर	40.3	55.6	3.8	0.2	0.1
कबीरधाम	85.2	12.9	1.5	0.2	0.2
कोण्डागांव	43.8	55.4	0.5	0.2	0.2
कोरबा	73.0	23.6	2.8	0.3	0.2
कोरिया	52.6	43.6	3.4	0.2	0.2
महासमुंद	82.8	16.5	0.1	0.3	0.3
मुंगेली	77.3	20.5	1.8	0.2	0.2
नारायणपुर	34.6	59.9	0.7	3.2	1.6
रायगढ़	82.2	17.4	0.1	0.2	0.1
रायपुर	93.9	5.5	0.1	0.3	0.3
राजनांदगांव	87.3	11.9	0.4	0.2	0.2
सुकमा	34.3	62.9	0.4	1.6	0.7
सूरजपुर	54.1	44.9	0.6	0.2	0.2
सरगुजा	58.7	39.9	0.7	0.3	0.4
उत्तर बस्तर कांकेर	69.7	28.0	1.7	0.3	0.2
छत्तीसगढ़	75.3	23.2	0.9	0.3	0.3

सारणी 2.5 जनगणना 2011 के अनुसार शौचालय सुविधा की उपलब्धता एवं प्रकार

जिला	परिसर के अंदर शौचालय की उपलब्धता	शौचालय की सुविधा के प्रकार से परिवार का वितरण			परिसर के अंदर शौचालय की अनुपलब्धता	
		फ्लश एवं पोर शौचालय	गड्ढा शौचालय	अन्य शौचालय	सार्वजनिक शौचालय	खुला
बालोद	22.2	17.8	4.3	0.1	0.5	77.3
बलौदाबाजार	15.5	12.7	2.7	0.1	0.6	83.9
बलरामपुर	25.1	15.2	9.7	0.2	0.3	74.6
बस्तर	27.3	18.6	8.6	0.1	0.7	72.0
बेमेतरा	11.6	10.3	1.2	0.1	0.6	87.9
बीजापुर	5.6	4.5	1.0	0.1	1.0	93.3
बिलासपुर	32.7	29.5	3.0	0.1	2.2	65.1
दंतेवाड़ा	21.6	20.5	0.8	0.2	0.6	77.8
धमतरी	29.7	24.7	4.9	0.1	2.1	68.1
दुर्ग	47.7	46.2	1.3	0.2	6.6	45.7
गरियाबंद	10.9	8.5	2.3	0.1	0.2	88.9
जांजगीर–चांपा	15.2	13.5	1.6	0.1	0.4	84.4
जशपुर	14.2	10.7	3.4	0.2	0.5	85.3
कबीरधाम	13.2	10.9	2.3	0.1	0.1	86.7
कोण्डागांव	9.4	9.1	0.2	0.0	0.2	90.4
कोरबा	28.1	25.6	2.2	0.3	0.4	71.5
कोरिया	23.4	21.5	1.5	0.4	0.9	75.7
महासमुंद	18.8	14.8	3.9	0.1	0.2	81.1
मुंगेली	14.5	11.2	3.2	0.1	0.1	85.4
नारायणपुर	10.7	10.4	0.2	0.1	0.1	89.2
रायगढ़	19.3	16.8	2.4	0.2	0.5	80.2
रायपुर	47.7	46.1	1.2	0.4	4.9	47.4
राजनांदगांव	25.0	18.6	6.2	0.1	1.6	73.4
सुकमा	7.4	6.9	0.5	0.0	0.9	91.7
सूरजपुर	11.5	9.7	1.6	0.2	0.2	88.3
सरगुजा	37.8	19.5	18.3	0.0	0.6	61.6
उत्तर बस्तर कांकेर	19.7	17.3	2.4	0.1	0.2	80.0
छत्तीसगढ़	24.6	21.0	3.5	0.2	1.4	74.0

सारणी 2.6 जनगणना 2011 के अनुसार स्नानघर, जलनिकास एवं रसोईघर की उपलब्धता एवं प्रकार

जिला	उपलब्ध स्नानघर	छत विहीन स्नानघर	स्नानघर रहित	बंद जल निकास	खुला जल निकास	जल निकास नहीं	उपलब्ध रसोई घर	मकान के अंदर खाना पकता है रसोई घर नहीं है	मकान के बाहर खाना पकता है, रसोई घर नहीं है	खाना नहीं पकाते
बालोद	9.6	4.3	86.2	4.1	14.3	81.5	67.1	30.4	2.3	0.2
बलौदाबाजार	7.0	3.5	89.5	3.0	12.8	84.2	36.1	55.8	7.9	0.2
बलरामपुर	3.3	3.6	93.1	1.4	10.8	87.9	47.7	51.0	1.1	0.1
बस्तर	11.8	8.5	79.8	2.2	13.8	84.0	69.4	29.0	1.4	0.2
बेमेतरा	5.8	3.1	91.1	1.9	16.5	81.6	55.0	41.1	3.7	0.2
बीजापुर	4.1	11.3	84.6	0.4	4.9	94.7	59.4	33.2	6.9	0.6
बिलासपुर	19.8	6.7	73.5	7.5	23.3	69.3	59.6	38.1	2.2	0.2
दंतेवाड़ा	15.4	4.5	80.2	6.8	10.1	83.1	70.3	26.8	2.7	0.2
धमतरी	12.2	5.0	82.7	3.8	15.8	80.4	66.1	31.6	2.1	0.2
दुर्ग	44.2	10.6	45.2	20.4	39.3	40.4	71.4	26.0	2.3	0.3
गरियाबंद	4.2	2.8	93.0	1.7	8.3	90.0	48.2	49.2	2.5	0.1
जांजगीर–चांपा	7.2	3.2	89.6	3.2	10.9	85.9	36.2	57.2	6.4	0.1
जशपुर	4.7	2.5	92.8	0.9	7.8	91.3	45.4	53.5	1.0	0.1
कबीरधाम	6.4	3.8	89.8	1.3	13.8	84.9	55.9	41.4	2.6	0.2
कोण्डागांव	5.3	3.4	91.3	0.5	5.9	93.7	81.8	15.7	1.5	1.0
कोरबा	18.6	5.8	75.6	6.9	20.7	72.4	55.4	41.5	3.0	0.1
कोरिया	18.6	6.7	74.8	7.7	27.7	64.6	60.4	37.6	1.9	0.2
महासमुंद	6.9	3.4	89.7	2.8	13.2	84.0	42.8	53.4	3.7	0.1
मुंगेली	5.4	4.6	90.0	1.5	10.9	87.6	46.2	49.9	3.7	0.1
नारायणपुर	7.7	4.7	87.6	0.7	5.0	94.3	39.7	56.7	3.5	0.2
रायगढ़	9.9	4.1	86.0	4.2	18.0	77.8	39.2	57.0	3.6	0.2
रायपुर	42.2	8.3	49.5	9.9	43.2	46.9	63.2	33.9	2.6	0.3
राजनांदगांव	12.5	6.2	81.3	3.6	19.2	77.2	65.8	31.7	2.4	0.2
सुकमा	5.2	8.8	86.0	0.2	5.6	94.2	56.8	38.1	4.2	0.9
सूरजपुर	6.8	4.4	88.8	6.8	20.5	72.6	74.7	23.7	1.4	0.1
सरगुजा	10.6	4.7	84.7	5.4	17.7	76.9	50.7	48.0	1.3	0.1
उत्तर बस्तर कांकेर	9.0	4.4	86.6	1.1	8.2	90.7	78.0	19.9	1.9	0.2
छत्तीसगढ़	14.8	5.4	79.9	5.3	18.9	75.8	56.1	40.7	3.0	0.2

सारणी 2.7 जनगणना 2011 के अनुसार खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधर के प्रकार

जिला	जलाऊ लकड़ी	फसल के अवशेष	गोबर का कंडा	कोयला लिग्नाइट, लकड़ी का कोयला	मिट्टी का तेल	एल.पी. जी.	विद्युत	गोबर गैस	अन्य
बालोद	90.3	0.7	2.3	0.0	0.3	6.0	0.0	0.1	0.0
बलौदाबाजार	87.6	1.2	5.8	0.1	0.2	4.6	0.1	0.1	0.0
बलरामपुर	97.5	0.6	0.1	0.0	0.1	1.5	0.0	0.0	0.0
बस्तर	88.3	0.7	0.0	0.0	1.1	9.6	0.1	0.1	0.0
बेमेतरा	85.7	1.4	9.4	0.0	0.2	3.0	0.0	0.0	0.0
बीजापुर	96.0	0.4	0.2	0.0	0.6	2.0	0.0	0.1	0.1
बिलासपुर	77.9	0.8	3.5	0.6	0.7	16.2	0.1	0.1	0.0
दंतेवाड़ा	83.7	0.4	0.0	0.1	1.4	13.8	0.1	0.1	0.0
धमतरी	83.5	0.7	6.1	0.0	0.3	8.7	0.0	0.4	0.0
दुर्ग	37.1	0.7	9.2	19.0	1.1	31.7	0.2	0.1	0.5
गरियाबंद	90.8	1.0	5.3	0.0	0.1	2.4	0.0	0.1	0.0
जांजगीर–चांपा	89.5	1.1	3.5	0.2	0.2	5.1	0.1	0.1	0.0
जशपुर	93.9	0.8	1.3	0.0	0.3	3.5	0.0	0.1	0.1
कबीरधाम	87.5	1.0	7.2	0.0	0.4	3.6	0.1	0.0	0.0
कोण्डागांव	94.8	0.3	0.0	0.0	0.3	3.5	0.0	0.1	0.0
कोरबा	71.4	0.6	0.5	10.4	0.4	15.6	0.9	0.1	0.0
कोरिया	74.1	1.0	2.5	4.7	0.4	16.8	0.2	0.1	0.0
महासमुंद	89.9	0.8	2.3	0.1	0.2	5.1	0.0	1.4	0.0
मुंगेली	87.8	1.8	7.1	0.1	0.2	2.8	0.0	0.1	0.0
नारायणपुर	93.4	0.5	0.0	0.1	0.5	5.1	0.0	0.1	0.0
रायगढ़	88.6	0.9	0.8	0.9	0.4	7.7	0.1	0.4	0.0
रायपुर	50.7	1.5	8.7	2.7	1.2	34.5	0.1	0.1	0.3
राजनांदगांव	88.4	0.5	0.9	0.9	0.6	8.4	0.0	0.0	0.0
सुकमा	94.6	0.3	0.0	0.0	0.7	3.2	0.0	0.1	0.0
सूरजपुर	87.1	0.7	4.5	1.0	0.2	6.2	0.1	0.1	0.0
सरगुजा	87.4	0.9	2.0	0.2	0.4	8.7	0.1	0.1	0.0
उत्तर बस्तर कांकेर	93.3	0.5	0.2	0.0	0.6	4.9	0.0	0.2	0.0
छत्तीसगढ़	80.8	0.9	3.7	2.3	0.5	11.2	0.1	0.2	0.1

सारणी 2.8 जनगणना 2011 के अनुसार परिवारों के पास परिसंपत्ति

जिला	% परिवारों द्वारा बैंकिंग सेवा का लाभ	परिसंपत्ति की उपलब्धता (परिवारों का %)							
		रेडियो/ ट्रांजिस्टर	टेलीविजन	कम्प्यूटर/ लैपटाप	टेलीफोन/ मोबाईल फोन	सायकल	स्कूटर/ मोटर सायकल/ इंजन सायकल	कार/ जीप/ वैन	इस सारणी में उल्लेखित कोई परिसम्पिति नहीं है
बालोद	66.5	9.7	37.9	2.6	35.2	73.4	17.6	1.5	18.0
बलौदाबाजार	36.3	8.7	29.4	2.9	27.8	63.1	10.5	1.0	27.5
बलरामपुर	59.5	11.3	7.7	2.8	18.2	43.5	6.5	0.8	46.6
बस्तर	35.3	9.3	19.1	3.7	20.5	57.7	12.0	1.6	31.9
बेमेतरा	45.8	9.3	31.7	2.2	32.5	59.4	12.3	1.2	28.8
बीजापुर	24.8	13.4	8.4	2.9	10.0	33.4	5.2	0.6	54.7
बिलासपुर	41.9	16.3	36.0	6.0	31.9	59.2	16.4	2.7	26.5
दंतेवाड़ा	39.0	9.0	20.0	4.5	24.2	25.3	13.0	2.3	54.5
धमतरी	55.0	8.5	40.3	2.9	33.1	71.3	18.2	1.8	19.5
दुर्ग	57.2	16.0	63.1	12.0	56.3	74.1	35.3	6.8	10.5
गरियाबंद	54.4	7.0	18.5	1.7	16.2	60.6	8.5	0.7	33.2
जांजगीर–चांपा	29.8	6.5	33.6	2.9	29.1	59.8	11.3	1.1	29.3
जशपुर	44.7	6.5	10.8	3.0	18.9	52.9	8.2	1.3	38.7
कबीरधाम	66.1	8.3	20.6	1.7	23.9	54.9	9.9	0.8	34.8
कोण्डागांव	48.4	17.2	12.0	1.8	17.0	70.2	8.7	1.0	22.6
कोरबा	45.0	8.4	34.6	6.5	32.6	58.5	20.1	3.1	28.2
कोरिया	70.2	12.7	25.5	5.0	33.2	44.3	17.3	2.2	34.5
महासमुंद	53.2	5.3	26.5	2.2	25.6	68.3	12.3	1.4	23.9
मुंगेली	41.9	11.5	18.9	2.2	20.2	47.9	6.6	0.7	41.1
नारायणपुर	25.6	15.1	15.3	2.2	15.1	55.0	7.3	0.7	36.9
रायगढ़	34.5	8.2	27.3	3.8	26.7	62.3	13.9	1.7	27.6
रायपुर	52.8	18.4	61.7	11.2	54.8	65.3	31.1	6.2	12.9
राजनांदगांव	69.2	10.3	33.7	3.7	32.3	71.5	14.1	1.5	19.0
सुकमा	22.1	9.2	8.1	2.1	12.3	33.2	4.9	0.7	55.9
सूरजपुर	63.7	13.0	15.4	3.7	24.1	60.5	12.5	1.7	29.6
सरगुजा	52.8	11.7	19.0	4.3	25.6	55.0	13.0	2.1	33.5
उत्तर बस्तर कांकेर	49.7	10.4	23.4	2.6	22.8	70.4	12.3	1.2	21.0
छत्तीसगढ़	48.8	11.0	31.3	4.6	30.7	61.0	15.6	2.2	27.1

03

राज्यीय आय

3. राज्यीय आय

3.1 वर्ष 2011–12 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान :–

3.1.1 प्रचलित भावों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के प्रावधिक अनुमान वर्ष **2011–12** में 13287193 लाख़ रू. अनुमानित है, जिसमें 15.62 प्रतिशत की वृद्धि होकर वर्ष **2012–13** के त्वरित अनुमान 15362069 लाख रू. आंकलित किये गये हैं। क्षेत्रवार स्थिति निम्नानुसार है :–

सारणी 3.1 प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (लाख रू. में)

क्र	क्षेत्र	2009–10	2010–11	2011–12 (प्रा.)	2012–13 (त्व.)	गतवर्ष सें 2012–13 में प्रतिशत वृद्धि
1	प्राथमिक क्षेत्र	**2933936**	**3782066**	**4215699**	**4808683**	**14.07**
2	द्वितीयक क्षेत्र	**3353256**	**3655167**	**3804636**	**4331659**	**13.85**
3	तृतीयक क्षेत्र	**3649234**	**4504743**	**5266858**	**6221727**	**18.13**
	सकल रा.घ.उ.	**9936426**	**11941976**	**13287193**	**15362069**	**15.62**
	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (रू.)	**40557**	**47768**	**52107**	**59085**	**13.39**

3.1.2 स्थिर भावों (आधार वर्ष **2004–2005**) के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के प्रावधिक अनुमान वर्ष **2011–12** में 8008163 लाख़ रू. अनुमानित है, जिसमें **7.56 प्रतिशत** की वृद्धि होकर वर्ष **2012–13** के त्वरित अनुमान 8613331 लाख रू. आंकलित किये गये हैं। क्षेत्रवार स्थिति निम्नानुसार है:–

सारणी 3.2 स्थिर भावों (2004–2005) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (लाख रू. में)

क्र	क्षेत्र	2009–10	2010–11	2011–12 (प्रा.)	2012–13 (त्व.)	गतवर्ष सें 2012–13 में प्रतिशत वृद्धि
1	प्राथमिक क्षेत्र	**2036746**	**2355474**	**2389502**	**2532065**	**5.97**
2	द्वितीयक क्षेत्र	**2471163**	**2503194**	**2414070**	**2585231**	**7.09**
3	तृतीयक क्षेत्र	**2626353**	**3031627**	**3204591**	**3496035**	**9.09**
	सकल रा.घ.उ.	**7134262**	**7890295**	**8008163**	**8613331**	**7.56**
	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (रू.)	**29119**	**31561**	**31405**	**33128**	**5.49**

3.1.4 छत्तीसगढ़ राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रचलित एवं स्थिर भावों (आधार वर्ष **2004–2005**) का वर्ष 2011–12 के प्रावधिक अनुमान एवं **2012–13** के त्वरित अनुमान से परिलक्षित होता है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र के योगदान में आंशिक रूप से कमी आई है वहीं तृतीयक क्षेत्र में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण सारणी 3.2 में दर्शाया गया है।

सारणी 3.3 सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण					
क्र.	क्षेत्र	2011–12 (प्रा.)		2012–13(त्व.)	
		प्रचलित भावों पर	स्थिर (2004–2005) भावों पर	प्रचलित भावों पर	स्थिर (2004–2005) भावों पर
1	प्राथमिक क्षेत्र	**31.73**	**29.84**	**31.30**	**29.40**
2	द्वितीयक क्षेत्र	**28.63**	**30.15**	**28.20**	**30.01**
3	तृतीयक क्षेत्र	**39.64**	**40.02**	**40.50**	**40.59**
	सकल रा.घ.उ.	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

3.2 वर्ष **2011–12** के शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान :–

3.2.1 शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान,

प्रचलित भावों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद के प्रावधिक अनुमान वर्ष 2011–12 में 11348702 लाख रू. अनुमानित है, जिसमें 16.13 प्रतिशत की वृद्धि होकर वर्ष 2012–13 के त्वरित अनुमान 13179617 लाख रू. आंकलित किये गये हैं। क्षेत्रवार स्थिति निम्नानुसार है।

प्रचलित भावों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष **2011–12** में 44505 रू. अनुमानित है जिसमें 13.90 प्रतिशत वृद्धि होकर वर्ष **2012–13** में 50691 रू. होना अनुमानित हैं।

सारणी 3.4 प्रचलित भावों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान (लाख रू. में)						
क्र.	क्षेत्र	2009–10	2010–11	2011–12 (प्रा.)	2012–13 (त्व.)	गतवर्ष सें 2012–13 में प्रतिशत वृद्धि
1	प्राथमिक क्षेत्र	**2564277**	**3361459**	**3718209**	**4244377**	**14.15**
2	द्वितीयक क्षेत्र	**2467164**	**2735940**	**2733916**	**3156012**	**15.44**
3	तृतीयक क्षेत्र	**3388145**	**4193768**	**4896577**	**5779228**	**18.03**
शुद्ध रा.घ.उ.		**8419586**	**10291167**	**11348702**	**13179617**	**16.13**
प्रति व्यक्ति आय (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद रू.में)		**34366**	**41165**	**44505**	**50691**	**13.90**

3.2.2 स्थिर भावों (आधार वर्ष **2004–2005**) के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद के प्रावधिक अनुमान वर्ष **2011–12** में **6622559** लाख़ रू. अनुमानित है, जिसमें **7.57 प्रतिशत** की वृद्धि होकर वर्ष **2012–13** के त्वरित अनुमान 7124094 लाख रू. आंकलित किये गये हैं। क्षेत्रवार स्थिति निम्नानुसार है

सारणी 3.5 स्थिर भावों (2004–2005) पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (लाख रू. में)						
क्र	क्षेत्र	2009–10	2010–11	2011–12 (प्रा.)	2012–13 (त्व.)	गतवर्ष सें 2012–13 में प्रतिशत वृद्धि
1	प्राथमिक क्षेत्र	**1754095**	**2023796**	**2059916**	**2183529**	**6.00**
2	द्वितीयक क्षेत्र	**1746667**	**1666777**	**1610308**	**1729829**	**7.42**
3	तृतीयक क्षेत्र	**2425566**	**2807124**	**2952335**	**3210736**	**8.75**
शुद्ध रा.घ.उ.		**5926328**	**6497697**	**6622559**	**7124094**	**7.57**
प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (रू.)		**24189**	**25991**	**25971**	**27400**	**5.50**

3.2.3 छत्तीसगढ़ राज्य के शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान का स्थिर भावों के आधार पर वर्ष 2012–13 में प्रतिशत वितरण प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में क्रमशः 30.65, 24.28 एवं 45.07 रहा जबकि इसी वर्ष में प्रचलित भावों के आधार पर यह प्रतिशत क्रमशः 32.20, 23.95 तथा 43.85 है।

सारणी 3.5 शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण				
क्षेत्र	2011–12 (प्रा.)		2012–13(त्व.)	
	प्रचलित भावों पर	स्थिर (2004–05) भावों पर	प्रचलित भावों पर	स्थिर (2004–05) भावों पर
प्राथमिक क्षेत्र	**32.76**	**31.10**	**32.20**	**30.65**
द्वितीयक क्षेत्र	**24.09**	**24.32**	**23.95**	**24.28**
तृतीयक क्षेत्र	**43.15**	**44.58**	**43.85**	**45.07**
शुद्ध रा.घ.उ.	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

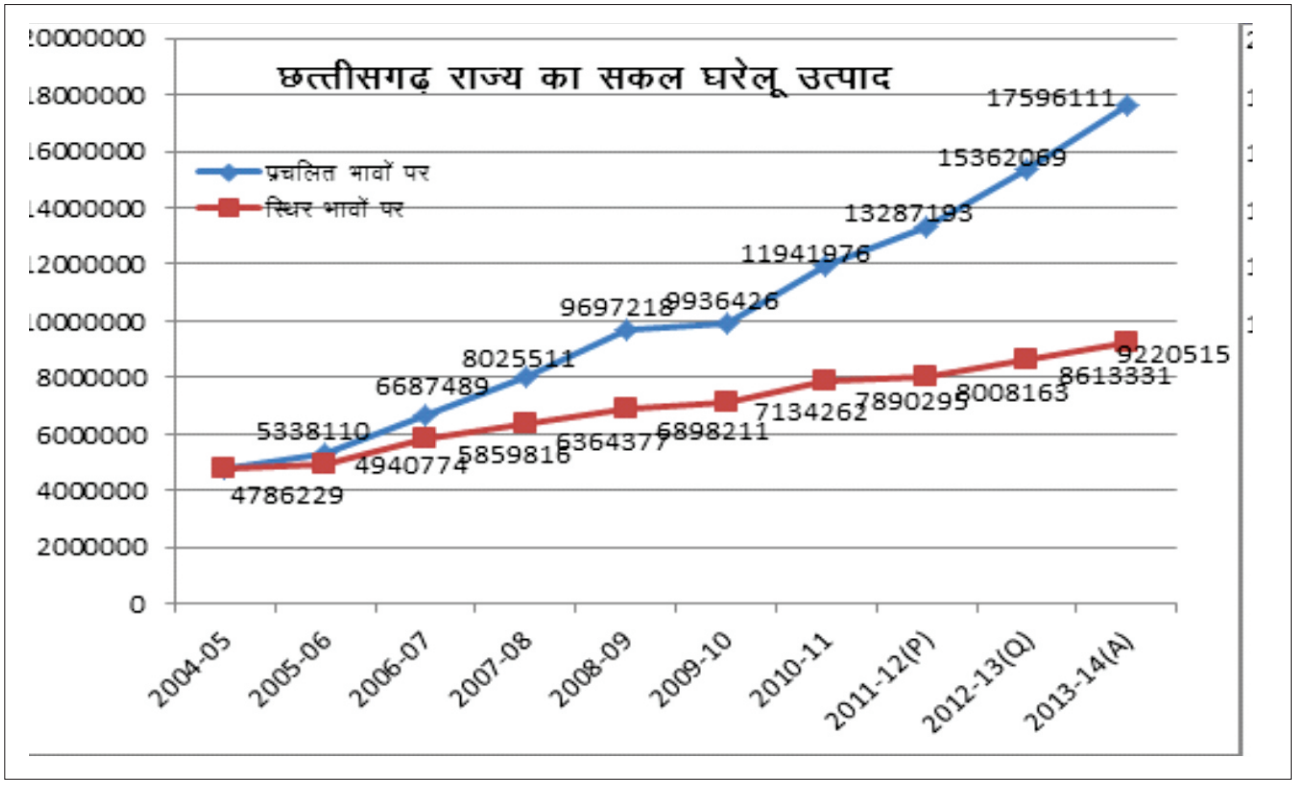
छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद
प्रचलित भावों पर
स्थिर भावों पर
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
4786229
5338110
6687489
8025511
9697218
9936426
11941976
13287193
15362069
17596111
4940774
5859816
6364377
6898211
7134262
7890295
8008163
8613331
9220515
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12(P)
2012-13(Q)
2013-14(A)

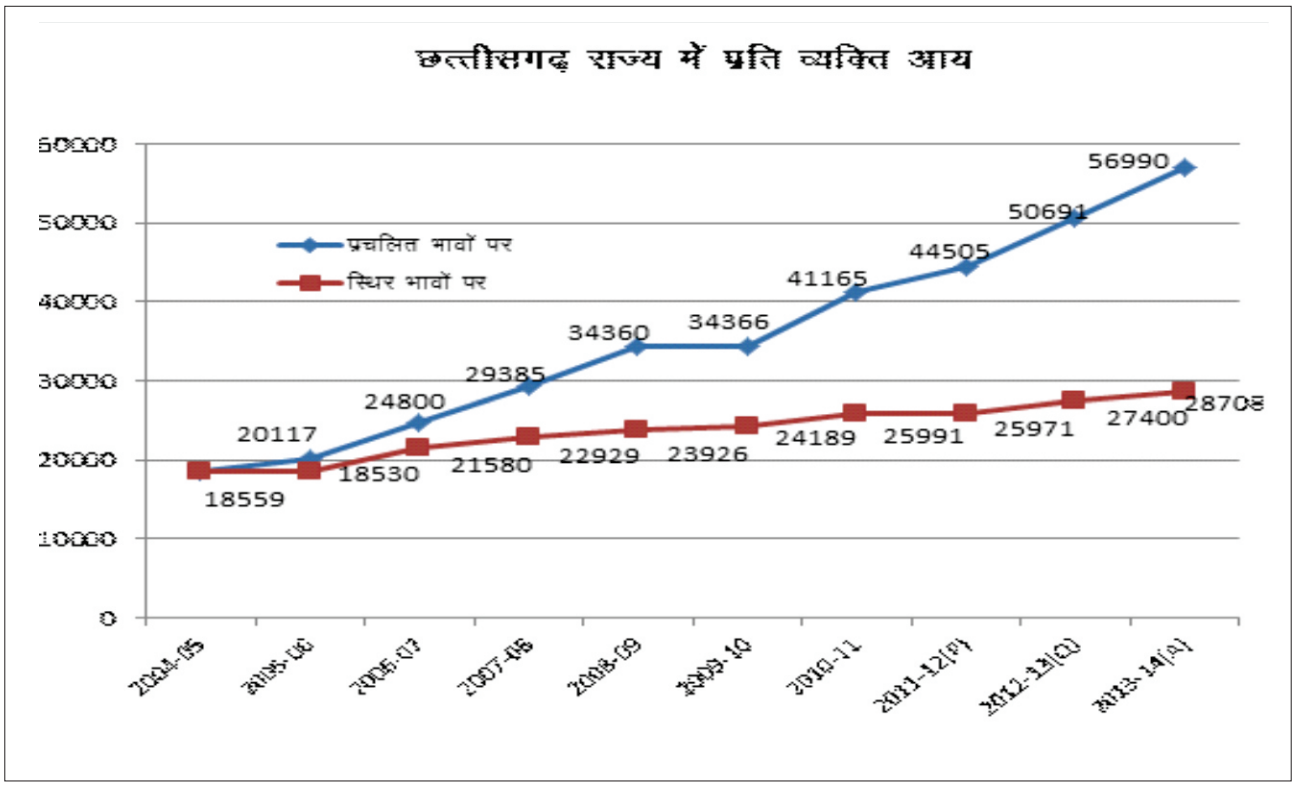
छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति व्यक्ति आय
प्रचलित भावों पर
स्थिर भावों पर
50000
40000
30000
20000
10000
0
18559
20117
24800
29385
34360
34366
41165
44505
50691
56990
18530
21580
22929
23926
24189
25991
25971
27400
28708
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12(P)
2012-13(Q)
2013-14(A)

04

मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली

4. मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली

4.1 मूल्य :– मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर समाज के प्रत्येक अनुभाग पर कीमतों में परिवर्तन का सीधा असर पड़ता है। मूल्य सूचकांक वस्तुओं के कीमत के स्तर के समय के साथ सापेक्ष परिवर्तन को मापने का एक सांख्यिकी उपकरण है। आर्थिक योजनाओं की प्रकिृया में यह मुख्य सूचकांक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) एवं थोक मूल्य सूचकांक (WPI) क्रमशः खुदरा एवं थोक स्तर पर मुद्रास्फिति मापने का उपकरण है।

4.1.1 भारत में मूल्य स्थितिः– भारत में मूल्य की स्थिति भारत सरकार का केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय प्रत्येक माह (आधार वर्ष 2010) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदशों के लिए ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्रों के लिए जारी करता है। छत्तीसगढ़ का औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिसम्बर 2013 में 145.2, 137.0 एवं 143.4 क्रमशः ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के लिए था। प्रमुख राज्यों के दिसम्ब्र 13 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक परिशिष्ट 4.1 में दर्शाया गया है। दिसम्बर 13 के लिए भारत की सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) के बिंदु से बिंदु आधार पर प्रावधिक वार्षिक मुद्रास्फिति दर 9.87% थी जो नवंबर 13 के 11.6% की तुलना में कम थी। इसी प्रकार ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के लिए मुद्रास्फिति दर क्रमशः 10.4% एवं 9.11% थी।

4.1.2 श्रम ब्यूरोः– भारत सरकार तीन प्रकार के मासिक सूचकांक यथा कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL) ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-RL) एवं औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) प्रकाशित करता है। इनका उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण एवं पुनरीक्षण हेतु किया जाता है। परिशिष्ट 4.2 में CPI(AL) एवं CPI(RL) की श्रृंखला दर्शाई गई है। भारत के CPI AL का जनवरी से नवंबर 13 तक का औसत 732.2 था जो कि गत वर्ष की तुलना में 12.2% अधिक था। इसी प्रकार भारत का औसत CPI RL जनवरी 13 से नवबंर 13 तक 733 था जो गत वर्ष की तुलना में 12% वृद्धि दर्शाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों CPI (IW) मुख्यतः महंगाई भत्ते के निर्धारण एवं संगठित क्षेत्र की न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण एवं पुनरीक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है। यह औद्योगिक रूप से विकसित 78 चुने हुए केंद्रों में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के खुदरा मूल्य पर आधारित है। भारत के जनवरी से दिसम्बर 13 तक का औसत (CPI IW) पिछले वर्ष के संबंधित माहों की तुलना में 10.6% की वृद्धि दर्शाता है। भारत के CPI IW भिलाई के क्षेत्र को सम्मिलित कर तालिका 4.2 में दर्शित है।

4.1.3 थोक मूल्य सूचकांक :– भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2004.05) तैयार किए जाते हैं, जो शासन की व्यापार राजकोषी एवं अन्य आर्थिक नीतियों के सूचीकरण में प्रमुख निर्धारक है।

सभी वस्तुओं के लिए थोक मूल्य सूचकांक 63% की वृद्धि दर्शाता है। प्राथमिक वस्तुओं के समूह हेतु 10.7% ईंधन एवं शक्ति समूह के लिए 9.9% एवं विनिर्माण उत्पाद के लिए 3.3% वृद्धि गतवर्ष की इस अवधि की तुलना में दर्ज की गई है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

4.2 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न, शक्कर, केरोसिन आदि आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से नियत दरों पद उपलब्ध करायी जाती हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन विभाग द्वारा किया जाता है। विभाग कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान किए जाने हेतु घोषित मूल्य पर धान का उपार्जन करता है। इसके साथ ही विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाता है।

4.2.1 छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 :–

छतीसगढ़ स्वयं का खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। छ.ग. खाद्य सुरक्षा अधिनियम में न सिर्फ खाद्य सुरक्षा हेतु प्रावधान किए गए हैं, अपितु संतुलित आहार की दृष्टि से भोजन में प्रोटीन की मात्रा बढ़े इस उद्देश्य से पोषण सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं।

- अनुसूचित क्षेत्र के राशनकार्डधारी परिवारों के भोजन में प्रोटीन की मात्रा सम्मिलित करने हेतु अधिनियम के तहत सर्वेक्षित अन्त्योदय परिवारों एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रतिमाह 2 कि.ग्रा. चना दिए जाने का प्रावधान है।
- गैर अनुसूचित क्षेत्र के राशनकार्डधारी परिवारों के भोजन में प्रोटीन की मात्रा सम्मिलित करने हेतु अधिनियम के तहत सर्वेक्षित अन्त्योदय परिवारों एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रतिमाह 2 कि.ग्रा. चना दिए जाने का प्रावधान है।
- अधिनियम के तहत अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा रोग से बचाव के लिए 2 किलो आयोडीनयुक्त नमक निःशुल्क दिए जाने का प्रावधान है।
- गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से आंगनवाडी केन्द्रों के माध्यम से प्रोटीन एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त संतुलित पोषण आहार दिए जाने का प्रावधान है।
- 06 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को आंगनवाडी केन्द्रों के माध्यम से प्रोटीन एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त संतुलित पोषण आहार दिए जाने का प्रावधान है।
- 06 वर्ष से 14 वर्ष तक के निम्न प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पोषण युक्त मध्यान्ह भोजन दिए जाने का प्रावधान है।

4.2.2 सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय प्रदेश में 6501 उचित मूल्य दुकानें संचालित थीं। राज्य गठन के बाद 4532 नई दुकानें स्थापित की गई हैं। राज्य में सितंबर 2013 की स्थिति में 11033 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं। जिसमें से 4177 पंचायत, 4315 सेवा सहकारी समिति, 2372 महिला स्वसहायता समूह, 152 वन सुरक्षा समितियॉ तथा 17 नगरीय निकाय द्वारा संचालित की जा रही हैं।

4.2.3 छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 के तहत जारी राशनकार्ड :–

उपभोक्ताओं को उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने हेतु छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को राशनकार्ड जारी किए जाने की व्यवस्था है। अन्त्योदय, प्राथमिकता एवं सामान्य राशनकार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों तथा नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत को अपने अधिकार क्षेत्र में राशनकार्ड बनाने का अधिकार है।

4.2.4 समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन

किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य प्रदान किए जाने हेतु राज्य की अधिकृत एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा 1333 सहकारी समितियों के माध्यम से घोषित समर्थन मूल्य पर राज्य द्वारा धान की खरीदी की जाती है। वर्ष 2013.14 में 1971 धान खरीदी केन्द्रों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है।

वर्ष 2000.01 में सामान्य श्रेणी के धान का समर्थन मूल्य रू. 510 प्रति क्विंटल तथा 'ए' श्रेणी के धान के लिए रू. 540 प्रति क्विंटल था, जो वर्ष 2013.14 में बढ़कर धान का समर्थन मूल्य कॉमन धान के लिए 1310 रू. प्रति क्विंटल तथा ग्रेड 'ए' धान के लिए 1345 रू. प्रति क्विंटल किया गया है। वर्ष 2012.13 में समर्थन मूल्य पर 71ण्35 लाख टन धान खरीदा गया तथा किसानों को समर्थन मूल्य के अतिरिक्त रू. 270 प्रति क्विंटल बोनस का वितरण किया गया।

सारणी–4.1 प्रमुख फसलों के समर्थन मूल्य (रू. प्रति क्विं)

फसल/किस्म	विपणन वर्ष				
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
धान–सामान्य	950+100	1000+50	1080	1250	1310
धान– ग्रेड–ए	980+100	1030+50	1110	1280	1345
ज्वार, बाजरा आदि	840	840	980	980	1500
मक्का	840	880	980	1175	1310
गेहूँ	1150	1100	-	-	-
मूंगफली	-	-	2700	-	4000
तुअर	-	-	3200	-	4300
उड़द	-	-	3300	-	4300
मूंग	-	-	3500	-	4500
सूर्यमुखी	-	-	2800	-	3700
राई एवं सरसों	-	-	1050	-	1500
सोयाबीन	-	-	1650	-	2500
काली/पीली	-	-	1690		2560

स्त्रोत – संचालक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, छत्तीसगढ

4.2.5 धान खरीदी का कम्प्यूटरीकरण

खरीफ वर्ष 2007.08 में विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समूची व्यवस्था को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया। किसानों की सुविधा हेतु इस वर्ष 59 नए धान खरीदी केन्द्र खोले गए हैं। खरीफ वर्ष 2012.13 में राज्य के 1947 धान खरीदी केन्द्रों में कम्प्यूटर स्थापित करके राज्य के किसानों से कम्प्यूटर के माध्यम से धान खरीदी का कार्य किया गया है। प्रत्येक समिति के अंतर्गत आने वाले किसानों के नाम, कुल भूमि रकबा आदि की जानकारी धान खरीदी प्रारंभ होने के पहले ही कम्प्यूटर के सॉफ्टवेयर में दर्ज कर ली गई। किसानों द्वारा उपार्जन केन्द्रों में धान विक्रय के तुरंत बाद कम्प्यूटर द्वारा निर्मित चेक तत्काल उपलब्ध कराया जाता है। धान खरीदी की व्यवस्था के कम्प्यूटरीकरण के कारण प्रतिदिन किसानों से होने वाली खरीदी की जानकारी राज्य शासन को तत्काल उपलब्ध हो जाती है। राज्य के प्रत्येक जिले के किसान, जिसके द्वारा धान का विक्रय इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया है, उसकी जानकारी खाद्य विभाग की वेबसाईट में हर नागरिक के अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

4.2.6 सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता :– राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के आबंटन एवं उचित मूल्य दुकानों को प्रदाय तथा हितग्राहियों को राशन सामग्री के वितरण में पारदर्शिता तथा प्रभावी नियंत्रण हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :–

(1) पीडीएस–ऑनलाईन व्यवस्था :– सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण का कार्य वर्ष 2007 में प्रारंभ किया गया एवं अब तक राज्य स्तर से लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के प्रदाय केन्द्रों तक के समस्त क्रियाकलाप का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण हेतु सभी जिला खाद्य कार्यालयों को इंटरनेट के माध्यम से राज्य मुख्यालय से जोडा गया है। राशन सामग्री के आबंटन हेतु राज्य की समस्त 11033 उचित मूल्य दुकानों का डेटाबेस तैयार किया गया एवं उनसे संलग्न राशन कार्डों के आधार पर जनवरी 2008 से कम्प्यूटर के माध्यम से खाद्य संचालनालय द्वारा दुकानवार राशन सामग्री का आबंटन जारी किया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनॉक 14.09.2011 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की कम्प्यूटरीकृत पीडीएस व्यवस्था को देश के अन्य राज्यों में लागू किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

(2) चावल उत्सव :– राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के वितरण की नियमित निगरानी के लिए माह फरवरी 2008 से चावल उत्सव प्रारंभ किया गया है। चावल उत्सव के लिए जिन गांवों में उचित मूल्य दुकान संचालित है तथा वहां साप्ताहिक हाट बाजार भी लगता है, वहां प्रत्येक माह की 06 तारीख के बाद लगने वाले प्रथम हाट बाजार के दिन चावल उत्सव का आयोजन होता है, तथा शेष उचित मूल्य दुकानें जिन गांवों में संचालित हैं, वहां प्रत्येक माह की 07 तारीख को चावल उत्सव आयोजित हो रहा है। इस उत्सव के आयोजन से निर्धारित तिथि पर राशनकार्डधारी द्वारा राशन सामग्री प्राप्त की जा सकती है।

(3) कॉल सेंटर :– राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के वितरण में पारदर्शिता तथा जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से खाद्य विभाग द्वारा सूचना प्रौद्यौगिकी के माध्यम से पर्याप्त व्यवस्था की गई है। खाद्य विभाग द्वारा जनवरी 2008 से संचालित किए जा रहे कॉल सेंटर का दूरभाष क्रमॉक 1800–233–3663 है और यह एक टोल फ्री फोन लाईन है। जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं खाद्य विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है तथा अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अब तक कुल 8174 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। प्राप्त शिकायतों में से 7851 शिकायतें निराकृत की जा चुकी हैं।

(4) जनभागीदारी वेबसाईट:– जनभागीदारी वेबसाईट (www.cg.nic.in/citizen) राज्य शासन का एक नवीन प्रयोग है। कोई भी नागरिक इस वेबसाईट में अपना निःशुल्क पंजीयन करा सकता है। पंजीयन कराने के बाद नागरिकों को ई–मेल के माध्यम से खाद्य विभाग से संबंधित शिकायत एवं सुझाव भेजने की सुविधा उपलब्ध हो जावेगी। इस पंजीयन के बाद नागरिकों द्वारा एस.एम.एस. के माध्यम से राशन दुकान की जानकारी हेतु पंजीयन किया जा सकता है। वर्तमान में खाद्यान्न भंडारण के एस.एम.एस. हेतु 34507 मोबाईज नंबर पंजीकृत हैं।

(5) ई–केरोसिन योजना :– उचित मूल्य दुकानों को केरोसिन आबंटन एवं प्रदाय प्रक्रिया को पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने हेतु राज्य शासन द्वारा ई–केरोसिन योजना अगस्त 2012 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य स्तर से उचित मूल्य दुकानों से संलग्न राशनकार्डों की संख्या के आधार पर ऑनलाईन दुकानवार आबंटन जारी किया जा रहा है। प्रदेश के सभी 98 थोक केरोसिन डीलर एवं 11033 उचित मूल्य दुकान संचालकों के मोबाईल नंबर दर्ज कर इनका डाटाबेस तैयार किया गया है। थोक केरोसिन डीलर द्वारा ऑयल डीपो से केरोसिन उठाव के साथ पंजीकृत

मोबाईल नंबर से विभागीय सर्वर में उठाव किए गए केरोसिन की जानकारी एसएमएस द्वारा दी जाती है।

4.2.7 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण हेतु नेशनल ई–गवर्नेंस अवार्ड, मंथन अवार्ड, ई–इंडिया अवार्ड, सी.एस.आई. ई–गवर्नेंस अवार्ड, सी.एस.आई. निहिलेंट ई–गवर्नेंस अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं।

बाक्स –4.1

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

1. छत्तीसगढ़ अमृत नमक योजना द्वारा उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्राथमिकता एवं अन्त्योदय परिवारों को निःशुल्क 02 किलो आयोडाईज्ड नमक प्रतिमाह वितरित कराया जा रहा है।
2. चना वितरण योजना द्वारा जनवरी 2013 से राज्य के सभी अनुसूचित विकासखण्डों के छ.ग. खाद्य सुरक्षा अधि. के प्राथमिकता एवं अन्त्योदय परिवारों के राशन कार्डधारियों को प्रतिमाह 02 किलो चना 5 रू. प्रति किलो के मान से प्रदाय किया जा रहा है।
3. अन्नपूर्णा दाल–भात योजनांतर्गत वर्तमान में 133 अन्नपूर्णा दाल–भात केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। दाल भात केन्द्रों को प्रोत्साहन स्वरूप निःशुल्क गैस चूल्हे एवं प्रेशर कुकर उपलब्ध कराए गए हैं इस योजना से प्रतिदिन 10 से 15 हजार जरूरतमंद हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं।

सारणी 4.1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण एवं शहरी, आधार वर्ष 2010) केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रस्तुत

राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश	खाद्य, पेय एवं तम्बाकू			ईंधन एवं प्रकाश			वस्त्र, शयन सामग्री, जूता			किराया	विविध			सामान्य सूचकांक		
	ग्रा	श.	समि.	ग्रा	श.	समि.	ग्रा	श.	समि.	श.	ग्रा	श.	समि.	ग्रा	श.	समि.
जम्मू–काश्मीर	137	137	137	140	135	139	137	148	140	141	133	124	130	136	136	136
हिमाचल प्रदेश	139	134	138	130	137	131	146	146	146	138	127	124	127	135	133	135
पंजाब	134	134	134	130	148	137	138	153	144	132	126	123	124	131	132	131
चंडीगढ़	135	138	138	131	135	134	141	148	148	138	122	131	130	132	136	136
उत्तराखंड	139	135	138	142	124	137	153	151	152	118	128	127	128	137	129	134
हरियाणा	138	136	137	126	122	125	140	141	140	133	128	124	127	134	131	133
दिल्ली	137	143	142	147	151	151	134	149	149	129	122	129	129	134	136	136
राजस्थान	141	137	140	142	134	139	149	144	147	130	134	125	130	140	132	137
उत्तरप्रदेश	145	140	144	139	136	138	151	153	151	134	130	128	129	141	136	139
बिहार	145	141	144	142	132	140	150	146	149	138	135	126	133	143	136	142
सिक्किम	137	141	137	129	127	129	119	163	126	144	114	129	116	130	140	132
अरूणाचल प्रदेश	143	--	--	153	--	--	155	--	--	--	133	--	--	144	--	--
नागालैण्ड	134	137	135	135	138	136	139	128	135	130	125	123	124	132	132	132
मणिपुर	110	131	116	133	130	132	135	149	140	127	116	133	121	116	131	121
मिजोरम	149	144	147	142	136	139	126	145	136	130	116	123	120	141	137	138
त्रिपुरा	133	154	137	160	163	160	149	136	144	140	130	119	126	136	143	138
मेघालय	153	143	151	170	125	160	169	130	159	110	152	118	143	156	127	148
असम	143	138	142	138	133	137	145	149	146	135	131	130	131	141	135	140
पं.बंगाल	150	145	149	146	148	147	154	148	152	131	135	126	130	147	137	142
झारखंड	147	141	146	137	145	139	147	150	148	131	140	127	134	145	136	142
ओड़िसा	143	139	142	150	144	149	143	149	144	150	128	126	128	141	139	140
छत्तीसगढ़	145	137	143	144	142	143	153	145	151	143	134	122	129	143	135	140
मध्यप्रदेश	143	138	142	139	125	134	149	152	150	141	132	126	129	141	134	138
गुजरात	146	138	143	137	127	132	142	143	143	132	131	126	128	142	133	137
दमन द्वीव	147	140	144	119	117	118	143	132	136	124	123	120	122	135	129	132
दादरा एवं नगर हवेली	132	135	133	106	115	108	113	139	120	126	112	123	115	123	128	125
महाराष्ट्र	140	139	139	145	137	140	146	142	144	131	129	124	126	137	132	134
आंध्रप्रदेश	142	139	141	135	118	129	143	159	149	148	131	129	130	139	137	138
कर्नाटक	143	144	143	139	131	135	146	150	148	152	136	128	132	141	141	141
गोवा	148	140	145	122	128	124	139	130	134	123	133	126	129	140	130	135
लक्ष्यद्वीप	130	139	135	124	128	126	138	163	143	104	113	116	115	127	128	128
केरल	143	150	145	135	136	135	152	141	148	138	130	134	131	138	141	139
तमिलनाडू	145	139	143	141	135	137	145	140	142	150	131	129	130	141	139	140
पांडिचेरी	150	141	143	133	142	139	156	143	147	142	132	124	126	143	136	138
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	132	147	138	117	124	120	120	137	128	129	120	131	126	127	137	132
अखिल भारत	143	140	142	140	135	138	148	147	148	137	131	127	129	140	135	138

सारणी 4.2 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि, ग्रामीण म एवं औद्योगिक श्रमिक

वर्ष	CPI (AL) (1986-87)=100	CPI (RL) (1986-87)=100	CPI(IW) 2001=100	CPI (IW) Bhilai
2001	307	309	–	–
2002	315	318	–	–
2003	328	331	–	–
2004	337	340	–	–
2005	348	351	–	–
2006	372	373	123	–
2007	402	402.5	131	–
2008	439	439.5	142	–
2009	494	493.5	157	–
2010	552.5	552.1	176	–
2011	602	601.7	192	–
2012	652.4	653.8	209	–
Jan-13	694	695	221	251
Feb-13	700	701	223	251
Mar-13	704	705	224	251
Apr-13	711	711	226	257
May-13	719	720	228	261
Jun-13	729	730	231	269
Jul-13	740	741	235	272
Aug-13	754	753	237	274
Sep-13	759	759	238	272
Oct-13	766	766	241	275
Nov-13	777	777	243	276

AL = खेतिहर श्रमिक
RL = ग्रामीण श्रमिक
IW = औद्योगिक श्रमिक

सारणी 4.3 थोक मूल्य सूचकांक

वर्ष	समस्त सामग्री	प्राथमिक सामग्री	ईंधन एवं उर्जा	विनिर्माण उत्पाद
2005	103.37	102.42	110.94	101.90
2006	109.59	111.42	120.27	106.55
2007	114.94	121.84	119.62	111.75
2008	124.92	134.82	134.94	119.51
2009	127.86	147.69	128.92	121.48
2010	140.08	175.88	144.16	128.07
2011	153.35	197.12	163.27	137.53
2012	164.92	215.00	182.41	145.40
2013	175.32	237.92	200.56	150.13
Jan-13	170.30	223.60	193.40	148.50
Feb-13	170.90	224.40	195.50	148.60
Mar-13	170.10	223.10	191.60	148.70
Apr-13	171.30	226.50	193.70	149.10
May-13	171.40	227.30	191.90	149.30
Jun-13	173.20	233.90	194.70	149.50
Jul-13	175.50	240.30	199.90	149.90
Aug-13	179.00	251.90	204.70	150.60
Sep-13	180.70	252.70	210.60	151.50
Oct-13	180.70	251.40	209.80	152.10
Nov-13	181.50	256.30	209.60	151.90
Dec-13	179.20	243.60	211.30	151.90

सारणी 4.4 मुद्रास्फीति

वर्ष	खेतिहर श्रमिक	ग्रामीण श्रमिक
2000	1.3	1.3
2001	0.2	0.2
2002	2.8	2.8
2003	4.1	4.1
2004	2.7	2.7
2007	3.3	3.3
2008	9.1	9.1
2009	12.6	12.6
2010	12.1	12.1
2011	9.0	9.0
2012	8.6	8.6
Jan-13	12.3	12.3
Feb-13	12.5	12.5
Mar-13	12.6	12.6
Apr-13	12.2	12.2
May-13	12.5	12.5
Jun-13	12.7	12.7
Jul-13	12.6	12.6
Aug-13	12.9	12.9
Sep-13	12.4	12.4
Oct-13	12.5	12.5
Nov-13	13.3	13.3

सारणी 4.5 खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत जिलेवार राशन कार्ड की जानकारी

क्रमांक	जिले का नाम	अंत्योदय (गुलाबी)	प्राथमिकता (नीला)	सामान्य (भूरा)	निःशक्तजन (हरा)	योग
1	बस्तर	64028	167724	7830	5	239587
2	बीजापुर	28958	41653	997	54	71662
3	दंतेवाड़ा	31355	40385	1418	692	73850
4	कांकेर	46396	129839	10821	225	187281
5	कोण्डागांव	39897	92025	3712	21	135655
6	नारायणपुर	18083	13383	1144	1	32611
7	सुकमा	31892	30867	1075	7	63841
8	बिलासपुर	143731	371432	48666	635	564464
9	जांजगीर–चांपा	113653	387036	15547	1339	517575
10	कोरबा	77278	208984	28233	13	314508
11	मुंगेली	57865	153908	5167	178	217118
12	रायगढ़	122502	296763	29726	344	449335
13	बालोद	37562	149652	12251	967	200432
14	बेमेतरा	57776	177765	8980	316	244837
15	दुर्ग	89227	270790	79366	1341	440724
16	कवर्धा	68965	158068	11303	45	238381
17	राजनांदगांव	93981	279851	27942	278	402052
18	बलौदा–बाजार (भाटापारा)	77559	307220	13666	282	398727
19	धमतरी	53013	143676	12211	291	209191
20	गरियाबंद	54923	126827	3346	418	185514
21	महासमुंद	67296	241923	12879	969	323067
22	रायपुर	81948	310076	93848	827	486699
23	बलरामपुर	63480	132968	3053	41	199542
24	जशपुर	64727	164093	11898	82	240800
25	कोरिया	46994	125534	6423	14	178965
26	सरगुजा	69794	162468	9388	78	241728
27	सुरजपुर	60209	141874	7608	97	209788
योग		**1763092**	**4826784**	**468498**	**9560**	**7067934**

सारणी 4.6 संचालन एजेंसी वाइस ऊ.मु. दुकान का विवरण 15–01–2014

क्रमांक	जिले का नाम	एजेंसी का प्रकार					योग
		CO (सहकारी समीति)	GP (ग्राम पंचायत)	WO (महिला स्व–सहायता समूह)	FO (वन सुरक्षा समीति)	नगरीय निकाय	
1	बस्तर	65	157	134	5	0	**361**
2	बीजापुर	50	86	33	2	0	**171**
3	दंतेवाड़ा	87	38	10	0	1	**136**
4	कांकेर	123	152	112	8	0	**395**
5	कोण्डागांव	35	148	74	21	0	**278**
6	नारायणपुर	15	48	12	1	0	**76**
7	सुकमा	70	52	15	2	0	**139**
8	बिलासपुर	312	206	223	10	0	**751**
9	जांजगीर–चांपा	241	152	229	0	0	**622**
10	कोरबा	72	258	79	6	0	**415**
11	मुंगेली	52	203	55	4	0	**314**
12	रायगढ़	48	449	264	10	0	**771**
13	बालोद	142	175	78	19	0	**414**
14	बेमेतरा	181	89	83	0	0	**353**
15	दुर्ग	323	36	217	1	1	**578**
16	कवर्धा	195	70	120	2	0	**387**
17	राजनांदगांव	336	164	260	3	0	**763**
18	बलौदा–बाजार (भाटापारा)	377	111	27	0	0	**515**
19	धमतरी	218	93	44	0	1	**356**
20	गरियाबंद	282	29	2	0	0	**313**
21	महासमुंद	424	92	6	0	5	**527**
22	रायपुर	409	112	33	0	5	**559**
23	बलरामपुर	43	222	59	21	0	**345**
24	जशपुर	3	397	3	11	10	**424**
25	कोरिया	38	161	92	7	0	**298**
26	सरगुजा	100	214	55	12	0	**381**
27	सुरजपुर	77	265	53	7	1	**403**
योग		**4318**	**4179**	**2372**	**152**	**24**	**11045**

सारणी 4.7 15.01.2014 तक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (2012–13) धान खरीदी का विवरण मात्र

(क्विंटल में)

			कुल उपार्जन	मिलर को जारी मात्रा (तौल के बाद)	संग्रहण केन्द्र को प्रदाय
क्रमांक	जिले का नाम	कुल उपार्जन केन्द्र	योग	योग	योग
1	बस्तर	58	856231	559164	297067
2	बीजापुर (दंतेवाड़ा)	13	182328	4044	178283
3	दंतेवाड़ा	11	63873	24718	39155
4	कांकेर	111	1612796	843706	766250
5	कोण्डागांव	43	323476	276260	47216
6	नारायणपुर	6	48619	46339	2280
7	सुकमा	12	116990	116190	0
8	बिलासपुर	128	3799611	1897879	1865092
9	जांजगीर–चांपा	206	7964295	2010163	5784296
10	कोरबा	40	800115	683024	110846
11	मुंगेली	85	2246959	787912	1341701
12	रायगढ़	119	5183010	2423001	2673659
13	बालोद	109	4263763	1076389	3173623
14	बेमेतरा	83	3904886	1599257	2267291
15	दुर्ग	76	3496415	1103790	2388074
16	कवर्धा	79	1956579	505183	1450592
17	राजनांदगांव	110	4493268	1056211	3426024
18	बलौदा–बाजार (भाटापारा)	142	5907949	2044491	3851005
19	धमतरी	80	4296469	1806581	2481942
20	गरियाबंद	59	2606256	665720	1928343
21	महासमुंद	119	6869845	2766173	4032914
22	रायपुर	123	5921767	2203927	3702177
23	बलरामपुर	34	1209214	280797	911727
24	जशपुर	23	573040	567144	0
25	कोरिया	19	579755	506556	64988
26	सरगुजा	29	928091	593389	334119
27	सुरजपुर	30	1162997	844018	298708
योग		**1947**	**71368599**	**27292029**	**43417372**

सारणी 4.8 तक संग्रहण केन्द्रों में धान प्राप्ति एवं जारी की जिलेवार जानकारी 15.01.2014 (मात्रा क्विंटल)

क्रमांक	जिले का नाम	कुल संग्र. केन्द्र	उपार्जन केन्द्र से धान की प्राप्ति (क्विंटल में)	मिल को जारी (क्विंटल में)	संग्रहण केन्द्र में उपलब्ध (क्विंटल में)
			योग	योग	योग
1	बस्तर	1	0	0	0
2	बीजापुर (दंतेवाड़ा)	0	0	0	0
3	दंतेवाड़ा	1	0	0	0
4	कांकेर	3	74182	0	74182
5	कोण्डागांव	1	0	0	0
6	नारायणपुर	0	0	0	0
7	सुकमा	0	0	0	0
8	बिलासपुर	6	0	0	0
9	जांजगीर–चांपा	10	390988	0	390988
10	कोरबा	2	0	0	0
11	मुंगेली	2	0	0	0
12	रायगढ़	5	293612	0	293612
13	बालोद	3	1808510	0	1808510
14	बेमेतरा	2	449909	0	449909
15	दुर्ग	4	721145	0	721145
16	कवर्धा	1	349231	0	349231
17	राजनांदगांव	8	1254989	0	1254989
18	बलौदा–बाजार (भाटापारा)	4	366387	0	366387
19	धमतरी	6	814512	0	814512
20	गरियाबंद	1	63648	0	63648
21	महासमुंद	5	459880	0	459880
22	रायपुर	8	2198885	0	2198885
23	बलरामपुर	0	0	0	0
24	जशपुर	1	0	0	0
25	कोरिया	0	0	0	0
26	सरगुजा	2	0	0	0
27	सुरजपुर	1	22246	0	22246
	योग	**77**	**9268123**	**0**	**9268123**

सारणी 4.9 भंडारण की स्थिति

गोदाम	भंडारण क्षमता	भंडारण की स्थिति
बस्तर	396000	87.35%
बीजापुर	84000	84.57%
दंतेवाड़ा	80000	79.14%
कांकेर	589630	77.69%
कोण्डागांव	256780	83.83%
नारायणपुर	29980	98.54%
सुकमा	59570	79.39%
बिलासपुर	1131930	79.64%
जांजगीर–चांपा	1301510	67.29%
कोरबा	227200	85.84%
मुंगेली	139810	97.46%
रायगढ़	1153850	79.61%
बालोद	640260	89.82%
बेमेतरा	129000	88.03%
दुर्ग	1225500	75.39%
कवर्धा	329580	91.71%
राजनांदगांव	587420	74.86%
बलौदा–बाजार (भाटापारा)	621100	90.02%
धमतरी	998070	93.81%
गरियाबंद	440800	84.54%
महासमुंद	1575520	73.37%
रायपुर	1169290	87.15%
बलरामपुर	98860	76.55%
जशपुर	467100	61.64%
कोरिया	209980	79.47%
सरगुजा	476460	98.53%
सुरजपुर	526090	87.41%
योग	**14945290**	

05

लोक वित्त

5. लोक वित्त

5.1 बजट 2013–14:– बजट का उददेश्य ऐसे आर्थिक वातावरण का निर्माण करना होता है जिसमें सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिये संसाधन उपलब्ध हो सकें। बजट मात्र आय एवं व्यय का पत्रक ही नही होता वरन यह शासकीय नीतियों का महत्वपूर्ण घोषणा पत्र होता है। बजट 2013–14 इस दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया गया कि राज्य की विकास आवश्यकताओं एवं अतिरिक्त कर भार के बीच उचित संतुलन बना रहें। कुल बजट अनुमान पिछले वर्ष की तुलना में 14.74 प्रतिशत अधिक हैं। बजट में राजस्व अधिक्य रू. 2428.67 करोड़ के अनुमान के बावजूद वित्तीय घाटे में 12.08 प्रतिशत की वृद्धि अनुमनित है जो 2012–13 में रू. 4590.41 करोड़ से बढ़कर 2013–14 में रू. 5145.28 करोड़ अनुमानित है। वित्तीय घाटा 2013 में सकल राज्य घरेलु उत्पाद बढ़कर 2.28 प्रतिशत था जिसके 2013–14 में 3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। बजट सांरांश सारणी 5.1 में दर्शाया गया हैं।

सारणी 5.1 बजट				(राशि करोड़ में)
स.क्र.	मद	2011-12 (लेखा)	2012-13 (पु.अ.)	2013-14 (आ.अ.)
1	राजस्व प्राप्ति	25867.38	32326.38	37444.52
2	राजस्व व्यय	22628.05	30164.72	35015.85
3	राजस्व घाटा	-3239.33	-2161.66	-2428.67
4	पूंजीगत प्राप्तियॉ	3664.99	4587.18	6532.06
5	पूजींगत व्यय	5329.17	8328.62	9153.15
6	कुल प्राप्तियॉ	29532.37	36913.56	43976.58
7	कुल व्यय	27957.22	38493.34	44169.00
8	बजट घाटा	-1575.15	1579.78	192.42
9	वित्तीय घाटा	801.17	4590.41	5145.28

स्रोतः– छत्तीसगढ़ आय–व्ययक ; पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान ; आ.अ. = आय–व्ययक अनुमान

5.2 राजस्व प्राप्तियां:– वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 15.83 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। यह रू. 37444.52 करोड़ अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में कर राजस्व रू. 23893.62 करोड़ अनुमानित है जबकि 2012–13 में पुनरीक्षित अनुमान रू 20633.64 करोड़ अनुमानित रहा अर्थात कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुंलना में 15.08 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। इसी तरह गैर–कर राजस्व में 15.89 % वृद्धि अनुमानित है। गैर कर राजस्व का 2012–13 में पुनरीक्षित अनुमान रू. 11692.74 करोड़ रूपये की तुलना में 2013–14 में रू.13550.90 करोड़ अनुमानित है। विवरण सारणी 5.2 में है।

सारणी 5.2 राजस्व प्राप्तियॉ			(राशि करोड़ में)
वर्ष	कर राजस्व	गैर कर राजस्व	कुल राजस्व प्राप्तियॉ
2009-10	11503.91	6649.74	18153.65
2010-11	14430.33	8289.21	22719.54
2011-12	17032.69	8834.69	25867.38
2012-13 (पु.अ.)	20633.64	11692.74	32326.38
2013-14 (आ.अ.)	23893.62	13550.90	37444.52

स्रोतः– छत्तीसगढ़ आय–व्ययक ; पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान ; आ.अ. = आय–व्ययक अनुमान

5.3 कर राजस्वः— वित्तीय वर्ष 2013—14 में कुल कर राजस्व में 15.80 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है, यह वृद्धि पिछले वर्ष 21.14 प्रतिशत रही। विगत पांच वर्षों में राज्य को कर राजस्व में औसत 21.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य के कर राजस्व में प्रमुख योगदान राज्य के स्वयं का कर राजस्व है। राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 16.25 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है जबकि केन्दीय करों का कर राजस्व में योगदान में वृद्धि 14.99 प्रतिशत होना अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2013—14 में कर राजस्व में राज्य के स्वयं के करों का अंश 64.04 प्रतिशत अनुमानित है एवं कुल राजस्व प्राप्तियों में इसका योगदान 35.96 प्रतिशत अनुमानित है। पिछले पांच वित्तीय वर्षों का कर राजस्व का विवरण सारणी 5.3 में दर्शाया गया है।

सारणी 5.3 कर राजस्व		(राशि करोड़ में)	
वर्ष	राज्य का स्वयं का कर राजस्व	केंद्रीय करों में राज्य का अंश	योग
2009-10	7123.3	4380.6	11503.9
2010-11	9005.1	5425.2	14430.3
2011-12	10712.3	6320.4	17032.7
2012-13 (पु.अ.)	13161.2	7472.5	20633.6
2013-14 (आ.अ.)	15300.3	8593.3	23893.6

स्रोतः— छत्तीसगढ़ आय—व्ययक ; पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान ; आ.अ. = आय—व्ययक अनुमान

वर्ष **2012-13** में वेट (प्रान्तीय) कर संग्रहण लक्ष्य **6,150.20** करोड़ रू. के विरूद्ध मार्च **2013** तक **6,072.76** करोड़ रू प्राप्त हुआ, जो कि बजट लक्ष्य का **98.74** प्रतिशत है। वर्ष **2013-14** में वेट (प्रान्तीय) कर हेतु **7,076.00** करोड़ रू. का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके विरूद्ध माह सितंबर **2013** तक **2,916.68** करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हो चुका हैं।

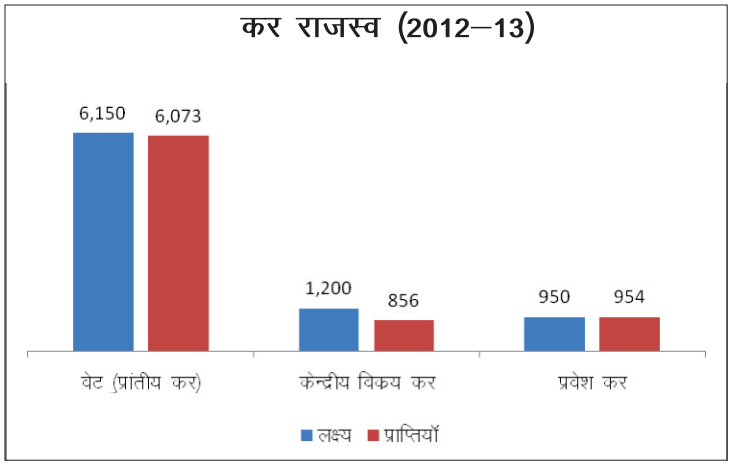

वर्ष **2012-13** में केन्द्रीय विक्रय कर में बजट लक्ष्य **1199.80** करोड़ रू. के विरूद्ध **855.86** करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ, जो कि बजट लक्ष्य का **71.33** प्रतिशत है। इसका कारण पेट्रोल, डीजल, सीमेंट, आयरन ओर, टू—व्हीलर, एल्यूमिनियम, टेलीविजन, एण्ड इलेक्ट्रानिक्स गुड्स, डिटर्जेंट, फर्टीलाईजर आदि से कम राजस्व प्राप्त हुआ है। वर्ष **2013-14** में केन्द्रीय विक्रय कर हेतु **1399.80** करोड़ रू. के लक्ष्य के विरूद्ध माह सितंबर **2013** तक **369.34** करोड़ रू. की राजस्व प्राप्ति हो चुकी है।

वर्ष **2012-13** में प्रवेश कर के **950.00** करोड़ रू. लक्ष्य के विरूद्ध **954.30** करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ है जो कि लक्ष्य का **100.45** प्रतिशत है। वर्ष **2013-14** में प्रवेश कर के अंतर्गत **1192.00** करोड़ रू. के लक्ष्य के विरूद्ध सितंबर **2013** तक **395.31** करोड़ रू. की राजस्व प्राप्ति हो चुकी है।

वर्ष **2012-13** में वृत्तिकर के अंतर्गत बजट लक्ष्य **1.12** करोड़ रू. के विरूद्ध **2.72** करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो कि लक्ष्य का **242.86** प्रतिशत है। वर्ष **2013-14** में वृत्ति कर के अंतर्गत लक्ष्य **1.12** करोड़ रू. के विरूद्ध सितंबर **2013** तक **0.23** करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है।

वर्ष **2012-13** में होटल कर अंतर्गत बजट लक्ष्य **2.65** करोड़ रू. के विरूद्ध **4.12** करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ जो कि निर्धारित लक्ष्य का **155.47 %** है। वर्ष **2013-14** में होटल कर के अंतर्गत बजट लक्ष्य **3.04** करोड़ रू. के विरूद्ध सितंबर **2013** तक **0.65** करोड़ रू. की राजस्व वसूली हो चुकी है।

सारणी 5.4 गैर कर राजस्व		(राशि करोड़ में)	
वर्ष	केंद्रीय सहायता अनुदान	राज्य का गैर कर राजस्व	कुल गैर कर राजस्व
2009-10	**3606.7**	**3043.0**	**6649.7**
2010-11	**4453.9**	**3835.3**	**8289.2**
2011-12	**4776.2**	**4058.5**	**8834.7**
2012-13 (पु.अ.)	**6844.8**	**4847.9**	**11692.7**
2013-14 (आ.अ.)	**7478.9**	**6072.0**	**13550.9**
स्रोतः– छत्तीसगढ़ आय–व्ययक ; पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान ; आ.अ. = आय–व्ययक अनुमान			

5.5 राजस्व व्ययः–वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2013–14 तक लगातार पांच वर्षों में राजस्व व्यय को राजस्व प्राप्तियों तक सीमित रखा गया जो राजस्व आधिक्य को दर्शाता है। राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय का पिछलें पांच वर्षों का विवरण सारणी 5.5 में दर्शाया गया है।

सारणी 5.5 राजस्व प्राप्तियॉ एवं व्यय (राशि करोड़ में)			
वर्ष	राजस्व प्राप्तियॉ	राजस्व व्यय	आधिक्य (+) या घाटा (-)
2009-10	**18153.65**	**17265.44**	**888.21**
2010-11	**22719.54**	**19355.75**	**3363.79**
2011-12	**25867.38**	**22628.05**	**3239.33**
2012-13 (पु.अ.)	**32326.38**	**30164.72**	**2161.66**
2013-14 (आ.अ.)	**37444.52**	**35015.85**	**2428.67**
स्रोतः– छत्तीसगढ़ आय–व्ययक ; पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान ; आ.अ. = आय–व्ययक अनुमान			

वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं ब्याज की अदायगी, बाध्यता होने के साथ–साथ राजस्व व्यय के प्रमुख घटक है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में राजस्व प्राप्तियों का 25.58 प्रतिशत भाग वेतन एवं मजदूरी, पेंशन एवं ब्याज भुगतान अनुमानित है। राजस्व व्यय के पिछले पांच वर्षों का विवरण सारणी 5.6 में हैं।

सारणी 5.6 राजस्व व्यय					(राशि करोड़ में)
वर्ष	ब्याज	पेंशन	वेतन एवं मजदूरी	अन्य	कुल राजस्व व्यय
2009-10	**1094.86**	**1233.84**	**3942.05**	**10994.69**	**17265.44**
2010-11	**1198.37**	**1810.43**	**4382.94**	**11964.01**	**19355.75**
2011-12	**1193.20**	**1877.99**	**4953.85**	**14603.01**	**22628.05**
2012-13 (पु.अ.)	**1292.62**	**2185.26**	**5617.76**	**21069.08**	**30164.72**
2013-14 (आ.अ.)	**1246.43**	**2504.94**	**6950.50**	**24310.98**	**35015.85**
स्रोतः– छत्तीसगढ़ आय–व्ययक ; पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान ; आ.अ. = आय–व्ययक अनुमान					

5.6 राजस्व प्राप्तियां:– वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल व्यय के 84.77 प्रतिशत भाग की पूर्ति राजस्व प्राप्तियों से होना अनुमानित है यह भाग 2012–13 के पुनरीक्षित अनुमान में 83.98 प्रतिशत है। राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत विवरण सारणी 5.7 में दर्शाया गया है।

सारणी 5.7 राजस्व प्राप्तियॉं (राशि करोड़ में)

स.क.	मद	2011-12 लेखा	2012-13 (पु.अ.)	2013-14 (आ.अ.)
(1)	कर राजस्व			
	(i) आय एवं व्यय पर कर	**3762.55**	**4211.14**	**4842.64**
	(ii) सम्पत्ति एवं पूंजीगत लेन देनों पर कर	**1125.98**	**1305.77**	**1537.23**
	(iii) वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर	**12144.16**	**15116.73**	**17513.75**
(2)	गैर कर राजस्व			
	(i) राज्य का गैर कर राजस्व	**4058.48**	**4847.94**	**6072.00**
	(ii) केंद्र से सहायता अनुदान	**4776.21**	**6844.80**	**7478.90**
कुल **(1+2)**		**25867.38**	**32326.38**	**37444.52**

स्रोतः– छत्तीसगढ़ आय–व्ययक ; पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान ; आ.अ. = आय–व्ययक अनुमान

सारणी 5.8 आयोजना एवं गैर आयोजना व्यय (राशि करोड़ में)

वर्ष	आयोजना व्यय	आयोजनेत्तर व्यय	कुल व्यय
2009-10	**10449.52**	**10460.92**	**20910.44**
2010-11	**11576.44**	**11299.72**	**22876.16**
2011-12	**15318.79**	**12638.43**	**27957.22**
2012-13 (पु.अ.)	**22762.08**	**15731.26**	**38493.34**
2013-14 (आ.अ.)	**24698.67**	**19470.33**	**44169.00**

स्रोतः– छत्तीसगढ़ आय–व्ययक ; पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान ; आ.अ. = आय–व्ययक अनुमान

सारणी 5.9 राज्यों के वित्तीय सुधार के लक्ष्य (राशि करोड़ में)

वर्ष	लक्षित वित्तीय घाटा	ऋण स्टॉक
2009-10	**2.8**	**27.1**
2010-11	**2.6**	**26.6**
2011-12	**2.5**	**26.1**
2011-12	**2.5**	**25.5**
2012-13	**2.4**	**24.8**
2013-14	**2.4**	**24.3**

स्रोतः– तेरहवॉं वित्त आयोग, भारत सरकार

राज्य की वित्तीय स्थिति

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना एवं बारहवी पंचवर्षीय योजना के प्रथम एवं द्वितीय वर्षों में राज्य की वित्तीय स्थिति एवं वित्तीय संसाधनों की वृद्धि का विवरण सारणी क्रमांक 10 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 5.10 राज्य की वित्तीय स्थिति

क्र.	मद	ग्यारहवीं योजना		बारहवीं योजना		
		2011-12 लेखा	च.वा.वृ.द. (2007-12) (%)	2012-13 (पु.अ.)	2013-14 (आ.अ.)	च.वा.वृ.द (2012-14) (%)
I	राजस्व प्राप्तियां	25867.38	17.70	32326.38	37444.52	20.31
(i)	राज्यके स्वयं का राजस्व (A+B)	14770.73	17.85	18009.12	21372.30	20.29
(A)	राज्य के स्वयं का कर राजस्व	10712.25	16.25	13161.18	15300.30	19.51
(B)	राज्य के स्वयं का गैर– कर राजस्व	4058.48	22.83	4847.94	6072.00	22.32
(ii)	केन्द्र से प्राप्तियां (A+B)	11096.65	17.49	14317.26	16072.22	20.35
(A)	केन्द्रीय करों में हिस्सा	6320.44	14.59	7472.46	8593.32	16.60
(B)	सहायता अनुदान	4776.21	22.14	6844.80	7478.90	25.13
II	पूंजीगत प्राप्तियां	3664.99	79.53	4587.18	6532.06	33.50
III	कुल प्राप्तियां (I +II)	29532.37	20.45	36913.56	43976.58	22.03
IV	आयोजनेत्तर व्यय (A+B+C+D)	12638.43	15.20	15731.26	19470.33	24.12
(A)	राजस्व व्यय ;ब्याज भुगतान के साथद्ध	12623.64	15.30	15715.10	19469.92	24.19
(B)	ऋण एवं अग्रिम	14.03	22.72	10.35	0.35	-84.21
(C)	पूंजीगत व्यय	0.76	-51.74	5.81	0.06	-71.90
(D)	ब्याज भुगतान	1193.20	3.07	1292.61	1246.43	2.21
V	आयोजना व्यय	15318.79	22.53	22762.08	24698.67	26.98
	राजस्व व्यय	10004.41	30.85	14449.62	15545.93	24.66
	पूंजीगत व्यय	4055.65	13.33	6295.47	7229.46	33.51
	ऋण एवं अग्रिम	1258.73	10.39	2016.99	1923.28	23.61
VI	कुल व्यय	27957.22	18.88	38493.34	44169.00	25.69
VII	राजस्व व्यय	22628.05	20.78	30164.72	35015.85	24.40
VIII	पूंजीगत व्यय	4056.41	13.04	6301.28	7229.52	33.50
IX	ऋण एवं अग्रिम	1272.76	10.49	2027.34	1923.63	22.94
X	राजस्व घाटा/आधिक्य	3239.33		2161.66	2428.67	-13.41
XI	राजकोषीय घाटा	-801.17		-4590.41	-5145.28	153.42
XII	प्राथमिक घाटा	392.03		-3297.80	-3898.85	

स्त्रोतः वार्षिक योजना 2013–14, राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ शासन
च.वा.वृ.द – चक्रवृविद्ध वार्षिक वृद्धि दर

उपरोक्त तालिका 10 में राज्य की वित्तीय स्थिति प्रदर्शित की गई है। तालिका में विभिन्न मदों तथा प्राप्तियॉ एवं व्यय, राज्य के स्वयं के एवं केन्द्र से प्राप्तियॉ एवं आयोजना एवं आयोजनेत्तर व्ययों आदी का विवरण है। ग्यारहवीं योजना काल में:

1. कुल प्राप्तियों में वृद्धि 20.45 प्रतिशत एवं कुल व्यय में 18.88 प्रतिशत रही। अर्थात संसाधनों की व्यय क्षमता में वृद्धि की तुलना में संसाधनों की उपलब्धता अधिक रही। बारहवी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक दो वर्षों में कुल व्यय में वृद्धि 22.03 प्रतिशत तथा कुल व्यय में वृद्धि 25.69 प्रतिशत अनुमानित है।
2. प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के संसाधनों का योगदान केन्द्रीय योगदान से अधिक रहा है। राज्य के स्वयं के राजस्व में 17.85 प्रतिशत वृद्धि रही जबकि केन्द्र से प्राप्तियों में वृद्धि 17.49 प्रतिशत रही।
3. व्यय में होने वाली वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में यह वृद्धि आयोजना व्यय में 22.53 प्रतिशत रही जबकि आयोजनेत्तर व्यय में वृद्धि 15.20 प्रतिशत रही।
4. वित्तीय वर्ष 2013–14 के बजट अनुमानों में राजस्व अधिक्य रू. 2428.67 करोड़ अनुमानित है। वित्तीय घाटा रू. 5145.28 करोड़ अनुमानित हैं जो कि कुल व्यय का 11.65 प्रतिशत तथा आयोजना व्यय का 20.83 प्रतिशत है।

सारणी क्रमांक 5.11 राज्य के राजकोषीय सूचक

क्र.	राजकोषीय सूचक	ग्यारहवीं योजना			बारहवीं योजना		
		2007-08 लेखा	2011-12 लेखा	औसत 2007-12	2012-13 (पु.अ.)	2013-14 (आ.अ.)	औसत (2012-14)
I	**प्राप्तियां**						
(i)	राजस्व प्राप्तियां/कुल प्राप्तियां **(%)**	**96.46**	**87.59**	**92.88**	**87.57**	**85.15**	**86.36**
(ii)	पूजीगत प्राप्तियां/ कुल प्राप्तियां **(%)**	**3.54**	**12.41**	**7.12**	**12.43**	**14.85**	**13.64**
(iii)	राज्य के स्वयं का राजस्व प्राप्तियां/ राजस्व प्राप्तियां **(%)**	**55.04**	**57.10**	**56.16**	**55.71**	**57.08**	**56.39**
(iv)	केन्द्र से प्राप्तियां/ राजस्व प्राप्तियां **(%)**	**44.96**	**42.90**	**43.84**	**44.29**	**42.92**	**43.61**
(v)	राज्य के स्वयं का कर राजस्व / राज्य के स्वयं का कर **(%)**	**73.55**	**72.52**	**72.25**	**73.08**	**71.59**	**72.34**
(vi)	राज्य के स्वयं का गैर कर राजस्व / राज्य के स्वयं का कर **(%)**	**26.45**	**27.48**	**27.75**	**26.92**	**28.41**	**27.66**
(vii)	केन्दीय करों में हिस्सां/ केन्द्र से प्राप्तियां **(%))**	**64.66**	**56.96**	**58.68**	**52.19**	**53.47**	**52.83**
(viii)	सहायता अनुदान/ केन्द्र से प्राप्तियां **(%))**	**35.34**	**43.04**	**41.32**	**47.81**	**46.53**	**47.17**
(ix)	राज्य के स्वयं का कर राजस्व / केन्दीय करों में हिस्सां **(%)**	**67.09**	**57.67**	**61.57**	**55.90**	**54.33**	**55.11**
(x)	(राज्य के स्वयं का गैर कर राजस्व/सहायता अनुदान **(%)**	**29.37**	**29.92**	**31.31**	**31.68**	**30.81**	**31.24**

सारणी क्रमांक 5.11 राज्य के राजकोषीय सूचक							
क्र.	राजकोषीय सूचक	ग्यारहवीं योजना			बारहवीं योजना		
		2007-08 लेखा	2011-12 लेखा	औसत 2007-12	2012-13 (पु.अ.)	2013-14 (आ.अ.)	औसत (2012-14)
II	**व्यय**						
(i)	आयोजनेत्तर व्यय/कुल व्यय %	**50.50**	**45.21**	**48.76**	**40.87**	**44.08**	**42.47**
(ii)	आयोजना व्यय/कुल व्यय %	**49.50**	**54.79**	**51.24**	**59.13**	**55.92**	**57.53**
III	व्यय/प्राप्तियां						
(i)	राजस्व व्यय/राजस्व प्राप्तियां %	**78.10**	**87.48**	**86.79**	**93.31**	**93.51**	**93.41**
(ii)	कुल व्यय/ कुल प्राप्तियां %	**100.59**	**94.67**	**99.70**	**104.28**	**100.44**	**102.36**
(iii)	ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियां %	**8.22**	**4.61**	**6.20**	**4.00**	**3.33**	**3.66**
स्त्रोतः वार्षिक योजना 2013–14, राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ शासन							

राज्य की वित्तीय नीति का उद्देश्य राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में राजकोषीय घाटे को कम करने का है। राज्य का लक्ष्य बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा एवं तेरहवें वित्त अयोग की अनुशंसा के अनुसार राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलु उत्पाद के 3 प्रतिशत तक सीमित रखना है। राज्य का वित्तीय प्रदर्शन राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के रूप में तालिका 12 में दर्शाया गया है।

सारणी 5.12 वित्तीय प्रदर्शन राज्य के सकल घरेलू उत्पाद										
क्र.	मद	ग्यारहवीं योजना						बारहवीं योजना		
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	औसत (2007-12) (%)	2012-13 (पु. अ.)	2013-14 (आ. अ.)	औसत (2012-14) (in %)
	प्राप्तियां									
I	**राजस्व प्राप्तियां**	**17.29**	**16.15**	**18.27**	**19.26**	**18.54**	**17.90**	**20.18**	**21.83**	**21.00**
(i)	राज्य के स्वयं का राजस्व	**9.52**	**9.07**	**10.23**	**10.88**	**10.59**	**10.06**	**11.24**	**12.46**	**11.85**
(A)	राज्य के स्वयं का कर राजस्व	**7.00**	**6.80**	**7.17**	**7.63**	**7.68**	**7.26**	**8.22**	**8.92**	**8.57**
(B)	राज्य के स्वयं का गैर कर राजस्व	**2.52**	**2.27**	**3.06**	**3.25**	**2.91**	**2.80**	**3.03**	**3.54**	**3.28**
(ii)	केन्द्र से प्राप्तियां	**7.78**	**7.08**	**8.04**	**8.37**	**7.95**	**7.84**	**8.94**	**9.37**	**9.15**
(A)	केन्दीय करों में हिस्सां	**5.03**	**4.39**	**4.41**	**4.60**	**4.53**	**4.59**	**4.66**	**5.01**	**4.84**
(B)	सहायता अनुदान	**2.75**	**2.69**	**3.63**	**3.78**	**3.42**	**3.25**	**4.27**	**4.36**	**4.32**
II	पूंजीगत प्राप्तियां	**0.63**	**1.97**	**2.57**	**-0.65**	**2.63**	**1.43**	**2.86**	**3.81**	**3.34**
(A)	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	**0.55**	**0.55**	**1.00**	**0.48**	**0.92**	**0.70**	**0.98**	**0.92**	**0.95**
(B)	शुद्ध लोक ऋण	**-0.37**	**-0.11**	**0.64**	**0.09**	**-0.31**	**-0.01**	**1.57**	**2.60**	**2.08**
III	कुल प्राप्तियां **(I +II)**	**17.93**	**18.12**	**20.84**	**18.61**	**21.17**	**19.33**	**23.04**	**25.64**	**24.34**

सारणी 5.12 वित्तीय प्रदर्शन राज्य के सकल घरेलू उत्पाद										
क्र.	मद	ग्यारहवीं योजना						बारहवीं योजना		
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	औसत (2007-12) (%)	2012-13 (पु. अ.)	2013-14 (आ. अ.)	औसत (2012-14) (%)
	व्यय									
IV	आयोजनेत्तर व्यय	**9.11**	**8.65**	**10.53**	**9.58**	**9.06**	**9.38**	**9.82**	**11.35**	**10.59**
(A)	राजस्व व्यय (ब्याज भुगतान के साथ)	**9.05**	**8.63**	**10.51**	**9.57**	**9.05**	**9.36**	**9.81**	**11.35**	**10.58**
(B)	ऋण एवं अग्रिम	**0.02**	**0.01**	**0.01**	**0.01**	**0.01**	**0.01**	**0.01**	**0.0002**	**0.003**
(c)	ब्याज भुगतान	**1.42**	**1.11**	**1.10**	**1.02**	**0.86**	**1.10**	**0.81**	**0.73**	**0.77**
V	आयोजना व्यय	**8.93**	**9.12**	**10.52**	**9.81**	**10.98**	**9.87**	**14.21**	**14.40**	**14.30**
	राजस्व व्यय	**4.46**	**5.59**	**6.86**	**6.84**	**7.17**	**6.18**	**9.02**	**9.06**	**9.04**
	पूंजीगत व्यय	**3.86**	**3.03**	**2.76**	**2.50**	**2.91**	**3.01**	**3.93**	**4.21**	**4.07**
	ऋण एवं अग्रिम	**0.61**	**0.50**	**0.89**	**0.47**	**0.90**	**0.67**	**1.26**	**1.12**	**1.19**
VI	कुल व्यय	**18.03**	**17.76**	**21.04**	**19.39**	**20.04**	**19.25**	**24.03**	**25.75**	**24.89**
VII	राजस्व व्यय	**13.51**	**14.22**	**17.38**	**16.41**	**16.22**	**15.55**	**18.83**	**20.41**	**19.62**
VIII	पूंजीगत व्यय	**3.90**	**3.03**	**2.76**	**2.50**	**2.91**	**3.02**	**3.93**	**4.21**	**4.07**
IX	ऋण एवं अग्रिम	**0.63**	**0.51**	**0.91**	**0.48**	**0.91**	**0.69**	**1.27**	**1.12**	**1.19**
X	राजस्व घाटा/आधिक्य	**3.79**	**1.93**	**0.89**	**2.85**	**2.32**	**2.36**	**1.35**	**1.42**	**1.38**
XI	राजकोषीय घाटा	**-0.16**	**-1.06**	**-1.77**	**-0.35**	**-0.57**	**-0.78**	**-2.87**	**-3.00**	**-2.93**
XII	प्राथमिक घाटा	**1.26**	**0.05**	**-0.67**	**1.36**	**0.28**	**0.46**	**-2.06**	**-2.27**	**-2.17**
स्त्रोतः वार्षिक योजना 2013–14, राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ शासन										

1. ग्यारहवीं योजना में राज्य का औसत राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.78 प्रतिशत रहा जो कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में 2.93 प्रतिशत अनुमानित है।

2. राज्य के लिये शून्य प्रतिशत राजस्व घाटे का लक्ष्य रखा गया था इसके विपरीत राज्य में राजस्व आधिक्य रहा। ग्यारहवीं योजना में राज्य का औसत राजस्व आधिक्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.36 प्रतिशत रहा। यह वित्तीय वर्ष 2013–14 में 1.38 प्रतिशत अनुमानित है।

3. राज्य की स्वयं की प्राप्तियों में वृद्धि (राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से 9.52% से 12.46%)केन्द्रीय प्राप्तियों की तुलना में अधिक रही। इसका कारण राज्य का स्वयं के कर एवं गैर–कर राजस्व मे किये गये प्रयास है।

4. आयोजना व्यय में वृद्धि (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 9.52% से 12.46%) गैर आयोजना व्यय की तुलना में अधिक रही।

5. राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में ब्याज भुगतान 1.42 प्रतिशत से कम होकर 0.73 प्रतिशत अनुमानित है।

06

संस्थागत वित्त एवं विनियोजन

6. संस्थागत वित्त एवं विनियोजन

6.1.1 अल्प बचत के अन्तर्गत संग्रहण : अल्प बचत योजना में अन्य वित्तीय संस्थाओं की अपेक्षा व्याज की राशि कम होने के कारण निवेशक अन्य वित्तीय संस्थाओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अतः बचत योजनाओं में निवेशकों की रूचि कम हुई है ।

6.1.2 अधिसूचित वाणिज्यिक अधिकोष **:-** राज्य में समस्त बैंकों की कुल शाखाओं की संख्या मार्च **2013** की स्थिति में **2084** थी, सितंबर **2013** की स्थिति में **2211** शाखाएं हैं। राज्य में बैकों की विभिन्न मदों के अंतर्गत प्रगति का विवरण इस प्रकार है:–

सारणी 6.1 राज्य में बैकिंग कार्यों की प्रगति (राशि करोड़ रू.में)

क्र.	विवरण	मार्च 2012	मार्च 2013	गतवर्ष में वृद्धि		सितंबर 2013
				राशि	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7
1	बैंकों की संख्या	**50**	**50**	**-**	**-**	**50**
2	शाखाओं की संख्या	**1912**	**2084**	**-**	**9.00**	**2211**
3	**ATM** की संख्या	**1063**	**1434**	**-**	**34.90**	**1553**
4	कुल जमा	**70742.27**	**87338.98**	**16596.71**	**23.46**	**87796.31**
5	कुल अग्रिम	**40135.13**	**49094.75**	**8959.62**	**22.32**	**51004.61**
6	साख–जमा अनुपात प्रतिशत	**56.73**	**56.21**	**-0.52**	**-0.92**	**58.09**
7	प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम	**18433.01**	**22055.34**	**3622.33**	**19.65**	**23274.51**
8	कुल साख में से प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम प्रतिशत	**45.93**	**44.92**	**-1.01**	**-2.20**	**45.63**
9	कृषि में अग्रिम	**6651.01**	**8069.80**	**1418.79**	**21.33**	**9011.97**
10	कुल साख में से कृषि क्षेत्र में अग्रिम प्रतिशत	**16.57**	**16.44**	**-0.13**	**-0.78**	**17.67**
11	लघु उद्योगों में अग्रिम	**8057.54**	**9866.13**	**1808.59**	**22.45**	**9758.21**
12	अन्य कमजोर वर्गो के लिए अग्रिम	**4251.81**	**4641.53**	**389.72**	**9.17**	**4965.95**
13	कुल साख में से अन्य कमजोर वर्ग का प्रतिशत	**10.59**	**9.45**	**-1.14**	**-10.76**	**9.73**
14	महिलाओं को अग्रिम	**2372.77**	**2589.67**	**216.90**	**9.14**	**2715.90**

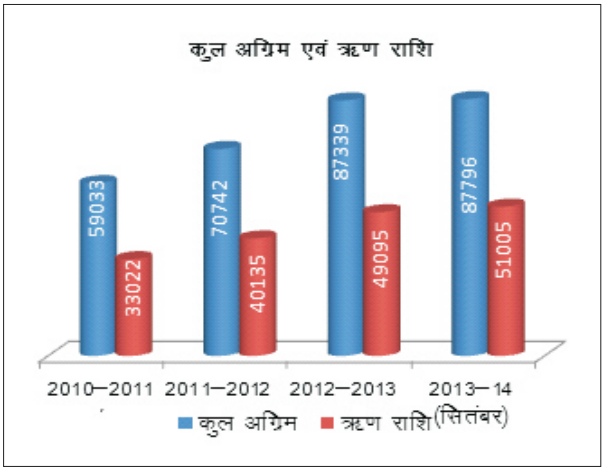

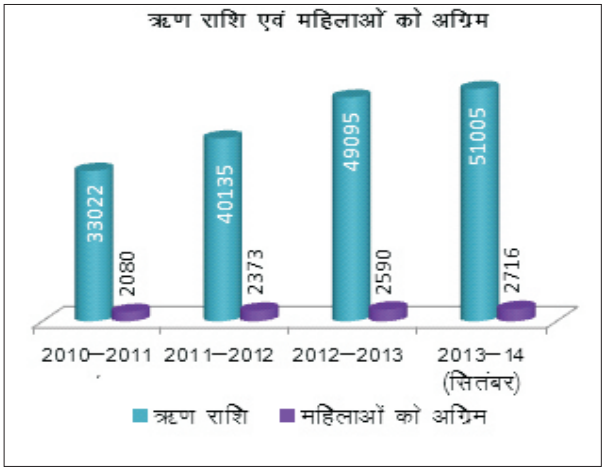

6.2 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

6.2.1. ऋण सहायता :– वर्ष **2012–13** के दौरान राज्य की कृषि और ग्रामीण विकास संबंधी गतिविधियों के लिए दी गई वित्तीय सहायता रू. **4388** करोड़ के स्तर पर पहुॅच गई जो पिछले वर्ष के रू. **1231** करोड़ की तुलना में **256%** की वृद्धि दर्शाता है।

अ. आर.आई.डी.एफ. सहायता – राज्य सरकार को वर्ष के दौरान **R.I.D.F.** से रू. **982.77** करोड़ की सहायता दी गई जो पिछले वर्ष के रू. **291.03** करोड़ से **237%** की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है।

ब. पुनर्वित्त सहायता – वर्ष के दौरान नाबार्ड ने उत्पादन ऋण एवं निवेश ऋण के लिए बैकों को रू. **1221.87** करोड़ की पुनर्वित्त सहायता दी जो पिछले वर्ष रू. **940.34** करोड़ थी यह **30%** वृद्धि दर्शाती है।

स. मार्कफेड को सहायता – नाबार्ड ने इस राज्य में पहली बार मार्कफेड को वर्ष **2012-13** के खरीफ विपणन मौसम के दौरान धान खरीदी हेतु रू. **2000** करोड़ का वित्त पोषण किया है।

द. नाबार्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास सहायता (नीडा) – ग्रामीण क्षेत्रों में बिजल के प्रावधान हेतु बिजली उपकेंद्र तथा वितरण पद्धति की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रॉसमिशन कॉर्पोरेशन को रू. **83.20** करोड़ का आवधिक ऋण मंजूर किया गया है।

इ. दुर्ग जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक को सीधी पुनर्वित्त सहायता – दुर्ग जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक को अल्पावधि बहुउद्देशीय ऋण सीमा के तहत रू. **100** करोड़ की सीमा मंजूर की गई थी जिसके समक्ष रू. **50** करोड़ की सहायता संवितरित की गई।

6.2.2. संस्थागत विकास संबंधी पहलें :–

अ. वर्ष **2012-13** के दौरान कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस के तहत राज्य सहकारी बैंक तथा **05** जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की सभी **171** शाखाएं ''लाइव'' हो चुकी हैं, इनमें खुदरा बैंकिंग संबंधी मुख्य कार्यालय के **06** मॉड्यूल शामिल हैं।

ब. नाबार्ड ने **05** जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के मुख्य कार्यालयों में कम्प्यूटर लैब की स्थापना हेतु रू. **38.56** लाख के अनुदान की स्वीकृति दी है।

स. हथकरघा क्षेत्र के पुनर्जीवन, सुधार एवं पुनर्गठन हेतु **80** प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों तथा **137** बुनकरों को क्रमशः रू. **3.43** करोड़ तथा रू. **0.39** करोड़ की सहायता मंजूर की गई जिसमें से रू. **2.12** करोड़ वितरित किए जा चुके हैं।

6.2.3. विशेष विकासात्मक पहलें :–

अ. आदिवासी विकास निधि के तहत वाडी विकास – वर्ष **2012-13** के दौरान **11** परियोजनाएं मंजूर की गई जिसमें **7334** आदिवासी परिवार कवर हुए तथा टीडीएफ से रू. **32.15** करोड़ की सहायता मंजूर की गई, जिसमें रू. **28.92** करोड़ अनुदान तथा रू. **3.23** करोड़ ऋण के रूप में हैं।

ब. वाटरशेड विकास – वर्ष **2012-13** के दौरान क्षमता निर्माण चरण में **11** वाटरशेड परियोजनाओं तथा पूर्ण कार्यान्वयन चरण में **15** परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें कुल रू. **13.71** करोड़ अनुदान सहायता शामिल है।

6.2.4. **नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (नेबकान्स)** – वर्ष के दौरान नेबकान्स का कारोबार पिछले वर्ष के रू. **5** लाख से बढ़कर रू. **90** लाख हो गया। इसके तहत राज्य तथा जिला स्तर पर विभिन्न संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

07

कृषि एवं संबद्ध सेवाएं

7. कृषि

7.1 छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग **80%** जनसंख्या का जीवन–यापन कृषि पर आश्रित है। प्रदेश के **37.46** लाख कृषक परिवारों में से **76%** लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं वर्तमान में प्रदेश में सभी स्त्रोतों से लगभग **30%** क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है जिसमें से सर्वाधिक **62%** क्षेत्र सिंचाई जलाशयों/नहरों के माध्यम से सिंचित है। जो अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर है। प्रदेश की लगभग **55%** कास्तभूमि की जलधारण क्षमता कम होने के कारण बिना सिंचाई साधन के दूसरी फसल लेना संभव नहीं होता। राज्य निर्माण के समय इस प्रदेश में आवश्यक संरचनायें यथा बीज प्रक्रिया केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र, उर्वरक एवं गोदाम आदि का अभाव था, इसलिए राज्य में विभिन्न फसलों की उत्पादकता अन्य विकसित राज्यों की तुलना में कम थी। राज्य गठन के पश्चात् कृषि विकास के कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा राज्य शासन के कृषकोन्मुखी योजनाओं/कार्यक्रमों के फलस्वरूप कृषि विकास की गति में तेजी आई है एवं कृषकों की आर्थिक उन्नति हेतु निरंतर प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं।

सारणी 7.1 फसल उत्पादन (000 **में.टन**)

	खरीफ					रबी				
क्र	फसल	11–12	12–13	प्रतिशत वृद्वि	13–14 लक्ष्य	फसल	11–12	12–13	प्रतिशत वृद्वि	13–14 लक्ष्य
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	7	8	9	10	11
1	धान	**6095.5**	**7340.3**	**20**	**7498.9**	धान	**668.2**	**822.4**	**23**	**769.5**
2	मक्का	**322.1**	**345.0**	**9**	**414.0**	मक्का	**50.2**	**97.2**	**94**	**106.7**
3	अरहर	**85.6**	**86.7**	**1**	**93.8**	गेहूँ	**233.5**	**235.8**	**1**	**248.1**
4	मूँग	**8.6**	**8.3**	**-3**	**9.6**	चना	**369.4**	**402.1**	**9**	**440.0**
5	उड़द	**77.3**	**70.6**	**-9**	**72.8**	मटर	**26. 5**	**16.5**	**-38**	**28.3**
6	मूँगफली	**68.3**	**65.1**	**-5**	**73.7**	तिवड़ा	**238.4**	**220.2**	**-8**	**262.0**
7	सोयाबीन	**137.4**	**191.8**	**40**	**198.1**	राई सरसों	**84.9**	**73.3**	**-14**	**88.5**
8	रामतिल	**25.2**	**19.7**	**-22**	**22.3**	अलसी	**33.7**	**18.2**	**-46**	**33.3**
महायोग		6820	8127.5	19	8383.2	महायोग	1704.8	1885.67	12	1976.31

स्त्रोत :– संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़

7.2 सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार

कृषि विकास में सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के लघु सीमांत कृषकों को सिंचाई कूप एवं पंप स्थापना हेतु **शाकम्भरी योजना** प्रारंभ की गई है। इसके अतिरिक्त पूर्व से संचालित लघु सिंचाई नलकूप योजना में देय

सारणी **7.2** सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना प्रगति

योजना का नाम	इकाई	2011–12	2012–13	वर्ष 2013–14	
				लक्ष्य	पूर्ति (अक्टू)
शाकम्भरी कूप	संख्या	**376**	**198**	**500**	**77**
शाकम्भरी पंप	संख्या	**20142**	**24042**	**23000**	**9493**
किसान समृद्धि नलकूप	संख्या	**6467**	**3746**	**6500**	**2005**
लघुत्तम सिंचाई तालाब	संख्या	**135**	**113**	**100**	**63**
सूक्ष्म सिंचाई योजना (ड्रिप–उद्यानिकी) स्प्रिंकलर	हेक्टेयर	**13003**	**7939**	**8800**	**5390**

अनुदान राशि में वृद्धि की गई है। सिंचाई जल के बेहतर उपयोग एवं नगदी फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सूक्ष्म सिंचाई योजना अंतर्गत सभी वर्ग के लघु सीमांत कृषकों को स्प्रिंकलर पर 80 प्रतिशत् (50 प्रतिशत् केन्द्रांश + 30 प्रतिशत् राज्यांश) अनुदान दिया जा रहा है, अन्य किसानों को 50 प्रतिशत् (40 प्रतिशत् केन्द्रांश + 10 प्रतिशत् राज्यांश)

7.3 आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण

फसलों के उत्पादन में उच्च गुणवत्तायुक्त बीज एक महत्वपूर्ण कृषि आदान है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में आधार एवं प्रमाणित बीज उत्पादन एवं उपयोग को बढ़ाने के लिये राज्य पोषित कृषक समग्र विकास योजना, केन्द्र प्रवर्तित आइसोपाम योजनान्तर्गत तिलहन एवं मक्का विकास योजना तथा राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन क्रियान्वित की जा रही है। जिसके फलस्वरूप बीज घटक में निम्नानुसार प्रगति हुई :–

सारणी 7.3 आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण

क्र.	विवरण	इकाई	2011–12	2012–13	% वृद्धि	खरीफ की पूर्ति एवं रबी (2013–14) का कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7
1	बीज उत्पादन कार्यक्रम					
	खरीफ	हे.	**37084**	**37332**	**1**	**33919**
	रबी	हे.	**14463**	**10078**	**-30**	**19827**
	योग(खरीफ+रबी)		**51547**	**47410**	**-8**	**53746**
2	प्रमाणित बीज उत्पादन					
	खरीफ	क्वि.	**660000**	**667824**	**1**	**763326**
	रबी	क्वि.	**110000**	**120430**	**9**	**125638**
	योग(खरीफ +रबी)		**770000**	**788254**	**2**	**888964**
3	प्रमाणित बीज वितरण					
	खरीफ	क्वि.	**590290**	**631696**	**7**	**766788**
	रबी	क्वि.	**102819**	**111645**	**9**	**135000**
	योग(खरीफ+रबी)		**693109**	**743341**	**7**	**901788**

7.4 उर्वरक एवं जैव उर्वरक वितरण

कृषि में फसल उत्पादन एवं उर्वरता क्षमता हेतु आदान सामग्री के रूप में मुख्यतः रासायनिक उर्वरक एवं जैव उर्वरक की आवश्यकता होती है। विगत दो वर्षो में उर्वरक एवं जैव उर्वरक वितरण की प्रगति निम्नानुसार है :–

सारणी 7.4 A उर्वरक वितरण

वर्ष	उर्वरक वितरण(तत्व रूप में) (000 में.टन)				प्रति हे. उर्वरक खपत (कि.ग्रा. में)			
	नत्रजन	स्फुर	पोटाश	योग	नत्रजन	स्फुर	पोटाश	योग
2012–13								
खरीफ	**287.0**	**163.5**	**71.7**	**522.2**	**60**	**34**	**15**	**109**
रबी	**120.5**	**64.7**	**8.6**	**193.7**	**70**	**37**	**5**	**112**
योग (खरीफ+रबी)	**407.5**	**228.2**	**80.2**	**716.0**				
2013–14								
खरीफ पूर्ति	**319.9**	**160.9**	**63.8**	**544.7**	**67**	**34**	**13**	**114**
रबी लक्ष्य	**129.1**	**73.4**	**31.3**	**233.7**	**70**	**40**	**17**	**126**
योग (खरीफ+रबी)	**449.0**	**234.3**	**95.0**	**778.4**				

सारणी 7.4 **B** कल्चर वितरण								
वर्ष	कल्चर वितरण (खरीफ) (000 में.टन)				कल्चर वितरण (रबी) (में.टन)			
	राइजोबियम	पी.एस.बी.	एजेक्टोवेक्टर	योग	राइजोबियम	पी.एस.बी.	एजेक्टोक्टर	योग
2012–13	**372600**	**915320**	**162550**	**1450470**	**289208**	**540695**	**73440**	**903343**
2013–14 खरीफ पूर्ति एवं रबी लक्ष्य	**385155**	**1108160**	**203900**	**1692215**	**319500**	**596800**	**84700**	**1001000**

7.5 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

विशेष सहायतीत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं उप योजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्नानुसार अधोसंरचना विकास एवं कार्यों की वर्ष 2008–09 से अद्यतन प्रगति निम्नानुसार है :–

- 113 शहीद वीर नारायण सिंह विकासखंड स्तरीय बहुउद्देशीय कृषक सेवा केन्द्र की स्थापना हेतु राशि रू. 6985.00 लाख स्वीकृत, 30 कृषक सेवा केन्द्र निर्मित कृषक सेवा केन्द्र एवं 32 निर्माणाधीन।
- 469 कृषक सूचना सलाह केन्द्र की स्थापना हेतु राशि रू. **36.87** लाख स्वीकृत, 80 निर्मित, 145 निर्माणाधीन।

  15,500 शैलोट्यूबवेल की स्थापना हेतु रू. 3,100 लाख स्वीकृत, 14,955 निर्मित।
- टिश्युकल्चर प्रयोगशाला निर्माण हेतु राशि रू. 372 लाख की अतिरिक्त अनुदान सहायता।

हरित क्रांति योजनान्तर्गत वर्ष 2011–2012 में रू. 814.13 करोड़ से 475 चेक डेम एवं रू. 641.64 लाख से 273 तालाब निर्मित।

7.6 कृषि अभियांत्रिकी

कृषि अभियांत्रिकी के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की भौतिक/वित्तीय प्रगति निम्नानुसार है (वर्ष 2012–13, 2013–14 दिसंबर तक) –

सारणी 7.6 योजनाओं की भौतिक/वित्तीय प्रगति

क्र.	गतिविधियॉं	इकाई	वर्ष 2012–13				वर्ष 2013–14 (सितम्बर, 13 तक)			
			भौतिक		वित्तीय (लाख में)		भौतिक		वित्तीय (लाख में)	
			लक्ष्य	पूर्ति	आबंटन	व्यय	लक्ष्य	पूर्ति	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**शाकम्भरी**									
(क)	कूप निर्माण	संख्या	**640**	**209**	**3342**	**3305.8**	**500**	**77**	**2625**	**1222.2**
(ख)	डीजल/विद्युत पंप	संख्या	**21000**	**23751**			**23000**	**9493**		
2	**मशीन ट्रैक्टर स्टेशन योजना**									
(क)	डोजिंग कार्य	घंटे	**16400**	**10960**	**220**	**90.9**	**17000**	**5873**	**215**	**74.4**
(ख)	कल्टीवेशन कार्य	घंटे	**19000**	**12596**			**17500**	**9736**		
(ग)	यील्ड टेस्ट*	संख्या	**-**	**35**			**-**	**16**		
3	**राष्ट्रीय कृषि विकास योजना**									
(क)	ट्रैक्टर वितरण	संख्या	**-**	**-**	**1500**	**641.9**	**-**	**-**	**1410**	**190.0**
(ख)	पावर टिलर का वितरण	संख्या	**1200**	**721**			**-**	**545**		
(ग)	शक्ति चलित यंत्र	संख्या	**6201**	**6081**			**-**	**3343**		
(घ)	हस्त/बैल चलित कृषि यंत्रों वितरण	संख्या	**-**	**1637**			**-**	**86866**		
4.	लो–लिफ्ट पंप	संख्या	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.	कृषि यंत्रों का प्रदर्शन	संख्या	**-**	**1282**	**20.00**	**18.80**	**-**	**586**	**32.91**	**1.11**

रिमार्क :– * शासन द्वारा बाध्यता समाप्त करने के कारण।

शाकम्भरी योजनाः राज्य शासन द्वारा वर्ष **2005-06** से लघु एवं सीमांत वर्ग के कृषकों के स्वयं सिंचाई संसाधन विकास हेतु ''शाकम्भरी'' योजना चलायी जा रही है, जिसमें कृषकों के **5** एच.पी. तक के विद्युत/डीजल चलित/केरोसीन पंप पर **75%** अनुदान तथा कूप निर्माण पर **50%** अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

ब्याज पर अनुदान की योजनाः राज्य में कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष **2013-14** से राज्य शासन द्वारा कृषि क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने हेतु लिए गए ऋण पर देय ब्याज दर पर अनुदान दिए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त योजनांतर्गत अधिकतम राशि रू. **1.00** करोड़ की ऋण राशि पर **4%** की दर से ब्याज अनुदान देय होगा। अनुदान राशि अधिकतम राशि रू. **4.00** लाख तक होगी।

पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एवं मैनेजमेन्ट योजनाः केन्द्र सरकार की इस योजनांतर्गत थ्रेशिंग, क्लीनिंग, मिलिंग तथा प्रोसेसिंग आदि हेतु उपयोगी यंत्रों का क्रय किया गया है। इन यंत्रों का जीवंत प्रदर्शन कर कृषकों के मध्य उनका प्रचार–प्रसार किया जावेगा, जिससे कृषक अपने उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने तथा फसल के प्रोसेसिंग से प्राप्त सह–उत्पाद का भी विक्रय कर उचित मूल्य प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन कृषकों के खेत में धान रोपाई पर अनुदान की योजनाः प्रदेश में उन्नत तकनीक से धान रोपाई को प्रोत्साहित करने, रोपाई रकबे में वृद्धि, कृषि श्रमिकों के अभाव की समस्या से निंदान, बीज की बचत, निंदाई, गुड़ाई, कटाई आदि की सुगमता तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा वर्ष 2012–13 से पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन से कृषकों के खेत में धान रोपाई पर अनुदान देने की नवीन योजना प्रारंभ की गई है। जिसमें चयनित हितग्राही कृषकों को उपयुक्त भूमि की तैयारी (जुताई,मताई) मैट टाईप नर्सरी तैयार करने तथा पैडी ट्रॉसप्लांटर मशीन से धान रोपाई पर राशि रू. 3000/– प्रति एकड़ की दर से अनुदान देय है।

कृषि विपणन

7.7 कृषि उपज मण्डियॉ : कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन में कृषि उपज मंडियों का विशेष योगदान रहा है। मण्डी समितियों का मुख्य उद्देश्य कृषकों को शोषण से बचाना, समयावधि में उनको उपज का उचित मूल्य दिलाना एवं विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। राज्य में वर्तमान में **68** कृषि उपज मण्डियॉ एवं **112** उप–मण्डियॉ कार्यरत हैं।

सारणी 7.7 कृषि उपज मण्डियों में आवक, आय एवं प्राप्त मंडी शुल्क

विवरण	इकाई	2011–12	2012–13	वृद्धि (%)
आवक	टन	8349	9426	12.9
आय	लाख रू.	17153	18846	
बोर्ड शुल्क	लाख रू.	1858	2369	

7.8 छ.ग. राज्य मंडी बोर्ड द्वारा कृषकों को दी जा रही अन्य कल्याणकारी सुविधाएं :

1. किसानों के उपज का सही तौल हेतु मंडियों में इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा मशीन की स्थापना की गई है।
2. राज्य एवं अन्य प्रांतों की प्रमुख मंडियों में फसलों के प्रचलित बाजार भाव का प्रसारण हेतु प्रदेश की 20 मंडियों में डिस्प्ले बोर्ड स्थापित किया गया है।
3. कृषकों को निःशुल्क मिट्टी परीक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। जिसके तहत् 9259 सेम्पल का मिट्टी परीक्षण किया गया।
4. एगमार्क नेट के माध्यम से प्रदेश की मंडियों में देश विदेश के कृषि जिन्सों के भाव तथा कृषि क्षेत्र में नई तकनीकी की जानकारी हेतु इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
5. छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ को उर्वरक व्यवसाय हेतु वर्ष 2011–12 में रू. 50 करोड़ ऋण दिया गया है।

किसान शॉपिंग मॉलः– राजनांदगॉव मंडी में कृषकों (विक्रेताओं) तथा मंडी कृत्यकारियों के सुविधार्थ किसान शॉपिंग मॉल का निर्माण कराया गया है।

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

7.9. उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि करने हेतु उद्यानिकी विभाग द्वारा फल, सब्जी, मसाला, पुश्प एवं औशधीय पौध विकास योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही है। विभाग के अंतर्गत 111 उद्यान रोपणी तथा एक सब्जी बीज उत्पादन सह प्रगुणन प्रक्षेत्र बना है।

7.9.1 राज्य तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ:– उद्यानिकी विभाग द्वारा नवीन योजनाएं क्लस्टर पद्धति के आधार पर कार्यक्रम का क्रियान्वयन कराया जा रहा है जिसके अंतर्गत जिलें में विकासखंड स्तर पर 20–25 ग्राम समूहों का चयन कर प्रत्येक ग्राम में कम से कम 20–25 एकड़ एवं प्रत्येक क्लस्टर में 200 से 250 एकड़ रकबे में उद्यानिकी फसलों का आच्छादन किया जावेगा, जिससे कृषक को विपणन एवं प्रसंस्करण की सुविधाएं उपलब्ध करायी जावेगी

महत्वपूर्ण सांख्यिकीय वर्ष 2012–13 तक (हेक्टेयर)			
क्र.	**विषय वस्तु**	**विवरण**	
1	फलों का रकबा	**199018**	**1730831**
2	सब्जियों का रकबा	**377212**	**4965331**
3	मसालों का रकबा	**92769**	**632031**
4	औषधि एवं सुगंधित फसलों का रकबा	**10270**	**60282**
5	पुष्प के अंतर्गत रकबा	**9801**	**37744**
योग	**सम्पूर्ण उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल**	**689070**	

सारणी 7.9.1 योजनावार बजट प्रावधान एवं व्यय निम्नानुसार है– (राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	2011–12 व्यय	2012–13		2013–14 (दिस.2013)	
			बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
1	केला उत्पादन का सघन कार्यक्रम	**89.9**	**100.0**	**99.8**	-	-
2	आलू विकास योजना	**164.7**	**300.0**	**300.0**	-	-
3	फल पौध रोपण योजना	**118.0**	**130.0**	**121.6**	**165.0**	**50.2**
4	सघन फलोद्यान विकास योजना	**128.7**	**160.0**	**156.5**	**165.0**	**96.7**
5	घरेलू बागवानी की आदर्श योजना	**91.8**	**262.0**	**262.0**	-	-
6	मसाला विकास योजना	**131.8**	**159.2**	**158.8**	-	-
7	मेला प्रदर्शनी एवं प्रचार	**14.8**	**27.0**	**24.8**	**45.0**	**30.6**
8	उद्यानिकी प्रशिक्षण	**11.9**	**20.0**	**15.3**	**25.0**	**16.6**
9	नर्सरी में उन्नत एवं प्रमाणित बीज उत्पादन	**85.0**	**90.0**	**84.4**	**100.0**	**80.5**
10	टपक सिंचाई योजना	-	**50.0**	**45.9**	**75.0**	**30.7**
11	नदी के कछार/तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन की योजना	-	**50.0**	**48.5**	**75.0**	**30.1**
12	बड़े शहरों के आसपास सागभाजी उत्पादन योजना	**90.8**	-	-	-	-

क्र.	योजना का नाम	2011–12 व्यय	2012–13		2013–14 (दिस.2013)	
			बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
13	पुष्प विकास योजना	**24.9**	-	-	-	-
14	औषधि एवं सुगंधित फसल उत्पादन योजना	**8.5**	-	-	-	-
15	राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना	-	**1250.0**	**1245.0**	**2500.0**	**1566.9**
16	टिशू कल्चर लैब की स्थापना	-	-	-	**143.8**	**0.0**
	योग	**961.0**	**2598.2**	**2567.5**	**3293.8**	**1902.4**
17	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	**9783.5**	**12500.0**	**9829.5**	**13500.0**	**4630.0**
18	राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई योजना	**3838.7**	**4466.8**	**1939.1**	**3424.0**	**486.6**
19	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	**4227.6**	**12265.5**	**11925.7**	**14000.0**	**1809.0**
	कुल योग	**18810.7**	**31830.5**	**26261.8**	**34217.8**	**8828.1**

वर्ष 2012–13 में योजना मद में कुल प्रावधानित 31830.45 लाख में से 26261.75 लाख योजना क्रियान्वयन हेतु व्यय किया गया, जबकि वर्ष 2013–14 योजना मद की राशि 34217.75 लाख योजना क्रियान्वयन हेतु प्रावधानित है, जिसके अंतर्गत राशि रू. 8828.05 लाख व्यय किया जा चुका है।

7.9.2 गैर योजनान्तर्गत बजट प्रावधान एवं व्यय निम्नानुसार है –**(राशि लाख रू.में)**

क्र.	योजना का नाम	2011–12 व्यय	2012–13		2013–14 (दिस.2013)	
			बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
1	रायपुर में महिलाओं के लिए फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	**32.9**	**32.8**	**29.9**	**38.0**	**23.1**
2	उद्यान विकास योजना	**2402.1**	**2332.5**	**2461.2**	**3030.8**	**1557.3**
3	नये उद्यानों तथा पौध शालाओं की स्थापना	**785.9**	**971.0**	**798.5**	**1081.8**	**574.5**
4	संचालनालय उद्यानिकी	**137.6**	**148.9**	**140.4**	**193.8**	**78.3**
	योग	**3358.5**	**3485.3**	**3430.1**	**4344.4**	**2233.2**

राष्ट्रीय बागवानी मिशन

7.9.3 राष्ट्रीय बागवानी मिशन अंतर्गत कार्यक्रम

राज्य की जलवायु, भूमि एवं अन्य परिस्थितियां बागवानी के दृष्टिकोरण से अनुकूल हैं। बागवानी फसलों की खेती विविधिकरण, उत्पादकता एवं रोजगार के बेहतर अवसर की संभावनाओं से परिपूर्ण हैं। बागवानी क्षेत्र के समन्वित विकास के लिये वर्ष 2005–06 से 10 वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) प्रारंभ की गई हैं। वर्ष 2010–11 से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना में कृषकों को दी जाने वाली अनुदान तथा मानदण्डों को संशोधित कर और अधिक लोकप्रिय तथा सुग्राह्य बनाया गया हैं। यह केन्द्रीय शासन द्वारा प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत अद्यतन 19 जिलों को शामिल किया गया हैं।

राज्य बागवानी मिशन योजनान्तर्गत प्रगति

सारणी 7 .9.3 मॉडल नर्सरी योजना के अलावा राष्ट्रीय बागवानी मिशन की अन्य योजनाएं

क्र.	योजना का नाम	2012–13		2013–14 दिस.13	
		क्षेत्रफल हे	व्यय लाख	क्षेत्रफल हे.	व्यय लाख
1	फलोद्यान विकास योजना	995.3	1580.7	5050	1841.4
2	पुष्प विकास योजना	892	218.0	1250	316.5
3	मसाला, औषधीय एवं सुगंधित फसल योजना	1617	202.1	200	25.0
4	काजू क्षेत्र विकास योजना	3000	981.7	1000	1.20
5	सामुदायिक जल संसाधन स्त्रोतों का विकास योजना	947	1516.8		

मॉडल नर्सरी :–

2 से 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मॉडल रोपणी की स्थापना हेतु इकाई लागत रु. 25.00 लाख प्रति यूनिट है। सार्वजनिक क्षेत्रों में मॉडल रोपणी की स्थापना पर शतप्रतिशत अनुदान देय है। वर्श 2012–13 में 8 के विरुद्ध 8 नर्सरी तथा वर्ष 2013–14 में प्रावधानित 12 के विरूद्ध अद्यतन 7 नर्सरी स्थापित की गई है। लघु नर्सरी जो लगभग एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में होगीं जिसकी इकाई लागत 6.25 लाख प्रति इकाई है। लघु नर्सरी की स्थापना हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में शत प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रों की इकाईयों हेतु अधिकतम अनुदान सीमा 50 प्रतिशत या 3.125 लाख रु. प्रति हेक्टेयर है।

7.9.4 राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन

राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन केन्द्र प्रवर्तित योजना हैं। योजना का उद्देश्य उपलब्ध जल स्त्रोंत से अधिक से अधिक सिंचित रकबा को बढ़ाना है। योजनांतर्गत लघु एवं सीमान्त कृशकों को 75 प्रतिशत एवं सामान्य कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम जोत सीमा 5 हेक्टेयर तक दिये जाने का प्रावधान है।

सूक्ष्म सिंचाई योजनान्तर्गत प्रगति

वर्ष 2012–13 में ड्रिप संयंत्र की स्थापना हेतु लघु एवं सीमान्त कृषकों को राशि रू. 1939.08 लाख का सहायता प्रदान किया गया इसी प्रकार वर्ष 2013–14 में दिसम्बर 2013 तक राशि रू. 365.85 लाख की सहायता कृषकों को प्रदाय की गई।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत प्रगति –

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत वर्ष 2013–14 में राशि रू. 13.19 करोड आबंटन प्राप्त हुआ जिसमें से रू. 12.89 करोड व्यय किया जा चुका है।

1. **वेजीटेबल इनिशिएटिव फॉर पेरी अरबन एरिया** :– योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 में शहरी समूहों (**Urban Clusters**) के लिए सब्जी विकास के कार्यक्रम अन्तर्गत रू. 1200 करोड व्यय हुआ एवं वर्ष 2013–14 में अद्यतन राशि रू. 5.20 करोड व्यय किया गया है।

2. **आईल पॉम क्षेत्र विस्तार** :–

   योजनान्तर्गत वर्श 2012–13 में आईल पॉम क्षेत्र विस्तार अन्तर्गत रू. 0.63 करोड व्यय हुआ एवं वर्ष 2013–14 में प्राप्त आबंटन 0.69 करोड में से अद्यतन राशि रू. 0.39 करोड व्यय किया गया है।

7.10 जल संसाधन

7.10.1 छत्तीसगढ एक कृषि प्रधान राज्य है, वर्ष **2012–13** में प्रदेश का कुल बोया गया क्षेत्र **56**.83 लाख हेक्टेयर तथा निरा बोया गया क्षेत्र **47**.10 लाख हेक्टेयर है। प्रदेश गठन के समय शासकीय स्त्रोतों से **13**.**28** लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षेत्र निर्मित हुआ था जो कुल बोये गये क्षेत्र का **23** प्रतिशत है। आंकलन के अनुसार **43** लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा निर्मित की जा सकती है जिसमें सतही जल से **33**.**80** लाख एवं भू जल से **9**.**20** लाख हेक्टेयर सिंचाई की जा सकती है। राज्य गठन के पश्चात राष्ट्रीय औसत **48**.**90** प्रतिशत के समकक्ष लाने के लिए शासन द्वारा सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन को उच्च प्राथमिकता दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न स्त्रोतों से जल की उपलब्धता की मात्रा में सतही जल की मात्रा **48296** मि.घ.मी. एवं भू–जल की मात्रा **11630** मि.घ.मी. इस प्रकार कुल **59926** मि.घ. मी. आंकी गई है।

प्रदेश में जल संसाधनों के विकास एवं सिंचाई क्षमता बढ़ाने के प्रयासों को सर्वोच्च प्राथमिकता की गई। मार्च **2013** तक **5.50** लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित की जाकर प्रदेश में अब तक कुल **18.78** लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की जा चुकी है, जो कि कुल बोया गया क्षेत्र का **33.77** प्रतिशत है।

प्रदेश में मार्च **2013** तकं 08 वृहद **33** मध्यम एवं **2390** लघु योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं इसके अलावा **3** वृहद, **6** मध्यम एवं **430** लघु सिंचाई परियोजनाएँ निर्माणाधीन है।

12वीं पंचवर्षीय योजना में जल संसाधन विकास के लिए रू. **15000** करोड़ की आयोजना सीमा प्रस्तावित है तथा **3.30** लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है।

7.10.2 भू–जल स्त्रोतों का उपयोग :– केन्द्रीय भू जल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में भू–जल स्त्रोतों की बहुत संभवनाएँ हैं। अभी तक **4050** एम.सी.एम. अर्थात **34.87** प्रतिशत जल का उपयोग कृषि एवं अन्य कार्यो के लिए किया जा रहा है। वर्ष **2012-13** तक शासकीय नलकूपों की **26** योजनाओं से **1134** नलकूपों द्वारा **25500** हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता सृजित हुई हैं। हितग्राही मूलक योजनाओं के अन्तर्गत कृषकों के निजी नलकूप निर्माण द्वारा वर्ष **2012-13** तक **2525** सफल नलकूप से **12625** हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की गई है।

7.10.3 सिंचित क्षेत्र :– **1** नवम्बर **2000** को समस्त शासकीय स्त्रोतों से निर्मित सिंचाई क्षमता **13.28** लाख हेक्टेयर थी, राज्य गठन के पश्चात् क्षमता में वृद्धि निम्नानुसार है :–

सारणी 7.10.1 सिंचित क्षेत्र की प्रगति का विवरण

अवधि	बजट आबंटन (करोड़ रू. में)	निर्मित सिंचाई क्षमता हे.	अब तक कुल सिंचाई लाख हें.	सिंचाई का प्रतिशत
नवंबर 2000 – मार्च 2001	**111.57**	**12000**	**13.40**	**23.15**
अप्रैल 2001 – मार्च 2002	**294.16**	**71000**	**14.11**	**24.38**
अप्रैल 2003 – मार्च 2004	**577.97**	**98000**	**15.51**	**26.78**
अप्रैल 2005 – मार्च 2006	**780.07**	**55000**	**16.81**	**29.40**
अप्रैल 2007 – मार्च 2008	**1004.41**	**36000**	**17.58**	**30.76**
अप्रैल 2009 – मार्च 2010	**1199.94**	**17400**	**17.89**	**31.12**
अप्रैल 2010 – मार्च 2011	**1761.82**	**20000**	**18.09**	**31.83**
अप्रैल 2011 – मार्च 2012	**1658.64**	**35000**	**18.44**	**33.15**
अप्रैल 2012 – मार्च 2013	**2463.71**	**34000**	**18.78**	**33.77**

योजनाएं एवं सिंचित क्षेत्र

- महानदी पर औद्योगिक प्रयोजन हेतु रू.1340.85 करोड़ की लागत के 6 बैराज निर्माणाधीन हैं। इन बैराजों के निर्माण से 24 उद्योगों को जल प्रदाय किया जायेगा, जिससे 28924 मेगावॉट बिजली का उत्पादन होगा।
- महानदी जलाशय परियोजना की निर्धारित सिंचाई क्षमता 264311 हे. (खरीफ) हैं। वर्ष 2012–13 में 224495 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसल के लिए लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराया गया है।
- कोडार जलाशय परियोजना के अंतर्गत निर्धारित सिंचाई क्षमता 16754 हे. हैं। वर्ष 2012–13 में 16274 हे. क्षेत्र में खरीफ की सिंचाई की गई है।
- जोंक परियोजना के अंतर्गत निर्धारित सिंचाई क्षमता 12870 हे. है जिसके विरूद्ध वर्ष 2012–13 में 8100 हे. क्षेत्र में खरीफ फसल के लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराया गया है।
- तान्दुला जलाशय परियोजना से वर्ष 2012–13 में 89015 हे. क्षेत्र में खरीफ फसल के लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराया गया।
- वर्ष 2012–2013 में वृहद, मध्यम एवं लघु परियोजनाओं से 13.26 लाख हे. क्षेत्र में खरीफ फसलों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए जिसके विरूद्ध 11.29 लाख हे. सिंचाई के साथ औद्योगिक संयत्रों के लिए 2757.28 मिलियन घन मीटर जल प्रदाय का आबंटन किया गया तथा प्रदेश के 08 नगरों को पेयजल आपूर्ति हेतु 315.70 मिलियन घन मीटर प्रतिवर्ष प्रदाय किया जा रहा है।
- बहुउद्देशीय पूहद परियोजना, हसदेव बांगो जिसकी निर्मित सिंचाई क्षमता मार्च 2013 तक 247400 हे. खरीफ एवं 173180 हेक्टेयर रबी कुल 420580 हेक्टेयर है, जिसके विरूद्ध खरीफ सिंचाई हेतु वर्ष 12–13 में 221605 हे. क्षेत्र में जल उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त इस परियोजना से एन.टी.पी.सी., छ.ग. रा.वि.मं. उत्पादन कंपनी, बाल्को, एस.ई.सी.एल., बी.पी.सी.एल. आदि उद्योगों तथा कोरबा नगर को जल प्रदाय किया जा रहा है।
- छ.ग. सिंचाई विकास परियोजना के अन्तर्गत एशियन डेव्हलपमेंट बैंक से 130.16 करोड़ रू. की लागत से 23 मध्यम एवं 121 लघु सिंचाई परियोजनाओं का पुनरूद्धार एवं उन्नयन का कार्य पूर्ण कर लिया गया।

7.10.4 नवीन प्रशासकीय स्वीकृत की योजनाएं :–

7.10.5 एनीकेट निर्माण कार्य योजना :– जल की बढती कमी को ध्यान में रखते हुए नदी नालों पर एनीकेट/स्टाप डेम का निर्माण प्रस्तावित है इससे पेयजल, सिंचाई, उद्योगों के उपयोग हेतु पानी की उपलब्धता, पशुओं के लिए पीने का पानी निस्तार की आवश्यकता, भू–जल संवर्धन एवं भू–संरक्षण में सहायता होगी। वर्तमान में **595** एनीकेट के निर्माण हेतु कार्य योजना स्वीकृत है जिसकी अनुमानित लागत रू. **2591.01** जिसके अंतर्गत **191** एनीकेट का कार्य पूर्ण हो चुका है जिसकी लागत रू. **509.25** करोड़ है। तथा **116** एनीकेट का कार्य चल रहा है, जिसकी लागत रू. **981.49** करोड़ है।

सारणी 7.10.2 नवीन प्रशासकीय योजना

प्रकार	संख्या	लागत (करोड़ रू.)	सिंचाई क्षमता हे.
सिंचाई योजनाएँ	**51**	**355.01**	**22930**
एनीकट/स्टॉपडेम	**152**	**632.33**	**25670**
योग	**203**	**987.34**	**48600**

सारणी क्र. 7.10.3 एनीकेट निर्माण कार्य योजना प्रगति

परियोजना	सृजित सिंचाई क्षमता	2012–13 में वास्तविक सिंचाई
वृहद परियोजना	**10.13**	**7.86**
मध्यम परियोजना	**1.95**	**1.40**
लघु परियोजना	**6.70**	**3.19**
योग	**18.78**	**12.45**

7.11 निर्माणाधीन योजनाएं

7.11.1. सूखा नाला बैराज :– यह मध्यम परियोजना राजनांदगॉव जिले के डोंगरगॉव तहसील के ग्राम बह्मनीकनेरी के पास सूखानाला में प्रस्तावित है। इसकी अद्यतन लागत रू. **91.54** करोड़ है। इसकी रूपांकित सिंचाई क्षमता **6270** हेक्टेयर है। इस परियोजना का शीर्ष कार्य **100** प्रतिशत तथा नहर कार्य **95** प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।

7.11.2. घुमरिया नाला बैराज परियोजना :– घुमरिया नाला बैराज परियोजना राजनांदगॉव जिले के छुरिया तहसील के ग्राम जोशीनमती के समीप घुमरियानाला पर निर्माणाधीन है। योजना की लागत रू. **47.79** करोड एवं रूपांकित सिंचाई क्षमता **3200** हेक्टेयर है। इस परियोजना का शीर्ष कार्य **80** प्रतिशत तथा नहर कार्य **80** प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।

7.11.3. कर्रानाला बैराज परियोजना :– यह परियोजना कबीरधाम जिले के सहसपुर–लोहारा विकासखण्ड मुख्यालय से **20** कि.मी. की दूरी पर स्थित है। योजना की वर्तमान लागत रू. **9919.13** लाख है। योजना का शीर्ष कार्य **100%** तथा नहर कार्य **100** प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। इससे 4100 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्मित सिंचाई क्षमता सृजित की जा चुकी है।

7.12 आयाकट विकास

महानदी आयाकट विकास प्राधिकरण का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल **10.19** लाख हेक्टेयर एवं कृषि योग्य भूमि **7.32** लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। यह समूचा क्षेत्र रायपुर जिले के **12** विकासखण्डों के **1172** ग्राम, दुर्ग जिले के **9** विकासखण्डों के **629** ग्राम, धमतरी जिले के **4** विकासखण्डों के **315** ग्राम तथा महासमुन्द जिले के **1** विकासखण्ड के **48** ग्रामों का क्षेत्र है।

सारणी क्र 7.11 परियोजनावार सिंचाई क्षमता का उपयोग वर्ष 2011–12 एवं 2012–2013 (हेक्टेयर में)							
क्र	परियोजना का नाम	भौगोलिक क्षेत्रफल	कृषि योग्य भूमि सी.सी.ए.	रूपांकित सिंचाई क्षमता	सृजित सिंचाई क्षमता	वास्तविक सिंचाई क्षमता	
						2011-12	2012-13
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	महानदी परियोजना (सोढूर सहित)	**611668**	**386703**	**276571**	**279199**	**226864**	**235079**
2.	पैरी परियोजना	**62631**	**40489**	**39741**	**39741**	**37006**	**36977**
3.	कोडार परियोजना	**27777**	**21740**	**16754**	**16754**	**16218**	**16274**
4.	जोंक परियोजना	**23523**	**21281**	**12870**	**12870**	**8100**	**8100**
5.	बलार परियोजना	**16741**	**8152**	**5567**	**8199**	**5966**	**6050**
6.	तांदुला परियोजना	**269164**	**246340**	**101977**	**103705**	**89011**	**89015**
7.	खपरी परियोजना	**8299**	**6850**	**4599**	**4251**	**4599**	**418**

7.12.1– फील्ड चैनल का निर्माण:– वर्ष **2012–13** में फील्ड चैनल निर्माण के लिए **2150.00** लाख रू. का आबंटन उपलब्ध कराया गया, जिसके विरूद्ध **1943.85** लाख रू. व्यय किए गए तथा **23705** हेक्टेयर क्षेत्र में फील्ड चैनल का निर्माण कराया गया। वर्ष **2013–14** में **3000** लाख रू. बजट आबंटन में से सितंबर 2013 तक **868.95** लाख व्यय कर 20833 हेक्टेयर क्षेत्र में भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध **5907** हेक्टेयर क्षेत्र में निर्माण कार्य कराया जा चुका है। वर्ष **2012–13** में कुल **5446** स्ट्रक्चर्स भी लगाए जाने से मार्च **2013** तक स्ट्रक्चर्स की कुल संख्या **77097** तक पहुँच गई है। वर्ष **2012–2013** में कुल **198851** मीटर में लाइनिंग किया गया। अब तक कुल **1104910** मीटर की लाइनिंग की जा चुकी है।

7.12.2– कृषकों का भ्रमण एवं प्रशिक्षण :– वर्ष **2012–13** में विकासशील कृषकों के भ्रमण प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत **9.84** लाख रूपये व्यय कर **1506** कृषकों को भ्रमण प्रशिक्षण पर ले जाया गया। वर्ष **2013-14** में **10.82** लाख रू. बजट प्रावधान कर **2164** कृषकों को भ्रमण प्रशिक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

7.12.3– सहभागिता सिंचाई जल प्रबंधन :– वर्ष **2012–13** में **19444** हेक्टेयर क्षेत्र के लिए **175.00** लाख रू. का आबंटन तथा लक्ष्य के विरूद्ध तक **6004** हेक्टेयर क्षेत्र के लिए **54.04** लाख रू. का अनुदान संस्थाओं को प्रदान किया गया है। वर्ष **2013-14** में **192.50** लाख रू. आबंटन से माह सितंबर **2013,** तक **42.8** हेक्टेयर में कार्य के लिए **37.96** लाख रू. अनुदान संस्थाओं को प्रदान किया गया है।

7.13. मिनीमाता (हसदेव) बागों परियोजना :– छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख नदी महानदी की मुख्य सहायक, हसदेव नदी पर बांगो ग्राम के पास प्रमुख बांध एवं इसके 42 कि.मी. नीचे कोरबा स्थित बैराज के कार्य पूर्ण किए जा चुके है। एवं नहर प्रणालियों का कार्य पूर्ण हो चुका है।

मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना एक बहुउद्देशीय वृहद सिंचाई परियोजना है। वर्तमान में बांध का शत्–प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। परियोजना के समस्त निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कोरबा, जांजगीर–चांपा एवं रायगढ़ जिले के लगभग **801** ग्राम सिंचाई सुविधा से लाभान्वित होंगे। परियोजना की पुनरीक्षित रूपांकित सिंचाई क्षमता **247400** हेक्टेयर के विरूद्ध **170** प्रतिशत सिंचाई तीव्रता से **420580** हेक्टेयर है।

वर्ष **2012–13** में हसदेब बांगो परियोजना से **247400** हेक्टेयर में खरीफ सिंचाई का लक्ष्य रखा गया था जिसके विरूद्ध खरीफ सिंचाई अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार **221260** हेक्टेयर में खरीफ सिंचाई की जा चुकी है। इस वर्ष परियोजना के दायीं तट नहर के क्षेत्र में **37200** हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसल (ग्रीष्मकालीन धान) हेतु जल प्रदाय किया जा रहा है।

वर्ष **2013–14** में हसदेब बांगो परियोजना से **247400** हेक्टेयर में खरीफ सिंचाई का लक्ष्य रखा गया था जिसके विरूद्ध खरीफ सिंचाई अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार **222500** हेक्टेयर में खरीफ सिंचाई की जा चुकी है। इस वर्ष परियोजना के दायीं तट नहर के क्षेत्र में **47500** हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसल (ग्रीष्मकालीन धान) हेतु जल प्रदाय किया जा सकेगा।

बहुद्देश्यीय परियोजना द्वारा बांध के नीचे स्थित विद्युत गृहों से **40** मेगावाट की **3** यूनिट द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। परियोजना से एन.टी.पी.सी., छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, एस.ई.सी.एल तथा बी.पी.सी. एल. आदि उद्योगों के साथ–साथ कोरबा नगर निगम को जल प्रदाय किया जा रहा है।

7.14 केलो परियोजना :– केलो परियोजना रायगढ़ शहर से **8** कि.मी. दूर पर रायगढ़ – अम्बिकापुर राजमार्ग पर ग्राम दनौट में केलो नदी पर प्रस्तावित है। इस बॉध के निर्माण से रायगढ़ एवं जॉजगीर–चॉपा जिले के (रायगढ़, खरसिया, सरिया एवं चंद्रपुर विधान सभा क्षेत्र) के **175** ग्रामों की **24396** हेक्टेयर भूमि में से **22810** हेक्टेयर खरीफ की सिंचाई सुविधा के साथ–साथ रायगढ़ शहर पेयजल **4.44** मि.घ.मी. तथा परियोजना के पास स्थापित उद्योग हेतु **4.44** मि.घ.मी. जल प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना की अनुमानित लागत रू. **598.91** करोड़ है। परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे दिनॉक **31-06-2014** तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

केलो परियोजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता **22810** हेक्टेयर है, जिसके विरूद्ध योजना में वर्ष **2011–12** तक कोई सिंचाई क्षमता निर्मित नहीं की गई है। वर्ष **2012–13** में **7969** हेक्टेयर तथा शेष **14841** हेक्टेयर वर्ष **2013–14** तक निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। केलो परियोजना शीर्ष एवं नहर कार्यों की भौतिक प्रगति क्रमशः **99%** एवं **58%** माह सितंबर **2013** तक प्राप्त की जा चुकी है। परियोजना की लागत रू. **598.91** करोड़ है, जिसके विरूद्ध सितंबर **2013** तक कुल राशि रू. **5.09** करोड़ व्यय की जा चुकी है।

पशुधन

7.10 छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकांश ग्रामीण परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। **15** अक्टूबर, **2007** पशु संगणना के अनुसार प्रदेश में **1.44** करोड़ पशुधन तथा **1.42** करोड़ कुक्कुट एवं बतख पक्षी है। देशी नस्ल के पशुओं की दुग्ध उत्पादन की क्षमता में वृद्धि की दृष्टि से पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्नत नस्ल के सांडों के वीर्य से कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान को बढ़ावा दिया जा रहा है।

7.10.1 गौवंशीय एवं भैंसवंशीय पशु विकासः— पशु संगणना **2007** के अनुसार गौवंशी एवं भैंसवंशी प्रजनन योग्य पशुओं की संख्या **33.62** लाख है। राज्य में वर्ष **2012-2013** की अवधि में पशुओं में उन्नत प्रजनन सुविधा हेतु **22** कृत्रिम गर्भाधन केन्द्र, **252** हिमीकृत वीर्य कृत्रिम गर्भाधान इकाईयॉं, **267** पशु चिकित्सालय, **792** पशु औषधालय, **10** मु. ग्रा. खण्ड, **100** मु. ग्रा. खण्ड इकाई कार्यरत हैं। उपरोक्त संस्थाओं द्वारा वर्ष **2012-13** में **4.77** लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान एवं **0.37** हजार पशुओं को प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आलोच्य अवधि में कृत्रिम गर्भाधान से **1.28** लाख वत्सोत्पादन एवं प्राकृतिक गर्भाधान से **0.21** लाख वत्सोत्पादन हुआ। तथा **23.50** लाख पशुओं का उपचार, **25.92** लाख पशुओं को औषधि प्रदाय, **2.98** लाख पशुओं में बधियाकरण एवं **263.99** लाख पशुओं में टीकाकरण का कार्य किया गया है।

वर्ष **2013-14** में माह सितम्बर **2013** तक **1.56** लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान एवं **0.17** लाख पशुओं में प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध करायी गई। जिससे **0.48** लाख कृत्रिम गर्भाधान से वत्सोत्पादन एवं **0.08** लाख प्राकृतिक वत्सोत्पादन हुआ है। तथा **8.87** लाख पशुओं का उपचार, **10.37** लाख पशुओं को औषधी प्रदाय, **0.78** पशुओं में बधियाकरण एवं **126.97** लाख पशुओं में टीकाकरण का कार्य किया गया है।

7.10.2 बकरी विकास : प्रदेश में वर्ष **2007** की पशु संगणना के अनुसार **27.68** लाख बकरे—बकरियॉं हैं, प्रदेश में कार्यरत प्रक्षेत्रों के अन्तर्गत अधिक उत्पादन वाली नस्लों का प्रजनन किया जाता है। प्रदेश में बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए दो नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना सरोरा जिला रायपुर तथा रामपुर (ठाठापुर) जिला कबीरधाम में की गई है।

7.10.3 सूकर विकास : वर्ष **2007** की पशु संगणना के अनुसार राज्य में **4.13** लाख़ सूकर हैं। सूकर नस्ल सुधार हेतु सूकर पालको को वर्ष **2012-13** में अनुदान पर सूकरत्रयी (**2** मादा तथा **1** नर सूकर) हेतु वितरण राशि रू. **80.00** लाख आबंटन अंतर्गत लक्षित 888 सूकरत्रयी के विरूद्ध राशि रू. **64.144** लाख व्यय कर **476** सूकरत्रयी प्रदाय किया गया, एवं अनुदान पर नर सूकर इकाई वितरण हेतु राशि रू. **22.95** लाख आबंटन अंतर्गत लक्षित 655 नर सूकर के विरूद्ध राशि रू. 20.10 लाख व्यय कर 476 नर सूकर अनुदान प्रदाय कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष **2013-14** में सूकरत्रयी वितरण हेतु राशि रू. **88.00** लाख आवंटन के विरूद्ध **977** सूकरत्रयी एवं नर सूकर हेतु राशि रू. **23.50** लाख के विरूद्ध **671** नर सूकर वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में सकालो, जिला अम्बिकापुर एवं परचनपाल जिला जगदलपुर में सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र संचालित हैं। जिसमें लार्जव्हाइटयार्कशायर, रशियन चरमुखा नस्ल के सूकरों का प्रजनन किया जा रहा है। एक नवीन सूकर पालन प्रक्षेत्र कुनकुरी जिला जशपुर में स्थापना प्रगति पर है।

7.10.4 शत—प्रतिशत अनुदान पर सांडो का प्रदाय :— प्रदेश में वर्ष **2006-07** से पशु नस्ल के उन्नयन हेतु ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहॉं कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां पर ग्राम पंचायतो के माध्यम से उन्नत प्रगतिशील

किसान/गौसेवक को शत–प्रतिशत अनुदान पर सांडो का प्रदाय करने की योजना प्रारंभ की गई है। योजना प्रारंभ से सितंबर **2013** तक कुल **4712** सांड़ विभिन्न ग्राम पंचायतों में प्रदाय किए गए हैं। वर्ष **2012-13** में रू. **46.707** लाख के परिव्यय से **107** सांड़ों का वितरण किया गया है। वर्ष **2013-14** में सितंबर 2013 तक राशि रू. **19.797** लाख व्यय कर **101** साड़ों का वितरण किया गया है। शेष सांड़ों का वितरण कार्य प्रगति पर है।

7.10.5 कुक्कुट विकास : प्रदेश में पशु संगणना **2007** के अनुसार प्रदेश में **142.46** लाख कुक्कुट एवं बतख पक्षी है। प्रदेश में **7** कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र एवं **2** बतख पालन प्रक्षेत्र स्थापित है। इन प्रक्षेत्रों पर उत्पादित रंगीन चूजों का वितरण बैकयार्ड कुक्कुट ईकाई वितरण योजनांतर्गत, आहार एवं औषधि सहित घर पहुॅचा कर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के हितग्राहियों को प्रदाय किया जाता है। वर्ष **2012-13** में राशि रू. **179.98** लाख व्यय कर **6390** हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष **2013-14** हेतु माह सितंबर **2013** तक राशि रू. **68.644** लाख व्यय कर **2483** हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

7.10.6 केन्द्रीय योजना (एस्काड) : केन्द्र प्रवर्तित योजना एस्काड योजनांतर्गत प्रतिबंधात्मक टीकाकरण पशुरोग अनुसंधान एवं प्रयोगशालाओं का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण प्रचार–प्रसार आदि कार्य किया जाता है। वर्ष **2012-13** में रू. **846.35** लाख की कार्ययोजना स्वीकृत थी जिसके विरूद्ध राशि रू. **500.00** लाख प्राप्त हुई थी। वर्ष **2013-14** में स्वीकृत योजना राशि रू. **984.64** लाख के विरूद्ध प्रथम किस्त में राशि रू. **158.14** लाख प्राप्त हुई है।

बॉक्स क 7.2

शासन द्वारा पशुपालन हेतु आबंटित राशि

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 में 2930ण्90 लाख रू. की कार्ययोजना स्वीकृत हुई थी जिसके विरूद्ध राशि रू. 2911.62 लाख व्यय की गई।
- ष्0 राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2013–14 में राशि रू. 1286.19 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत हुई है, जिसके अंतर्गत रू. 387.07 लाख का बंटन प्राप्त हुआ है।
- दूरस्थ अंचलों में पशु चिकित्सा सेवायें हेतु स्वर्णिम रोजगार योजनान्तर्गत अब तक 5663 बेरोजगारों को गौ सेवक प्रशिक्षण दिया गया है।
- राष्ट्रीय कृषि आयोग की अनुशंसा अनुसार प्रशिक्षित गौ सेवकों, स्थानीय बेरोजगार को एक माह का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक तथा 3 माह का क्षेत्रीय प्रशिक्षण देकर कृत्रिम गर्भाधान कराया जा रहा है। वर्ष 2013–14 में कुल 175 प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

7.10.7 छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण :– छत्तीसगढ़ राज्य में पशु संवर्धन की राष्ट्रीय गौवंशीय–भैंसवंशीय पशु प्रजनन परियोजना के संचालन एवं नियंत्रण हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना जून **2001** में की गई है। परियोजनांतर्गत मुख्य उपलब्धियॉ निम्नानुसार हैं :–

1. पशुसंवर्धन कार्य हेतु आवश्यक हिमीकृत वीर्य का उत्पादन राज्य में सुनिश्चित करने के लिए फ्रोजन सीमन बुल स्टेशन की स्थापना।
2. घर पहुॅच सेवा सुनिश्चित करने हेतु **709** अचल कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों का चल कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों में परिवर्तन।

3. कृत्रिम गर्भाधान पहुँच विहीन गॉवों में गर्भाधान व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु उन्नत किस्मों के साड़ों का प्रदाय।

4. कृत्रिम गर्भाधान कार्य हेतु आवश्यक तरल नत्रजन प्रदाय एवं भण्डारण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।

5. गुणवत्ता परीक्षण उपरान्त हिमीकृत वीर्य प्रदाय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वीर्य संग्रहालयों का सुदृढ़ीकरण।

6. पशु नस्ल आवश्यक सुधार हेतु आवश्यक सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए चरवाहों को प्रशिक्षण।

7. **996** प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण व सामग्री प्रदाय एवं ए.आई क्षेत्र विस्तार तथा स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रदाय किया गया है।

8. प्रशिक्षण केन्द्र महासमुन्द व जगदलपुर में प्रशिक्षण सुविधा हेतु आवश्यक अधोसंरचना विकास।

9. मानव संसाधन विकास हेतु विभागीय व गैरविभागीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को राज्य व राज्य के बाहर प्रशिक्षण।

राष्ट्रीय गौवंशीय/भैंसवंशीय परियोजना का राज्य में संचालित होने से कृत्रिम गर्भाधान कार्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। फलस्वरूप प्रतिवर्ष संकर/उन्नत नस्ल की दुधारू गायों की संख्या में वृद्धि हो रही है, परिणाम स्वरूप राज्य में दुग्धउत्पादन में वृद्धि हो रही है।

7.10.8 पशु उत्पाद उपलब्धता :– वर्ष **2012–13** के दौरान राज्य के **18** जिलों में केन्द्रीय प्रवर्तित न्यादर्श सर्वेक्षण अन्तर्गत **270** ग्रामों का चयन कर दूध, अण्डा, ऊन एवं मांस के उत्पादन विषयक अनुमान किया गया जिसके अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन **131** ग्राम दूध, प्रतिवर्ष **56** अण्डे प्रतिव्यक्ति तथा वार्षिक मांस की उपलब्धता 1.398 किलोग्राम होना पाया गया है।

चिकित्सालय	संख्या
पशु चिकित्सालय	**265**
पशु औषधालय	**792**
चल चिकित्सालय	**16**
माता महामारी उन्मूलन योजना	**5**
पशु जॉच चौकियॉ	**7**
रोग अनुसंधान प्रयोगशाला	**18**
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	**22**
कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र	**252**
एम्बुलेट्री क्लीनिक	**10**
मोटर सायकल यूनिट	**20**
मुख्य ग्राम खण्ड	**10**
मुख्य ग्राम खण्ड इकाई	**100**

मत्स्य विकास

7.11 राज्य में उपलब्ध जल संसाधन मत्स्य पालन की दृष्टि से एक विशिष्ट स्थान रखता है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल **1.57** लाख हे. जलक्षेत्र उपलब्ध है। जिसमें से **1.48** लाख हे. जलक्षेत्र मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है। जो कुल जलक्षेत्र का **94.00** प्रतिशत है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर करने का सशक्त एवं रोजगारन्मुखी साधन है। कम लागत, कम समय में सहायक धंधे के रुप में ग्रामीण अंचलों में अत्यंत लोकप्रिय है।

7.11.1. मत्स्य बीज उत्पादन :– वर्ष **2011-12** में समस्त स्त्रोतों से **9096.00** लाख स्टेंडर्ड फ्राई (मत्स्य बीज) तथा वर्ष **2012-13** में **10437.00** लाख स्टेंडर्ड फ्राई (मत्स्य बीज) का उत्पादन हुआ जो गत वर्ष की तुलना में **14.7** प्रतिशत अधिक है। वर्ष **2013-14** में माह सितम्बर **2013** तक **9394.00** लाख स्टेंडर्ड फ्राई (मत्स्य बीज) का उत्पादन किया गया।

7.11.2. मत्स्योत्पादन :– वर्ष 2011-12 में राज्य में समस्त स्त्रोतों से 250695 मीट्रिक टन तथा वर्ष 2012-13 में 255611.00 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया गया, जो कि गत वर्ष की तुलना में 2.00 प्रतिशत अधिक है। आलोच्य वर्ष 2013-14 में माह सितम्बर **2013 तक 150769.40 मीट्रिक टन का मत्स्योत्पादन किया गया है।**

7.11.3. मछुआ सहकारिता :– राज्य में वर्ष **2013-14** में माह सितम्बर **13** तक समितियों की संख्या **1200** है। जिनकी सदस्य संख्या **39255** है। इन समितियों को **10** वर्ष की अवधि के लिए तालाब/सिंचाई जलाशय पट्टे पर दिये जाने का प्रावधान है।

7.11.4. मछुआरों का शिक्षण प्रशिक्षण :– सभी वर्ग के प्रगतिशील मत्स्य कृषकों को मत्स्यपालन के साथ मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु तकनीकी पद्धति एवं मछली पकड़ने एवं जाल बुनने सुधारने, नाव चलाने का **10** दवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसमें प्रशिक्षण के दौरान आने जाने का किराया एवं प्रशिक्षण वृत्ति रू. **750,** जाल बुनने एवं धागा के लिए रू. **400** तथा अन्य व्यय हेतु रू. **100** इस प्रकार प्रति प्रशिक्षणार्थी कुल व्यय रू. **1250** का प्रावधान है। वर्ष **2012-13** में इस कार्यक्रम के अंतर्गत **4629** कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया।

बॉक्स क 6.1

योजना, बीमा व आवास सुविधा

- मत्स्य पालकों को, दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत, दुर्घटना की स्थिति में बीमित हितग्राहियों को अस्थाई अपंगता पर रू. 50000 तथा स्थाई अपंगता या मृत्यु होने पर 100000 रू. की सहायता दी जाती है। वर्ष 2012.13 में 159997 मछुआरों का बीमा कराया गया इस कार्य में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहा।
- वर्ष 2012.13 तक मछुआरों के लिए 336 आवास सुविधा का निर्माण किया गया है। योजनान्तर्गत केन्द्र एवं राज्य 50रू50 के अनुपात में व्यय भार वहन किया गया। वर्ष 2013.14 में 200 आवास हेतु रू. 400 लाख प्रावधानित है।
- मत्स्य कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वर्ष 2013.14 में माह सितंबर 2013 तक 74ण्00 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया।

7.11.5. मत्स्य पालन प्रसार :–योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के मछुआरों को झींगा बीज क्रय करने तथा खाद्य एवं खाद्य पदार्थ हेतु तीन वर्षो में अधिकतम **15000** रू. का प्रावधान है। वर्ष **2012-13** में **550** इकाईयॉ स्थापित की गई है जिसमें **2.89** लाख झींगा बीज संचयन कर **5254** किलोग्राम उत्पादन प्राप्त किया गया है।

7.11.6. **अल्पअवधि बचत–सह–राहत योजनाः**– बंद ऋतु में मत्स्याखेट पर प्रतिबंध के कारण रोजगार से वंचित मछुआरों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु योजना क्रियान्वयन की गई है। योजना क्रियान्वयन का **50** प्रतिशत राज्य शासन एवं **50** प्रतिशत केन्द्र शासन द्वारा वहन किया जाता है। योजनान्तर्गत मछुआरों द्वारा अंशदान से रू. **600** तथा शासन द्वारा अंशदान रू. **1200** इस प्रकार कुल रू. **1800** हितग्राही के नाम से बैंक में जमा किए जाते हैं। जिससे बंद ऋतु के **3** माह में **600** रूपये मासिक आर्थिक सहायता के रूप में हितग्राहियों को दिए जाते है। वर्ष **2012-13** में **6000** मछुआरों को उक्त योजनाओं से लाभान्वित किया जावेगा। वर्ष 2013–14 हेतु 8000 मछआरों का लक्ष्य है।

7.11.7. मत्स्यकीय क्षेत्र के लिए डाटाबेस एवं सूचना नेटवर्किंग :– केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत अनुदान से उक्त योजना वर्ष **2004-05** से प्रारम्भ की गई है। योजनांतर्गत वर्ष **2013-14** में **17.13** लाख रू. का आबंटन प्राप्त हुआ है। वर्तमान में प्रदेश के 08 चयनित जिलों बिलासपुर, सरगुजा, कांकेर, बस्तर, रायगढ़ एवं दुर्ग में ग्रामीण तालाबों में तथा सभी **27** जिलों में सिंचाई जलाशयों के जल क्षेत्र का सर्वेक्षण, मत्स्यपालन संबंधी आंकड़े एकत्रीकरण कर केन्द्र शासन को उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जिलों को संचालनालय के साथ नेटवर्किंग करने हेतु **18** जिलों में कम्प्यूटर प्रदान किए गए हैं।

सारणी 7.12 प्रमुख योजनाओं की वर्ष 2013–14 माह सितंबर 13 तक की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियॉ

क्र.	विवरण	इकाई	भौतिक		वित्तीय (लाख रू. में)	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1.	मत्स्यबीज उत्पादन					
	स्पान		**43750.00**	**43263.00**	**148.00**	**142.53**
	स्टेण्डर्ड फ्राई	लाख	**12115.00**	**9394.28**	**-**	**-**
2.	मत्स्यबीज संचयन	लाख	**9523.44**	**8120.72**	**-**	**-**
3.	मत्स्योत्पादन	मी. टन	**282697.26**	**15769.66**	**2546**	**20.42**
4.	विभागीय आय	लाख रू.	**6.71**	**101.08**	**-**	**-**
5.	त्रिस्तरीय पंचायतों से आय	लाख रू.	**-**	**87.02**	**-**	**-**
6.	प्रशिक्षण	संख्या	**5460**	**1605**	**31.27**	**29.21**
7.	रोजगार सृजन	ला. मा. दि.	**110.00**	**56.38**	**-**	**-**

केन्द्र प्रवर्तित योजना

क्र.	विवरण	इकाई	भौतिक		वित्तीय (लाख रू. में)	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मत्स्य कृषकों को आर्थिक सहायता					
	अ. ऋण	लाख रू.	**493.00**	**47.19**	-	-
	ब. अनुदान	लाख रू.	**203**	**15.24**	-	-
2	स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण	संख्या	-	**113**	-	-
		हे.	-	**96.98**	-	-
3	मत्स्य जीवियों को दुर्घटना बीमा	संख्या	**170867**	**76809**	**11.14**	**11.11**

सहकारिता

राज्य में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकः— वर्ष, **2012-13** में बैंकों की संख्या 07 एवं इनकी कार्यरत शाखाओं की संख्या **225** है। वर्ष **2012—13** में बैंकों की अँशपूंजी **25113.29** लाख रू. हो गई इसमें राज्य शासन का अंशदान **1410.70** लाख रूपये रहा। वर्ष **2012-13** में बैंकों की अमानतें एवं कार्यशील पूँजी क्रमशः **460303.00** लाख रूपये एवं **468030.00** लाख रूपये हो गई। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा वर्ष **2012-13** में **250450.50** लाख रूपये के ऋण वितरित किये गये जिसमें **221690.50** लाख़ रूपये अल्पकालीन एवं **28760.00** लाख रू. मध्यकालीन ऋण के रूप में हैं। इसी अवधि में बैंक का कुल बकाया ऋण **148368.00** लाख रूपयों का रहा। वर्ष **2012—2013** में **06** जिला सहकारी बैंकों को **8900** लाख़ रूपये का लाभ हुआ है, एवं **01** बैक को हानि हुई है।

प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियॉ :— राज्य में वर्ष **2012—2013** में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या **1333** है, जो **2011—2012** के समान ही है। इन समितियों के सदस्यों की संख्या **2012—2013** में **16.10** लाख हो गई है। समिति के कुल सदस्यों में से **2.99** लाख अनुसूचित जाति, तथा **4.80** अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। प्राथमिक कृषि साख समितियों की अंशपूंजी वर्ष **2011—2012** में **14347.03** लाख रूपये थी। यह वर्ष **2012—2013** में बढ़कर **15553.00** लाख रूपये हो गई है। कृषि साख समितियों द्वारा वर्ष **2012—2013** में **105676.00** लाख रू. कुल ऋण वितरित किए गए जिसमें से **101714.00** लाख रूपये का अल्प ऋण वितरित किया गया एवं **3982.00** लाख रूपये मध्यकालीन ऋण के रूप में है।

तालिका – 7.1

भूमि उपयोग

(हेक्टेयर में)

क्र.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5
1	कुल भौगौलिक क्षेत्रफल	13789836	13789836	13789836
2	वनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल	6336495	6352407	6352413
3	**कृषि के लिये जो भूमि उपलब्ध नही है**			
	अ. गैर कृषि उपयोग में लाई गई भूमि	712753	725341	734443
	ब. ऊसर व गैर–मुस्तकिल भूमि	305999	292142	289748
	उप–योग – 3	**1018752**	**1017483**	**1024191**
4	**पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य अकृष्य भूमि**			
	अ. स्थायी तथा दीगर चरागाह	854833	863069	861064
	ब. विविध झाड़ों के झुण्ड तथा बाग जो बोये हुये क्षेत्र में शामिल नही हैं।	784	901	893
	स. कृषि योग्य बंजर भूमि	354889	351848	357856
	उप–योग – 4	**1210506**	**1215818**	**1219813**
5	**पडती भूमि**			
	अ. पड़त भूमि चालू पड़ती के अतिरिक्त	274630	257186	265167
	ब. चालू पड़ती भूमि	252911	269999	256783
	उप–योग – 5	**527541**	**527185**	**521950**
6	कुल अकृष्य भूमि पड़ती शामिल कर	1738047	1743003	**1741763**
	उप–योग 4+5			
7	**शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल**	4696542	4676943	**4671469**
8	एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल	975037	986733	1019386
9	सकल बोया गया क्षेत्रफल	5671579	5663676	5690855

स्त्रोतः–आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त,छ.ग.

तालिका –7.2

छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल तथा उसका वर्गीकरण कृषि वर्षान्त 30 जून, 2013

क्र.	जिला	कुल भौगौलिक क्षेत्रफल	वन	कृषि के लिये जो भूमि उपलब्ध नही है		अन्य अकृषि भूमि पड़ती को छोड़कर			पड़ती		फसल का नीरा क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	संपूर्ण फसलों का कुल क्षेत्रफल
				अ. ऊसर व गैर–मुस्तकल भूमि	ब. गैर कृषि उपयोग में लाई गई भूमि	कृषि के योग्य बंजर भूमि	मुतकील व दीगरचारा गाह	अन्य झाड़ों के झुण्ड तथा बाग जो बोये गये क्षेत्रफल में शामिल नहीं है	चालू पड़ती	पुरानी पड़ती (2 साल से 5 साल तक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	रायपुर	**291437**	2820	380	**44292**	**21534**	36237	96	5411	15176	165491	55860	**221351**
2	बलौदाबाजार	**467697**	133361	5674	**31275**	**12962**	32535	5	6521	12472	232892	47999	**280891**
3	गरियाबंद	**585494**	389053	3365	**22768**	**4202**	24831	21	2573	3278	135403	26093	**161496**
4	महासमुन्द	**496301**	140582	6497	**37055**	**5696**	29734	114	3348	5630	267645	34412	**302057**
5	धमतरी	**408193**	221228	1558	**29270**	**3081**	15838	17	618	1210	135373	83052	**218425**
6	दुर्ग	**231999**	0	4426	**35827**	**12143**	19126	136	4429	8889	147023	49483	**196506**
7	बालोद	**352700**	99762	4986	**31764**	**9713**	19802	61	3309	6493	176810	78960	**255770**
8	बेमेतरा	**285481**	40	11	**24896**	**5823**	23333	12	2457	4184	224725	117658	**342383**
9	राजनांदगांव	**802252**	258984	18847	**48644**	**20897**	55126	140	27029	23965	348620	93670	**442290**
10	कबीरधाम	**444705**	189437	9971	**17702**	**2673**	28529	52	5064	5513	185764	66400	**252164**
11	बस्तर	**405215**	85889	21695	**26022**	**40831**	27501	0	12683	10135	180459	5619	**186078**
12	कोंडागांव	**605073**	411706	16324	**10609**	**16795**	8623	23	5721	3715	131557	5932	**137489**
13	नारायणपुर	**692268**	638801	1651	**3231**	**6967**	3339	32	3337	2394	32516	450	**32966**
14	कांकेर	**643268**	279984	19183	**31456**	**20954**	50826	58	15756	14343	210708	17363	**228071**
15	दन्तेवाड़ा	**341050**	152526	26905	**10952**	**25747**	3989	0	9671	10030	101230	1589	**102819**
16	सुकमा	**563579**	350830	10307	**12681**	**50878**	24570	0	6849	11191	96273	1028	**97301**
17	बीजापुर	**655296**	496328	6420	**18965**	**41519**	8992	0	8957	8789	65326	109	**65435**
18	बिलासपुर	**581849**	218436	10390	**31248**	**16189**	47827	46	14866	11024	231823	57372	**289195**
19	मुंगेली	**275036**	113038	229	**11609**	**626**	17618	11	1445	2554	127906	80101	**208007**
20	जाजगीर	**446674**	89189	2349	**36051**	**10841**	37921	4	4991	7507	257821	58999	**316820**
21	कोरबा	**714544**	471509	30636	**29027**	**14542**	21718	28	7162	8862	131060	10140	**141200**
22	सरगुजा	**501980**	241157	5099	**25121**	**0**	44861	0	9868	16556	159318	23759	**183077**
23	बलरामपुर	**601634**	293840	1636	**30490**	**0**	86433	37	23692	13248	152258	25672	**177930**
24	सूरजपुर	**499826**	236082	1197	**28997**	**0**	53525	0	13575	10807	155643	22275	**177918**
25	कोरिया	**597770**	399845	12791	**23293**	**0**	32228	0	13854	12018	103741	11484	**115225**
26	रायगढ़	**652774**	207732	14403	**56171**	**5434**	64048	0	17210	18464	269312	30543	**299855**
27	जशपुर	**645741**	230254	52818	**25027**	**7809**	41954	0	26387	16720	244772	13364	**258136**
योग राज्य		**13789836**	**6352413**	**289748**	**734443**	**357856**	**861064**	**893**	**256783**	**265167**	**4671469**	**1019386**	**5690855**

स्त्रोतः–आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, छ.ग.

तालिका–7.3

जिलेवार फसलों का कुल तथा शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

क्र.	जिला	कुल			शुद्ध		
		2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	4	5	6	4	5	6
1	कोरिया	112026	115118	115225	101615	104096	103741
2	सरगुजा	535280	183450	183077	465818	159634	159318
3	बलरामपुर		181549	177930		155675	152258
4	सूरजपुर		176797	177918		155041	155643
5	जशपुर	258537	258334	258136	244256	244309	244772
6	रायगढ़	303215	300916	299855	272001	270172	269312
7	कोरबा	142136	141835	141200	131464	131068	131060
8	जांजगीर–चांपा	297384	315724	316820	259140	258113	257821
9	बिलासपुर	494325	294576	289195	362153	234232	231823
10	मुंगेली		207023	208007		127106	127906
11	कबीरधाम (कवर्धा)	247729	250459	252164	185952	186228	185764
12	राजनांदगांव	443497	443938	442290	349623	349669	348620
13	दुर्ग	786237	192214	196506	546961	146849	147023
14	बेमेतरा		339513	342383		224364	224725
15	बालौद		256446	255770		177307	176810
16	रायपुर	673501	210513	221351	538070	168671	165491
17	बलौदा बाजार		284396	280891		233862	232892
18	गरियाबंद		158976	161496		135343	135403
19	महासमुंद	299332	296499	302057	268040	267580	267645
20	धमतरी	208970	210571	218425	134604	134175	135373
21	उत्तर बस्तर (कांकेर)	228165	228282	228071	211135	211552	210708
22	बस्तर	326430	186165	186078	315657	180694	180459
23	कोंडागांव		137400	137489		131266	131557
24	नारायणपुर	48826	32860	32966	46783	32430	32516
25	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	200948	102108	102819	198416	100599	101230
26	सुकमा		97652	97301		96635	96273
27	बीजापुर	65041	60362	65435	64854	60273	65326
	छत्तीसगढ़	**5671579**	**5663676**	**5690855**	**4696542**	**4676943**	**4671469**

स्त्रोतः–आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त,छ.ग.

तालिका – 7.4

प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र

(हजार हेक्टेयर में)

क्र.	फसल	प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र								
		2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.0	**अनाज**									
1.1	धान	3843.8	3854.3	3905.3	3902.9	3928.8	3837.7	3937.8	3939.9	3982.2
1.2	गेहूँ	99.2	97.1	93.2	95	94.8	109.1	103.7	104.8	102.2
1.3	ज्वार	8.4	8.5	6	7.7	5.3	5.6	5.7	5.3	6.2
1.4	मक्का	97.9	101.6	100.1	100.1	99.3	101.7	104.9	107.4	116.8
1.5	कोदो–कुटकी	194.2	177.7	161.1	151.9	145.5	137.1	127.9	121.6	111.1
1.6	जौ	4	3.6	3.5	3.4	3.1	3.1	2.3	2.9	2.8
1.7	छोटे अनाज	56.8	50.4	49.1	64.6	54.3	44.3	39.2	37.7	34.5
2.0	**दालें**									
2.1	चना	233.3	242.7	231.4	243.5	237.5	263.9	250.5	260.2	267.9
2.2	तुअर	52.5	50.7	53.8	50.4	49.2	52.9	54.5	52.9	51.9
2.3	उड़द	119.5	117.6	114.5	114.9	110.8	107.2	107.1	102	98.7
2.4	मूग–मोठ	16.4	17.1	16.6	16.2	16.2	16.5	16.3	15.4	15.5
2.5	कुल्थी	55.4	53.9	52.8	53	51.6	51.1	50.9	48.7	47.6
2.6	लाख (तिवड़ा)	449.4	458.1	425.4	428.6	387.6	327.5	359.2	347.6	331.8
3.0	**गन्ना**	12.3	14.5	19.2	19.3	16	14.7	15.4	17.5	23
4.0	**तिलहन**									
4.1	मूँगफली	34.1	32.8	33.1	31.7	30.5	30.6	29.6	28.7	29.4
4.2	रामतिल	73.1	72.8	72.8	71.9	70.9	68.1	69.4	66.5	66.2
4.3	तिल	24.3	24.6	21.3	21.2	20	19.6	20.5	19.7	19.7
4.4	सोयाबीन	32.3	46.8	64.5	72.9	81.8	83.7	95.8	103.2	101.5
4.5	अलसी	71.1	70.8	64.6	55.9	47.6	44.8	37	35.3	32.2
4.6	राई सरसों	54.5	57.2	54.5	51.4	52	52.3	50.2	49.2	47

स्त्रोत–आयुक्त भू–अभिलेख, छत्तीसगढ़

तालिका – 7.5

प्रमुख फसलों का उत्पादन

(हजार मे.टन में)

क्र.	फसल	प्रमुख फसलों का उत्पादन								
		2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.0	**अनाज**									
1.1	धान	4586.8	5267.5	5441.5	5635	6021.8	6520.9	9956.6	9451.2	11772.6
1.2	गेहूँ	85.2	85.2	94	104.6	97.4	118.92	121.7	135.1	143.2
1.3	ज्वार	4.9	5.8	5.2	7.2	6.3	6.8	8.2	4.1	4.5
1.4	मक्का	140	109.6	123.5	157.1	139.9	145.36	190.5	177.8	225.1
1.5	कोदो–कुटकी	38.6	29.3	30	39.2	24.9	22.83	26	22.5	23.7
1.6	जौ	3.5	3	2.8	4	2.8	2.3	1.2	2.2	1.3
1.7	छोटे अनाज	12.5	13.1	6.9	16.8	9.5	9.3	8.9	10.5	9.7
2.0	**दालें**									
2.1	चना	119.7	172.2	193.5	212.4	190.3	230.18	239.6	260.7	304.9
2.2	तुअर	26.9	22.5	22.9	26.3	28.4	27.61	23.9	23.7	31
2.3	उड़द	32.6	33.9	34.5	35.1	32.4	29.2	30.6	30	31.4
2.4	मूँगमोठ	3.9	4.3	4.3	4.2	4	3.94	4.2	3.9	4.2
2.5	कुल्थी	16.4	17.6	16.6	16.9	16.1	14.13	14.6	14.4	14.3
2.6	लाख (तिवड़ा)	175.3	208.3	225.2	553	211	193.19	223.6	206.8	159.9
3.0	**गन्ना**	16.5	19	20.3	27.3	22	35.35	18.4	45.4	37.3
4.0	**तिलहन**									
4.1	मूँगफली	38.1	35.5	37.7	40	37.7	45.06	35.9	37.9	40.5
4.2	रामतिल	12.1	12.3	12.8	12.8	12.6	10.9	12	11.4	11.7
4.3	तिल	7.3	7.3	6.4	6.7	6.1	8.64	6.9	7.6	5.7
4.4	सोयाबीन	31	41.9	64.2	83.6	79.9	77.83	112.4	84.6	126.1
4.5	अलसी	16.3	17.5	16.2	17.1	13	13	9.8	13.6	13.4
4.6	राई सरसों	20.6	18.2	21.8	20.6	19.7	21.68	20.8	21.8	23.9

स्त्रोत–आयुक्त भू–अभिलेख, छत्तीसगढ़

तालिका – 7.6

प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन

(किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर)

वर्ष	चावल	गेहूँ	ज्वार	मक्का	चना	तुअर	सोयाबीन	कपास	गन्ना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1999-2000	1337	1205	844	1548	642	1086	832	249	3000
2000-2001	988	1022	665	1346	515	429	547	106	2601
2001-2002	1402	1024	965	745	714	374	810	121	2514
2002-2003	683	1106	740	1305	644	433	550	142	2484
2003-2004	1531	1066	1001	1370	964	603	882	336	2582
2004-2005	1232	889	667	1430	542	510	1017	284	2472
2005-2006	1367	876	682	1078	710	441	895	158	2310
2006-2007	1425	1044	873	1225	843	426	998	287	2546
2007-2008	1451	1098	1019	1562	872	522	1155	232	2485
2008-2009	1198	1027	1188	1404	801	583	977	298	2387
2009-2010	1179	1090	1214	1429	872	522	930	अनुपलब्ध	2405
2010-2011	1686	1174	1432	1817	957	439	1174	283	2448
2011-2012	1682	1278	768	654	995	432	753	240	2696
2012-2013	1970	1401	726	1927	1138	597	1242	141	1622

स्त्रोत : आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, छत्तीसगढ़

तालिका – 7.7

सिंचाई स्त्रोत अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र

(हेक्टेयर में)

क्र	वर्ष	नहरे	तालाब	कुएँ	नलकूप सहित अन्य साधन	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	1999–2000	802137	60085	40236	175981	1078439
2	2000–2001	677930	54663	39308	212261	984162
3	2001–2002	834737	54944	38955	222645	1151281
4	2002–2003	735061	55447	38871	243431	1072810
5	2003–2004	768759	49707	35611	236410	1090487
6	2004–2005	829987	58032	38952	281099	1208070
7	2005–2006	876039	52611	34724	284916	1248290
8	2006–2007	887577	52089	34853	307766	1282285
9	2007–2008	913825	55770	30666	333704	1333965
10	2008–2009	887059	51206	28275	372673	1339213
11	2009–2010	869701	50398	26790	375903	1322792
12	2010–2011	895112	45605	26092	388442	1355251
13	2011–2012	873089	53669	19686	468084	1414528
14	2012–2013	876670	49226	20413	502728	1449037

स्त्रोतः– आयुक्त भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, छत्तीसगढ़

तालिका–7.8

छत्तीसगढ़ राज्य में जिलेवार सिंचित क्षेत्रफल कृषि वर्षात 30 जून 2013

क्र	जिला	योग समस्त साधनों से सिंचित क्षेत्रफल		फसलों के निरा क्षेत्रफल से सिंचित निरा क्षेत्रफल का प्रतिशत	क्षेत्रफल जिसमें वर्ष में एक से अधिक बार सिंचाई की गई हो	संपूर्ण फसलों के क्षेत्रफल से सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत
		कुल	निरा			
1	2	3	4	5	6	7
1	रायपुर	159999	143799	87%	16200	72%
2	बलौदाबाजार	116002	109875	47%	6127	41%
3	गरियाबंद	56167	56053	41%	114	35%
4	महासमुन्द	108160	100083	37%	8077	36%
5	धमतरी	155926	110032	81%	45894	71%
6	दुर्ग	113949	93944	64%	20005	58%
7	बालोद	104241	89741	51%	14500	41%
8	बेमेतरा	126022	71626	32%	54396	37%
9	राजनांदगांव	100245	77145	22%	23100	23%
10	कबीरधाम	86726	56529	30%	30197	34%
11	बस्तर	5930	5930	3%	0	3%
12	कोंडागांव	4771	4771	4%	0	3%
13	नारायणपुर	171	171	1%	0	1%
14	कांकेर	28767	28767	14%	0	13%
15	दन्तेवाड़ा	138	138	0%	0	0%
16	सुकमा	1285	1285	1%	0	1%
17	बीजापुर	3086	3086	5%	0	5%
18	बिलासपुर	100446	100446	43%	0	35%
19	मुंगेली	68467	60987	48%	7480	33%
20	जाजगीर	240666	202182	78%	38484	76%
21	कोरबा	8466	8466	6%	0	6%
22	सरगुजा	16199	15090	9%	1109	9%
23	बलरामपुर	13697	12975	9%	722	8%
24	सूरजपुर	19019	17495	11%	1524	11%
25	कोरिया	9341	8357	8%	984	8%
26	रायगढ़	68246	61643	23%	6603	23%
27	जशपुर	9066	8459	3%	607	4%
योग राज्य		1725198	1449075	31%	276123	30%

स्त्रोतः– आयुक्त, भू अभिलेख

तालिका – 7.9

माहवार वर्षा (छ.ग. राज्य)

इकाई – मि.मी.

वर्ष	सामान्य वार्षिक वर्षा	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टुबर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
2000-01	1317.5	243.4	354.5	259.7	138.4	NA	996
2001-02	1317.5	326	551.4	343.7	100.6	NA	1327.7
2002-03	1317.5	198.2	138.4	374.1	226.8	32.9	970.4
2003-04	1317.5	143.5	398.5	470.5	412.9	149.4	1574.8
2004-05	1317.5	226.6	327.5	376.7	128.5	53.3	1112.5
2005-06	1317.5	223.8	400.8	256	245.9	72.2	1198.7
2006-07	1317.5	91.4	443.1	462.5	143	39.5	1160.5
2007-08	1325.3	277.6	299.1	352.6	191.3	106.7	1227.3
2008-09	1351.2	232.6	339.9	261.1	249.5	-	1083.1
2009-10	1351.2	60.8	454.6	271.2	109.9	50.8	947.3
2010-11	1373.3	104.2	458.1	1314.9	286.8	56.2	1220.2
2011-12	1307.3	176.6	270.1	364.7	391	3.9	1213.3
2012-13	1316.9	135	373.7	451.2	257.4	32.7	1250.025

स्त्रोतः– कृषि विभाग

08

वानिकी

8. वानिकी

8.1 भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 23.38 प्रतिशत भाग वनाच्छादित है जबकि छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्राफल कुल भौगोलिक क्षेत्र का 43.85 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र भारत में तीसरे स्थान पर है। राज्य में आरक्षित वन 25782 वर्ग कि.मी. (43.13 प्रतिशत) संरक्षित वन 24036 वर्ग कि.मी. (40.21 प्रतिशत) अवर्गीकृत वन 9954 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र है। राज्य के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु भारत शासन द्वारा 32 वनमंडलों के लिए कार्य आयोजना स्वीकृत है। राज्य के समस्त वन वनमंडल के वन क्षेत्रों का डिजीटाईजेशन कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कार्य आयोजना की अवधि 10 वर्ष की होती है। योजनावार विवरण निम्नानुसार है–

- **पथ वृक्षारोपण** योजनांतर्गत राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय, राज्य मार्गों, जिला मुख्य मार्गों तथा ग्रामीण मार्गों के किनारे वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया गया है। नवम्बर 2013 तक 152.37 लाख का व्यय किया जा चुका है।
- **वनमार्गो पर रपटा/पुलिया निर्माण** योजनांतर्गत वन क्षेत्रों से गुजरने वाले 13500 कि.मी. वनमार्गों पर रपटा/पुलिया निर्माण करना जिससे वनग्रामवासी के आवागमन तथा वनोपज निकासी में सुविधा हो सके।
- **पौधा प्रदाय** योजनांतर्गत जनता में वृक्षारोपण के प्रति अभिरूचि उत्पन्न कर वनेत्तर क्षेत्रों में हरियाली के प्रचार–प्रसार हेतु रियायती दर पर पौधे उपलब्ध कराने हेतु पौधा प्रदाय योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है जिसमें एक रूपये प्रति पौधा की दर से अधिकतम 1000 पौधे एक हितग्राही को दिए जाएंगे।
- **हरियाली प्रसार** योजनांतर्गत कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाली प्रसार योजनांतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा सामान्य श्रेणी के लघु कृषकों को उनकी पड़त भूमि में इच्छित प्रजाति के 250 से अधिकतम 1000 पौधे प्रति कृषक रोपित कर हस्तांतरित किए जाएंगे साथ ही साथ आगामी 2 वर्षों के लिए रखरखाव हेतु 1 रूपये प्रति पौधा की दर से अनुदान दिया जावेगा।
- **नदी तट वृक्षारोपण** योजनांतर्गत राज्य की जीवनदायनी नदियों के संरक्षण हेतु नदी तट वृक्षारोपण योजना चलाई जा रही है। इससे नदियों के तट पर होने वाले भू–क्षरण और इसे जनित समस्याओं का समाधान वृक्षारोपण से किया जाएगा।
- **बांस वनों का पुनरोद्धार** योजनांतर्गत बिगड़े बांस वनों में गुथे हुए बांस के भिर्रो की सफाई कराकर मिट्टी चढ़ाई का कार्य किया जाता है जिससे करील (कोपल) प्राप्त होते है एवं बांस वनों की उत्पादकता में वृद्विहोती है।
- **भू एवं जल संरक्षण** योजनांतर्गत भूगर्भीय जल स्तर में वृद्विकरने एवं वनस्पति विहीन क्षेत्रों में भू–संरक्षण एवं बाढ़ नियंत्रण हेतु यह योजना प्रारंभ की है।

सारणी 8.1 वानिकी योजनावार विवरण एवं प्रगति (वित्तीय उपलब्धि करोड में)					
योजना	वर्ष 2012–13		वर्ष 2013–14		
	वित्तीय उपलब्धि	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय प्रावधान	लक्ष्य	व्यय
पथ वृक्षारोपण योजना	6.20	वृक्षा रोपण 98 किमी रखरखाव 300 किमी	7.40	वृक्षा रोपण 75 किमी रखरखाव 300 किमी	1.52
बिगड़े वनों की सुधार योजनां	108.89	–	124.00	–	40. 60
वनमार्गो पर रपटा/पुलिया निर्माण योजना	21.00	416	–	–	4.32
पौधा प्रदाय योजना	1.12	33.67 लाख पौधे	2.00	30 लाख पौधा	0.3
हरियाली प्रसार योजना	. 4.41	42.22 लाख पौधा	4.8	42.77 लाख पौधों	1.60
नदी तट वृक्षारोपण योजना	6.44	तैयारी 510 हे. रोपण 298 हे.	7.75	तैयारी 500 हे रोपण 209 हे.	2.19
बांस वनों का पुनरोद्धार योजना	48.68	–	55.00	–	11. 76
भू एवं जल संरक्षण योजना	21.49	–	21.50	उपचार 60000 हे. भू/जल संरक्षण 75000 हे.	3.63

8.2 छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम :– छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मई, **2001** से अस्तित्व में आया तब तक रायपुर क्षेत्र में **4** परियोजना मण्डल अस्तित्व में थे। सितंबर, **2001** से औद्यौगिक परियोजना मंडल, बिलासपुर का गठन किया गया। औद्यौगिक वृक्षारोपण एवं सामान्य परियोजना मण्डल का मुख्य कार्य एस. ई.सी.एल., एन.टी.पी.सी. संस्थानों हेतु पर्यावरण सुधार के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर मिश्रित प्रजातियों का रोपण कार्य है। क्षेत्र हस्तांतरण के उपरान्त अक्टूबर **2003** में तीन नवीन परियोजना मण्डलों का गठन किया गया। इस प्रकार वर्तमान में **7** परियोजना मण्डल हैं वर्ष **2013-14** में **5018** हे. सकल क्षेत्र में सागौन, **382** हे. क्षेत्र में नीलगिरी रोपण का लक्ष्य है।

2013 की स्थिति में :–	
निगम का वन क्षेत्रफल (हे.मे)	197322.0
सागौन	102007.2
बांस	6748.7
मिश्रित	1418.7
औषधीय	317.0
योग	110491.6

8.2.1 उच्च तकनीक वृक्षारोपण :– वर्ष **1997** से परियोजनाओं में उच्च तकनीक के अंतर्गत सागौन के सिंचित रोपण किए गए हैं, जिसका परियोजनावार विवरण सारणी 8.2 में दर्शाया गया है। वर्षा ऋतु वर्ष **2014** में उच्च तकनीक रोपण हेतु **100** हेक्टेयर लक्ष्य निर्धारित है।

8.2.2 खदानी रोपण :– वर्ष **1990** से **2013** तक औद्यौगिक क्षेत्रों में **218.24** लाख पौधों का रोपण किया गया है। वर्षा ऋतु वर्ष **2014** में **2.50** लाख पौधों का रोपण लक्ष्य प्रस्तावित है।

सारणी 8.2 **उच्च तकनीक वृक्षारोपण का** परि. मण्डल वार **विवरण**								
परि. मण्डल का नाम		बार नवापारा	कोटा	पानाबरस	अंतागढ़	कवर्धा	सरगुजा	योग :
रोपित क्षेत्र (हे.में)	**2010**	**-**	**31**	**-**	**-**	**10**	**28**	**69**
	2011	**15**	**30**	**-**	**-**	**30**	**45**	**120**
	2012	**22**	**34**	**-**	**-**	**-**	**55**	**111**
	2013	**20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20**
	योग :	**57**	**75**	**-**	**-**	**40**	**128**	**320**

8.2.3 सड़क किनारे वृक्षारोपण :– माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पर्यावरण सुधार की दृष्टि से निगम द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान **604**.26 कि.मी. लम्बाई में पथ वृक्षारोपण किया गया है:– वर्ष **2013** में मात्र 20 कि.मी. में पथ वृक्षारोपण किया गया है।

सारणी 8.3 सड़क किनारे वृक्षारोपण उपलब्धि					
वर्ष	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	योग
रोपित मार्ग लंबाई (कि.मी.)	**65.6**	**135.5**	**102.5**	**20.0**	**624.3**
रोपित पौधों की संख्या	**129937**	**261226**	**205000**	**40000**	**1205192**

8.2.4 बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य : निगम को हस्तांतरित वन क्षेत्र में अधिकांश बांस वन बिगड़ी स्थिति में है। विगत् दो वर्षों में प्रगति निम्नानुसार है–

सारणी 8.4 बिगड़े बांस वनों के सुधार कार्य का विवरण (क्षेत्रफल हेक्टेयर में)						
वर्ष	बारनवापारा–रायपुर	अंतागढ़–भानुप्रतापपुर	पानाबरस–राजनांदगांव	कोटा–बिलासपुर	कवर्धा–कबीरधाम	योग
2011-12	298	174	100	200	75	847
2012-13	136	448	565	242	---	1391

8.2.5 वनौषधि रोपण : राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड नई दिल्ली द्वारा **"Central Sectors Scheme for Conservation and Development of Medicinal Plant"** के तहत औषधीय पौधों के **600** हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण एवं रोपणी की तैयारी की तीन वर्षीय योजना दिनांक 06.05.09 को स्वीकृत की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

सारणी 8.5 वनौषधि रोपण की प्रगति का विवरण						
क्र.	परियोजना मण्डल का नाम	प्रजाति	कुल लक्ष्य	वर्ष 2009.10 रोपण (हे)	वर्ष 2010.11 रोपण (हे.)	योग (हे.)
1	बारनवापारा, कोटा सरगुजा	सतावर	**150**	**-**	**51.00**	**51.00**
2	बारनवापारा, कवर्धा	कालमेघ	**200**	**100**	**100.00**	**200.00**
3	बारनवापारा, कवर्धा, पानाबरस, अंतागढ़, कोटा, सरगुजा	गिलोय	**100**	**5.50**	**35.00**	**40.50**
4	बारनवापारा, कवर्धा	सर्पगंधा	**50**	**-**	**3.90**	**3.90**
5	अंतागढ़, कोटा	बायबिडंग	**100**	**-**	**22.00**	**22.00**
योग			**600**	**105.50**	**211.90**	**317.40**

वन विकास निगम के परियोजना मण्डलों की विभिन्न रोपणियों में निम्नानुसार पौधे वर्ष 2014 वर्षा ऋतु में रोपण हेतु तैयार किए गए है–

सारणी 8.6 वर्षा ऋतु के रोपण का विवरण			
परियोजना मण्डल का नाम	**वर्षा ऋतु वर्ष 2014 के रोपण के लिए रोपणियों में उपलब्ध पौधे**		
	सागौन	**बॉस**	**कुल**
बारनवापारा–रायपुर	**2200**	**230**	**2430**
पानाबरस–राजनांदगांव	**1200**	**110**	**1310**
अंतागढ़–भानुप्रतापपुर	**750**	**150**	**900**
कवर्धा– कबीरधाम	**2208**	**-**	**2208**
कोटा–बिलासपुर	**3200**	**-**	**3200**
सरगुजा–अम्बिकापुर	**3273**	**-**	**3273**
योग	**12831**	**490**	**13321**

8.3 छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड :— शासन द्वारा राज्य में औषधीय पादपों के संरक्षण, संवर्धन, विनाश विहीन विदोहन, प्रसंस्करण तथा विपणन से संबंधित नीति बनाने एवं विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वयन स्थापित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड के अंतर्गत राज्य बजट एवं यू.एन.डी.पी. योजना के अंतर्गत निम्नानुसार विभिन्न कार्य प्रचलित है–

(1) राज्य मद अंतर्गत किए गए कार्य –

- 0 छ.ग. राज्य औषधीय पादप बोर्ड के प्रांगण में औषधीय पौध उद्यान का विकास कराया जा रहा है, जिसमें लगभग 250 औषधीय प्रजातियों को लगाया गया है।
- 0 बोर्ड द्वारा राज्य के विभिनन वनमंडलों में दस मूल प्रजातियों का रोपण 100 हे, त्रिफला रोपण 485 हे., मेंहदी रोपण 100 हे. एवं मिश्रित औषधीय वृक्षारोपण 803 हे. का कार्य कराया गया है।
- 0 वर्ष 2013.14 में राज्य के कांकेर, दक्षिण कोण्डागॉव, धमतरी एवं बस्तर वनमंडलों में औषधीय मिश्रित वृक्षारोपण 210 हे. एवं दशमूल वृक्षारोपण 50 हे. हेतु भूमि तैयारी का कार्य कराया गया।
- 0 नारायणपुर वनमंडल 05 हे. क्षेत्रफल अंतर्गत हर्बल गार्डन की स्थापना का कार्य करने हेतु राशि रू. 30.00 लाख विमुक्त की गई है। इसमें 200 प्रजातियों का रोपण किया गया है।
- 0 राज्य के 09 वनमंडलों कांकेर, धमतरी, जशपुर, बस्तर, धरमजयगढ़, खैरागढ़, राजनांदगॉव, पूर्व रायपुर एवं कवर्धा में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई। उक्त रोपणी हेतु वनमंडलों को कुल राशि रू. 67.50 लाख विमुक्त की गई है।
- 0 वर्ष 2013.14 में कांकेर वनमंडल में 123 वैद्यों का वृत्त स्तरीय सम्मेलन तथा माह सितंबर 2013 में 400 वैद्यों का हृदय रोग एवं मधुमेह रोग से संबंधित सम्मेलन आयोजित किया गया।

(2) राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड के अंतर्गत संचालित कार्य –

- 0 वनौषधि प्रजातियों के पर्याप्त एवं स्वस्थ्य पौधे उपलब्ध कराने की दृष्टि से 11 शासकीय एवं 13 अशासकीय रोपणियों की स्थापना।
- 0 धमतरी वनमंडल के अंतर्गत सांकरा में रू. 36 लाख की लागत से औषधीय पौधों के प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना का कार्य प्रगति पर।
- 0 क्लस्टर आधारित 19 चयनित औषधीय प्रजातियों का कृषिकरण कार्य (24 क्लस्टर, 489 हे. क्षेत्र) कृषकों को रू. 34.69 लाख अनुदान राशि वितरित।

(3) यू.एन.डी.पी. परियोजना अंतर्गत संचालित कार्य –

- 0 राज्य के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, दक्षिण कोण्डागांव, बस्तर, सूरजपुर तथा मरवाही में प्रत्येक वनमंडल में 200 हे. में एमपीसीए क्षेत्र की स्थापना करके संरक्षण किया जा रहा है।
- 0 राज्य के 2 वनमंडलों धमतरी तथा दक्षिण कोण्डागांव में एम. पी.डी.ए. क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। कार्य के प्रारंभ करने हेतु वनमंडलों को राशि रू. 14.50 लाख विमुक्त किए गए हैं।
- 0 वनमंडल धमतरी एवं दक्षिण कोण्डागांव में हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है। इस हेतु राशि रू. 28.00 लाख विमुक्त की गई है।

यू.एन.डी.पी. योजना अंतर्गत प्राप्त बजट एवं व्यय

वर्ष	प्राप्त बजट (लाखं)	व्यय (लाखें)
2012-13	71.29	69.25

09

खनिज

8. वानिकी

9.1 छत्तीसगढ़ की धरती औद्यौगिक खनिजों से परिपूर्ण है। इन खनिजों की गुणवत्ता तथा इनके भण्डार उद्यमियों को प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु आकर्षित करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग **27** प्रतिशत राजस्व खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। वर्ष **2012-13** में ` **16599.59** करोड़ मूल्य के खनिजों का उत्पादन हुआ।

वर्ष	खनिज राजस्व करोड़
2012-13	**3126.02**
2013-14 नव **13**	**1923.71**

वर्तमान में प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कोयला, चूनापत्थर, डोलोमाईट, लौह अयस्क, बाक्साइट एवं टिन अयस्क, हीरा, स्वर्ण हैं। इन खनिजों के अतिरिक्त कोरण्डम, एलेक्जेंड्राइट, कार्नरूपेन, क्वार्टजाइट, क्ले, फ्लोराइट, बेरिल, एन्डालूसाइट, कायनाइट, सिलिमेनाइट, टास्क, सोपस्टोन, लेपीडोलाइट, गार्नेट, एम्बीलीगोनाइट आदि है। प्रदेश में पाई जाने वाली विभिन्न चट्टानों ग्रेनाइट, फ्लैगस्टोन (फर्शी पत्थर) मार्बल आदि आकारीय पत्थर प्रचुर मात्रा में हैं।

9.2 **खनिज अन्वेषण कार्य**:– वित्तीय वर्ष **2012-13** में **1958** वर्ग कि.मी. क्षेत्र का भौमिकी सर्वेक्षण, भण्डारों के प्रमाणीकरण हेतु **207** घनमीटर पिटिंग तथा **5742** मीटर ड्रिलिंग की गई। खनिजों की गुणवत्ता एवं श्रेणी निर्धारण हेतु **5389** खनिज नमूनों को विश्लेषित कर **29750** मूलकों की उपस्थिति ज्ञात की गई।

सारणी 9.1 वर्ष **2012-13** एवं **2013-14** में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण

क्र.	कार्य का प्रकार	इकाई	2012-13(मार्च 2013)		2013-14 (सितंबर 2013)	
			लक्ष्य	उपलब्धियॉ	लक्ष्य	उपलब्धियॉ
1	सर्वेक्षण/मानचित्रण	वर्ग कि.मी.	**1000**	**1958**	**1000**	**115**
2	पिटिंग/ट्रेचिंग	घन मीटर	**200**	**207**	**200**	**21**
3	ड्रिलिंग	मीटर	**6000**	**5742**	**6000**	**828**
4	नमूनों का विश्लेषण	मूलक संख्या	**20000**	**29750**	**20000**	**19488**

9.3 मुख्य खनिजों का उत्पादन :– मुख्य खनिज का उत्पादन विगत पांच वर्षों में निम्नानुसार है–

सारणी 9.2 मुख्य खनिज के उत्पादन का विवरण (हजार टन)

मुख्य खनिज	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12*
कोयला	**90172**	**101922**	**109953**	**113824**	**113929**
लौह अयस्क	**30997**	**29997**	**26211**	**29146**	**31788**
चुना पत्थर	**14172**	**15789**	**15160**	**19096**	**20228**
डोलोमाइट	**1295**	**1318**	**1207**	**1388**	**1407**
बाक्साइट	**1794**	**1674**	**1687**	**2110**	**2388**
टिन	**63218**	**59778**	**59015**	**61355**	**48766**
कुल	**201648**	**210478**	**213233**	**226919**	**218506**
वृद्धि		**4.4**	**1.3**	**6.4**	**-3.7**

गौण खनिजों का उत्पादन :–वर्ष **2012-13** में राज्य में रू. **43904.30** लाख मूल्य के गौण खनिजों का उत्पादन जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

खनिज का प्रकार	उत्पादन मात्रा (टनं)	उत्पादन मूल्य(लाख)
पत्थर	**3973249**	**9933.12**
मिट्टी	**1474263**	**2211.40**
मुरूम	**2473509**	**2968.21**
फर्शी पत्थर	**55026**	**165.08**
ग्रेनाईट (घन मीटर)	**948**	**18.96**
चूना पत्थर	**11443018**	**28607.53**

राजस्व आयः– छत्तीसगढ़ राज्य का राजस्व आय में खनिज विभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मुख्य खनिज में लगातार वृद्धि हो रहे हैं। विगत् 2012–13 में मुख्य खनिज से 2977 करोड आय हुआ, जहां गौण खनिज उसी वर्ष 140 करोड़ आय हुआ है। वर्ष 2012–13 में 13.3 प्रतिशत एवं 33 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुआ है। विगत् 3 वर्ष में राजस्व आय लक्ष्य से ज्यादा उपलब्ध हुआ है। विस्तृत जानकारी निम्नानुसार सारणी में दिया गया है–

सारणी 9.4 राजस्व आय विगत् पांच वर्षों में (लाख रू.)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
मुख्य खनिज					
कोयला	99983	107731	115775	128217	176391
चूना पत्थर	6737	9093	12447	12809	12849
लौह अयस्क	6120	35898	103149	117068	104528
डोलोमाइट	723	868	1135	1222	1367
बॉक्साइट	1772	1540	2603	3280	2318
क्वर्टज	17	17	40	21	55
मोल्डिंग सेंड	5	11	1	3	3
फायर क्ले	2	1	1	3	2
टिन	12	12	30	20	31
अन्य	32	241	250	205	176
कुल	115402	155412	235431	262848	297720
वृद्धि		34.7	51.5	11.6	13.3
गौण खनिज					
चूना पत्थर	3122	3768	4123	5745	7172
पत्थर	2332	2257	2368	1887	2636
मिट्टी	211	240	259	253	200
मुरूम	462	447	523	357	281
अन्य	1831	2723	2924	2215	3669
कुल	7958	9435	10197	10457	13958
वृद्धि		18.6	8.1	2.5	33.5
कुल राजस्व	**123360**	**164847**	**245628**	**273305**	**311678**
लक्ष्य	**118550**	**168550**	**215000**	**270000**	**310500**
उपलब्धि	**104.1**	**97.8**	**114.2**	**101.2**	**100.4**

छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड :– सी.एम.डी.सी. छत्तीसगढ़ राज्य शासन का एक उपक्रम है, जिसमें शत–प्रतिशत अंशपूँजी राज्य सरकार की है। सी.एम.डी.सी. की अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन कार्ययोजना के अनुसार सी.एम.डी.सी. का मुख्य कार्य खनिजों की रियायतें प्राप्त कर खनिजों का विकास, दोहन एवं विक्रय कर लाभार्जन कर व्यवसाय बढ़ाना है।

सी.एम.डी.सी. को कोल ब्लॉक्स का आबंटन :– वर्तमान में भारत सरकार, कोयला मंत्रालय द्वारा सी.एम.डी.सी. को आबंटित चार कोल ब्लॉक्स क्रमशः तारा, सोंढिया, गारेपेलमा सेक्टर–1 एवं चेण्डीपाड़ा – **II** हैं। तीन कोल ब्लॉक (गारेपेलमा सेक्टर –1 को छोड़कर) के विकास, दोहन एवं वितरण हेतु संयुक्त उपक्रम कंपनी का गठन किया जा चुका है तथा चौथे कोल ब्लॉक (गारे–पेलमा सेक्टर–**I**) के विकास एवं दोहन हेतु उपर्युक्त खनन पद्धति के संबंध में सी.एम. डी.सी. द्वारा शीघ्र निर्णय लिया जावेगा।

सारणी 9.5 भारत तथा छत्तीसगढ़ में उत्पादन (मिलियन टन)

कोल कम्पनी	2001-02	2001-04	2001-06	2001-08	2001-10	2001-12	2012-13 (dec13)
SECL	52.1	59.0	70.6	81.6	95.1	99.6	103.0
JSPL	1.5	2.5	5.3	6.0	6.0	6.0	6.0
MIL			0.4	0.8	1.0	0.9	0.8
PIL				0.9	1.0	1.0	1.0
JPL				0.6	6.0	5.3	5.3
JNL				0.3	0.6	0.5	0.5
SEML					0.3	0.8	1.0
RRUVNL							0.3
छत्तीसगढ़	53.6	61.5	76.4	90.2	110.0	114.0	117.8
भारत	327.8	361.2	407.0	457.1	532.0	540.0	557.7
राज्य का हिससा (%)	16.4	17.0	18.8	19.7	20.7	21.1	21.1

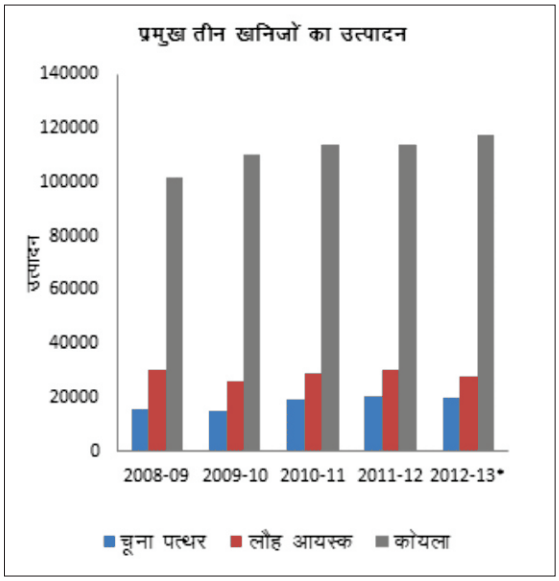

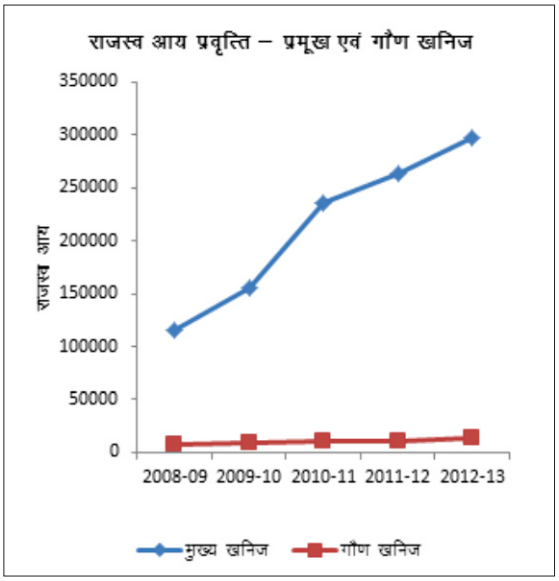

वर्ष 2012–13 में खनिज अन्वेषण कार्यों की उपलब्धियॉं

लौह अयस्क	जिला कोण्डागांव	कुसमा–कचौरा क्षेत्रों में **3.00** लाख टन भंडार अनुमानित तथा जगरपाली क्षेत्र में ग्रेनाइट सर्वेक्षण के दौरान 30 लाख टन निम्न श्रेणी लौह अयस्क के भंडार चिन्हित किए गए।
बाक्साइट	जिला सरगुजा	डांडकेसरा क्षेत्रों में **5.00** लाख टन भण्डार अनुमानित।
	जिला कबीरधाम	दरई क्षेत्र में **2.50** लाख टन अनुमानित।
	जिला रायगढ़	ग्राम किनधा में बाक्साइट के नए क्षेत्र चिन्हित।
कोयला	जिला कोरबा	सैला क्षेत्र में पूर्व से ही पूर्वेक्षण कार्य फलस्वरूप **511. 5** लाख टन कोयले के अतिरिक्त भण्डार का अनुमान। विभागीय कार्य से भण्डारों में वृद्धि होगी
	जिला सरगुजा	सैडू क्षेत्र में पूर्वेक्षण कार्य से **120.00** लाख टन भंडार अनुमानित।
लाईमस्टोन	जिला बस्तर	ग्राम चीतापुर/रायकोट क्षेत्रों में **5** लाख टन भण्डार प्राप्त होने का अनुमान।
	जिला रायपुर	ग्राम केसला में पूर्वेक्षण कार्य से **548.80** लाख टन चूना पत्थर के भण्डार संभावित।
	जिला सुकमा	ग्राम बिरसटपाल में चूनापत्थर के 2.00 लाख टन भंडार अनुमानित।
	जिला राजनॉदगॉव	ग्राम कलकसा में पूर्वेक्षण कार्य से 165 लाख टन भंडार।
ग्रेनाइट	जिला कांकेर	जिलों के चरामा/लखनपुरी क्षेत्रों में सर्वेक्षण के दौरान कटिंग पॉलिशिंग युक्त ग्रेनाईट के 28 लाख घनमीटर क्षेत्र सीमांकित किए गए हैं।
	कोण्डागॉव	जगरपाली क्षेत्र में ग्रेनाइट के क्षेत्र चिन्हित।
	दन्तेवाड़ा	जिले के भूसारास चिंगावरम क्षेत्रों में 4 लाख घन मीटर क्षेत्र चिन्हित।

10

उद्योग

10. उद्योग

10.1 छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास की गति तीव्र करने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती म.प्र. शासन द्वारा स्थापित म.प्र. औद्योगिक विकास निगम रायपुर को छत्तीसगढ़ स्टेट इन्डस्ट्रियल डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड के रूप में गठित किया गया है। इस निगम के रायपुर, बिलासपुर तथा दुर्ग में औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित है। राज्य में विभिन्न औद्योगिक संवर्द्धन गतिविधियों यथा–प्रचार–प्रसार, अधोसंरचना सुविधाओं का विकास, औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, लघु उद्योगों के विपणन में सहायक की भूमिका, कच्चामाल आपूर्ति, एवं इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन, प्रति वर्ष राज्य की राजधानी में राज्योत्सव का आयोजन एवं नई दिल्ली के भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्य की ओर से भाग लेना इत्यादि का निर्वहन सीएसआईडीसी द्वारा किया जाता है।

10.2 ऑटोमोटिव उद्योग नीति 2012–17 मुख्य बिन्दु

- मूल्य संवर्द्धित कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर में रियायत प्रतिपूर्ति – मूल एवं सहायक इकाई को स्थायी पूँजी निवेश का अधिकतम 150% तक सीमित, अधिकतम समयावधि 18 वर्ष।
- केन्द्रीय विक्रयकर में छूट – तत्समय प्रचलित दर का 50%, 18 वर्षों की अवधि तक।
- प्रवेश कर भुगतान से छूट – 8 वर्ष की अवधि हेतु।
- विद्युत शुल्क में छूट – 10 वर्ष तक छूट।
- पंजीयन शुल्क पर छूट – भूमि, भवन शेड प्रकोष्ठ पर 100% छूट।
- उपरोक्त के अतिरिक्त यथासमय राज्य शासन की औद्यौगिक नीति के अनुरूप अन्य अनुदान, छूट एवं रियायतें।

10.3 निष्पादित एम.ओ.यू. की प्रगति

1.	कुल निष्पादित एम.ओ.यू.	142
2.	निरस्त किए गए एम.ओ.यू.	21
3.	प्रभावी एम.ओ.यू.	121
4.	प्रस्तावित पूँजी निवेश	रू. 192000 करोड़
5.	वास्तविक निवेश	रू. 40000 करोड़
6.	परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ	58
7.	परियोजनाओं में कार्य प्रारंभ	61
8.	वर्तमान में रोजगार	100000

राज्य में स्थापित हो रही प्रमुख औद्यौगिक परियोजनाएं एवं समूह :– स्टील प्लांट, पावर प्लांट, एल्यूमिनियम प्लांट, स्पांज आयरन, कोल वाशरी, रोलिंग मिल्स, शुगर प्लांट्स, इंडक्शन फर्नेस, फेरो एलायज, कोल माइंस, सीमेंट क्लिंकर, पेलेटाईजेशन प्लांट, एच.डी.पी.बी. बेग्स, जल आधारित विद्युत संयंत्र। टाटा, वेदांता, एस्सार, जी.एम.आर.,

बिड़ला, लेंको जिंदल, मोनेट, इफको, के.एस.के. ग्रुप, डी.बी. पावर, जे.के. लक्ष्मी सीमेंट, एन.टी.पी.सी. इत्यादि प्रमुख औद्योगिक समूह इसमें शामिल हैं।

परियोजनाओं का कियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तर पर समीक्षा बैठकों का आयोजन एवं जिला स्तर समस्याओं का निराकरण। पावर 50000 मेगावाट से अधिक क्षमता की विद्युत परियोजनाएँ विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। रायगढ़ जिले में भारत सरकार के उपक्रम नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लि. को वृहद विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु अग्रिम भू–आधिपत्य प्राप्त है।

10.4 कोर सेक्टर में वार्षिक उत्पादन :– एल्यूमिनियम 3.45 लाख टन, सीमेंट 15.00 मिलियन टन, स्टील 14.5 मिलियन टन, ।

10.5 अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों हेतु अनुदान, छूट एवं रियायतों से संबंधित योजनाएं :–

- ब्याज अनुदान :– सावधि ऋण पर ब्याज का 75 प्रतिशत, अधिकतम सीमा 7 वर्ष तक रू. 60 लाख वार्षिक।
- स्थायी पूंजी निवेश अनुदान :– पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत से 45 प्रतिशत अधिकतम
- सीमा रू. 500 लाख।
- विद्युत शुल्क छूट :– 10 वर्ष से 12 वर्ष तक।
- परियोजना प्रतिवेदन अनुदान :– स्थायी पूॅजी निवेश का 1%, अधिकतम रू. 4.00 लाख।
- गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान :– किए गए व्यय का 60% अधिकतम 1.25 लाख।
- तकनीकी पेटेन्ट अनुदान :– किए गए व्यय का 60% अधिकतम रू. 6 लाख।
- मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान :– क्रय किए जाने वाले माल पर 50% अधिकतम सीमा रू. 5 लाख वार्षिक, 5 वर्ष की अवधि तक।
- अनु. जाति/जनजाति पुरस्कार योजना :– प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमशः 1.0 लाख 0.51 लाख तथा 0.31 लाख।

10.6 निर्यात अधोसंरचना व सहायक गतिविधियों के विकास हेतु सहायता योजना (ASIDE)

भारत सरकार की एसाईड योजना के छत्तीसगढ़ राज्य में क्रियान्वयन् हेतु सीएसआईडीसी को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। एसाईड योजना के अंतर्गत वर्ष 2002–03 से अब तक औद्योगिक क्षेत्र उरला एवं सांवाभाठा–भनपुरी, जिला रायपुर, औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी जिला बिलासपुर, औद्योगिक क्षेत्र भिलाई जिला दुर्ग एवं इनलैण्ड कंटेनर डिपो कांपा, रायपुर में आयात निर्यात गतिविधियों से संबंधित अधोसंरचना विकास कार्य संपादित किये गये हैं। उक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2003–04 से अब तक राज्य से होने वाले निर्यात (Export Performance) के अनुपात में पात्रता के अनुसार कुल राशि रु. 56.63 करोड़ केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई है।

राज्य शासन से उपरोक्त राशि का 3 प्रतिशत स्थापना व्यय के रुप में पृथक से प्राप्त होता है। राशि 44.95 करोड़ का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रेषित किया जा चुका है। शेष राशि से कार्य प्रगति पर है।

10.7 नेशनल मिशन आन फूड प्रोसेसिंग का कियान्वयन

12 वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष 2012–13 से National Mission on Food Processing (NMFP) योजना राज्य में सीएसआईडीसी द्वारा कियान्वित की गई है।

- खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के तकनीकी उन्नयन/स्थापना/ आधुनिकीकरण
- कोल्ड चेन, मूल्य संवर्द्धन एवं संरक्षण अधोसंरचना का विकास
- मानव संसाधन विकास योजना
- प्रोत्साहन गतिविधियां – सेमीनार/वर्कशाला/सर्वे/प्रदर्शनी का आयोजन
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र/संग्रहण केन्द्र की स्थापना
- मीट शॉप का आधुनिकीरण
- रीफर वाहन योजना

वर्ष 2013–14 हेतु उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत प्रस्ताव आमंत्रित किये गये एवं 47 उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, 02 खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र, तकनीकी उन्नयन के 02 एवं कोल्ड चेन का 01 प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।

10.8 एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (IIDC)

भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत राज्य में लघु, अति लघु उद्योगों की स्थापना हेतु एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्रों की स्थापना की जाती है। नवीनयोजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 60 प्रतिशत अधिकतम रु. 6 करोड़ का अनुदान भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, शेष राशि राज्य शासन द्वारा अंशदान दिया जाता है। राज्य में इनकी स्थापना हेतु नोडल एजेंसी सी.एस.आई.डी.सी. है।

सारणी 10.1 एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र

क्र.	परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (हे.)	अद्यतन स्थिति
1	बिरकोरी, जिला महासमुंद	49	स्थापित
2	हरिनछपरा, जिला कबीरधाम	21	स्थापित
3	नयनपुर–गिरवरगंज, जिला सरगुजा	24	स्थापित
4	कापन, जिला जांजगीर–चांपा	43	स्थापित
5	तिफरा सेक्टर डी, जिला बिलासपुर	57	स्थापित
6	टेकनार, जिला दंतेवाड़ा	20	स्थापित
7	तेंदुआ, जिला रायपुर	21	प्रक्रियाधीन
8	बरतोरी (तिल्दा), जिला रायपुर	24	प्रक्रियाधीन

मेटल पार्क :– रायपुर शहर से 12 कि.मी. की दूरी पर ग्राम रावांभाठा में स्थापित मेटल पार्क में भू–आबंटन की कार्यवाई की जा रही है।

इंजीनियरिंग पार्क :– भिलाई में लगभग 121 हेक्टेयर भूमि पर इंजीनियरिंग उत्पादों के क्लस्टर विकास हेतु इंजीनियरिंग पार्क की स्थापना की जा रही है। भू–आबंटन की कार्यवाई की जा रही है।

स्थापित औद्योगिक क्षेत्र :– छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित औद्योगिक विकास केन्द्र/औद्योगिक क्षेत्रों का विवरण निम्नानुसार है –

सारणी 10.2 स्थापित औद्यौगिक क्षेत्र

क्र.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष में भू–आबंटन की अद्यतन स्थिति
1	औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर	05 इकाईयों को 2344.10 एकड़ आबंटित
2	औद्योगिक क्षेत्र उरला	05 इकाईयों को 3.49 एकड़ आबंटित
3	औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा	03 इकाईयों को 0.67 एकड़ आबंटित
4	औद्योगिक क्षेत्र भनपुरी	03 इकाईयों को 1.32 एकड़ आबंटित
5	मेटल पार्क रायपुर	37 उद्यमियों को 13.24 एकड़ आबंटित
6	इंजीनियरिंग पार्क भिलाई	158 एकड़ भूमि हेतु 270 आवेदन प्राप्त आबंटन प्रक्रियाधीन
7	औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी (बिलासपुर)	12 इकाईयों को 3.49 एकड़ आबंटित
8	औद्योगिक क्षेत्र अंजनी (बिलासपुर)	03 इकाईयों को 3.96 एकड़ आबंटित
9	औद्योगिक क्षेत्र तिफरा (बिलासपुर)	03 इकाईयों को 0.58 एकड़ आबंटित
10	औद्योगिक क्षेत्र बोरई (दुर्ग)	टूल रुम हेतु 25 एकड़ आबंटित एवं 2 इकाईयों को 1.39 एकड़ आबंटित
11	बिरकोनी (महासमुंद)	09 इकाईयों को 6.28 एकड़ आबंटित
12	हरिनछपरा (कबीरधाम)	01 इकाईयों को 0.46 एकड़ आबंटित
13	नयनपुर–गिरवरगंज (सरगुजा)	01 इकाईयों को 0.41 एकड़ आबंटित
14	कापन (जांजगीर–चांपा)	01 इकाईयों को 0.37 एकड़ आबंटित

विभाग की नई योजनाएं :–

- जगदलपुर एवं अंबिकापुर में रेडीमेड वस्त्रों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने अपेरल डिजाईन एवं ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना।
- न्यू रायपुर में 135 करोड़ रू. की लागत से 50 हेक्टेयर भूमि पर छत्तीसगढ़ व्यापार केन्द्र का निर्माण कार्य प्रारंभ।
- नवंबर 2012 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ''क्रेडिबल छत्तीसगढ़ 2012'' ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के प्रस्तावों पर सुसंगत कार्यवाई।

10.9 वर्ष 2012–13 में व्यावसायिक गतिविधियां

वर्ष 2013–14 में कुल 42 सामग्रियों की दर निर्धारित हैं। दर अनुबंध में कुल 377 इकाइयॉ अनुबंधित हैं।

- भिलाई स्थित कच्चामाल डिपो से लघु उद्योग इकाईयों को वायर राड का विक्रय (माह नवंबर 2013 तक) मात्रा 4811.69 मे. टन विक्रय राशि रू. 20.08 करोड़
- 111 लघु उद्योगों को कोल आबंटन (नवंबर 2013 तक) 35228 मे टन
- 3194 सिविल व इलेक्ट्रिक सेम्पलों का भिलाई टैस्टिंग लैब में परीक्षण (नवंबर13 तक)

- अब तक 78.67 करोड़ एम.पी.एफ.सी. ऋणों की वसूली ।
- फर्नीचर व शीट मेटल उद्योगों का संचालन (माह नवंबर 2013 तक)–
  - अ. फर्नीचर वर्क्स अभनपुर उत्पादन रू. 243.11 लाख एवं विक्रय रू. 505.72 लाख
  - ब. कृषि उपकरण कारखाना, भिलाई उत्पादन रू. 461.84 लाख विक्रय रू.464.28 लाख

10.9.1 सिलतरा शापिंग काम्पलेक्स

राज्य के रायपुर जिले कें सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में नवीन शापिंग काम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। इस भवन में भूतल तथा प्रथम तल पर कुल 121 कक्ष (व्यावसायिक दुकाने–108/कार्यालय–12/रेस्टोरेंट–1) निर्मित है जिनमें कुल 92 कक्षों का आबंटन किया गया है। रिक्त 29 कक्षों के आबंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे है।

10.9.2 व्यावसायिक परिसर तिफरा बिलासपुर

राज्य के बिलासपुर जिले में तिफरा व्यावसायिक परिसर का निर्माण किया गया है इस भवन के भूतल एवं प्रथम तल में कुल 16 कक्ष (दुकान –11/कार्यालय–4/बैंक एटीएम–1) निर्मित किये गये हैं। वर्तमान में 11 कक्ष आबंटित है। रिक्त 5 कक्षों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने की कार्रवाई की जा रही है।

10.9.3 व्यावसायिक परिसर बिरकोनी महासमुंद

राज्य के महासमुंद जिले में एकीकृत औद्योगिक विकास केंद्र के अंतर्गत 10 दुकानो का निर्माण किया गया है। जिसके लिए 3 आवेदन पत्र प्राप्त हुए है। आबंटन समिति की बैठक दिनांक 16.01.13 के अनुशंसा अनुसार 3 दुकानों का आबंटन एक मुश्त भुगतान के अंतर्गत आबंटन की कार्रवाई की जा रही है।

10.9.4 व्यावसायिक परिसर औद्योगिक क्षेत्र हरिनछापरा, कबीरधाम

राज्य के कबीरधाम जिले में हरिनछापरा औद्योगिक क्षेत्र में व्यावसायिक परिसर का निर्माण किया गया जिसमें भूतल पर 6 दुकाने एवं प्रथम तल पर 1 प्रशासकीय भवन कुल 7 भवनो के आवंटन/किराये पर देने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

10.9.5 व्यावसायिक परिसर औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, बिलासपुर

राज्य के बिलासपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी मे एसाईड प्रोजेक्ट के अंतर्गत दो गोडाउन निर्माण किया गया है। निर्यातक उद्योग अथवा अन्य इकाइयों को नियम एवं शर्तो के अधीन किराये पर गोडाउन आबंटित करने बाबत स्थानीय समाचार पत्रो में विज्ञापन प्रकाशित किया जाकर आबंटन की प्रक्रिया प्रचलन में है।

10.9.6 वाणिज्यिक परिसर डंगनिया, रायपुर

राज्य के रायपुर शहर मे निगम के आधिपत्य की भूमि पर पांच तल का वाणिज्यिक भवन का निर्माण किया गया है, जिसमें कार्पोरेट कार्यालय एवं व्यावसायियो को दुकान आबंटन हेतु आवेदन प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलन में है ।

10.9.7 अन्य मुख्य कार्यकलाप

- राज्य गठन की ग्यारहवीं वर्षगांठ के अवसर पर माह नवंबर 2013 में नया रायपुर में निर्माणाधीन डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर में राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी एवं व्यापार मेले (राज्योत्सव) का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया।

- नई दिल्ली में प्रतिवर्ष 14 नवंबर से 27 नवंबर तक आयोजित होने वाले भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2013 में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा नोडल एजेंसी के रुप सफलतापूर्वक किया गया।
- माह जनवरी 2014 में नई दिल्ली में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में राज्य की ओर से सीएसआईडीसी द्वारा भाग लिया गया है।
- सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा राज्य के औद्योगिक विकास हेतु आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु वेबसाइट (www.csidc.in) तैयार की गई है।

10.10 भिलाई इस्पात संयत्र : छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थापित भिलाई इस्पात संयत्र राज्य में सबसे बड़ा उद्योग है। वर्ष 2012–13 की अवधि में संयत्र ने 5.21 मिलियन टन हॉट मेटल, 5.01 मिलियन टन क्रूड स्टील व 4.36 मिलियन टन विक्रय योग्य इस्पात उत्पादन किया जो कि इन उत्पादों की मापित क्षमता से लगातार विगत 20 वर्षों की तरह अधिक है। वर्ष 2012-13 में आरंभ की गई नई परियोजनाओं पर मार्च 2013 तक 3708.50 करोड़ रूपयों की राशि खर्च की गई एवं 2048.22 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया। भिलाई इस्पात संयंत्र का लाभार्जन का लगातार 25 वां वर्ष है, जो कि एक विश्व कीर्तिमान है।

सारणी 10.3 वर्ष 2013–14 की प्रगति एवं आधुनिकीकरण उपरांत क्षमता: इकाई: मिलियन टन प्रतिवर्ष

क.	सामग्री	2013–14	अप्रैल से सितं. 13	वृद्धि प्रतिशत	वर्तमान मापित क्षमता	विस्तार के बाद क्षमता
1	हॉट मेटल	5.30	2.73	1.5	4.080	7.5
2	कूड इस्पात	5.18	2.61	0.6	3.925	7.0
3	फिनिश्डि इस्पात	4.55	2.28	2.9	2.620	5.85
5	सेमीज				0.533	0.72
6	विक्रय इस्पात				3.153	6.56

10.11.1 उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण – इस सर्वेक्षण में कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकृत समस्त फैक्ट्री बीड़ी एवं सिगार कर्मचारी (रोजगार की शर्तें) अधिनियम 1966 के अंतर्गत पंजीकृत उद्यमों को शामिल किया जाता है। विगत उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (2008–09 से 2011–12) का मदवार विवरण नीचे दर्शित तालिका में दिया गया है। इस सारणी से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2011–12 में जहॉ कुल उत्पादन 16.9 प्रतिशत बढ़ा वहीं पर कुल आदाय 20.9 प्रतिशत बढ़ा एवं परिलब्धियों में उत्पादन की दर से ज्यादा वृद्धि हुई है जिस कारण लाभ में 16 प्रतिशत की कमी हुई है परंतु सकल वेल्यू एडेड लगभग समान स्तर पर रहा। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2011–12 के आधार पर प्रति इकाई निष्पादन का विस्तृत विवरण सारणी 10.5 में दर्शित है।

सारणी 10.4 छत्तीसगढ़ राज्य में कारखाना क्षेत्र की चयनित विशेषताओं का अनुमान (लाख रू.)						
क.	विशेषताएं	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	प्रतिशत वृद्धि
1	कारखानों की संख्या	1919	1976	2358	2472	4.8
2	स्थायी पूँजी	2818914	3372131	3474615	5063241	45.7
3	कार्यशील पूँजी	3083645	3277255	3767631	3855561	2.3
4	पूँजी निवेश	3801782	4412078	4837395	6706860	38.6
5	बकाया ऋण	916530	1584772	2147287	2598125	21.0
6	कुल उत्पादन	7640548	6778083	7954481	9301415	16.9
7	कच्चे माल का उपयोग	4216683	3673754	4765651	5750115	20.7
8	ईंधन खपत	673014	580792	617095	775441	25.7
9	कुल आदाय	5769044	5229752	6408069	7749533	20.9
10	सकल वेल्यू एडेड	1871504	1548331	1546412	1551883	0.4
11	शुद्ध वेल्यू एडेड	1661367	1328067	1286739	1260536	-2.0
12	सकल स्थायी पूँजी निर्माण	725681	728887	658883	1061518	61.1
13	सकल पूँजी निर्माण	895721	815612	968007	1254107	29.6
14	लाभ	1092444	8670321	647719	543238	-16.1

सारणी 10.5 छत्तीसगढ़ राज्य में कारखाना क्षेत्र की प्रति इकाई निष्पादन						
क.	सूचक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	प्रतिशत वृद्धि
1	स्थायी पूँजी	1468.95	1706.54	1473.54	2048.24	39.0
2	कार्यशील पूँजी	1606.9	1658.53	1597.81	1559.69	-2.4
3	पूँजी निवेश	1981.13	2232.83	2051.48	2713.13	32.3
4	बकाया ऋण	477.608	802.01	910.639	1051.02	15.4
5	कुल उत्पादन	3981.53	3430.2	3373.4	3762.71	11.5
6	कच्चे माल का उपयोग	2197.33	1859.19	2021.06	2326.1	15.1
7	ईंधन खपत	350.711	293.923	261.703	313.69	19.9
8	कुल आदाय	3006.28	2646.64	2717.59	3134.92	15.4
9	सकल वेल्यू एडेड	975.25	783.568	655.815	627.784	-4.3
10	शुद्ध वेल्यू एडेड	865.746	672.099	545.691	509.926	-6.6
11	सकल स्थायी पूँजी निर्माण	378.156	368.87	279.425	429.417	53.7
12	सकल पूँजी निर्माण	466.764	412.759	410.52	507.325	23.6
13	लाभ	569.278	4387.81	274.69	219.756	-20.0

छत्तीसगढ़ राज्य में महत्वपूर्ण उद्योगों का योगदान :– उद्योगों के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण 2011–12 से यह स्पष्ट होता है कि राज्य में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तीन उद्योग है– खाद्य उत्पादों का विनिर्माण, गैर धात्विक उत्पादों का विनिर्माण जिसमें सीमेंट उत्पादन सम्मिलित है तथा मूल धात्विक उत्पादन, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में 3.6 प्रतिशत, 9.1 प्रतिशत एवं 80.5 प्रतिशत क्रमशः योगदान रहा। जिसका विवरण निम्नलिखित सारणी 10.6 में दर्शाया गया है–

सारणी 10.6 छत्तीसगढ़ राज्य में कारखाना क्षेत्र में तीन महत्वपूर्ण उद्योगों का योगदान (लाख रू.)							
	महत्वपूर्ण उद्योगों का योगदान (लाख रू.)				उद्योगोंका प्रतिशत योगदान		
विशेषताएं	*All*	10	23	24	*10*	*23*	*24*
1 कारखानों की संख्या	2472	1013	141	548	41.0	5.7	22.2
2 स्थायी पूँजी	5063241	112354	469887	3654869	2.2	9.3	72.2
3 कार्यशील पूँजी	3855561	85815	122261	3435193	2.2	3.2	89.1
4 पूँजी निवेश	6706860	244981	545528	4919981	3.7	8.1	73.4
5 बकाया ऋण	2598125	101330	69074	2212960	3.9	2.7	85.2
6 कुल उत्पादन	9301415	731064	547565	6933247	7.9	5.9	74.5
7 कच्चे माल का उपयोग	5750115	398300	160768	4440731	6.9	2.8	77.2
8 ईंधन खपत	775441	23079	178409	529166	3.0	23.0	68.2
9 कुल आदाय	7749533	675514	405992	5684294	8.7	5.2	73.4
10 सकल वेल्यू एडेड	1551883	55550	141573	1248954	3.6	9.1	80.5
11 शुद्ध वेल्यू एडेड	1260536	44846	110072	1048506	3.6	8.7	83.2
12 सकल स्थायी पूँजी निर्माण	1061518	19921	72873	785329	1.9	6.9	74.0
13 सकल पूँजी निर्माण	1254107	37256	86198	923408	3.0	6.9	73.6
14 लाभ	543238	8350	65112	519863	1.5	12.0	95.7
15 कामगारों की संख्या की संख्या	138269	18015	8113	77362	13.0	5.9	56.0
16 कुल नियोजित कर्मचारी	185985	23544	10717	108136	12.7	5.8	58.1
17 कामगारों को मजदूरी	152716	10359	9394	108832	6.8	6.2	71.3
18 कुल परिलब्धियॉ	393171	17089	21965	303459	4.3	5.6	77.2

स्त्रोत – उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण 11–12

10 (NIC'08)= खाद्ध उत्पादों का विनिर्माण

23 (NIC'08)= गैर धात्विक उत्पादों का विनिर्माण (सीमेंट सहित)

24 (NIC '08) = मूल धात्विक उत्पादों का विनिर्माण

अखिल भारत एवं छत्तीसगढ़ राज्य की तुलनाः– नवीनतम उपलब्ध ASI 2011–12 के परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि भारत की तुलना में छत्तीसगढ मे़ स्थायी पूँजी, कार्यशील पूँजी, पूँजी निवेश एवं बकाया ऋण में न्यूनतम बढ़ोत्तरी हुई जिस कारण सकल पूँजी निर्माण में बढ़ोत्तरी हुई है। परंतु कुल उत्पादन में कमी होने से सकल वैल्यू एडेड में छत्तीसगढ़ का अंश कम हुआ है। तथापि पूँजी निर्माण में बढ़ोत्तरी भविष्य में लाभदायक प्रतीत होती है।

सारणी 10.7 अखिल भारत एवं छतीसगढ़ राज्य का कारखाना क्षेत्र का तुलनात्मक विवरण (लाख रू.)						
विशेषताएं	2010-11			2011-12		
	अखिल भारतीय	छत्तीसगढ़	भारत में छ.ग. का प्रतिशत भाग	अखिल भारतीय	छत्तीसगढ़	भारत में छ.ग. का प्रतिशत भाग
कारखानों की संख्या	211660	2358	1.11	217554	2472	1.14
स्थायी पूँजी	160700652	3474615	2.16	194976922	5063241	2.60
कार्यशील पूँजी	62036285	3767631	6.07	58879446	3855561	6.55
पूँजी निवेश	239358002	4837395	2.02	284031345	6706860	2.36
बकाया ऋण	82563795	2147287	2.60	92438166	2598125	2.81
कुल उत्पादन	467621696	7954481	1.70	577794392	9301415	1.61
कच्चे माल का उपयोग	302044142	4765651	1.58	374227660	5750115	1.54
ईंधन खपत	19542403	617095	3.16	24246023	775441	3.20
कुल आदाय	385108361	6408069	1.66	480100486	7749533	1.61
सकल वेल्यू एडेड	82513335	1546412	1.87	97693906	1551883	1.59
सकल स्थायी पूँजी निर्माण	28365547	658883	2.32	34404371	1061518	3.09
सकल पूँजी निर्माण	44590400	968007	2.17	40725139	1254107	3.08
लाभ	39016161	647719	1.66	45121060	543238	1.20

10.11.2 औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक (IIP) द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के विकास की दर मापी जाती है। विश्व के लगभग सभी देशों में इस सूचकांक का आकलन किया जाता है। इसके अलावा भारत के प्रमुख राज्य में भी राज्य स्तरीय औद्यौगिक उत्पादन के सूचकांक तैयार किए जाते हैं। छतीसगढ़ में इस सूचकांक के तैयार नहीं होने के कारण भारत के सूचकांक को मानते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय संपूर्ण भारत के लिए मासिक IIP संकलन कर जारी करता है। संपूर्ण भारत का औसत IIP में (आधार वर्ष 2004–05) अप्रैल 2012 से नवंबर 2012 के औसत 166.8 थी जो कि घटकर अप्रैल, 2013–नवंबर, 2013 की स्थिति में 166.5 हुआ है अर्थात् औसत वृद्धि दर -0.2 प्रतिशत थी। इसी प्रकार उसी अवधि के लिए खनन, विनिर्माण एवं विद्युत में क्रमाशः -2.2, -0.6 एवं 5.4 प्रतिशत औसत वृद्धि दर दर्ज की गई। सारणी 10.8 में दर्शित है।

सारणी 10.8 औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक				
क्षेत्र	भार (Weight)	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अप्रैल से नवंबर		प्रतिशत वृद्धि
		2012–13	2013–14	
सामान्य सूचकांक	100.00	166.8	166.5	-0.2
खनन	14.16	120.8	118.2	-2.2
विनिर्माण	75.53	177.1	176.0	-0.6
विद्युत	10.31	155.0	163.3	5.4

ग्रामोद्योग (रेशम प्रभाग)

10.12 प्रदेश में टसर कृमि पालन का कार्य परंपरागत है। संचालित योजना के माध्यम से ग्रामीण अंचल में निवास कर रहे स्थानीय निर्धन, विशेष कर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के गरीब परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ राज्य को तीन प्रकार की रेशम प्रजातियों टसर, मलबरी एवं इरी के उत्पादन का गौरव प्राप्त है।

10.12.1. पालित डाबा टसर, ककून उत्पादन योजना :–

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में उपलब्ध साजा, अर्जुन के टसर खाद्य पौधों पर टसर कीट पाले जाते है। इस योजना को अपनाने के लिये हितग्राहियों को किसी प्रकार की पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे कृषक जिनकी स्वयं की भूमि पर पर्याप्त मात्रा में टसर खाद्य पौधें उपलब्ध हैं वे भी इस योजना को अपना कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। विभाग द्वारा स्वस्थ डिंब समूह रियायती दर पर 1.00 रू. प्रति स्वस्थ्य समूह अंडे की दर से प्रति कृषक को 100 स्वस्थ डिंब समूह उपलब्ध कराया जाता है। जिससे वर्ष में तीन फसल कृषको द्वारा उत्पादित की जा सकती है प्रत्येक फसल में 5000 से 7000 टसर कोसा का उत्पादन कर 550 रू. से 1400 रू. प्रति हजार मूल्य कृषकों द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। उक्त योजना प्रदेश के 27 जिलों में संचालित 139 टसर केन्द्रों एवं टसर परियोजना के 151 केन्द्र, चिन्हांकित वन क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2012-13 में 700.15 लाख नग टसर पालित कोसा उत्पादन लक्ष्य के विरूद्ध उत्पादन 581.443 लाख नग ककून का उत्पादन हुआ तथा योजनान्तर्गत 20872 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2013-14 में पालित डाबा टसर ककून उत्पादन का भौतिक लक्ष्य 640.00 लाख नग के विरूद्ध माह दिसम्बर 2013 तक 349.04 लाख का उत्पादन किया गया जिससे 14083 हितग्राही/श्रमिक लाभान्वित हुए। वर्ष 2013-14 में विभागीय प्रक्षेत्र में कुल 4368.50 हेक्टेयर, वन क्षेत्र के अंतर्गत 9787 हेक्टेयर, रेशम परियोजना के अंतर्गत 2973 हेक्टेयर पौधारोपण युक्त क्षेत्र उपलब्ध है। इसमें 11649 हे. क्षेत्र पर टसर योजना संचालित हो रही है।

विगत वर्षों में पालित टसर, ककून का उत्पादन

क्र.	विवरण	इकाई	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14 (sept13)
1.	पालित टसर	लाख नग में	434.98	438.69	440.65	587.01	581.443	349.04
2.	लाभान्वित हितग्राही	संख्या	20067	19511	20596	16962	20872	14083

10.12.2. नैसर्गिक बीज प्रगुणन एवं कोसा संग्रहण योजना :–

वर्ष 2012-13 में नैसर्गिक ककुन उत्पादन 1999.774 लाख ककुन का उत्पादन/संग्रहण कर 62869 संग्राहक हितग्राही लाभान्वित किए गए हैं। वर्ष 2013-14 में नैसर्गिक टसर ककून का प्रस्तावित लक्ष्य 2200.00 लाख नग के विरूद्ध माह दिसम्बर 13 तक कुल 1716.52 लाख नग उत्पादन किया गया जिससे 61716 हितग्राही/संग्रहक लाभान्वित हुए हैं।

विगत वर्षों में नैसर्गिक, ककून का उत्पादन

क्र.	विवरण	इकाई	08–09	09–10	10–11	11–12	12–13	13–14 (दिस. 13)
1.	नैसर्गिक ककून उत्पादन	लाख नग में	754.51	809.16	870.08	1636.27	1999.77	1716.52
2.	लाभान्वित हितग्राही	संख्या	43761	44276	38802	52366	62869	61716

10.12.3 टसर धागा करण योजना :– प्रदेश के विभिन्न जिलों में 768 रीलिंग एवं 231 स्पीनिंग मशीन संचालित हैं। योजनान्तर्गत 52 महिला स्व–सहायता समूह के 1042 महिलाओं द्वारा धागाकरण का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2012-13 में सॉख्यिकी आधार पर 387.183 मि.टन. रा–स्पन सिल्क उत्पादित किया गया। तथा वर्ष 2013-14 में सॉख्यिकी आधार पर माह दिसम्बर 2013 तक 309.835 मि.टन रा–स्पन सिल्क का उत्पादन किया गया।

विगत वर्षों में रॉ–सिल्क एवं स्पन सिल्क का उत्पादन विवरण

क्र	विवरण	इकाई	08–09	09–10	10–11	11–12	12–13	13–14 (दिस.)
1.	टसर रा–सिल्क एवं स्पन धागा	कि.ग्रा.	146265	160534	167919	298608	387183	309835

10.12.4 ईरी रेशम ककून उत्पादन एवं धागाकरण की आर्थिकी :–

जशपुर, सरगुजा बस्तर एवं कांकेर जिले में प्रायोगिक रूप से अरंडी का पौधा रोपित कर ईरी रेशम का उत्पादन प्रारंभ किया गया। ईरी रेशम की 5 फसल वर्ष में ली जा सकती है एवं प्रति हितग्राही को 120 कार्य दिवस में रू. 8000–9000 वार्षिक आय प्राप्त होगी एवं धागाकरण कार्य से हितग्राहियों को रू. 10000–13000 तक वार्षिक आय प्राप्त होगी। उत्पादन का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :–

विगत वर्षों में ईरी ककून का उत्पादन

क्र.	विवरण	इकाई	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14 (Dec13)
1.	इरी ककून उत्पादन	कि.ग्रा.	6127	7948	4354	2619	3174	867
2.	लाभान्वित हितग्राही	संख्या	370	728	488	333	294	274
3.	पौधरोपण क्षेत्र	एकड़	99	224	1190	186.00	185.50	78

10.12.5 मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार योजना : प्रदेश में 73 रेशम केन्द्र/रेशम बीज केन्द्र, 03 शासकीय मलबरी ग्रेनेज, 05 धागाकरण यूनिट, 05 ट्विस्टिंग यूनिट, 09 ककून बैंक, 04 यार्न बैंक संचालित हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

विगत वर्षों में पालित मलबरी, ककून का उत्पादन

क्र.	विवरण	इकाई	08–09	09–10	10–11	11–12	12–13	13–14 (दिसं.)
1.	मलबरी ककून उत्पादन	कि.ग्रा.	36224	35125	44484	52340	54488	34400
2.	लाभान्वित हितग्राही/ श्रमिक	संख्या	-	-	1909	1629	2297	1952

ग्रामोद्योग (हाथकरघा)

10.13 ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हाथकरघा उद्योग को रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। यह उद्योग हाथकरघा बुनाई के परंपरागत धरोहर को अक्षुण्य बनाए रखने के साथ ही बुनकर समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक परंपराओं को प्रतिबिंबित करता है।

हाथकरघा क्षेत्र में बुनकर सहकारी समितियॉ रोजगार

क्र.	विवरण	वर्षवार प्रगति			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	बुनकर समितियॉ	155	167	175	186
2	कार्यशील करघे	15800	14690	14367	15107
3	बुनाई रोजगार	47400	44070	43101	45321

छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 15107 करघों पर लगभग 45321 बुनकर प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में संलग्न हैं। राज्य के चांपा–जांजगीर एवं रायगढ़ जिला कोसा वस्त्र उत्पादक क्षेत्र हैं, तथा रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगॉव, महासमुन्द, कवर्धा, धमतरी, अंबिकापुर एवं जगदलपुर सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। राज्य का कोसा वस्त्र एवं जगदलपुर के परंपरागत वस्त्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है।

शासकीय वस्त्र प्रदाय योजना से नियमित रोजगार

क्र.	विवरण	वर्षवार प्रगति		
		2010-11	2011-12	2012-13
1.	वस्त्र मॉग आदेश	172.57	141.32	117.00
2.	आपूर्ति	157.24	64.77	102.00
3.	धागा प्रदाय	69.44	23.86	40.00
4.	बुनाई पारिश्रमिक	38.96	16.30	31.81
5.	बुनाई रोजगार	18000	25500	27000

10.13.1 नेशनल हेण्डलूम एक्सपो एवं हाथकरघा प्रदर्शनी :– नेशनल हेण्डलूम एक्सपो एवं स्पेशल हेण्डलूम एक्सपो का आयोजन प्रदेश एवं देश के बड़े शहरों में किया जाता है। योजना के तहत् विगत वर्षों में रायपुर, बिलासपुर, कलकत्ता, बम्बई, देहरादून, शिमला, दिल्ली, नैनीताल, अहमदाबाद, नासिक आदि विभिन्न शहरों में आयोजन किया गया। वर्ष 2008–09 से 2012–13 तक आयोजित प्रदर्शनी ।

10.13.2 कंबल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना :– योजनांतर्गत आमगांव, विकास खण्ड छुरिया, जिला राजनॉदगॉव में कंबल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जा रही है। इस प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना से लगभग 200 स्थानीय लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलेगा

वर्ष	प्रदर्शनी हेतु आबंटन राशि			हाथकरघा वस्त्रों की बिक्री
	राज्य	केन्द्र	योग	
2008-09	29.99	9.00	38.99	290.00
2009-10	51.68	56.00	107.68	550.05
2010-11	52.53	96.00	148.89	736.85
2011-12	60.00	192.00	252.00	1221.30
2012-13	60.00	204.00	264.00	1250.00

10.13.3 एकीकृत हाथकरघा विकास योजना :– एकीकृत हाथकरघा विकास योजना बुनकरों के समग्र विकास के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है। उक्त योजनांतग्रत प्रदेश के 10 क्लस्टर जिला रायपुर में मूंगझर, कटगी, जिला राजनांदगॉव में छुईखदान, जिला जांजगीर में चांपा एवं चन्द्रपुर, जिला रायगढ़ में रायगढ़, जिला जगदलपुर में बकावण्ड, जिला महासमुन्द में सल्डीह, भंवरपुर एवं जिला बिलासपुर में लोफंदी स्वीकृत है। उक्त क्लस्टर योजनांतर्गत कुल राशि रू. 573.98 लाख का प्रोजेक्ट स्वीकृत है। इस योजनांतर्गत 4160 बुनकर लाभान्वित हो रहे हैं।

10.13.4 बुनकर स्वास्थ्य बीमा योजना :– योजनांतर्गत बुनकरों द्वारा वार्षिक प्रीमियम में प्रतिवर्ष राशि रू. 50/– अंशदान दिया जाता है। बीमित बुनकर को प्रतिवर्ष अधिकतम राशि रू. 15000 तक की स्वास्थ्य लाभ की प्रतिपूर्ति की जाती है। वर्ष 2010–11 में 3815 बुनकरों का स्वास्थ्य बीमा किया गया था। वर्ष 2012–13 के लिए 4953 बुनकरों का बीमा कराया गया है।

छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

10.14 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में खादी तथा ग्रामोद्योगों का विकास कर उन्नत तकनीक के द्वारा प्रशिक्षण कारीगरों एवं दस्तकारों तथा सूत कातने वाली महिलाओं को रोजगार के व्यापक अवसर सृजित करना है। बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की प्रगति निम्नानुसार हैं :–

10.14.1 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :– भारत सरकार ने 31-03-2008 तक परिचालन में रही दो योजनाओं प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को एक में मिलाकर, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर के सृजन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम नामक एक नई ऋण सहबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम अनुमोदित किया है। इस केन्द्रीय क्षेत्र की योजना को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। योजना का कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में, राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र नोडल अभिकरण के रूप में खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जिला उद्योग केन्द्र और बैंक करेंगे। योजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :–

- नए स्वरोजगार उद्यमों/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना।
- ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगार युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में दीर्घकालिक रोजगार उपलब्ध कराकर पलायन रोकना।
- कारीगरों की पारिश्रमिक अर्जन क्षमता बढ़ना और ग्रामीण तथा शहरी रोजगार की विकास दर बढ़ाने में योगदान करना।

10.14.2 वित्तीय सहायता का स्वरूपः– ग्रामोद्योग 20000 तक आबादी वाले ग्रामों में स्थापित की जाती है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रतिबंधित उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों की स्थापना के लिए बैंकों से ऋण व बोर्ड द्वारा अनुदान दिया जाता है। परियोजना लागत के आधार पर व्यक्तिगत एवं संस्थागत प्रकरणों में 25 लाख तक अनुदान देय होता है। इसमें स्वीकृत ऋणी उद्यमी को 15 दिवसीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है।**पात्रता** :–

- हितग्राही की उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। योजना में आय का कोई बंधन नहीं है।
- व्यवसाय एवं सेवा के क्षेत्र में राशि रू. 10 लाख एवं निर्माण क्षेत्र में 25 लाख तक की
- परियोजना स्वीकृत की जाती है।
- स्व–सहायता समूह जो अन्य किसी योजना से लाभ प्राप्त नहीं किया गया इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाए कोई भी उत्पादन सहकारी समिति।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की प्रगति				
वर्ष		इकाई	अनुदान लाख	हितग्राही संख्या
2012-13	लक्ष्य	581	1337	4648
	उपलब्धि	747	1290	4257
2013-14	लक्ष्य	668	1536	
2013-14 अक्टूबर 2013	उपलब्धि	35	59	211

10.14.3 परिवार मूलक इकाइयों की स्थापना : इस कार्यक्रम के अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रतिबंधित उद्योगो को छोड़कर अन्य उद्योग स्थापना के लिए बैंको से ऋण एवं बोर्ड अनुदान दिया जाता है। योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर एवं छोटे–छोटे कम लागत के ग्रामोद्योगों की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित परिवार मूलक योजना का क्रियान्वयन भी प्रदेश में किया जा रहा है। योजनान्तर्गत औजार उपकरण लागत पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 13500 रूपये जो भी कम हो अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

परिवार मूलक इकाइयों की स्थापना योजना की प्रगति				
वर्ष		इकाई	अनुदान लाख	हितग्राही संख्या
2012-13	लक्ष्य	3152	423	6304
2012-13	उपलब्धि			5440
2013-14 अक्टूबर 2013	लक्ष्य	3454	466	6900

10.14.4 कारीगरों को प्रशिक्षण योजना :–

कारीगरों को प्रशिक्षण योजना की प्रगति			
वर्ष		अनुदान लाख	हितग्राही संख्या
2012-13	लक्ष्य	33	648
2012-13	उपलब्धि	38	540
2013-14 अक्टूबर 2013	लक्ष्य	15	220

10.14.5 विभागीय खादी उत्पादन :–खादी ग्रामोद्योग द्वारा संचालित 9 सूत इकाई बुनाई केन्द्र स्थापित है जहां 630 ग्रामीण महिलाओं को अम्बर चरखा से सूत कताई का कार्य नियमित रूप से दिया जा रहा है जिसमें 240 कारीगर बुनकर कार्य में लगे है। इन केन्दों द्वारा उत्पादित कपड़ों की बिक्री विभागीय 3 संचालित बिक्री भण्डारों के माध्यम से विक्रय किया जाता है।

विभागीय खादी उत्पादन योजना की प्रगति		
वर्ष		उत्पादन
2012-13	उपलब्धि	147
2013-14	लक्ष्य	250
2013-14 अक्टूबर 2013	उपलब्धि	100

10.14.6 बांसकला केन्द्र :– बस्तर जिले में छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा बांसकला केन्द्र संचालित है। इसमें आदिवासी महिलाओं के माध्यम से आदिवासी संस्कृति में कलात्मक वस्तुयें तैयार कर प्रदेश के भीतर एवं बाहर बिक्री एवं प्रचार–प्रसार किया जाता है, इस केन्द्र पर 40 ग्रामीण आदिवासी महिलाओं को रोजगार प्राप्त होता है।

बांसकला केन्द्र योजना की प्रगति			
वर्ष		उत्पादन लाख	विक्रय लाख
2012-13	उपलब्धि	10	12
2013-14	लक्ष्य	12	14
2013-14 अक्टूबर 2013	उपलब्धि	6.3	6.8

11

विद्युत एवं आधारभूत संरचना

11. विद्युत एवं आधारभूत संरचना

11.1 केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्राप्त सूचना अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 31.12.2013 की स्थिति में 6865 मेगावाट बिजली का उपयोग स्थापित हुआ है। इसमें न्यूक्लियर चालित शक्ति का भाग जो 48 मेगावाट है, शामिल है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

उपरोक्त बिजली के उपयोग से उत्पादन एवं पारदर्शिता का विवरण निम्न प्रकार है।

सारणी 11.1 बिजली उपयोग का स्थापित क्षमता (MW) आबंटित भाग सहित

क्षेत्र	तापीय		न्यूक्लीयर	जल विद्युत	अक्षय ऊर्जा स्रोत	कुल
	कोयला	अन्य				
राज्यीय	2280			120	52	2452
निजी	2618				257	2875
केंद्रीय	1490		48			1538
कुल	6388	0	48	120	309	6865

छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत उत्पादन एवं पारदर्शिता

सारणी 11.2 छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत उत्पादन एवं पारदर्शिता

क्षेत्र	चालिका शक्ति	उत्पादन (GWH)		पी.एल.एफ. प्रतिशत	
		अप्रैल 12 से दिस. 12	अप्रैल 13 से दिस. 13	अप्रैल 12 से दिस. 12	अप्रैल 13 से दिस. 13
राज्यीय	तापीय	9236	8930	78.6	67.1
	जल विद्युत	242	227		
निजी	तापीय	9283	10718	73.8	70.2
केंद्रीय	तापीय	32015	31360	82.9	78.2
कुल		50776	51236		

छत्तीसगढ़ राज्य में जिलावार प्रस्तावित निजी विद्युत उपयोग निम्नानुसार है –

सारणी 11.3 छ.ग. राज्य में जिलावार प्रस्तावित निजी विद्युत उपयोग

जिला	संख्या	क्षमता (MW)
जांजगीर चांपा	26	26580
रायगढ़	21	20450
कोरबा	19	7841
बिलासपुर	3	2330
सरगुजा	2	2520
रायपुर	2	1670
स्थल चयन प्रक्रिया में	1	660
कुल	74	62051

11.1.1 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल :–

विगत् वित्त वर्ष **2012–2013** के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों, लक्ष्य के विरूद्व अर्जित उपलब्धियों, राज्य शासन एवं केन्द्र शासन की विभिन्न योजनाओं की प्रगति आदि के साथ आगामी वित्त वर्ष **2013–2014** हेतु निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों, कार्यक्रमों की बिन्दु–वार जानकारी निम्नानुसार है –

(I) उत्पादन संकाय :–

(1) विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता एवं विद्युत उत्पादनः–

मंडल गठन के समय विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता **1,360** मेगावाट थी, जो विगत **13** वर्षों में अर्थात मार्च, **2013** के अंत में बढ़कर **1924-7** मेगावाट हो गई है तथा सितंबर **2013** तक स्थापित क्षमता बढ़कर **2424.70** मेगावाट हो गई है। इसमें **2280** मेगावाट ताप विद्युत, **138.7** मेगावाट जल विद्युत तथा **6** मेगावाट अन्य (सह–उत्पादन) की स्थापित क्षमता है।

सारणी 11.4 विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता एवं विद्युत उत्पादन

क्रं	विद्युत परियोजना	क्षमता (मेगावाट)	परिचालन वर्ष
I	ताप विद्युत गृह		
1	कोरबा पूर्व –**II**	**4 x 50 =200**	**1966-68**
2	कोरबा पूर्व –**III**	**2 x 120 =240**	**1976-81**
3	डॉ. एस.पी.एम. ताप विद्युत गृह	**2 x 250=500**	**2007**
4	कोरबा पश्चिम	**4 x 210=840**	**1983-86**
	कोरबा पश्चिम विस्तार	**1x500=500**	**2013**
5	भोरमदेव सह–उत्पादन, कवर्धा	**1 x 6 =6**	**2006**
II	जल विद्युत परियोजना –		
1	मिनीमाता हसदेव–बांगो	**3 x 40=120**	**1994-95**
2	जल विद्युत गृह गंगरेल	**4 x 2.5=10**	**2004**
3	जल विद्युत गृह सीकासार	**2x 3.5=7**	**2006**
4	लघु जल विद्युत गृह (कोरबा पश्चिम)	**2 x 0.85=1.7**	**2003,2009**
	योग	**2424.7 MW**	

कोरबा पश्चिम विस्तार परियोजना (**1x500** मेगावाट) **5** सितंबर **2013** से व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ हुआ । जिला चांपा–जांजगीर के समीपस्थ ग्राम मडवा – तेंदुभाठा में **2x500** मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र की परियोजना के इकाई क्रमॉक 1 के बॉयलर का लाईट–अप दिनॉक **14-01-2013** को किया गया। परियोजना की प्रथम इकाई दिसंबर **2013** एवं द्वितीय इकाई फरवरी **2014** को कियाशील किया जाना प्रस्तावित है। इन इकाइयों के स्थापित होने पर राज्य के अपने विद्युत संयंत्रों की कुल स्थापित क्षमता वर्तमान में स्थापित **2424.70** मेगावाट क्षमता से **41** प्रतिशत वृद्धि होकर **3424.7** मेगावाट हो जायेगी ।

सारणी 11.5 खपत

	वर्ष	उपलब्धियां
संयंत्र विद्युत खपत	2011–12	**9.46** प्रतिशत
प्लांट लोड फैक्टर	2012–13	**77.61** प्रतिशत
विशिष्ट तेल खपत	2012–13	**0.772** मि.ली. प्रति विद्युत इकाई,
विशिष्ट कोल खपत	2012–13	**0.771** कि.ग्रा. प्रति विद्युत इकाई,

इस दौरान **12465.988** मिलियन यूनिट (तापीय **12101.309** जलीय **358.461** एवं अन्य सह–उत्पादन **4.435** मिलियन यूनिट.) विद्युत का उत्पादन किया गया, ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा वित्तीय वर्ष **2013-14** में लगभग **12015** मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। जिसके एवज में संयंत्रों द्वारा वित्त वर्ष **2013-14** में सितम्बर **2013** तक **5667.253** मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया गया है। जिसमें **5472.092** मिलियन यूनिट तापीय, **194.859** मिलियन यूनिट जलीय एवं **0.302** मिलियन यूनिट अन्य सह–उत्पादन किया गया।

11.1.2 विद्युत उत्पादन संयंत्रों की विशिष्ट उपलब्धियां वर्ष 2012.13

1. **4x210** मेगावाट हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम की इकाई क्र. **2** द्वारा सर्वकालिक अधिकतम वार्षिक विद्युत उत्पादन **1741.77** मिलियन यूनिट (**94.68% PUF**) हुआ। इसका पिछला वार्षिक कीर्तिमान **1703.5** मिलियन यूनिट **92.6%** प्लांट लोड फेक्टर के साथ वित्तीय वर्ष **2010-11** में था।
2. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ताप विद्युत गृह की इकाई क्र. **2** ने बिना किसी बॉयलर ट्यूब लिकेज के **405** दिन निरंतर उत्पादन कर नया कीर्तिमान स्थापित किया।
3. सिकासार जल विद्युत संयंत्र द्वारा सर्वकालिक अधिकतम वार्षिक उत्पादन **13.80** मिलियन यूनिट वित्तीय वर्ष **2012-13** में रहा। इसका पिछला वार्षिक कीर्तिमान **9.523** मिलियन यूनिट वर्ष **2007-08** में था।
4. सिकासार जल विद्युत संयंत्र द्वारा सर्वकालिक अधिकतम मासिक उत्पादन **4.0** मिलियन यूनिट माह अगस्त **2012** में रहा। इसका पिछला वार्षिक कीर्तिमान **3.229** मिलियन यूनिट सितंबर **2011** में था।
5. हसदेव ताप विद्युत गृह, कोरबा पश्चिम स्थित **210** मेगावॉट की इकाई क्रमॉक **- 2** द्वारा वर्ष **2012-13** में सर्वकालिक न्यूनतम विशिष्ट तेल खपत **0.399 ml/Kwh** रही। इसका पिछला वार्षिक कीर्तिमान **0.427 ml/Kwh** वर्ष **2009-10** में था।
6. हसदेव लघु जल विद्युत गृह परियोजना (कोरबा पश्चिम) कोरबा द्वारा सर्वकालिक अधिकतम वार्षिक उत्पादन **7.521** मिलियन यूनिट **(PAF 99.89%)** उत्पादन हुआ (इकाई स्थापना काल से)।

11.1.3 प्रदत्त विद्युत :– वित्त वर्ष **2012-13** के दौरान ताप जल एवं अन्य सह–उत्पादन विद्युत गृहों द्वारा आक्जिलरी खपत पश्चात उत्पादित विद्युत प्रणाली में कुल **11309**.44 मिलियन यूनिट विद्युत प्रदत्त (यूनिट सेन्ट आउट) की गई इसमें ताप विद्युत उत्पादन द्वारा **10948**.**753** मिलियन यूनिट जल विद्युत उत्पादन द्वारा **356**.252 मिलियन यूनिट तथा अन्य (सह–उत्पादन) द्वारा **4**.435 मिलियन यूनिट प्रदत्त विद्युत रही।

11.1.4 ईधन खपत एवं विशिष्ट ईंधन खपत (2012.13)

सारणी 11.6 ईधन खपत

विद्युत गृह का नाम	ईधन खपत		विशिष्ट ईंधन खपत	
	कोयला खपत (मीट्रिक टन)	तेल खपत (किलो लीटर)	विशिष्ट कोयला खपत (किलोग्राम प्रति यूनिट)	विशिष्ट तेल खपत (मिलीलीटर प्रति यूनिट)
कोरबा पूर्व :–				
विद्युत गृह–2	**1348803**	**4228.125**	**1.035**	**3.244**
विद्युत गृह–3	**992821**	**2568.00**	**0.969**	**2.506**
कोरबा पूर्व संकुल	**2341624**	**6796.125**	**1.006**	**2.919**
कोरबा पूर्व (**2 x 250** मेवा)	**-**	**-**	**-**	**-**
डॉ.एस.पी. एम ता.वि. गृह	**2492927**	**1086.85**	**0.73**	**0.32**
कोरबा पश्चिम :–				
विद्युत गृह–1	**2377473**	**1662.19**	**0.709**	**0.495**
विद्युत गृह–2	**2126445**	**1371.511**	**0.713**	**0.861**
कोरबा पश्चिम संकुल	**4503918**	**4231.091**	**0.71**	**0.667**

11.2 पारेषण की उपलब्धि :–

मंडल द्वारा वित्त वर्ष **2012–13** के दौरान पारेषण प्रणाली के उन्नयन के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जिनका संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है :–

11.2.1 उपकेन्द्र निर्माण :–

वर्ष **2012–13** के अंत में उच्च दाब उपकेन्द्रों कुल संख्या **79** तथा इनकी संयुक्त क्षमता **11561.5** एम व्ही ए हो गई है जो वर्ष **2000** में क्रमशः **27** एवं **3795** एम व्ही ए थी।

वित्त वर्ष **2011–12** एवं **2012–13** के दौरान मण्डल द्वारा उपकेन्द्र स्थापना की वोल्टेज अनुपात अनुसार जानकारी निम्नानुसार है :–

सारणी 11.7 वोल्टेज एवं उपकेन्द्रों की संख्या

क्र.	वोल्टेज अनुपात	उपकेन्द्रों की संख्या	
		वर्ष 2011–12 की स्थिति	वर्ष 2012–13 स्थिति
1	400 के.व्ही. उपकेन्द्र	**1**	**2**
2	220 के.व्ही. उपकेन्द्र	**15**	**15**
3	132 केव्ही उपकेन्द्र	**55**	**61**
4	एच.व्ही.डी.सी. उपकेन्द्र	**1**	**1**
योग		**72**	**79**

11.2.2 विद्युत लाईनों का निर्माण :–

वर्ष **2000** की स्थिति में अति उच्च दाब की कुल लाईनें **5205.46** सर्किट कि.मी. थी वह वर्ष **2012–13** में **9549.6** सर्किट कि.मी. हो गई है। राज्य में विद्युत प्रणाली का वोल्टेज अनुपातवर्ष **2012-13** तक की स्थिति में विद्युत लाईनों का विवरण निम्नानुसार है :–

सारणी 11.8 विद्युत लाईनों का निर्माण					
क्र.	वोल्टेज अनुपात	31 मार्च 2012 की स्थिति	2012–13 में वृद्धि	31 मार्च 2013 की स्थिति	सितंबर 2013 की स्थिति
	अति उच्चदाब लाईनें				
1	400 केव्ही लाईनें	**708**	**403.98**	**1111.98**	**1166.08**
2	220 केव्ही लाईनें	**2785.43**	**191.78**	**2977.21**	**3071.41**
3	132 केव्ही लाईनें	**4882.24**	**218.16**	**5100.40**	**5184.48**
4	एचव्हीडीसी. लाईनें	**360.00**	**-**	**360.00**	**360.00**

11.3 वितरण की उपलब्धि :–

मंडल द्वारा वर्ष 2012–13 के दौरान उप–पारेषण तथा वितरण प्रणाली के उन्नयन कार्य का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है :–

11.3.1 उपकेन्द्र निर्माण :–

वर्ष 2000 की स्थिति में उच्चदाब उपकेन्द्रों तथा वितरण उपकेन्द्रों की कुल संख्या मात्र 29940 थी। वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान मण्डल द्वारा उपकेन्द्र स्थापना की वोल्टेज अनुपात जानकारी निम्नानुसार है :–

सारणी 11.9 वोल्टेज अनुपात एवं उपकेन्द्रों की संख्या				
क्र.	वोल्टेज अनुपात	उपकेन्द्रो की संख्या		
		2011–12 की स्थिति	2012–13 की स्थिति	वर्ष 2013–14 30.09.2013
1	33/11 के.व्ही.उपकेन्द्र	**734**	**803**	**805**
2	11/0.4 के.व्ही उपकेन्द्र (वितरण ट्रांसफार्मर)	**75217**	**84047**	**86281**
	योग :–	**75951**	**84850**	**87086**

11.3.2 विद्युत लाईनों का निर्माण :–

छ.रा.वि. मण्डल गठन वर्ष 2000 की स्थिति में उच्चदाब तथा निम्नदाब की कुल विद्युत लाईनें 98858 कि.मी. थी, वह तेरह वर्षो में बढ़कर वर्ष 2012–13 में 225376 कि.मी. हो गई है। वर्ष 2013–14 में 30.09.2013 की स्थिति में 230675 कि.मी. हो गई है। राज्य में विद्युत प्रणाली की वोल्टेज अनुपात अनुसार वर्ष 2012–13 तक की स्थिति में विद्युत लाईनों का विवरण निम्नानुसार है :–

सारणी 11.10 वोल्टेज अनुपात अनुसार विद्युत लाईनों का विवरण					
क्र.	वोल्टेज (के.व्ही.)	31 मार्च 12 की स्थिति	2012–13 में वृद्धि	31 मार्च 2013 की स्थिति में	वर्ष 2013–14 में 30.09.2013 तक
I	उच्चदाब लाईनें				
1	33 के.व्ही. लाईने	**15522**	**805**	**16327**	**188**
2	11 के.व्ही. लाईने	**71043**	**4125**	**75168**	**1884**
	कुल उच्चदाब लाईने	**86565**	**4930**	**91495**	**2072**
II	निम्नदाब लाईने				
3	400–230 वोल्ट्स	**124825**	**9056**	**133881**	**3228**
	महायोग :–	**211390**	**13986**	**225376**	**5300**

11.3.3 सामान्य विकास कार्य :–

मण्डल द्वारा उप–पारेषण तथा वितरण हेतु सामान्य विकास योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2012–13 में निम्नलिखित विकास कार्य किए गए :–

सारणी 11.1 योजनांतर्गत वर्ष 2012–13 में सामान्य विकास कार्य की उपलब्धि

सामान्य विकास योजनांतर्गत वर्ष 2012–13 की उपलब्धि			
क्र.	विवरण	इकाई	उपलब्धि
1	33 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी	135
2	11 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी	392
3	सेवाओं के लिए वितरण लाईन	कि.मी	485+65 (कनवर्सन)
4	सड़क बत्ती हेतु विवरण लाईन	कि.मी	71+ 52.93 (कनवर्सन)
5	सड़क बत्तियॉं (बिन्दु)	संख्या	3028
6	नये वितरण ट्रांसफार्मर	संख्या	1317
7	वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि	संख्या	338
8	वर्षावधि में प्रदाय किये गये कनेक्शन (कुल)	संख्या	137189
i)	सिंगल फेस	संख्या	119293
ii)	थ्री फेस	संख्या	17725
9	उच्चदाब कनेक्शन	संख्या	171

11.3.4 आगामी वर्ष हेतु उप–पारेषण उवं वितरण प्रणाली कार्यो का लक्ष्य :–

मण्डल द्वारा उप–पारेषण एवं वितरण प्रणाली को ओर सुदृढ़ बनाने एवे पूरे सिस्टम में इनर्जी ऑडिट के लिए आवश्यक उपकरणों की स्थापना हेतु आगामी वर्ष 2013–14 निम्नलिखित कार्यो को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है :–

सारणी 11.12 पारेषण एवं वितरण प्रणाली कार्यो का लक्ष्य

क्र.	विवरण	इकाई	लक्ष्य
1	33 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	700
2	11 के.व्ही. लाईन निमार्ण	कि.मी.	600
3	33/11 के. व्ही. उपकेन्द्र	संख्या	89
4	33/11 के.व्ही उपकेन्द्रो की क्षमता वृद्धि	संख्या	30
5	11/0.4 के.व्ही उपकेन्द्र	संख्या	1650
6	11/0.4 के.व्ही. उपकेन्द्रों में क्षमता वृद्धि	संख्या	500

11.3.5 ग्राम विद्युतीकरण :–

जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में कुल 19567 ग्रामों में से वित्त वर्ष 2012–13 के अंत की स्थिति में 18938 ग्राम (96.78 प्रतिशत) विद्युतीकृत है। शेष 629 अविद्युतीकृत ग्रामों में से 543 ग्रामों में वनबाधा होने से गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत से किया जाना प्रस्तावित है। वनबाधा रहित 86 ग्रामों का विद्युतीकरण ''राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण'' कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाना है।

11.3.6 मजरा–टोलों विद्युतीकरण :–

जनगणना 1971 के पश्चात् राज्य में मजरा–टोलों की संख्या संबंधी वास्तविक जानकारी किसी भी जनगणना विवरण में उपलबध नहीं है। अपितु जनगणना 2001 की रहवासी क्षेत्रों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य में कुल मजरा–टोलों की संख्या 35,096 अनुमानित है।

विचाराधीन वर्ष में 685 मजरा–टोलों को विद्युतीकृत किया गया है, जिससे वर्ष 2012–13 के अंत तक की स्थिति में कुल 24729 मजरा–टोला अर्थात् राज्य में 70.46 प्रतिशत मजरा–टोलों का विद्युतीकरण हो गया हैं। शेश 10367 मजरा–टोला का कार्य राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत किया जा रहा है।

11.3.7 पंपों का ऊर्जीकरण :–

राज्य के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु छ0ग0 राज्य विद्युत मण्डल एवं राज्य शासन द्वारा पंप/नलकूप विद्युतीकरण हेतु नई नीति तथा लक्ष्य निर्धारण कर विगत 7 वर्शो में (2006–07 – 2012–13) लगभग 1,80,717 नये सिंचाई पंपों को विद्युतीकृत किया गया है। नई नीति में अधिक–से–अधिक कृषक लाभान्वित एवं उनका आर्थिक बोझ कम कराने के उद्येश्य से प्रति पंप हेतु लाईन विस्तार बाबत् कुल अनुदान रू0 50,000/– से बढ़ाकर रू0 75000/– किया गया है जो दिनांक 01.04.2012 से प्रभावशील।

वर्ष 2012–13 जल संसाधन विभाग व्दारा निर्मित एनीकट तथा राज्य में नदी नालों के किनारे पंपो के ऊर्जीकरण की योजना को शामिल कर ऊर्जीकरण का लक्ष्य 21000 रखा गया ।

कार्य	30.09.2013 तक	अब तक कुल
लाइन विस्तार	8949	314748
ऊर्जीकृत	7168	303768

राज्य शासन द्वारा कृषकों को वित्तीय राहत प्रदान किये जाने के उद्देश्य से कृषक जीवन ज्योति योजना 02 अक्टूबर 2009 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक कृषक परिवार के 3 अश्वशक्ति तक के कृषि पम्पों पर 6000 यूनिट प्रति वर्ष एवं 3 अश्वशक्ति से अधिक एवं 05 अश्वशक्ति तक के कृषि पम्पों पर 7500 यूनिट प्रति वर्ष निःशुल्क विद्युत प्रदाय की सुविधा दी गई है। योजना का विस्तार करते हुए अस्थाई कृषि पम्पों पर भी उपरोक्तानुसार छूट देने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है। इस हेतु राज्य शासन व्दारा वर्ष 2012–13 में रू 250 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। वर्श 2013–14 में 5 हा.पा. तक सिंचाई पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु रू. 270 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है।

11.3.8 किसान समृद्धि योजना (इंदिरा खेत गंगा योजना) :–

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2002 में इंदिरा खेत गंगा योजना के नाम से एक योजना चालू की गई है (वर्तमान में यह योजना किसान समृद्धि योजना के नाम से जानी जाती है) जिसके अंतर्गत अल्प वर्षो (वृष्टि छाया) वाले जिलों में नलकूप खनन एवं उनमें पंप ऊर्जीकरण के माध्यम से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। यह योजना पांच जिलों में लागू है। इस योजना को वर्तमान में लघु एवं सीमांत

कृषको तक सीमित कर नलकूपों के विद्युतीकरण हेतु विद्युत लाईनों के विस्तार पर आने वाले व्यय की अधिकतम राशि रूपये 75,000/– प्रति पंप निर्धारित की गई है।

विचाराधीन वर्ष 2012–13 में इस योजना के अंतर्गत कुल 393 नलकूपों के विद्युतीकरण के कार्यो हेतु विद्युत लाईनों को विस्तारित किया गया। इस प्रकार वर्षात तक कुल 14894 नलकूपों के लाईन विस्तार के कार्य पूर्ण किये गये।

11.3.9 बी.पी.एल. कनेक्शन (एकलबत्ती)

बी0पी0एल0 परिवारों को एकलबत्ती कनेक्शन की सुविधा प्रदान करते हुए 40 यूनिट खपत के विद्युत देयक राशि का प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा किया जाता है। इस योजना की प्रगति निम्नानुसार है–

11.3.10 राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (केन्द्र प्रवर्तित योजना)

इस योजना में सम्मिलित अविद्युतीकृत ग्रामों/मजरा–टोलों का विद्युतीकरण तथा बीपीएल परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदाय किया जाना है। इस योजना को कियान्वयन करने हेतु केंद्र शासन के एन.ई.एस.सी. एल., एन.एच.पी.सी., पी.जी.सी.आई.एल., सी.एस.पी. डी.सी.एल. को अधिकृत किया गया है। योजना हेतु स्वीकृत राशि 1368 करोड़, जिसमें 864 करोड़ प्राप्त एवं 764 करोड़ राशि व्यय की गई है। योजना की भौतिक प्रगति निम्नानुसार है–

वर्ष	कनेक्शन	कुल कनेक्शन	व्यय/ प्रावधान
2012–13	1,68,838	14,45,891	101 करोड़
2013–14			110 करोड़

सारणी 11.13 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की प्रगति (30.09.2013)

राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की प्रगति (30.09.2013 तक)

क्र.	विवरण	स्वीकृत प्रावधान	पूर्ण कार्यों	शेष कार्य
1	अविद्युतीकृत/डी–इलेक्ट्रीफाईड ग्रामों की संख्या	1572	1072	500
2	कुल पूर्व से विद्युतीकृत ग्रामों के सघन विद्युतीकरण की संख्या	14421	12286	2135
3	कुल बी.पी.एल. अवासगृहों को दिये जाने वाले कनेक्शनों की संख्या	941465	702496	238696
4	33 के0 व्ही0 लाईन (कि.मी.)	297	117	18
	33/11 के.व्ही. नये उपकेन्द्र	11	7	4
	33/11 के.व्ही. ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि	39	38	1
	33/11 के.व्ही. अतिरिक्त ट्रांसफार्मर	32	31	1
5	11 के.व्ही. लाईन (कि.मी.)	16910	7178	9731
6	निम्न दाब लाईन (कि.मी.)	20647	14857	5790
7	वितरण ट्रांसफार्मरों की संख्या	23530	14139	9391

बजट प्रावधान वर्ष 2013–14 रूपए 250.00 करोड़

- दिनांक 30/09/2013 तक व्यय की गई राशि रूपये 55.00 करोड़
- भौतिक लक्ष्य

सारणी 11.14

1.	अविद्युतीकृत/डी–इलेक्ट्रीफाईड ग्रामों की संख्या	300	176	283
2.	कुल पूर्व से विद्युतीकृत ग्रामों के सघन विद्युतीकरण की संख्या	2000	1205	984
3.	कुल बी.पी.एल. अवासगृहों को दिये जाने वाले कनेक्शनों की संख्या	120000	66144	153456

11.3.11 मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की तर्ज पर शहर के गरीब तबके के लोगों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने एवं शहरी अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु '' मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना प्रारंभ की गई है, जो निम्नानुसार है :–

- 0 शहरी क्षेत्र के सभी अविद्युतीकृत बस्ती / टोलों का विद्युतीकरण।
- 0 प्रत्येक घरों तक विद्युत लाईन उपलब्ध कराना।
- 0 बीपीएल परिवार को निःशुल्क एकलबत्ती कनेक्शन उपलब्ध कराना।
- 0 तंग गलियों एवं व्यस्त मार्गों में सुरक्षा की दृश्टि से ओवरहेड अथवा अंडर ग्राउंड केबलों तथा अधिक लाईन लॉस वाले क्षेत्रों में ए.बी. केबल लगाया जाना।
- 0 अव्यवस्थित विद्युत लाईनों को पहुंच मार्गों के अनुरूप व्यवस्थित करना एवं वितरण ट्रांसफार्मरों को सुरक्षित / उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट करना।

योजना के प्रथम चरण में प्रदेश के 10 नगर निगम क्षेत्र शामिल किए गए हैं। राज्य शासन के बजट में योजना के अंतर्गत वर्ष 2012–13 में रू. 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें सम्पूर्ण राशि खर्च की जा चुकी है। वर्ष 2013–14 के बजट में रू. 30.00 करोड़ का प्रावधान रखा गया है जिसमें 18.00 करोड़ रूपए की राशि खर्च की जा चुकी है।

योजना के अंतर्गत सम्मिलित कार्यों के वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2013–14 (दिनांक 30.09.2013 तक) हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण निम्नानुसार है :–

सारणी 11.15

क्र0	विवरण	वर्ष 2012–13		वर्ष 2013–14	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	बी0पी0एल0 कनेक्शन (संख्या)	5000	3762	10000	4313
2.	नई लाईन का विस्तार				
	(अ) 11 के0व्ही0 लाईन (कि.मी.)	63	17	70	31
	(ब) निम्न दाब लाईन केबल द्वारा(कि.मी.)	135	130	95	47
	(स) वितरण ट्रांसफार्मर (संख्या)	105	85	90	37
3.	लाईन शिफ्टिंग				
	(अ) 33 के0व्ही0 लाईन (कि.मी.)	29	46	60	26
	(ब) 11 के0 व्ही0 लाईन (कि.मी.)	52		75	35
	(स) निम्न दाब लाईन केबल द्वारा (कि.मी.)	39		45	24
	(द) वितरण ट्रांसफार्मर (संख्या)	45	36	45	22
4.	बेयर कन्डक्टर के स्थान पर एबी केबल लगाया जाना (कि.मी.)	125	60	90	42
5	कन्डक्टर की क्षमता वृद्धि (संख्या)	55	10	50	25

11.3.12 वितरण हानि

वर्ष 2012–13 में वितरण हानि का प्रतिशत 25.70 रहा जो वर्ष 2011–12 की अपेक्षा 2.85 प्रतिशत कम है। वर्ष 2013–14 में और भी 2 प्रतिशत हानि कम करने का लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्यवाही जारी है।

छत्तीसगढ़ राज्य में वर्षवार वितरण हानि

सारणी 11.16 छ.ग. राज्य में वर्षवार वितरण हानि

क्र.	वर्ष	विद्युत उपलब्धता (मिलियन यूनिटं)	खपत (मिलियन यूनिटं)	वितरण हानि (मिलियन यूनिटं)	वितरण हानि प्रतिशत में
1	2009–10	17224	11311.39	5912.61	31.50
2	2010–11	17890	12139.12	5750.88	29.47
3	2011–12	18979	13176.16	5802.84	28.55
4	2012–13	19540	14200.41	5339.59	25.70

11.3.13 विद्युत उपभोक्ता :–

वर्ष 2012–13 में कुल उपभोक्ताओं की संख्या 38 लाख 03 हजार है जो वर्ष 2011–12 की तुलना में 8.50 प्रतिशत अधिक है। इसमें से 24.92 लाख उपभोक्ता अर्थात् 65.58 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के है जो विगत वर्श के की तुलना में 7.08 प्रतिशत अधिक है।

कुल उपभोक्ताओं में से वर्ष 2012–2013 के अंत में हितग्राही उपभोक्ताओं में बी.पी.एल. के 37.97 प्रतिशत एवं कृशि हितग्राही उपभोक्ताओं का 8.36 प्रतिशत है जो कि वर्ष 2011–12 के अंत में क्रमशः 37.39 एवं 7.68 प्रतिशत था।

11.3.14 विद्युत उपभोक्ता का स्वरूपः–

वर्ष 2012– 13 [illegible] खपत की गई जो कि विगत वर्ष 2011–12 की खपत से 7.77 प्रतिशत अधिक है। राज्य में विक्रय की गई बिजली का 40.54 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। कुल खपत में से वर्ष 2012–13 में हितग्राही बी.पी.एल. उपभोक्ताओं की खपत 6.18 प्रतिशत एवं हितग्राही कृशि पंप उपभोक्ताओं की खपत 17.08 प्रतिशत आंकी गई जो कि वर्ष 2011–12 में क्रमशः 5.78 एवं 14.46 प्रतिशत थी।

सारणी 11.17 राज्य में कुल विद्युत विक्रय का विवरण

राज्य में कुल विद्युत विक्रय का विवरण

विवरण	घरेलू	गैर घरेलू	औद्योगिक	कृषि	सार्वजनिक
कुल विक्रय	26.43	8.12	45.61	17.73	2.11
ग्रामीण क्षेत्र में उपयोग	22.37	1.98	30.81	43.89	0.95

11.3.15 राजस्व संग्रहणः–

वर्ष 2012–13 में समस्त प्रकार के उपभोक्ताओं से विद्युत खपत एवं अन्य चार्ज के विरूद्ध कुल रूपये 6715.13 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया।

11.3.16 बकाया राशिः— 2012—13 अंत में बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार :—

सारणी 11.18

2012—13 अंत में बकाया राशि का विवरण करोड़ रू.

कुल बकाया राशि	निम्नदाब उपभोक्ता	उच्च दाब उपभोक्ता	राज्य शासन	सार्वजनिक उपकरण	रेल्वे
2588.66	**323.33**	**2265.33**	**7.23**	**42.00**	**2106.34**

परिवहन

11.4 छत्तीसगढ़ राज्य में रेल परिवहन के विस्तार में कमी के कारण सड़क परिवहन के प्रमुख संसाधन मालयानों तथा यात्रीयानों का आन्तरिक परिवहन संचालन व्यवस्था में अपना एक विशिष्ठ स्थान है।

मार्च **2011-12** के अंत में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या **3104** हजार थी जो मार्च **2013** में बढ़कर **3437** हजार (**10.73** प्रतिशत की वृद्धि) हो गई है। यात्री वाहनों में **12.31** प्रतिशत, कार एवं जीप में **13.27** प्रतिशत, दोपहिये वाहनों में **10.58** प्रतिशत तथा अन्य प्रकार के वाहनों में **10.20** प्रतिशत वृद्धि परिलक्षित हुई है।

सारणी 11.19

राजस्व संग्रहण (शुल्क एवं कर)

मद	2011—12	2012—13	2012—13 सितम्बर तक	2013.14 सितम्बर तक
शुल्क / कर (करोड़)	509	592	275	306
वृद्धि (प्रतिशत)		16.3		11.3

केन्द्र सरकार के योजनानुसार प्रत्येक वाहनो में हाई सिक्योरीटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की योजना अंतिम चरण में है। राज्य के सीमावर्ती स्थानों में पाटेकोहरा में कम्प्यूटरीकृत तौल कांटा स्थापित किए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

परिवहन आयुक्त कार्यालय एवं **22** मैदानी परिवहन कार्यालयों की कम्प्यूटरीकरण योजना पूर्ण हो चुकी है। इस स्मार्ट कार्ड योजना से वाहन एवं सारथी सॉफ्टवेयर के माध्यम से लाईसेंस एवं चिप्स युक्त कार्ड दिया जा रहा है। इससे वाहन स्वामी को डूप्लीकेशन एवं फर्जी प्रकरणों से मुक्ति मिलेगी। स्मार्ट कार्ड 24 के.बी. स्कोस्टा स्मार्ट कार्ड पर आधारित हैं, जिसे वाहन स्वामी के घर के पते पर पंजीयन उपरांत पंजीकृत / स्पीड पोस्ट से प्रेषित किए जा रहे हैं।

डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन योजना द्वारा पंजीकृत विक्रेता को सर्टिफिकेट जारी एवं कर एवं फीस का भुगतान की सुविधा दी जा रही है। मोबाईल पर एस.एम.एस. के जरिए जानकारी प्राप्त करने की सुविधा शीघ्र प्रारंभ की जा रही है।

ऑन—लाईन फीस तथा टैक्स भुगतान की सुविधा परिवहन विभाग द्वारा लागू की गई हैं जिससे स्टेट बैंक के ऑन—लाईन सिस्टम के साथ एकीकृत किया गया है।

सड़कें एवं पुल

लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात सड़को के उन्नतिकरण एवं पुलों के निर्माण में विशेष ध्यान दे रहा है। वर्ष **2012-2013** में **3639** कि.मी. सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन कार्य किया गया जिसमें गिट्टीकरण, डामरीकरण, चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं नवीनीकरण के कार्य किए गए एवं 63 वृहद पुलों एवं 12 मध्यम पुलों एवं 02 रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण किया गया और 137 वृहद पुल एवं 02 मध्यम पुल एवं 06 रेल्वे ओव्हर ब्रिज प्रगति पर हैं। वर्ष **2013-14** में सितंबर 2013 तक **2109.00** कि.मी. सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन किया गया एवं **15** वृहद पुलों एवं **03** मध्यम पुलों का निर्माण पूरा किया गया तथा **144** वृहद पुल, 01 मध्यम पुल एवं 06 रेल्वे ओव्हर ब्रिज कार्य प्रगति पर हैं।

वर्ष **2012-13** में कुल राशि रू. **3116.32** करोड़ प्रावधान के विरूद्ध रू. **2181.38** करोड़ रू. का व्यय किया गया। वर्ष **2013-14** में माह सितम्बर तक रू. **3668.44** करोड़ के प्रावधान के विरूद्ध रू. **1031.53** करोड़ व्यय किये गये है।

छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास परियोजना के अंतर्गत एशियन डेव्हलपमेन्ट बैंक (ए.डी.बी.) की सहायता से महत्वपूर्ण राज्य मार्गों एवं जिला मार्गों जिनकी लंबाई कुल **1188** कि.मी. के उन्नयन/पुर्ननिर्माण का कार्य किया जा रहा है। परियोजना की अनुमानित लागत रू. **1266** करोड़ है। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में कुल **1188** कि.मी. सड़कों का उन्नयन कार्य पूर्ण हो रहा है।

बाक्स नं. –12.1

वर्ष 2013–14 में पूर्ण हुए महत्वपूर्ण भवन कार्यों की जानकारी

- करतला जिला कोरबा में आई.टी.आई. भवन का निर्माण लागत रू. **2.11** करोड़।
- कोरबा में जिला परिवहन कार्यालय भवन का निर्माण लागत रू. **1.00** करोड़।
- देवरीखुर्द जिला बिलासपुर में मॉडल स्कूल भवन का निर्माण लागत रू.**2.62** करोचड़।
- फुलवारी जिला मुंगेली में मॉडल स्कूल भवन का निर्माण लागत रू. **3.02** करोड़।
- कोतरी जिला मुंगेली में मॉडल स्कूल भवन का निर्माण लागत रू. **3.02** करोड़।
- धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ में मॉडल स्कूल भवन का निर्माण लागत रू.**2.62** करोड़।
- वेद परसदा जिला बिलासपुर में मॉडल स्कूल भवन का निर्माण लागत रू. **2.62** करोड़।
- जगदलपुर में मेडीकल कॉलेज भवन का निर्माण लागत रू. **11.78** करोड़।
- रायगढ़ में मेडीकल कॉलेज भवन का निर्माण लागत रू. **83.43** करोड़।
- अंबिकापुर में सैनिक स्कूल में एकेडमिक भवन का निर्माण लागत रू. **4.34** करोड़।

विभाग के अंतर्गत महत्वपूर्ण भवन कार्य जो प्रगतिरत हैं

- बिलासपुर में राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण लागत रू. **60.41** करोड़।
- राजनॉदगॉव में पॉलीटेक्निक कॉलेज भवन का निर्माण लागत रू. **11.98** करोड़ ।
- हाईकोर्ट आवासीय भवन, बिलासपुर का निर्माण लागत रू. **59.44** करोड़।
- जंगलवार फेयर कॉलेज भवन का निर्माण लागत रू. **29.53** करोड़।
- रायपुर में साईंस कॉलेज परिसर में एस्ट्रोटर्फ का निर्माण लागत रू. **10.61** करोड़।
- संयुक्त कार्यालय का निर्माण नवीन जिला बलौदाबाजार में लागत रू. **12.00** करोड़।
- जिला नारायणपुर में 82 शासकीय आवास गृह का निर्माण लागत रू. **11.27** करोड़।
- भवन कार्यो के अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय प्रशासन, पुलिस, राजस्व तथा अन्य विभागों के आवासीय तथा गैर आवासीय भवन कार्य वर्ष **2012-13** में **267** भवन कार्य पूर्ण किए गए थे, तथा **472** कार्य प्रगति पर थे। इन कार्यो हेतु वर्ष **2012-13** में रू. **554.91** करोड़ आवंटन के विरूद्ध रू. **268.13** करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। इस वर्ष इन कार्यो पर सितंबर, **2013** तक रू. **243.81** करोड़ आबंटन के विरूद्ध **112.97** करोड़ रूपये व्यय कर **139** भवन पूर्ण एवं **591** भवन के कार्य प्रगति पर हैं।

महत्वपूर्ण सड़कों के विकास हेतु एशियन डेव्हलपमेंट बैंक की सहायता से द्वितीय लोन प्राप्त कर 15 मार्ग लगभग 916 कि.मी. सड़कों के उन्नयन हेतु रू. 2355.00 करोड़ की नई योजना पर कार्यवाही की जा रही है।

11.6 बायपास मार्ग :– बायपास मार्ग के अंतर्गत **2012-13** में 02 बायपास अंबिकापुर शहर के बाहर रिंग रोड, सकरी से तुर्काडीह, बायपास का निर्माण पूर्ण किया गया एवं 05 बायपास मार्ग प्रगति पर थे। वित्तीय वर्ष **2013-14** में कवर्धा बायपास मार्ग पूर्ण किया गया एवं 06 बायपास मार्ग प्रगति पर हैं।

रेल्वे ओव्हरब्रिज के अंतर्गत वर्ष **2012–13** में रायगढ़ शहर में रेल्वे ओव्हर ब्रिज जोरा सड्डू धनेली मार्ग में टेकारी ब्रिज तथा डोंगरगढ़ में रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया तथा **04** रेल्वे ओव्हर ब्रिज प्रगति पर थे। वित्तीय वर्ष **2013-14** में 06 रेल्वे ओव्हर ब्रिज के कार्य प्रगति पर हैं।

आर्थिक एवं अंर्तराज्यीय महत्व की सड़क योजना अंतर्गत कुल **1** कार्य प्रगति पर है। वर्ष **2013-14** में **09/2013** तक रू. **25.17** करोड़ व्यय किया गया है।

एल.डब्लू.ई. योजनांतर्गत केन्द्र शासन को **53** सड़क कार्यो के रू. **2899.28** करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिनमें से **13** कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा **24** कार्य प्रगति पर हैं। शेष **15** कार्यों के लिए निविदा कार्यवाही प्रगति पर है। **01** कार्य नक्सल प्रभावित होने के कारण अप्रारंभ है।

12

ग्रामीण विकास एवं रोजगार

12. ग्रामीण विकास एवं रोजगार

पंचायत एवं ग्रामीण विकास

12.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना :– ग्रामीण इलाकों में आजीविका सुरक्षा की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए लोक सभा में 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम – 2005' विधेयक दिनॉक 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया। योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :–

- ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों को अकुशल शारीरिक कार्य की मांग किए जाने पर वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन रोजगार दिए जाने का प्रावधान है।
- मांग किए जाने के 15 दिन के भीतर कार्य न दिए जाने की स्थिति में आवेदक को बेरोजगारी भत्ता की पात्रता होगी।
- ग्रामीण परिवारों को पंजीयन एवं रोजगार कार्ड का वितरण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है।
- आवेदक द्वारा कार्य हेतु आवेदन ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत में दिया जायेगा।
- योजनांतर्गत अधिनियम के बंधनकारी प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री अनुपात 60:40 रखा जाना है।
- ग्रामीण परिवार के कम से कम दस वयस्क सदस्यों द्वारा काम की मांग किए जाने के 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना होगा।
- योजनांतर्गत कार्यों की गुणावत्ता एवं उपयोगिता के समुचित प्रबंध के लिए प्रत्येक छः माह में सामाजिक अंकेक्षण कराया जाना प्रावधानित है।

सारणी 12.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रगति

वर्ष	उपलब्ध राशि (करोड़)	व्यय (करोड़)	मानव दिवस सृजित लाख	परिवारों को रोजगार लाख
2012–13	2610.79	2231.87	1194.34	26.37
2013–14 सितं.13	1693.95	1341.85	666.53	19.83

12.2 इन्दिरा आवास योजना :– ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले आवासहीन परिवार को शत्प्रतिशत आर्थिक सहायता हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंश 75 व 25 प्रतिशत का है। योजनान्तर्गत वर्ष 2013–14 से नये आवास निर्माण हेतु रू. 70000 तथा नक्सल प्रभावित जिलों के लिए रूपये 75000 का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।

वन अधिकार पट्टाधारियों के लिए वर्ष 2013–14 हेतु 62372 आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसमें से 5575 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। इस हेतु राशि रू. 239.46 करोड़ का प्रावधान है।

सारणी 12.2 इन्दिरा आवास योजना

वर्ष	उपलब्ध राशि करोड़	व्यय करोड़	नये आवास
2012–13	**213.65**	**179.23**	**26240**
2013–14 नवं.13	**220.95**	**139.95**	**45412**

12.2 इन्दिरा आवास योजनाः— ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले आवासहीन परिवार को शत्प्रतिशत आर्थिक सहायता हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंश 75 व 25 प्रतिशत का है। योजनान्तर्गत वर्ष 2013—14 से नये आवास निर्माण हेतु रू. 70000 तथा नक्सल प्रभावित जिलों के लिए रूपये 75000 का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।

सारणी 12.2 इन्दिरा आवास योजना

वर्ष	उपलब्ध राशि करोड़	व्यय करोड़	नये आवास
2012—13	**213.65**	**179.23**	**26240**
2013—14 नवं.13	**220.95**	**139.95**	**45412**

वन अधिकार पट्टाधारियों के लिए वर्ष 2013—14 हेतु 62372 आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसमें से 5575 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। इस हेतु राशि रू. 239.46 करोड़ का प्रावधान है।

12.3 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कार्यो की प्रगतिः—

सड़कों के निर्माण में उच्च स्तरीय गुणवत्ता हेतु त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली अपनायी गयी है। साथ ही 26 मोबाइल वेन कार्यरत है।

सारणी 12.3 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रगति

2013—14 नवं. 13	सड़कों	लम्बाई कि.मी.	पात्र बसाहटें	व्यय करोड
लक्ष्य	6371	28452	9325	7895
निर्माण	4582	20983	6944	5410

योजना के अंतर्गत निर्मित सड़को में 5 वर्ष संधारण अवधि पूर्णता पश्चात 647 सड़के (लम्बाई 3084 कि.मी.) में सतह नवीनीकरण का कार्य पूर्ण कर वर्तमान में 428 सड़के लम्बाई 2123 कि.मी. में सतह नवीनीकरण का कार्य रू. 196 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है। वर्ष 2013—14 में 324 सड़के लम्बाई 1584 कि.मी. लागत रू. 230 करोड़ की नवीनीकरण की स्वीकृति जारी की गई जिसकी निविदाये प्रक्रियाधीन है।

12.3.1 नये स्वीकृति :—

- वर्ष 2012—13 में दिनांक 22 अगस्त 2012 को भारत सरकार से फेस—9 (**LWE**) अंतर्गत कबीरधाम एवं राजनांदगांव जिलों के लिए 217 सड़के, 579.37 कि.मी. एवं 221.06 करोड राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई।
- वर्ष 2012—13 में दिनांक 13 मार्च 2013 को भारत सरकार से **PMGSY Batch-II** अंतर्गत 517 सड़के, 1799 कि. मी. एवं 790.30 करोड राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई ।
- वर्ष 2013—14 में ए.डी.बी. आर.सी.आई.पी. ट्रेन्च—2 के तहत 132 सड़के लंबाई 441 कि.मी. एवं राशि रू.182 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार से दिनांक 23 अगस्त 2013 को प्राप्त हुई है। जिनमें निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत पूर्व निर्मित मार्गो छुटे वृहद पूल—पूलियों हेतु 341 पूलों की सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार से प्राप्त की गई है, जिसके अन्तर्गत 103 वृहद पुल—पुलियों , राशि रू. 205 करोड़ के पहले बेच की स्वीकृति दिनांक 23 अगस्त 2013 को भारत सरकार से प्राप्त हुई है।
- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 10 नग वैली ब्रिज का पायलेट प्रोजेक्ट लगभग रू. 21 करोड की स्वीकृति भारत सरकार से दिनांक 23 अगस्त 2013 को प्राप्त हुई है।

12.3.2 वर्ष 2013—14 के नवीन प्रस्ताव :—

उपरोक्त प्राप्त स्वीकृतियों के अतिरिक्त वर्ष 2013—14 में RCIP Tranch-III के तहत् ए.डी.बी. अंतर्गत 295 सड़कें, लंबाई 1051 कि.मी., लागत रू. 464 करोड़ के प्रस्ताव भारत सरकार को माह दिसंबर में प्रेषित किये गये हैं ।

12.3.3 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाः–

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–**I** अंतर्गत प्रत्येक विकासखण्ड व जिला स्तर पर तैयार जिला ग्रामीण सड़क योजना (**DRRP**) अथवा कोर–नेटवर्क की सड़कों पर स्वीकृति प्राप्ति की मात्रा लगभग 100 प्रतिशत पूर्ण होने की दशा में है।

सारणी 12.3 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रगति

2013–14 नवं. 13	सड़कों	लम्बाई कि.मी.	पात्र बसाहटें	व्यय करोड
लक्ष्य	6371	28452	9325	7895
निर्माण	4582	20983	6944	5410

इस प्रकार **PMGSY-I** द्वारा निर्मित ग्रामीण सड़कों के द्वारा अनेक बसाहटों/गांवो/विकासकेन्द्रों को जोड़ा गया है। जिसके फलस्वरूप थ्रू–सड़को (**Through route**) की सड़कों में यातायात का दबाव बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त अनेक सड़कों में औद्योगिक/वाणिज्यिक अथवा अन्य वृद्धि के कारण भी यातायात का सामान्य से अधिक दबाव हो रहा है, जिसके लिए इन थ्रू–सड़को एवं' चिन्हित लिंक सड़कों के ''रोड कस्ट'' की चौड़ाई 3.75 मीटर से बढ़ाकर 5.50 मीटर करने हेतु प्रस्ताव तैयार करना है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ''बिहान'' (NRLM)

12.4 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन कर इसे समाप्त करते हुए दिनांक 01.04.2013 से **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन** सम्पूर्ण प्रदेश में लागू किया गया है। योजनांतर्गत वित्त पोषण केन्द्र तथा राज्य के मध्य 75:25 के अनुपात में किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार के अवसरों का सृजन कर ग्रामीण परिवारों की गरीबी दूर करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समुदाय आधारित समूहों के लिए सूक्ष्म उद्यमों का विकास तथा ग्रामीण बी.पी.एल. युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाना शामिल है।

12.4.1 वित्तीय वर्ष 2012–13 की उपलब्धियां

वित्तीय वर्ष 2012–13 में केन्द्र शासन द्वारा राज्य के लिए क्रेडिट मोबिलाइजेशन का वित्तीय लक्ष्य (ऋण) रू. **140.00** करोड़ निर्धारित किया गया जिसके विरूद्ध रू. **148.93 करोड़** की वित्तीय उपलब्धि अर्जित की गयी, जो निर्धारित लक्ष्य का **106%** था।

समूह एवं स्वरोजगारी वर्ष 2012–13	लाभान्वित परिवारों					व्यय
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	कुल	महिलाएं	लाख
	7333 **(15%)**	21411 **(44%)**	19947 (41%)	48691 **(100%)**	31003 **(64%)**	8333.048

12.4.2 वित्तीय वर्ष 2013–14 की उपलब्धियां (दिसम्बर, 2013 की स्थिति में) :–

महिला स्व–सहायता समूहों को स्व–रोजगार स्थापना हेतु बैंकों के साथ जोड़ना योजना का प्रमुख लक्ष्य है। इसके अंतर्गत महिला स्व–सहायता समूहों को आगामी 6–7 वर्षों तक रिपीट लोन के माध्यम से उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जाना है। योजनांतर्गत कैपिटल सब्सिडी के प्रावधान न होने के कारण राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि समस्त महिला स्व–सहायता समूहों को 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जावेगा, परंतु इस हेतु स्व–सहायता समूहों को समयावधि में बकाया ऋण का भुगतान करना आवश्यक होगा। वित्तीय वर्ष 2013–14 में योजनांतर्गत क्रेडिट मोबिलाइजेशन का वित्तीय लक्ष्य (ऋण) रू. **22300.00** लाख निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2013 तक रू. **1921.55** लाख की वित्तीय उपलब्धि अर्जित की गयी।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना

12.5 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध 08 अधीक्षण अभियंता तथा जिला स्तर पर समर्पित 16 कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण विकास संभाग गठित किया जाकर शेष 11 जिलों में कार्यरत परियोजना क्रियान्वयन इकाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना संयुक्त रूप से कार्य कर रही है।

सारणी 12.4 मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क एवं विकास योजना की प्रगति

वर्ष	संख्या	लंबाई (किमी)	व्यय राशि (करोड़)
2011–12	137	47	203.70
2012–13	1239	4178.82	2029.38
2013–14	34	100.35	48.85
कुल	1410	4686.17	2281.94

निविदा स्वीकृत कार्यों में से 869 कार्य प्रारंभ कर लगभग 300.00 कि.मी. डामरीकृत तथा गली कांक्रीट सड़क, 990 पुल–पुलिया कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। इस योजना अंतर्गत अभी तक कुल 300.80 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

उपरोक्त सड़कों के निर्माण हेतु नाबार्ड से 80: राशि ऋण स्वरूप लिये जाने का सैद्धान्तिक निर्णय लिया गया है। अभी तक नाबार्ड को कुल 1171 सड़कें राशि रू. 1639.46 करोड़ के ऋण प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जिनमें से नाबार्ड द्वारा 912 सड़कों हेतु राशि रू. 1029.92 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है।

मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना

12.6 मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजनांतर्गत वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में 4533 सड़कें, लंबाई 1278.953 किमी., लागत 683.36 करोड़ के सीमेंट कांक्रीट सह नाली निर्माण हेतु अनुमोदन किया गया है, जिसमें से 4344 सड़कें लंबाई 1218.88 किमी. तथा लागत 660.99 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है, शेष प्रक्रियाधीन हैं। जिसमें से 3400 कार्यों की निविदायें स्वीकृत की जाकर 3210 कार्य प्रारंभ किये गये है। जिसमें से 1572 कार्यों में सीमेंट कांक्रीट पेवमेंट का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। इस योजना अंतर्गत अभी तक कुल 205.30 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजनांतर्गत अभी तक कुल 4208 कार्य लागत 645.63 करोड़ रूपये के ऋण प्रस्ताव नाबार्ड को प्रस्तुत किये जा चुके है, जिसमें से 3087 सड़कों हेतु 432.47 करोड़ का ऋण स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

12.7 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा :– पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत रोजगार मूलक योजनाओं तथा अन्य विभागों के जमा निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन तथा ग्राम पंचायतों द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यों में तकनीकी सहायता हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कार्यरत् है।

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यों की प्रगति (राशि करोड़ रू.)

वर्ष	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत राशि	उपलब्ध राशि	व्यय राशि
2008-09	**8469**	**3319**	**876.96**	**472.90**	**282.88**
2009-10	**6910**	**2802**	**728.90**	**402.22**	**202.05**
2010-11	**6266**	**2299**	**681.87**	**344.32**	**158.49**
2011-12	**7190**	**2215**	**687.51**	**328.90**	**163.68**
2012-13	**12055**	**5661**	**1188.50**	**620.39**	**303.59**
2013-14 (नवं. 13)	**8577**	**2436**	**1135.80**	**484.75**	**256.57**

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा जहां एक ओर अन्य विभागों द्वारा सौपे गये जमा कार्यों का निष्पादन कराया जाता है वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराये जा रहे निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार करना, तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना तथा निर्माण कार्यों का स्वीकृत मापदण्डों के अनुसार क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों का मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी जाती है तथा किये गये कार्यों का समय–समय पर स्थल निरीक्षण कर मूल्यांकन किया जाता है।

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2013–14 में ग्राम पंचायतों द्वारा कुल 164284 निर्माण कार्य जिनकी लागत रू. 3653.72 करोड़ है, का संपादन किया जा रहा है इसके विरूद्ध अभी तक 41100 कार्य पूर्ण कर लिए गये है तथा 67201 कार्य प्रगति पर है, शेष कार्य अप्रारंभ है। उक्त कार्यो का गुणवत्ता नियंत्रण एवं मूल्यांकन ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के आधार पर अभी तक रूपये 1750.42 करोड़ का कार्य किया गया है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा वर्ष 2013–14 में अभी तक 51464 कार्यो में रू. 1238.54 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति दी गई है।

12.8 रोजगार एवं प्रशिक्षण :– छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना उपरांत प्रदेश में रोजगार सेवा का संचालन समस्त जिलों में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रों के माध्यम से हो रहा है।

12.8.1 विभाग में संचालित योजनाएं :–

(1) शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता योजना – योजनांतर्गत वर्तमान में बेरोजगारी भत्ता 1000/– प्रतिमाह की दर से प्रदान किया जा रहा है। स्थानीय निकायों (जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों) के माध्यम से संचालित इस योजना में जिला रोजगार कार्यालय नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। बेरोजगारी भत्ते की पात्रता हेतु अनिवार्य अर्हताएं :–

बजट आबंटन व्यय स्थिति (लाख)		
वर्ष	आवंटन	व्यय
2012–13	0.64	0.52
2013–14	0.80	0.35

- 0 आवेदक छ.ग. का मूल निवासी हो।
- 0 आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य हो।
- 0 रोजगार कार्यालय में पंजीयन विगत दो वर्षों से जीवित रहा हो।
- 0 न्यूनतम उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हो।
- 0 आवेदक का परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सर्वे सूची में सम्मिलित हो।
- 0 आवेदक की स्वतः की आय का कोई स्त्रोत न हो, व पिता/पालक पर पूर्णतः आश्रित हो।
- 0 भत्ते की स्वीकृति प्रारंभ में एक वर्ष के लिए की जाती है। समीक्षा उपरांत अधिकतम 24 मासिक किस्तों में भत्ते की राशि प्रदान की जाती है।

वर्ष	वर्ष में पात्र नए आवेदक	कुल आवेदक (विगत वर्षों सहित)	वर्गीकरण					
			सामान्य	अ.पि.व.	अनु. जाति	अनु.ज. जाति	महिला	विकलांग
2012.13	7298	12472	1536	6215	2713	2008	2615	81
2013.14 **(Nov. 13)**	9709	20368	2810	2206	3923	3429	2158	120

(2) स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना :–

योजना की विशेषताएँ –

विवरण	2012-13	2013-14 (नवं.)
बजट आबंटन (लाख)	149	163
व्यय (लाख)	134	3
प्रशिक्षणार्थी संख्या	11096	1827

0 पूर्णतः निःशुल्क प्रशिक्षण सुविधा।

0 रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत किसी भी आयु सीमा एवं योग्यता के आवेदक को सम्मिलित होने की पात्रता।

0 सफल प्रशिक्षकों द्वारा पूर्णतः व्यावहारिक प्रशिक्षण।

0 प्रशिक्षण की अवधि अल्पकालिक (50 घण्टे से 400 घण्टे) सुविधानुसार प्रशिक्षण समय का निर्धारण।

12.8.2 राज्य स्तरीय रोजगार मेला :–

रोजगार कार्यालयों द्वारा निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में उपलब्ध रिक्तियों को स्थानीय युवाओं हेतु उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2010–11 से रोजगार मेला का यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2012–13 में रोजगार मेला का आयोजन (जांजगीर–चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, जशपुर) में किया गया जिसमें 7766 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया, इस वर्ष नवंबर 2013 तक चार जिला मुख्यालयों – जांजगीर चांपा, राजनांदगॉव, बिलासपुर, कोरबा में रोजगार मेला आयोजित कर लगभग 1428 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।

संस्थाओं का वर्षवार विवरण :–

वर्ष	औ.प्र. संस्थाओं की संख्या	संस्थाओं की संख्या में वृद्धि	संस्थाओं की संख्या जहां अतिरिक्त व्यवसाय प्रारंभ की गई	प्रवेश हेतु उपलब्ध सीट	सीटों में वृद्धि
2009–10	91	02	05	15816	452
2010–11	101	10	11	17304	2208
2011–12	108	07	05	18988	1684
2012–13	118	10	02	20348	1360

13

नगरीय विकास

13. नगरीय विकास

13.1 छत्तीसगढ़ शासन का नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग प्रदेश की नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों का प्रशासकीय विभाग है। शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन की योजनाएं भी इस विभाग के अधीन गठित राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा संचालित की जाती हैं।

शहरी गरीबी उपशमन की योजनाओं के संचालन व अनुश्रवण हेतु माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य शहरी विकास अभिकरण एवं जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला शहरी विकास अभिकरण कार्यरत हैं। जिला शहरी विकास अभिकरण के कार्यों के संचालन हेतु परियोजना अधिकारी पदस्थ किए गए हैं।

13.2 नगरीय निकाय :– भारत के संविधान के अनुच्छेद **243** 'थ' के अधीन वृहत्तर नगरीय क्षेत्र, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र तथा संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए क्रमशः नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत के गठन की व्यवस्था है। इस संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप वर्तमान में प्रदेश में गठित नगरीय निकायों की संख्या 169 है।

निकाय	संख्या
नगर पालिक निगम	**10**
नगर पालिका परिषद्	**32**
नगर पंचायत	**127**
कुल योग	**169**

13.3 विभाग के दायित्व :– नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित विषय, तंग बस्ती सुधार योजनाओं का पर्यवेक्षण, नगरीय क्षेत्रों में गरीबों के उन्नयन के लिए विशिष्ट योजनाएं तैयार करना तथा उनका पर्यवेक्षण, छ.ग. नगरीय क्षेत्र में भूमिहीन व्यक्ति अधिनियम का क्रियान्वयन, शहरी गरीबों के लिए आवास व्यवस्था का पर्यवेक्षण, चुंगी क्षतिपूर्ति कर निधि प्रशासन, वित्त एवं सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित विषयों को छोड़कर विभाग के अधीन सेवाओं का कार्मिक प्रशासन आदि।

13.4 सरोवर धरोहर योजना :– शहरी क्षेत्रों में स्थित तालाबों के पुनरोद्धार, गहरीकरण, सौन्दर्यीकरण एवं पर्यावरण सुधार की दृष्टि से सरोवर धरोहर योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में प्रति हेक्टेयर **11.90** लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष **2012–13** में **42** तालाबों के लिए रू. **1308.33** लाख की स्वीकृति प्रदान की गई। वर्ष **2013-14** में **19** तालाबों हेतु रू. **725.42** लाख की स्वीकृति से कुल स्वीकृत 574 परियोजनाओं में रू. **9247.24** लाख व्यय कर **391** परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

13.5 ज्ञानस्थली योजना :– राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के जीर्णोद्धार तथा अतिरिक्त कमरों के निर्माण हेतु यह योजना लागू की गई है। इस योजना में प्राथमिक शाला के लिए **5०25** लाख रूपए, माध्यमिक शालाओं के **7०35** लाख, उच्चतर माध्यमिक शालाओं के **8.65** लाख तथा महाविद्यालय के लिए **9.70** लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष **2012-13** में **19** कार्यों हेतु रू. **123**.91 लाख स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष **2013-14** में कुल **14** कार्य हेतु रू. **80.28** लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनान्तर्गत शत–प्रतिशत अनुदान राशि नगरीय निकाय को दी जाती है। इस योजनांतर्गत कुल स्वीकृत **1028** शाला भवनों में से रू. **3825.57** लाख व्यय कर **958** शाला भवनों में निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

13.6 उन्मुक्त खेल मैदान योजना :– राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित खेल मैदानों के संरक्षण एवं नवीन खेल मैदान बनाने हेतु यह योजना लागू की गई है। इस योजना में प्रति हेक्टेयर रू. **10.25** लाख का प्रावधान किया गया है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष **2012–13** में ०**8** कार्यों हेतु **340.41** लाख की स्वीकृति तथा वर्ष **2013-14** में कुल 05 कार्य हेतु रू. **91.30** लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

13.7 पुष्प वाटिका उद्यान योजना :– राज्य के शहरी क्षेत्रों में रिक्त स्थानों एवं कॉलोनियों के बीच स्थित स्थानों को विकसित कर उद्यान बनाने हेतु पुष्पवाटिका उद्यान योजना लागू की गई है। इस योजना में प्रति हेक्टेयर रू.**16**.00 लाख का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष **2012–13** में **21** कार्यों हेतु **288**ण्**55** लाख की स्वीकृत दी गई है। वर्ष **2013-14** में कुल **05** कार्यों हेतु रू.**102.50** लाख स्वीकृत किए गए हैं।

13.8 मुक्तिधाम निर्माण योजना :– शहरी क्षेत्र के सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए सुव्यवस्थित मुक्तिधाम योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत क्रिमेशन शेड, आर.सी.सी.रोड, स्टोरेज एरिया, गार्डन, पेयजल शौचालय, विद्युतीकरण, एवं चौकीदार क्वार्टर एवं वाहन पार्किंग जैसी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जावेगी। इस हेतु निगमों में रू. **12**.00 लाख, नगर पालिकाओं में रू. **10**.00 लाख एवं नगर पंचायतों हेतु रू. **8.00** लाख के मुक्तिधाम निर्माण की योजना है। समस्त नगरीय निकायों में योजना लागू की गई है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष **2012–13** में **36** कार्य हेतु रू. **325.86** लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष **2013-14** में कुल **09** कार्य हेतु रू. **113.02** लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में **184** स्थानों पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

13.9 मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना :–राज्य शासन द्वारा **1** जुलाई **2003** से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के बेरोजगार नवयुवकों तथा नवयुवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु दुकान/चबूतरा उपलब्ध कराने की योजना लागू की गई है। योजनान्तर्गत रू. **46**,000/– की लागत से छोटी दुकान, रू. **57000**/– की लागत से बड़ी दुकान तथा रू. **6500**/– की लागत से चबूतरों का निर्माण किया जाता है। उक्त निर्माण हेतु नगरीय निकायों को **50** प्रतिशत ऋण एवं **50** प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। निर्मित दुकान एवं चबूतरे नगरीय निकाय द्वारा पात्र हितग्राहियों को निर्धारित न्यूनतम अमानत राशि एवं मासिक किराये पर आबंटन किया जाता है। योजनांतर्गत **2012–13** में **386** दुकानों हेतु **109**ण्**50** लाख स्वीकृत किया गया है। वर्ष **2013-14** में कुल **100** दुकान हेतु रू. **28.50** लाख स्वीकृत किए गए हैं।

13.10 महिला समृद्धि बाजार योजना :– राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना के अंग के रूप में प्रदेश की शिक्षित बेराजगार महिलाओं को सस्ता, सुरक्षित एवं मूलभूत सुविधा युक्त बाजार उपलब्ध कराने तथा उनके कौशल, श्रम द्वारा तैयार उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से महिला समृद्धि बाजार योजना प्रथम चरण में प्रदेश के **50**,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय निकायों में लागू की गई है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित दुकानों की लागत को ध्यान में रखते हुए **50** प्रतिशत अनुदान एवं **50** प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराया जाता है। निर्मित दुकानों को नगरीय निकाय निर्धारित अमानत राशि एवं मासिक किराये में पात्र हितग्राहियों को व्यवसाय हेतु आबंटित किया जाता है। योजनांतर्गत अभी तक **778** दुकानों का निर्माण हेतु रू. **194**ण्**50** लाख की स्वीकृति दी गई थी जिसमें **515** दुकानें पूर्ण हो चुकी हैं। **263** दुकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

13.11 ट्रांसपोर्ट नगर योजना :–प्रदेश में यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुव्यवस्थित बनाने हेतु **8** निकायों में ट्रांसपोर्ट नगर योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत कुल **08** निकायों में रू. **21**ण्**31** करोड़ की योजना के विरूद्ध व्यय राशि रू. **14.97** करोड़ की राशि जारी की गई है। 02 परियोजना पूर्ण किया जाकर शेष निर्माणाधीन है।

13.12 गोकुल नगर योजना:– नगर में स्थित डेयरी व्यवसाय को शहर के बाहर व्यवस्थित रूप से बसाने हेतु राज्य शासन द्वारा गोकुल नगर योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत अभी तक राशि रू. **1597**.00 लाख की लागत से **08** नगरीय निकायों को आबंटित किए गए हैं। **05** परियोजना पूर्ण तथा शेष पूर्णता पर है।

13.13 कुशाभाऊ ठाकरे युवा जन विकास योजना :– शहरों में निवासरत् आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के अनपढ़ या कम पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं/महिलाओं को अपारंपरिक क्षेत्रों और बाजार रोजगार की मांग के अनुरूप उनकी

दक्षता एवं तकनीकी कौशल में वृद्धि कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराते हुए उनकी युवा शक्ति को उत्पादक बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में यह योजना वर्ष **2007–08** में लागू की गई है। प्रथम चरण में **5000** हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष **2009–10** एवं **2012–13** में **10000** हितग्राहियों को शासकीय औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण दिया जाकर उन्हें **SDI Scheme** अंतर्गत विभिन्न कोर्सों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

13.14 हाट बाजार समृद्धि का आधार योजना :–वर्ष **2007–08** में प्रारंभ की गई इस नवीन योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में एवं आसपास के ग्रामों में असंगठित रूप से गुमटी, ठेले एवं फेरी लगाकर जीविकापार्जन करने वाले परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादक वस्तुओं के सुलभ तरीके से विक्रय हेतु नगरों में लगने वाले हाट बाजार की व्यवस्था प्रचलित है। इसी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए नगरीय क्षेत्रों में एक–एक बड़ा स्थान हाट बाजार के रूप में विकसित किया जाना है, जिसमें नीलामी चबूतरा, चबूतरे के निर्माण, पार्किंग व्यवस्था, प्रकाश, जल, ड्रेनेज एवं सार्वजनिक प्रसाधन के निर्माण का प्रावधान है। इस योजनांतर्गत नगर निगमों को रू. **100**.00 लाख, नगर पालिका परिषद् को रूपए **70**.00 लाख तथा नगर पंचायत को रूपए 40.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। वर्ष **2012–13** में **10** कार्य हेतु **443.17** लाख स्वीकृत किया गया है। वर्ष **2013-14** में कुल **04** कार्य हेतु रू. **177.50** लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनांतर्गत अब तक **141** हाट बाजार के लिए रू. **6002**.**95** लाख स्वीकृति उपलब्ध करायी गयी है। **68** परियोजना पूर्ण की गई हैं।

13.15 सांस्कृतिक भवन निर्माण योजना :– वर्ष **2007–08** में प्रारंभ की गई इस नवीन योजना का प्रमुख उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक, मांगलिक एवं अन्य सामाजिक कार्यो हेतु एक सुलभ सुसज्जित भवन उपलब्ध कराना है। यह योजना प्रदेश के सभी निकायों में स्वीकृत किया गया है, जिसके अनुसार नगर पालिक निगम रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा में रू. **100**.00 लाख तथा शेष नगर पालिक निगमों में रू. **75**.00 लाख की लागत से, निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है। **50** हजार से अधिक जनसंख्या वाले तथा जिला मुख्यालय के नगर पालिकाओं में रू. **50**.00 लाख और शेष नगर पालिकाओं में रू. **35**.00 लाख की लागत से निर्माण किया जा सकेगा। इसी प्रकार जिला मुख्यालय के नगर पंचायतों दंतेवाड़ा, बैकुण्ठपुर, नारायणपुर में रू. **35**.00 लाख के लागत से एवं शेष नगर पंचायतों में **25**.00 लाख रू. की लागत से निर्माण किये जा सकेंगें। वर्ष **2012–13** में **12** कार्य हेतु रू. **389.19** लाख स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष **2013-14** में कुल **07** कार्य हेतु रू. **260.65** लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

13.16 अन्नपूर्णा सामुदायिक सेवा केन्द्र योजना :– नगरीय क्षेत्रों की गरीब महिलाओं को स्वावलंबी बनाने एवं उद्यमिता की ओर प्रेरित करने, उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने तथा स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजनांतर्गत सामुदायिक विकास समिति (सी.डी.एस.) को उचित मूल्य की दुकानों या अन्य आर्थिक उद्यमों का संचालन हेतु **3000** वर्गफीट भूमि पर निर्माण हेतु **15** लाख का शत्–प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। वर्तमान में **15** निकायों में 39 केन्द्र स्वीकृत कर रू. **629.95** लाख राशि प्रदाय की गई है।

13.17 भागीरथी नल–जल योजना (नवीन योजना) :– राज्य के लगभग **2.5** लाख गरीब परिवार, विभिन्न नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित तंग बस्तियों में निवासरत है। ये गरीब परिवार, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा से भी वंचित है। वर्तमान में इन परिवारों को सार्वजनिक नल तथा टैंकरों से पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है। इन गरीब परिवार को निःशुल्क नल संयोजन प्रदान किए जाने हेतु भागीरथी नल–जल योजना लागू की गई है। योजनांतर्गत हितग्राही परिवार से निर्धारित मासिक जल कर लिया जावेगा। इस योजनांतर्गत प्रति आवासीय इकाई में नल संयोजन हेतु रू.

3000/– की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। वर्तमान में 124 नगरीय निकायों को **161268** निःशुल्क जल संयोजन हेत रू. **4838**.04 लाख स्वीकृत किए गए हैं।

13.18 विभाग द्वारा संचालित केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं :–

13.18.1 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना :– स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनांतर्गत छ.ग. राज्य गठन के बाद से अभी तक केन्द्र से रू. **8974.21** लाख तथा राज्य से रू. **2766.47** लाख राशि दी गई है। वर्ष **2013–14** में **2249** हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। जिसके विरूद्ध सितंबर **2013** तक **991** हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

13.18.2 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन :– (**J.N.U.R.M.**) राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (**N.U.R.M.**) अंतर्गत देश के 65 नगरों में नगरीय विकास और गरीबी उपशमन कार्यक्रम लागू करने के लिए स्थापित किया गया है। योजनांतर्गत वर्ष 2005–12 तक के लिए विभिन्न घटकों में योजना आयोग भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध आबंटन/स्वीकृति की स्थिति निम्नलिखित है :–

क्र.	निकाय	स्वीकृति योजना	स्वीकृत परियोजना	प्राप्त राशि			दी गई राशि		
				केन्द्रांश	राज्यांश	योग	केन्द्रांश	राज्यांश	योग
1	रायपुर	जल आवर्धन	**303.64**	**218.62**	**54.36**	**272.98**	**218.62**	**54.36**	**272.98**
2	रायपुर	बीएसयूपी	**391.07**	**172.71**	**21.63**	**194.34**	**162.74**	**20.35**	**183.09**
3	रायपुर	बीएसयूपी	**41.63**	**7.44**	**0.93**	**8.37**	**2.07**	**0.93**	**3.00**
4	नया रायपुर	बीएसयूपी	**28.78**	**11.50**	**1.67**	**13.17**	**11.50**	**1.67**	**13.17**
5	रायपुर	सिटी बस	**14.85**	**10.69**	**1.33**	**12.02**	**10.69**	**1.33**	**12.02**
		योग	**779.97**	**420.96**	**79.92**	**500.88**	**405.62**	**78.64**	**484.26**

वित्तीय वर्ष **2013–14** के लिए राशि रू. **175.70** करोड़ का प्रावधान इन कार्यों की आवश्यकता को देखते हुए रखा गया है।

13.19 मेट्रो रेल :– सड़कों पर यातायात का दवाब कम करने तथा सड़क दुर्घटनाएं नियंत्रित करने तथा प्रतिदिन इन क्षेत्रों में आवागमन करने वाले हजारों नागरिक कम से कम समय में अपने गंतव्य पर पहुँच सकें, इसके लिए छ.ग. सरकार द्वारा मेट्रो रेल राजनांदगांव से रायपुर तक प्रारंभ करने की योजना है। प्रथम चरण में रायपुर से दुर्ग हेतु डी.पी. आर. तैयार किए जाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। इस कार्य हेतु वर्ष **2013-14** में राशि रू. **100** लाख का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

14

सामाजिक क्षेत्र

14. सामाजिक क्षेत्र

राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु मानव संसाधन के अन्तर्गत मूलभूत सुविधाओं के विस्तार एवं सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने हेतु विकास कार्यक्रमों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यावरण, अनुसूचित जाति जन जाति विकास तथा सामाजिक रूप से पिछड़े विकलांग, वृद्ध एवं बच्चों के स्तर में विकास कर उन्हे समाज के मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाना प्रमुख है।

स्कूल शिक्षा विभाग प्रत्येक बच्चे (विशेषकर 6 से 14 आयु वर्ग) को निःशुल्क एवं सार्वभौमिक शिक्षा का लाभ देना ही शासन का उद्देश्य है। मानव संसाधन पर किया गया उद्देश्यपूर्ण व्यय ही विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। शिक्षा के लोकव्यापीकरण में सभी की सहभागिता हेतु अधोसंरचना के विकास, शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि, मॉनीटरिंग एवं पर्यवेक्षण किया जाता है। शासन शिक्षा का विकास इस तरह से संपादित कर रही है कि शिक्षण सुविधा छात्रों को उनकी पहुँच पर प्राप्त हो रही है विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर समाज को शिक्षा के प्रति जागृत कर बच्चों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आकृष्ट किया जा रहा है। विभाग की प्रमुख योजनाएं जो उपरोक्त उद्देश्य से संचालित हैं निम्नानुसार है :–

(1) छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना :प्रदेश की समस्त बालिकाओं को निःशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने हेतु –

- एन.आई.आई.टी. द्वारा कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- प्रदेश के **1189** हाई स्कूल एवं उ.मा.विद्यालयों के **186000** बालिकाओं के लिये **54**/– रूपये प्रति छात्रा की दर से शासन द्वारा भुगतान किया गया है।
- प्रदेश के **16** जिलों में जिला कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है।
- इस योजना के अन्तर्गत सत्र **2009-10** से **400** केन्द्र संचालित है। जिनमें लगभग **78000** छात्राओं को योजना का लाभ मिल रहा है। वर्तमान में **300** विद्यालयों में आईसीटी योजना संचालित है एवं **1900** विद्यालयों के लिए प्रस्तावित है।
- इस योजना के अंतर्गत वर्ष **2013-14** में **35.60** करोड़ का प्रावधान हैं।

(2) सरस्वती सायकल प्रदाय योजना (निःशुल्क) :–

राज्य के हाई स्कूलों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों के बालिकाओं को निःशुल्क सायकल प्रदान कर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सत्र 2007–08 से 9वीं कक्षा में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग की बी.पी.एल. परिवार की बालिकाओं को भी सायकल के प्रदाय से जहां शालाओं में आवागमन की सुविधा है वहीं बालिकाएं शिक्षा के प्रति आकृष्ट हो रही है।

(3) निःशुल्क गणवेश योजना :– प्राथमिक विद्यालय (**1** से **5**) की अजा, अजजा एवं बी.पी.एल. वर्ग के अध्ययनरत छात्रों को निःशुल्क गणवेश योजनान्तर्गत प्रदान किया जाता है, सत्र **2012–13** से ए.पी.एल. बालक एवं बालिकाओं को भी गणवेश की पात्रता को समाहित करते हुए राज्य आयोजना एवं सर्व शिक्षा अभियान मद से कक्षा 1 से 8 क के समस्त छात्र–छात्रओं को दो–दो सेट गणवेश प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

(4) छात्र दुर्घटना बीमा योजना :– शासकीय एवं अनुदान प्राप्त, प्राथमिक विद्यालय से लेकर महाविद्यालयीन स्तर तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को दुर्घटना बीमा का संरक्षण प्रदान जिसमें दुर्घटना–जनित मृत्यु, पूर्ण अपंगता अथवा स्थाई अपंगता होने पर **10,000** रूपये एवं एक अंग भंग होने पर अथवा आंशिक अपंगता पर **5,000** रूपये एवं उपचार हेतु **500** रू. की सहायता प्रदान की जाती है। योजनांतर्गत राज्य के **66.23** लाख छात्र–छात्राएं बीमित हैं।

(5) निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण/पुस्तकालय योजना :– इसके अंतर्गत कक्षा **1** से **8** तक के सभी छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरित किया जा रहा है।

वर्ष **2005-06** से शासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं में कक्षा **9** से **10** तक अध्ययनरत बालिकाओं को निःशुल्क पुस्तकें प्रदान की गई हैं। सत्र 2011–12 से अशासकीय विद्यालयों को भी योजना में शामिल किया गया है। वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान एवं स्कूल शिक्षा विभाग (पाठ्यपुस्तक निगम) के माध्यम से कक्षा **1** से **8** तक के सभी छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदान कर रही है।

(6) मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम :– योजना में औसतन **200** कार्य दिवसों तक पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है। यह कार्य दिवस **200** से **240** दिवस के मध्य मान्य किया जाता है। प्रदेश के **146** विकासखण्डों के **48028** शालाओं में लगभग **38.87** लाख विद्यार्थीगण लाभान्वित हो रहे हैं।

प्रदेश में शालाओं में पंचायत द्वारा **11960** शालाओं में, महिला स्व–सहायता समूह द्वारा **26927** शालाओं में, प्रधान पाठक द्वारा 8057 शालाओं में, एवं 03 स्वयंसेवी संगठन द्वारा भोजन पकाया जा रहा था। वर्तमान में राज्य शासन के निर्देश के अनुरूप वर्ष 2014 से शत्प्रतिशत शालाओं में मध्यान्ह भोजन का वितरण महिला स्व–सहायता समूह के माध्यम से किया जावेगा।

मध्यान्ह भोजन केन्द्रो के प्रबंधन, मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन हेतु **715.23** लाख का व्यय प्रस्तावित है। इसमें बाह्य एजेन्सी के द्वारा मूल्यांकन कराया गया।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा महत्वपूर्ण योजना की प्रगति नीचे सारणी में दर्शायी गयी है।

सारणी 14.1 स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा महत्वपूर्ण योजना की प्रगति

योजना	2012-13		2013-14	
	वित्तीय उपलब्धि करोड़	भौतिक उपलब्धि/हितग्राही (लाख)	वित्तीय उपलब्धि करोड़	भौतिक उपलब्धि/हितग्राही ((लाख)
सरस्वती सायकल प्रदाय योजना (निःशुल्क)	**29.97**	**0.95**	**35.50**	**1.11**
निःशुल्क गणवेश योजना	**148.05**	**31.45**	**146.85**	**34.40**
छात्र दुर्घटना बीमा योजना	**0.17**	**210**	**0.65**	**10.65**
निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण/पुस्तकालय योजना	**47.23**	**53.44**	**59.66**	**57.74**
मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	**354.58**	**37.16**	**345.18**	**38.86**

14.2 वर्षवार प्रारंभ की गई शालाओं की संख्या :– शिक्षा के अधोसंरचना के विकास के लिए शिक्षा को घर–घर पहुॅचाने के लिए छात्रों की पहुॅच सीमा के भीतर शालाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। राज्य निर्माण से अद्यपर्यन्त प्रारंभ की गई शालाओं की संख्या निम्नानुसार है :–

सारणी 14.2 वर्षवार प्रारंभ की गई शालाओं की संख्या						
विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
प्राथ.	9	1	319	193	8	45
माध्य.	25	404	85	140	30	35
हाई स्कूल	276	09	218	1136	0	54
उ. मा.	146	31	95	101	200	150
कुलयोग	456	445	717	1570	238	284

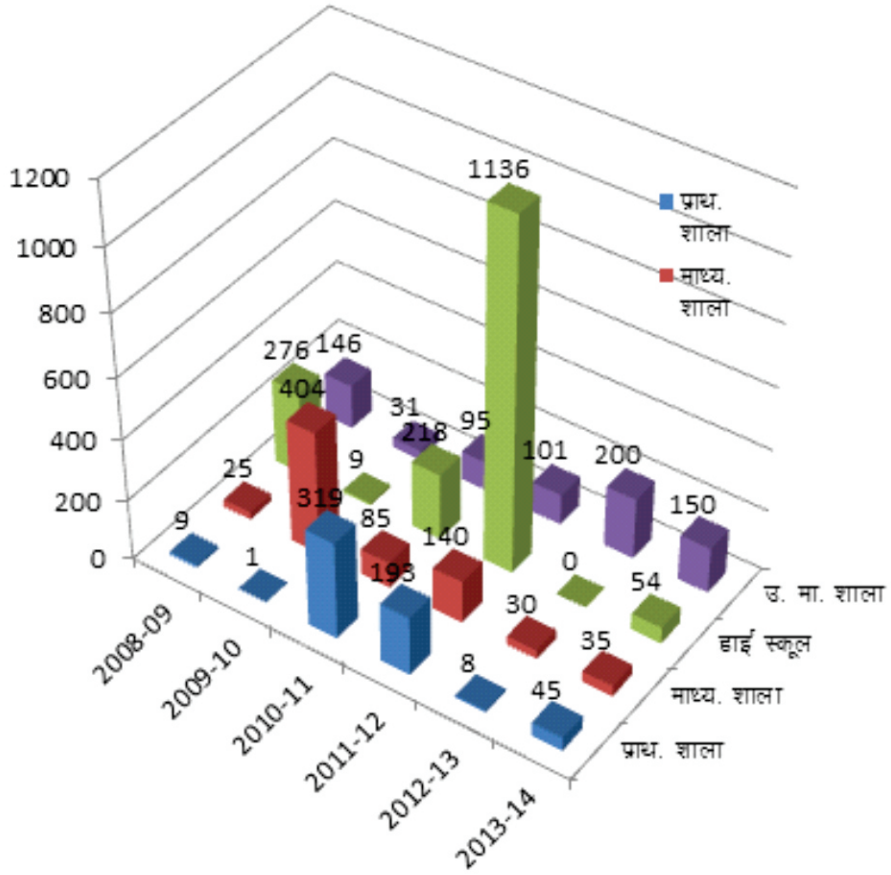

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान :–

- सत्र **2009-10** से **2013-14** तक में **1357** पूर्व माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल में उन्नयन किया गया।
- पूर्व से संचालित **1641** विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण किया गया।
- दूरस्थ अंचलों में शिक्षकों के आवास हेतु **405** भवन स्वीकृत किए गए हैं।राजीव गांधी शिक्षा मिशन

राजीव गांधी शिक्षा मिशन

14.3 सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का लोकव्यापी करण है। जिसके अन्तर्गत वर्ष **2010** तक **6** वर्ष से **14** वर्ष के सभी बच्चों को सुविधा युक्त उपयोगी प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित है। सभी बसाहटों में कक्षा **1** से **5** तक के बच्चों हेतु विद्यालय आस–पास की **1** किलो मीटर की पैदल दूरी के भीतर स्थापित किया जावेगा एवं कक्षा **6** से **8** तक के बच्चों हेतु विद्यालय आस–पास की **3** किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर स्थापित किया जाना है। प्राथमिक शिक्षा अंतर्गत राज्य में नए प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल खोलने का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। तथापि नए बसाहटें एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण वर्ष **2013-14** में सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत **45** प्राथमिक एवं **35** उच्च प्राथमिक शालाऐं खोली गई हैं। इस तरह अब तक सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत राज्य में कुल **9842** प्राथमिक एवं **7815** पूर्व माध्यमिक शालाऐं प्रारंभ की गई हैं। जिसमें वर्ष **2006-07** एवं **2007-08** में आदिवासी क्षेत्रों में **10** बच्चों की उपलब्धता पर भी खोले गए **1540** नवीन प्राथमिक शालाऐं सम्मिलित हैं। शिक्षकों के नए पद स्वीकृति, शिक्षक भर्ती, शाला भवन निर्माण, अतिरिक्त कक्ष निर्माण, शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यपुस्तक प्रदाय, पेयजल सुविधा, शौचालय, रैंप निर्माण आदि का कार्य सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत किया जाता है।

1. शिक्षकों का प्रशिक्षण :– सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सत्र **2013–14** में शिक्षक प्रशिक्षण ग्रीष्मावकाश में ही प्रारम्भ किया जाकर **137519** शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि बच्चों को उनके द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके।

2. निःशक्त बच्चों की शिक्षा :– समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत **47936** विशेष आवश्यकता आधारित बच्चे राज्य में चिन्हांकित किए गए हैं। चिन्हांकित बच्चों की जांच एवं आवश्यकता निर्धारण हेतु जिला मुख्यालय एवं विकास खण्ड स्तर पर परीक्षण शिविर आयोजित किया जाकर आवश्यकतानुसार सर्जरी, कृत्रिम उपकरण, प्रमाण पत्र आदि प्रदाय किया गया है।

3. विशेष आवासीय/गैर आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन :– शाला त्यागी एवं अप्रवेशी बच्चों का उम्र के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश के साथ ही विशेष आवासीय/गैर आवासीय प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। वर्ष **2013-14** में **76204** शाला से बाहर बच्चों हेतु विशेष आवासीय/गैर आवासीय प्रशिक्षण दिए जाने के लक्ष्य के विरूद्ध **31560** बच्चों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है एवं **29432** बच्चों को आयु के मुताबिक समुचित कक्षा में प्रवेश दिया गया है।

4. डॉरमेटरी युक्त विद्यालय :– आदिवासी क्षेत्रों में जहॉ **10** से कम बच्चे उपलब्ध होने की स्थिति में नवीन प्राथमिक शाला नहीं खोले जा सके हैं। वहां के बच्चों को शिक्षा सुविधा मुहैया कराने हेतु जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, अंबिकापुर, कोरबा एवं जशपुर जिलों में कुल **24** विद्यालयों में **50** सीटर डॉरमेट्री युक्त शालाएं प्रारंभ की जाकर **1200** बच्चों को तथा पलायन प्रभावित जिले जांजगीर–चॉपा, कबीरधाम, धमतरी, महासमुन्द, बिलासपुर एवं रायगढ़ जिले में कुल **23** विद्यालयों में **50** सीटर डॉरमेटरी युक्त शालाऐं प्रारंभ की जाकर **1123** बच्चों को निःशुल्क आवास एवं भोजन की व्यवस्था सहित गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जा रही है।

5. कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय **(KGBV)** :– इस कार्यक्रम के तहत राज्य के पिछड़े सुविधा विहीन क्षेत्रों की निर्धन परिवारों की शाला त्यागी बालिकाओं को जो पांचवीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई करने में असमर्थ हैं। उन्हें कक्षा आठवीं तक की निःशुल्क शिक्षा आवासीय व्यवस्था सहित मुहैया करायी जा रही

है। राज्य में इस तरह के विद्यालयों की कुल स्वीकृत संख्या **93** है। इन विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को भोजन, गणवेश, कापी–किताब, लेखन सामाग्री, साबुन–तेल आदि निःशुल्क प्रदाय किया जा रहा है। इन सभी **93** विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं की कुल दर्ज संख्या **9300** है।

6. गणवेश :– **RTE** अधिनियम में कक्षा 01 से 08 तक अध्ययनरत सभी बच्चों के लिए गणवेश प्रदाय किए जाने का प्रावधन है। इसके अंतर्गत वर्ष **2013-14** में कुल **26.82** लाख **SC/ST/BPL** बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत गणवेश प्रदाय किया जा रहा है।

7. निः शुल्क पाठ्यपुस्तक :– कक्षा **01** से **08** तक अध्ययनरत सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान किया जाना है। सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत समस्त बालिकाएं तथा **SC/ST** बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदाय की जा रही हैं। इस योजनांतर्गत वर्ष **2013-14** में **29.33** लाख बच्चों को पाठ्य पुस्तकें प्रदाय की गई हैं।

8. पुस्तकालय स्थापना :– राज्य के बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त हो तथा उनके सामान्य ज्ञान एवं दक्षता में अधिकाधिक वृद्धि हो सके। इस उद्देश्य से सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत राज्य के **32806** प्राथमिक शालाओं तथा **13357** पूर्व माध्यमिक शालाओं में पुस्तकालय की स्थापना की गई।

9. सभी शालाओं में साफ–सफाई एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण हेतु प्रत्येक शासकीय स्कूल को **5000/-** रू. स्कूल अनुदान एवं **7000/-** रू. मरम्मत अनुदान सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रतिवर्ष उपलब्ध कराया जाता है।

स्वास्थ्य सेवायें

14.4 राज्य में स्वास्थ्य संस्थाएं:– वर्तमान स्थिति में राज्य में 6185 स्वास्थ्य संस्थाएँ विद्यमान है। जिसका श्रेणीवार विवरण नीचे सारणी मे दर्शाया गया है।

संस्था का नाम	संख्या
जिला चिकित्सालय	**27**
सिविल अस्पताल	**15**
सिविल डिस्पेंसरी (शहरी)	**29**
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	**156**
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	**783**
उप स्वास्थ्य केन्द्र	**5161**
लेप्रोसी होम एंड अस्पताल	**3**
शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	**10**
पॉली क्लीनिक	**1**

14.5 छत्तीसगढ़ राज्य में एच.आई.वी.की स्थितिः– वर्ष 2003 से 2013 तक

- Ø कुल एच.आई.वी. जांच की संख्याः(**ICTC** द्वारा रिपोर्ट की गयी संख्या) – 9,08,386
- Ø कुल एच.आई.वी. पॉज़िटिव की संख्याः(**ICTC** द्वारा रिपोर्ट की गयी संख्या) – 16,325
- Ø एच.आई.वी. जांच की संख्या (अप्रैल से अक्तूबर 2013) – 1,37,654
- Ø एच.आई.वी. पॉज़िटिव की संख्याः(अप्रैल से अक्तूबर 2013) – 1,649
- Ø पॉज़िटिव महिलाओं का प्रतिशत – 37 %
- Ø पॉज़िटिव पुरुषों का प्रतिशत – 63 %
- Ø सर्वाधिक प्रभावित आयु वर्ग – 25–49वर्ष
- Ø सर्वाधिक प्रभावित आयु वर्ग का प्रतिशत – 77 %
- Ø कुल ए.एन.सी. जांच (2004 से अक्टूबर 2013) – 3,85,452
- Ø कुल ए.एन.सी. पॉज़िटिव (2004 से अक्टूबर 2013) – 873
- Ø कुल ए.एन.सी. जांच (अप्रैल से अक्तूबर 2013) – 57,569
- Ø कुल ए.एन.सी. पॉज़िटिव (अप्रैल से अक्तूबर 2013) – 95
- Ø राज्य में स्वैच्छिक रक्तदान का प्रतिशत (अप्रैल12 से अक्तूबर 2013) – 72. %
- Ø **HIV Care** के लिये **ARTC** में कुल पंजीकृत मरीजों की संख्या – 11,782
- Ø **HIV Care** के लिये **ART** पर मरीजों की संख्या – 5,060

14.6 संजीवनी सहायता कोष :

1. गरीबी रेखा एवं मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना के हितग्राहि परिवारों को 30 सूचीगत बीमारी का निःशुल्क उपचार लाभ दिया जाता है।
2. ईलाज की अधिकतम सहायकता राशि 1.5 लाख रूपये है। मस्तिष्क में चोट हेतु 02 लाख एवं किडनी प्रत्यारोपण हेतु 03 लाख रूपये की सहायता राशि दी जाती है।
3. इस योजना अंतर्गत 20 निजी चिकित्सालयों को उपचार हेतु अनुबंधित किया गया है।

4. कैम्प के माध्यम से जिले में मरिजों को चिन्हित कर उपचार हेतु सहायता प्रदान की गई।

5. दिनांक 30.10.2013 तक 700 मरीजों को उपचार हेतु स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है एवं करीब 50 प्रकरण स्वीकृति हेतु लंबित है।

6. वर्ष 2013–14 में राज्य शासन द्वारा बजट में योजना हेतु 20 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। 08 करोड़ राशि की स्वीकृति जारी है 04 करोड़ राशि का आहरण हुआ है।

14.7 मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुरक्षा के लोकव्यापीकरण के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में छूटे हुए परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान करने हेतु ''मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना'' प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना लागू होने से प्रदेश के सभी परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्राप्त होगा। जिससे बीमार होने पर ईलाज हेतु होने वाले व्यय एवं आर्थिक नुकसान से बचा जा सकेगा। योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन द्वारा दिनांक 21.10.2012 को दुर्ग शहर से किया गया। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजनांतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में स्मार्ट कार्ड बनाए जाने कार्य समाप्त हो चुका है।

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में भी हितग्राहियों को एक फोटो युक्त बायोमैट्रिक स्मार्ट कार्ड जारी कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की तरह स्वास्थ्य बीमा उपचार लाभ प्रदान किया जाएगा। स्मार्ट कार्ड का पंजीयन शुल्क रूपये 30/–(तीस रूपये मात्र) प्रति परिवार निर्धारित है। परिवार के मुखिया एवं चार सदस्यों को प्रति वर्श अधिकतम रू. 30,000/– का स्वास्थ्य बीमा प्राप्त होगा। योजनांतर्गत जारी किये गये स्मार्ट कार्ड का उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राही अपने मनचाहे उचित मूल्य की दुकानों से राशन प्राप्त कर सकेंगे।

योजनांतर्गत 21.1 लाख परिवार पंजीकृत है एवं 275 शासकीय एवं 290 निजी चिकित्सालयों में हितग्राहियों को

सारणी 14.3 मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजनांतर्गत क्रियाशील स्मार्ट कार्ड की संख्या (26.11.2013 की स्थिति में)

क्रं.	जिला	परिवारों की संख्या	क्रियाशील स्मार्ट कार्ड संख्या	प्रतिशत
1	दुर्ग	211407	103947	**49.2%**
2	बालोद	105453	86294	**81.8%**
3	बेमेतरा	75538	52707	**69.8%**
4	सुरजपुर	91976	71654	**77.9%**
5	राजनांदगांव	77078	51778	**67.2%**
6	सरगुजा	109546	86279	**78.8%**
7	बलरामपुर	68770	54202	**78.8%**
8	बिलासपुर	139666	86882	**62.2%**
9	गरियाबंद	29005	19074	**65.8%**
10	मुंगेली	48757	32388	**66.4%**
11	बलौदाबाजार	120549	72488	**60.1%**
12	रायपुर	232346	139084	**59.9%**
13	कोण्डागांव	52069	26117	**50.2%**
14	बीजापुर	10998	8226	**74.8%**
15	रायगढ़	109131	86288	**79.1%**
16	सुकमा	7589	4321	**56.9%**
17	बस्तर	72305	45249	**62.6%**
18	दंतेवाड़ा	23719	15167	**63.9%**
19	धमतरी	63277	44431	**70.2%**
20	कोरबा	99534	53831	**54.1%**
21	नारायणपुर	7476	4691	**62.7%**
22	जांजगीर–चांपा	226720	177924	**78.5%**
23	जशपुर	85299	78936	**92.5%**
24	कवर्धा	72784	55241	**75.9%**
25	कांकेर	62231	49199	**79.1%**
26	महासमुंद	101448	69205	**68.2%**
27	कोरिया	80062	50393	**62.9%**
योग		2384733	1625996	**68.2%**

नगद रहित उपचार लाभ प्रदान कर रहे है। अब तक 4 लाख 77 हजार से अधिक हितग्राहियों को योजनांतर्गत रू. 239. 8 करोड़ तक का चिकित्सा लाभ दिया गया है।

योजनांतर्गत हितग्राहियों को अपने ईलाज के लिये पंजीकृत सरकारी एवं निजी अस्पतालों के चयन की स्वतंत्रता होगी एवं हितग्राही को नगद रहित (**Cash Less**) उपचार लाभ मिल सकेगा। उपचार हेतु भर्ती मरीजों का परिवहन व्यय उपचार पश्चात् नगद देय होगा, जिसकी अधिकतम सीमा राशि प्रति उपचार रू. 100/- रूपये एवं सालाना रू. 1000/- रूपये होगी ।

योजनांतर्गत शामिल अस्पतालों द्वारा प्रदाय किये जाने वाले चिकित्सकीय सेवा संबंधी शिकायतों के लिए जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से तथा राज्य स्तर पर स्थापित टोल फ्री नंबर 1800 233 4200 पर कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।

14.8 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़

सारणी 14.4 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ अंतर्गत वित्तीय प्रगति

क्र.	कार्यक्रम	वित्तीय वर्ष 2013–14 (राशि लाख में)			
		आर.ओ.पी.	अग्रेषित शेष	कुल आर.	कुल व्यय (माह
1	2	राशि 2013–14 3	बजट 4	ओ.पी. 5	अक्टूबर 13 6
1	आर.सी.एच फ्लेक्सीपूल	**23918.07**	**2381.10**	**26299.17**	**7986.42**
2	एन.आर.एच.एम.फ्लेक्सीपूल	**29887.82**	**25448.06**	**55335.88**	**12503.87**
3	टीकाकरण, पल्स पोलियो	**3044.59**	**0.00**	**3044.59**	**429.30**
4	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम **(NVBDCP)**	**3045.82**	**131.00**	**3176.82**	**432.14**
5	पुनरीक्षित टी.वी. नियंत्रण कार्यक्रम **(RNTCP)**	**2292.39**	**58.60**	**2350.99**	**418.35**
6	राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम **(NPCB)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**87.04**
7	राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकृति नियंत्रण कार्यक्रम **(NIDDCP)**	**24.00**	**0.00**	**24.00**	**0.00**
8	एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम **(IDSP)**	**367.93**	**45.09**	**413.02**	**50.96**
9	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम **(NLEP)**	**459.24**	**0.00**	**459.24**	**61.30**
10	प्रशासन एवं निर्देशन (ट्रेजरी रूट)	**13074.00**	**0.00**	**13074.00**	**6686.00**
कुल		**76113.86**	**28063.85**	**104177.71**	**28655.37**
Excluding Infra + 1st & 2nd Supply (693+55+12) = 761-130		**63039.86**	**28063.85**	**91103.71**	**21969.37**

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

14.8 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

(1) **जल प्रदाय एवं स्वच्छता कार्यक्रम** :– छत्तीसगढ़ शासन का लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग राज्य में पेयजल व्यवस्था के साथ ही छत्तीसगढ़ को पूर्ण निर्मल राज्य का दर्जा दिलाने के काम में जुटा है। आमजनों को पेयजल से संबंधित समस्याओं का तुरंत निदान के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में टोल फ्री नंबर **1800–233–0008** चालू किया गया है।

(2) **ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम** :– राज्य की कुल **73563** बसाहटों में अब तक कुल **237812** हैण्डपंप स्थापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है। अब तक स्वीकृत कुल **2833** स्वीकृत नलजल योजनाओं में से **2169** पूर्व एवं **110** आंशिक पूर्ण नलजल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को सार्वजनिक नल एवं घरेलू नल कनेक्शन द्वारा सीधे घरों में पेयजल उपलब्ध हो रहा है एवं **3163** स्वीकृत स्थल जलप्रदाय योजनाओं में से अब तक **2511** स्थल जलप्रदाय योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं एवं पेयजल उपलब्ध हो रहा है। **421** योजनाओं के कार्य प्रगति पर एवं 231 योजनाओं के कार्य प्रारंभ शेष हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष **2013–14** में निर्धारित लक्ष्य **8100** के अंतर्गत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर है। पेयजल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है एवं सभी पेयजल स्त्रोतों की वर्ष में एक बार जॉच कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। प्रदेश में आयरन के साथ–साथ कुछ क्षेत्रों में फ्लोराइड की अधिकता पाई गई है।

दिनॉक **01-04-2013** की स्थिति में चिन्हित **73563** बसाहटों में **5588** पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटें पाई गईं जिनमें आयरन युक्त **5242** बसाहटें, सेलेनिटी युक्त **132** बसाहटें एवं फ्लोराइड युक्त **214** बसाहटें पाई गई हैं। वर्ष **2013–14** में **2600** पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में वैकल्पिक व्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, कार्य प्रगति पर है। राज्य के ऐसे ग्राम/बसाहटें जहां विद्युत उपलब्ध नहीं है वहॉ **460 Solar Pump** आधारित योजना क्रियान्वित कर पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

(3) **नगरीय/शहरीय जल प्रदाय कार्यक्रम** :– राज्य के **169** नगरीय निकायों में से **70** नगरीय निकायों में शहरीय पैटर्न पर आधारित जलप्रदाय योजनाएं क्रियान्वित कर जल प्रदाय किया जा रहा है। **27** नगरीय निकायों में जलप्रदाय योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं एवं **37** स्वीकृत योजनाओं के कार्य प्रारंभ किए जाने हैं। **12** नगरीय निकायों में शहरीय पैटर्न की जलप्रदाय योजनाएं क्रियान्वित किया जाना शेष है।

(4) **सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रमः**– संपूर्ण स्वच्छता अभियान जो **1** अप्रैल **2012** से ''निर्मल भारत अभियान'' के रूप में लागू किया गया है। इस अभियान का क्रियान्वयन तीव्रगति से करने का प्रयास किया जा रहा है। बीपीएल परिवारों की कुल लक्षित **1568600** शौचालय निर्माण के विरूद्ध अब तक **1120686 (71.44%)** एवं एपीएल परिवारों हेतु कुल लक्षित **1823853** शौचालय निर्माण के विरूद्ध

अब तक **878153 (48.15%/** इस प्रकार कुल लक्षित **3392453** के विरूद्ध अब तक **1998839 (58.92%)** व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों हो चुका है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत लक्षित **52338** शालाओं में से अब तक **51969 (99.29%)** यूनिट एवं लक्षित **10211** आंगनबाड़ी केन्द्रों में से अब तक **10595 (103.76%)** यूनिट शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने हेतु खुले में शौच मुक्त ग्राम के लिए भारत शासन ने अब तक **816** ग्राम पंचायतों को ''निर्मल ग्राम पुरूस्कार'' से सम्मानित किया है।

(5) **मुख्यमंत्री निर्मल शाला पुरस्कार** :– यह पुरस्कार राज्य के प्रत्येक विकासखण्ड से एक शासकीय शाला (जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शाला) को पेयजल एवं स्वच्छता के आयामों की दृष्टि से उपयुक्त पाए जाने पर प्रदान किया जाएगा। इस हेतु गठित निर्णायक मण्डल (जूरी) द्वारा चयन होने पर पुरस्कार राशि रू. 50000/– प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।

तकनीकी शिक्षा

14.9 प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के गुणवत्ता युक्त विकास समन्वय एवं मार्गदर्शन के लिए तकनीकी शिक्षा संचालनालय की स्थापना **01** नवम्बर, **2000** में की गई। संचालनालय द्वारा शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं का प्रशासकीय नियंत्रण एवं राज्य के सभी इंजीनियरिंग महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश की कार्यवाही।

राज्य में तकनीकी शिक्षा की स्थिति

क.	संस्थाएं	1 नवम्बर 2000 की स्थिति में		वर्ष 2013–14 की स्थिति में	
		संस्थाओं की संख्या	प्रवेश क्षमता	संस्थाओं की संख्या	प्रवेश क्षमता
1	इंजीनियरिंग	**11**	**2750**	**49**	**18870**
2	पॉलीटेक्निक	**10**	**1495**	**43**	**7120**
3	एम.सी.ए.	**4**	**210**	**10**	**660**
4	एम.बी.ए.	**3**	**160**	**18**	**1560**
5	एम. फॉर्मा	**0**	**0**	**05**	**150**
6	बी. फॉर्मा	**0**	**0**	**10**	**780**
7	डी. फॉर्मा	**01**	**30**	**08**	**510**
8	आर्किटेक्चर	**01**	**20**	**01**	**40**
9	एम.ई./एम.टेक	**0**	**0**	**11**	**652**

उपलब्धियां :–

1. राज्य के आदिवासी बाहुल्य एवं नक्सल प्रभावित जिलों बीजापुर, नारायणपुर कांकेर एवं दंतेवाड़ा में पॉलीटेक्निक वर्तमान सत्र **2010–11** से प्रारंभ। जशपुर, बैकुण्ठपुर एवं गरियाबंद में भी शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाएं प्रारंभ हो चुकी हैं।

2. राज्य में सूचना प्रौद्यौगिकी के विकास एवं उपयोग को ध्यान में रखते हुए **N.T.P.C.** के सहयोग से **I.I.I.T.** की स्थापना का कार्य प्रगति पर।

3. राज्य में **I.I.M.** सत्र **2010–11** से रायपुर में प्रारंभ।

4. वर्ष **2010–11** से बी.ई., बी. फॉर्मेसी, एम.सी.ए. एवं इंजी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश ऑनलाईन काउन्सिलिंग के माध्यम से किया गया।

5. रायपुर जिले में **I.I.I.T.** खड़गपुर के अध्याय की शुरूआत वर्ष **2012–13** से हो चुकी है।

6. प्रदेश के पॉलीटेक्निक संस्थाओं में सामुदायिक विकास योजना प्रारंभ की गई है।

7. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण अनुदान योजना प्रारंभ की गई है।

8. जिला नवाचार निधि योजना वित्तीय वर्ष **2012-13** से प्रारंभ किया जा चुका है।

राज्य / केन्द्र शासन द्वारा घोषित नवीन योजनाएं :–

1. वित्तीय वर्ष 2013.14 में राज्य शासन द्वारा प्रदेश में 03 नवीन शासकीय पॉलीटेक्निक, रामानुजगंज, मुंगेली एवं सुकमा में संचालित की गई हैं।

2. वित्तीय वर्ष 2013.14 में केंद्र शासन द्वारा शास. महिला पॉलीटेक्निक – रायगढ़ एवं शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक रायपुर में कम्युनिटी कॉलेज की स्थापना एवं प्रदेश में स्थित 10 पॉलीटेक्निक संस्थाओं में कन्या छात्रावास हेतु भवन निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

उच्च शिक्षा

14.10 छत्तीसगढ़ राज्य के विकास यात्रा में उच्च शिक्षा विभाग की भूमिका अत्यंत उल्लेखनीय रही है। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए उल्लेखनीय कार्य हुए हैं।

(1) राज्य गठन के समय 03 विश्वविद्यालय, 116 शासकीय महाविद्यालय एवं 226 अशासकीय महाविद्यालय थे। विस्तार एवं विकास की चुनौतियों का सामना करते हुए आज राज्य में 07 राजकीय विश्वविद्यालय, 01 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 06 निजी विश्वविद्यालय, 204 शासकीय महाविद्यालय एवं 14 अशासकीय अनुदान प्राप्त एवं 242 अशासकीय अनुदान अप्राप्त महाविद्यालय संचालित हैं। राज्य के आदिवासी अंचलों में एक भी विश्वविद्यालय नहीं था, किन्तु राज्य के प्रमुख आदिवासी अंचल बस्तर तथा सरगुजा में दो विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं।

(2). वर्ष **2012-13** में छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में लगभग **125656** छात्र छात्राएं अध्ययनरत थे जिसमें लगभग **21437** सामान्य छात्र, **19072** अनुसूचित जाति तथा **28575** छात्र अनुसूचित जनजाति के थे एवं **56572** अन्य पिछड़ावर्ग के छात्र छात्राएं अध्ययनरत थे।

(3) इसके अतिरिक्त निजी विश्वविद्यालयों की देश में बढ़ती हुई भूमिका के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में भी **6** निजी विश्वविद्यालय– डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय कोटा, बिलासपुर, मैट्स विश्वविद्यालय आरंग रायपुर, कलिंगा विश्वविद्यालय ग्राम कोटनी रायपुर, आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय ग्राम चरोदा दुर्ग, आई.टी.एम. विश्वविद्यालय उपरवारा, अभनपुर रायपुर एवं महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी मंगला, बिलासपुर की स्थापना की जा चुकी है। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना से उच्च शिक्षा को गति प्राप्त हो रही है और हजारों विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल रहा है।

(4) वर्ष **2013-14** में विभाग द्वारा 20 नए शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गई है एवं 03 अशासकीय महाविद्यालय का शासकीयकरण किया गया इस प्रकार कुल शासकीय महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर 204 हो गई है। आदिवासी विकासखण्डों एवं पिछड़े क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल 20 नए महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु शासन द्वारा नवीन मद के रूप में रू. **3.00** करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। इन नए महाविद्यालय हेतु कुल 382 विभिन्न पद सृजित किए गए हैं।

(5) **National Mission of Education through Information and Communication Technology (NME-ICT)** के तहत भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों को नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने की योजना प्रारंभ की गई है, जिसका व्ययभार भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा वहन किया जावेगा। प्रदेश के 104 महाविद्यालयों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़े जा रहे हैं, जिसके लिए शासन द्वारा वहन किए जाने वाले लागत अंश बी.एस.एन.एल. को प्रदान कर दिया गया है।

(6) अनुसूचित जाति तथा जनजाति छात्रों को पुस्तकें/स्टेशनरी प्रदाय हेतु वर्ष **2012-13** में कुल प्रावधानित राशि रू. **140** लाख में वृद्धि करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष **2013-14** हेतु रू. **160** लाख प्रस्तावित किया गया है।

(7) बी.पी.एल. छात्रवृत्ति – उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के परिवारों के छात्रों हेतु बीपीएल छात्रवृत्ति प्रतिमाह रू. **300/-** की दर से **10** माह में रू. **3000/-** तथा स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी को रू. **500/-** की दर से **10** माह में रू. **5000/-** दिए जाने का प्रावधान है। वर्ष **2012-13** में **10067** छात्र लाभान्वित हुए। वर्ष **2013-14** में **4.00** करोड़ रखने का प्रस्ताव किया गया है।

(8) वर्ष **2013-14** में महाविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु बजट में नवीन भवन निर्माण हेतु रू. **04** करोड़ **50** लाख प्रारंभिक रूप से प्रस्तावित किया गया है। वित्तीय वर्ष **2013-14** में अम्बिकापुर, जशपुर, जगदलपुर एवं दंतेवाड़ा में कन्या छात्रावास भवन निर्माण हेतु रू. **2.00** करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। वर्ष **2013-14** सीतापुर, बलरामपुर, रामानुजगंज एवं शासकीय कन्या महाविद्यालय रायपुर में बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु रू. **1.00** करोड़, शासकीय पी.जी. महाविद्यालय अम्बिकापुर में आडिटोरियम एवं शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगॉव में अतिरिक्त कक्ष के निर्माण हेतु रू. **1.50** करोड़ का प्रावधान किया गया है।

(9) बी. पी. एल. बैंक बुक योजना :– योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा मुहैया हो सके इस हेतु राज्य शासन द्वारा संचालित अभिनव योजना के तहत बीपीएल के विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री प्रदान करने संबंधी बीपीएल बुक बैंक योजना हेतु वित्तीय वर्ष **2012-13** में रखे गए प्रावधान रू. **35** लाख से वृद्धि करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष **2013-14** हेतु रू. **40** लाख प्रावधानित किया गया है।

(10) वर्ष **2013-14** में फर्नीचर, पुस्तक, भंडार तथा मशीन उपकरण के लिए क्रमशः **285** लाख, **260** लाख, **203** लाख एवं **115** लाख प्रावधानित है।

(11) वर्ष **2013-14** में विभाग द्वारा **16** शासकीय महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति देने के साथ–साथ पाठ्यक्रम संचालन हेतु बजट उपलब्ध कराते हुए **34** शैक्षणिक एवं **22** अशैक्षणिक पदों का सृजन भी किया गया है।

(12) संस्कृत भाषा सम्मान :– छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रतिवर्ष संस्कृत विद्वानों को सम्मानित किया जाता है, जिसके लिए संस्कृत सम्मान पुरस्कार हेतु वर्ष **2013-14** में राशि रू. **2.00** लाख का प्रावधान किया गया है।

(13) पं. दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना :– यह एक नवीनतम योजना है, जिसके अंतर्गत 10 लाख का बजट प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के दूरस्थ आदिवासी अंचल में स्थापित 02 महाविद्यालयों शासकीय काकतीय पी.जी. महाविद्यालय, जगदलपुर एवं शासकीय राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर में शैक्षणिक सत्र 2012.13 में लगभग 300 छात्र–छात्राओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है।

समाज सेवा

14.11 समाज कल्याण द्वारा विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, प्रभावशील अधिनियमों एवं कार्यक्रमों से संबधित दायित्वों को सम्पादन किया जा रहा है। निराश्रित वृद्ध विधवा, परित्यक्ता एवं निःशक्त व्यक्तियों के देख–रेख तथा किशोर न्याय अधिनियम अन्तर्गत बालकों की देख–रेख एवं बाल संप्रेक्षण गृह आदि कार्यक्रम प्रभावशील है।

14.11.1. सामाजिक सहायता कार्यक्रम

(1) सामाजिक सुरक्षा पेंशन :– इस योजनान्तर्गत 60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध एवं 50 वर्ष या अधिक आयु का निराश्रित विधवा या परित्यक्ता महिलाएं एवं 6 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित विकलांग बच्चों को 200 रू. मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के 6 से 14 वर्ष तक आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले विकलांग बच्चे ही वह निराश्रित न हो, को पेंशन की पात्रता है। पेंशन की पात्रता केवल राज्य के निवासियों के लिये ही है।

(2) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना : राज्य में इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना **1** अक्टूबर **1995** से संचालित की जा रही है। योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के **60** से **79** वर्ष आयुवर्ग के वृद्धजनों को राशि रू. **300.00** प्रतिमाह तथा **80** वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को राशि रू. **600.00** प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। उक्त पेंशन राशियों में राशि रू. **100.00** राज्यांश सम्मिलित है।

(3) राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना :– योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के **18** वर्ष से अधिक एवं **65** वर्ष से कम आयु के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर **10,000** रू. दिये जाते हैं। भारत सरकार द्वारा शत्–प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जाती है।

(4) सुखद सहारा योजना :– इसके अन्तर्गत **18–50** वर्ष तक की निराश्रित विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को **200** रूपये प्रतिमाह–पेंशन राशि भुगतान की जाती है।

(5) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन येाजना :– यह योजना फरवरी **2009** से प्रभावशील है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के **40** से **79** वर्ष आयुवर्ग की विधवाओं को रू. **300** प्रतिमाह पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जात है।

(6) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन येाजना :– यह योजना फरवरी **2009** से प्रभावशील है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के **18** से **79** वर्ष आयुवर्ग के गंभीर एवं बहुविकलांगों को रू. **300.00** प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।

सारणी 14. सामाजिक सहायता कार्यक्रम की प्रगति

पेंशन योजना	2012-13		2013-14 सितंबर तक	
	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि/ हितग्राही (संख्या)	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि/ हितग्राही (संख्या)
सामाजिक सुरक्षा पेंशन	**16268.31**	**473172**	**7794.15**	**489836**
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	**17687.49**	**662861**	**7743.80**	**671997**
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	**1191.10**	**11577**	**393.30**	**2537**
सुखद सहारा योजना	**5299.59**	**234785**	**2435**.09	**244862**
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन येाजना	**2752.54**	**119391**	**1834.46**	**126580**
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन येाजना	**804.46**	**35608**	**572.06**	**37354**

14.11.2. अन्य सामाजिक योजना

समाज सेवा के लिए अस्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य अनुदान :– निःशक्त (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्णभागीदारी) अधिनियम **1995** के प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा निम्न योजनायें संचालित की जा रही हैं। शैक्षणिक कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अस्थि वाधितों हेतु रायपुर एवं राजनांदगांव में विशेष विद्यालय संचालित हैं। मंद बुद्धि बच्चों के लिए रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा, दंतेवाड़ा, जांजगीर–चांपा, जगदलपुर, व बिलासपुर में तथा श्रवण बाधितों के लिए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर–चांपा, सरगुजा कोरबा एवं रायगढ़ में विद्यालय संचालित हैं।

14.11.3. निःशक्त जनों के लिए छात्रवृत्ति योजनाः– इस योजनांतर्गत प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं महाविद्यालयीन शिक्षारत निःशक्त विद्यार्थियों को पात्रता एवं कक्षा अनुसार रू. 50 से 240 प्रतिमाह छात्रवृत्ति विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है तथा दृष्टि बाधित छात्रों को रू. 50 से 100 वाचक भत्ता प्रदान किया जाता है।

14.11.4. कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत निःशक्त जनों को कैलीपर्स, ट्रायसिकल, व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, श्वेत छड़ी व ब्रेल किट आदि उपलब्ध कराये जाते हैं। इस योजना अन्तर्गत निःशक्तों को संसाधन सेवायें उनकी आय सीमा रू. 5000 मासिक तक निःशुल्क तथा रू. 5001 से रू. 8000 मासिक तक 50% छूट के साथ संसाधन सेवाऐं उपलब्ध कराने हेतु दी जाती है।

14.11.5. निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना :– निःशक्तजनों को सामाजिक पुनर्वसन एवं स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से 18 से 45 वर्ष की आयु की महिलाओं एवं 21 से 45 वर्ष आयु के पुरूष के विवाह हेतु राशि रू. 21000 प्रति विवाहित जोड़े को प्रदाय किया जाता है।

14.11.6. समाज रक्षा कार्यक्रम : राज्य में किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के तहत विधि विरूद्ध एवं देखरेख की अपेक्षा रखने वाले बच्चों के लिए कार्यक्रम संचालित है। इस अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के विधि अवरूद्ध एवं देख–रेख की अपेक्षा रखने वाले बालक/बालिकाओं के संरक्षण, भरण–पोषण, विकास, चिकित्सकीय देखरेख एवं पुनर्वास की व्यवस्था किया जाना प्रावधानित है, विधि विरूद्ध बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं आर्थिक सहायता दी जाती है।

सारणी 14. सामाजिक सहायता कार्यक्रम की प्रगति

योजना	2012-13		2013-14 सितंबर तक	
	वित्तीय उपलब्धि लाख़	भौतिक उपलब्धि/हितग्राही (संख्या)	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि/हितग्राही (संख्या)
स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य अनुदान	**217-24**	**2160**	**91-67**	**2023**
निःशक्त जनों के लिए छात्रवृत्ति योजना	**75.71**	**13099**	**7.55**	**2398**
कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजना	**241.20**	**4088**	**10.96**	**472**
निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना	**105.42**	**502**	**31.50**	**150**
समाज रक्षा कार्यक्रम	**-**	**-**	**198.50**	**1287**

6. वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम :– वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षण एवं सम्मान हेतु प्रत्येक वर्ष **01** अक्टूबर को ''अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस'' जनपद पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक सम्मान समारोह का आयोजन, निराश्रित वृद्ध जनों के लिए प्रदेश में **19** वृद्धाश्रम संचालित है। जहॉ **400** वृद्धजन लाभान्वित हो रहे है। वर्ष **2013-14** में वरिष्ठ नागरिकों के लिए गतिविधियॉ संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को रू. **9.08** लाख के केन्द्रीय अनुदान प्रस्ताव प्रेषित किए गए हैं।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

14.12 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास :–

(1) शालेय शिक्षा :– राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर की शालायें संचालित की जा रही हैं। विभाग द्वारा **16627** प्राथमिक शालाएं, **6202** माध्यमिक शालाएं, **469** हाई स्कूल, **787** उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 0**5** आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 11 कन्या शिक्षा परिसर, 12 एकलव्य आवासीय विद्यालय, 01 गुरूकुल विद्यालय एवं **13** खेल परिसर संचालित हैं।

(2) राज्य छात्रवृत्तियाँ :– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा **3** से **10** तक निरंतर विद्या अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शासन द्वारा **10** माह हेतु छात्रवृत्ति दी जाती है।

वित्तीय वर्ष **2012–13** एवं **2013–14** में माह सितंबर **2013** तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियां

(3) पोस्ट मीट्रिक छात्रवृत्तियाँ :– कक्षा 11 वी एवं इससे उपर में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मीट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(4) अस्वच्छ धंधों में लगे लोगों के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियाँ :– अस्वच्छ धंधों में कार्यरत बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने हेतु कक्षा पहली से दसवी तक के छात्र–छात्राओं को यह विशेष छात्रवृत्ति दी जाती है।

(5) छात्रावास :– प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के लिए **2023** छात्रावास संचालित है। प्रवेशित छात्र को **10** माह के लिये शिष्यवृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्रता है।

(6) आश्रम शाला योजना :– प्रदेश के वनाँचल एवं दूरस्थ क्षेत्रों में जहॉ शैक्षणिक सुविधा नही है आश्रम शाला योजना की व्यवस्था है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 51 एवं अनु. जनजाति के लिए 1173 आश्रम शालाएँ संचालित है।

(7) निःशुल्क गणवेश प्रदाय :– अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कक्षा पहली से आठवी तक के बालक–बालिकाओं को राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा निःशुल्क गणवेश प्रदाय किया जा रहा है।

(8) छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय :– नवमी एवं दसवी में अध्ययनरत छात्राओं को विद्यालय आने जाने की सुविधा हेतु निःशुल्क सायकल दिये गये है।

(9) कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना :– योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति की ऐसी कन्याएँ जो पॉचवी कक्षा उत्तीर्ण कर आगे पढ़ाई जारी हेतु प्रवेश लेती है उन्हें 500 रू. प्रतिवर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

(10) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम :– सवर्ण जाति के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के प्रति किये गये अत्याचारों के फलस्वरूप हुई हानि की पूर्ति अंतर्गत जरूरतमन्द परिवारों को तुरंत राहत योजना लागू की गई।

(11) परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति :– माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग से बैठने वाले छात्र–छात्राओं की परीक्षा में प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जा रही है।

(12) मध्यान्ह भोजन योजना :– प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में छात्र–छात्राओं की दर्ज संख्या में वृद्धि एवं नियमित उपस्थिति में प्रोत्साहन के लिये यह योजना वर्ष 1995 से लागू की गई है जिसके अंतर्गत छः वर्ष से चौदह वर्ष आयु समूह के बच्चों को गर्म भोजन दिया जाता है।

(13) अशासकीय संस्थाओं को अनुदान :– अनुसूचित जाति/जनजाति के शैक्षणिक उन्नयन के लिये कार्य करने वाली अशासकीय संस्थाओं को शाला, छात्रावास, बालवाड़ी, महिलाओं हेतु सिलाई केंद्र आदि के लिये अनुदान देने का प्रावधान है।

(14) विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरण :– राज्य में विशेष 5 पिछड़ी जनजातियाँ अबूझ माड़िया, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर एवं बैगा के विकास हेतु विशेष अभिकरण का गठन किया गया है। जिनके द्वारा अधोसंरचना के कार्य, सामुदायिक कार्य तथा परिवार मूलक कार्य संपादित किए गए जाते हैं।

(15) अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण :– राज्य के सघन अनुसूचित जाति क्षेत्रों में निवासरत लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के उद्देश्य से इस प्राधिकरण का गठन किया गया है।

(18) मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना :– इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के मेघावी छात्र/छात्राओं को जो दसवीं एवं बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं में अधिकतम अंकों से उत्तीर्ण हुए हों, को 10 हजार प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रत्येक वर्ष 700 आदिवासी एवं 300 अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रोत्साहन करने हेतु प्रावधान है।

(19) स्वस्थ्य तन स्वस्थ्य मन योजना :– विभागीय छात्रावास/आश्रमों में निवासरत छात्र/छात्राओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण।

(20) वाहन चालक प्रोत्साहन योजना :– अनुसूचित जाति एवं जनजाति युवकों को वाहन चालक का प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु वर्ष **2008-09** से योजना लागू की गई है।

(21) एअर हॉस्टेस प्रशिक्षण योजना :– योजनांतर्गत अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के युवतियों को प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य है।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के लिए विभिन्न योजनावार प्रगति

वर्ग	2012-13		2013-14 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू.)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू.)
राज्य छात्रवृत्तियाँ				
अनुसूचित जाति	**488408**	**1506.21**	**512828**	**2504.00**
अनुसूचित जनजाति	**1056993**	**3799.66**	**11098243**	**4042.72**
पिछड़ा वर्ग	**1180726**	**2466.73**	**1239762**	**2340.00**
पोस्ट मीट्रिक छात्रवृत्तिया				
अनुसूचित जाति	**62988**	**3491.19**	**66137**	**945.00**
अनुसूचित जनजाति	**99776**	**5110.63**	**104754**	**1170.00**
पिछड़ा वर्ग	**151934**	**5950.67**	**159531**	**4200.00**
अस्वच्छ धंधों में लगे लोगों के बच्चों के लिए छात्रवृत्तिया				
अनुसूचित जाति	**9810**	**209.85**	**10300**	**112.50**
छात्रावास				
अनुसूचित जाति	**14277**	**891.00**	**9344**	**373.75**
अनुसूचित जनजाति	**57150**	**3785.00**	**39581**	**1411.16**
अन्य पिछड़ा वर्ग	**291**	**19.95**	**222**	**4.00**
आश्रम शाला योजना				
अनुसूचित जाति	**3575**	**23.00**	**2034**	**91.95**
अनुसूचित जनजाति	**76765**	**46040.00**	**44856**	**1427.92**

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के लिए विभिन्न योजनावार प्रगति				
वर्ग	2012-13		2013-14 (सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू.)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू.)
निःशुल्क गणवेश प्रदाय				
अनुसूचित जाति	**53103**	**150.00**	**59622**	**170.00**
अनुसूचित जनजाति	**477595**	**900.00**	**315454**	**1509.00**
छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय				
अनुसूचित जाति	**4804**	**171.70**	**-**	**-**
अनुसूचित जनजाति	**36928**	**1092.41**		
अन्य पिछड़ा वर्ग	**17413**	**515.11**		**-**
विशेष पिछड़ी जनजाति	**17413**	**515.11**	**-**	**-**
कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना				
अनुसूचित जाति	**34000**	**170.00**	**-**	**-**
अनुसूचित जनजाति	**60000**	**300.00**	**-**	**-**
अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम				
अनुसूचित जाति	**216**	**46.96**	**118**	**41.45**
अनुसूचित जनजाति	**319**	**76.35**	**172**	**56.25**
मध्यान्ह भोजन योजना				
छात्र/छात्राएं	**1595939**	**18035.97**	**1624355**	**13559.69**
अशासकीय संस्थाओं को अनुदान				
अनुसूचित जाति	**01**	**230.00**	**01**	**92.12**
अनुसूचित जनजाति	**08**	**2341.64**	**07**	**1546.01**
विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरण				
कार्य	**264**	**2000.00**	**-**	**-**
अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण				
कार्य	**1830**	**3999.00**	**1204**	**1776.40**
मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना				
अनुसूचित जाति	**300**	**30.00**	**-**	**-**
अनुसूचित जनजाति	**700**	**70.00**		
स्वस्थ्य तन स्वस्थ्य मन योजना				
अनुसूचित जाति	**3377**	**22.70**	**1320**	**0.00**
अनुसूचित जनजाति	**37643**	**70.00**	**15905**	**0.00**
वाहन चालक प्रोत्साहन योजना				
अनुसूचित जाति	**102**	**16.00**	**33**	**5.00**
अनुसूचित जनजाति	**238**	**20.00**	**33**	**5.00**
एयर हॉस्टेस प्रशिक्षण योजना				
अनुसूचित जाति	**-**	**-**	**50**	**50.00**
अनुसूचित जनजाति	**-**	**-**	**50**	**50.00**

(22) सिविल सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना :– अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग/छ.ग. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में किसी भी स्तर पर सफल होने पर रू. **1.00** लाख एवं रू. **0.10** लाख (प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर), छ.ग. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में सफल होने पर रू. **0.20** लाख राशि प्रदान की जावेगी। वर्ष **2013-14** में इस योजनांतर्गत रू. **14** लाख का प्रावधान रखा गया है।

महिला एवं बाल विकास विभाग

आई.सी.डी.एस. सेवा योजनाः— भारत सरकार द्वारा कुपोशण, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर के स्तर में कमी लाने, बच्चों में मानसिक बौद्धिक विकास की नींव डालने एवं उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य, पोशण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल में माताओं की क्षमता निर्माण की महत्वाकांक्षी उद्देश्यों के साथ 02 अक्टूबर 1975 को समेकित बाल विकास सेवा परियोजना प्रारंभ किया गया।

समेकित बाल विकास सेवा के उद्देश्यः—

समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैः—

- बच्चों के उचित मानसिक (मनोवैज्ञानिक) शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव डालना।
- 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों में पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना।
- मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, रूग्णता और बीच में स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना।
- बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने में प्रभावकारी तालमेल कायम करना।
- उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में सामान्य स्वास्थ्य पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल के लिए माताओं की क्षमता बढ़ाना।

समेकित बाल विकास परियोजना की सेवायेंः—

- समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हितग्राहियों को निम्नलिखित छः सेवायें प्रदान की जाती हैः—

क्र0	सेवा	हितग्राही
1	टीकाकरण	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र की समस्त गर्भवती महिलायें, किशोरी बालिकाएँ एवं 0—6 वर्ष तक के समस्त बच्चे।
2	स्वास्थ्य जॉच	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र की समस्त गर्भवती महिलायें, धात्री माताएँ, 0—6 वर्ष वर्ष तक के बच्चे तथा किशोरी बालिकायें।
3	संदर्भ सेवाएँ	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र के 0—6 वर्ष तक के गम्भीर कुपोषित बच्चे, विकलांग बच्चे, जोखिम वाले बच्चे, बीमार बच्चे, खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलायें/शिशुवती माताएँ।
4	पूरक पोषाहार	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र की समस्त गर्भवती महिलायें, शिशुवती मातायें, 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चे
5	स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र की समस्त 15—45 साल की महिलायें, गर्भवती महिलायें, धात्री मातायें एवं किशोरी बालिकायें।
6	शाला पूर्व शिक्षा	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र की , 03—06 वर्ष तक के समस्त बच्चे

आंगनबाड़ी केंद्र एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृति के मापदण्डः–

ग्रामीण/शहरी परियोजनाओं में आंगनबाड़ी केन्द्र :

1. 400–800 जनसंख्या पर – 1 आंगनबाड़ी केन्द्र
2. 800–1600 जनसंख्या पर – 2 आंगनबाड़ी केन्द्र
3. 1600–2400 जनसंख्या पर – 3 आंगनबाड़ी केन्द्र

ग्रामीण/शहरी परियोजनाओं में मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र :

150–400 जनसंख्या पर – 1 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र

आदिवासी क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्र/दुर्गम क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्र :

300–800 जनसंख्या पर – 1 आंगनबाड़ी केन्द्र

मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र :

150–300 जनसंख्या पर – 1 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र

आईसीडीएस का सर्वव्यापीकरण – आईसीडीएस कार्यक्रम का विस्तार करते हुए सुदूर अंचलों में स्थित बसाहटों में भी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। राज्य में चरणबद्ध तरीके से स्वीकृत परियोजनाओं एवं केंद्रों की स्थिति निम्नानुसार है–

क्र.	केंद्र/परियोजना	छत्तीसगढ़ गठन के पूर्व स्वीकृत	विस्तार पश्चात अब तक कुल स्वीकृत	वर्तमान में संचालित
1.	बाल विकास परियोजना	**152**	**220**	**220**
2.	आंगनबाड़ी केंद्र	**20289**	**43763**	**43458**
3.	मिनी आंगनबाड़ी केंद्र	**836**	**6548**	**6192**
	योग (2+3)	**21125**	**50311**	**49650**

आईसीडीएस का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन

* भारत शासन द्वारा 12वीं पंचवर्शीय योजनान्तर्गत एकीकृत बाल विकास सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु 22 अक्टूबर 2012 को निर्देश जारी किये गये जो कि राज्य के सभी जिलों में तीन वर्शों में चरणबद्ध रूप से लागू किया जावेगा।

* प्रदेश में प्रथम चरण में वर्श 2012–13 एवं 2013–14 में 17 हाईबर्डन जिलों (बस्तर, बालोद, बलौदाबाजार, बेमेतरा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, दुर्ग, गरियाबंद, जशपुर, कांकेर, कवर्धा, कोंडागांव, कोरबा, महासमुंद, नारायणपुर, रायपुर एवं सुकमा) में लागू किया जावेगा एवं इन 17 जिलों में अतिरिक्त कार्यकर्ता की नियुक्ति की जायेगी। शेश 10 जिलों में लिंक वर्कर का प्रावधान किया गया है। सभी जिलो में वर्ष 2014–15 से यह **Strengthening and Restructuring** लागू किया जाएगा।

* बाल विकास सेवा योजना राष्ट्रीय मिशन निर्देशालय **(National Mission Directorate)** तथा राष्ट्रीय मिशन संसाधन केन्द्र **(National Mission Resource Center)** के माध्यम से मिशन मोड में संचालित किया जाएगा।

* राज्य स्तर पर भी उपरोक्तानुसार माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में **State Mission Steering Group (SMSG)** तथा मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में **State Empowerd Programme Committee (SEPC)** होगी, जो कि राज्य स्तर पर योजनाओं के नीति संबंधी निर्णय एवं क्रियान्वयन का अनुश्रवण करेगी। विभागीय आदेश दिनांक 03.10.2013 द्वारा आईसीडीएस मिशन **State Empowerd Programme Committee** एवं **State Mission Steering Group (SMSG)** का गठन किया जा चुका है।

* राज्य स्तर पर राज्य बाल विकास समिति गठित होगी, यह समिति जिला बाल विकास समिति गठित किए जाने के अधिकारों के साथ गठित की जाएगी।

* राज्य स्तर पर पृथक से राज्य आईसीडीएस मिशन डायरेक्ट्रेट होगा, जो मिशन डायरेक्टर के परिचालन में संचालित होगा। राज्य की तरह जिलो में भी जिला मिशन इकाई बनाई जाएगी।

* योजना के क्रियान्वयन हेतु बाल विकास सेवा मिशन विभिन्न स्तर (जिला स्तर) पर ।च्च् तैयार कर योजना का क्रियान्वयन तथा प्रत्येक स्तर पर मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक लचीलापन देते हुए योजना के क्रियान्वयन में प्रभावशीलता के लिए आवश्यक उपाय किए जाने का प्रावधान रखा गया है।

* आईसीडीएस सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन अन्तर्गत निम्नलिखित गतिविधियां/घटक शामिल है–

❷ कुपोशण प्रबंधन हेतु स्नेह शिविरों का आयोजन।

❷ योजना के सफलतापूर्वक संचालन हेतु प्रत्येक स्तर पर अतिरिक्त मानव संसाधन का प्रावधान।

❷ आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण, पक्के आंगनबाड़ी भवनों के अनुरक्षण हेतु प्रावधान।

❷ राज्य के 5 प्रतिशत आंगनबाड़ी केंद्रों को डे–केयर क्रैश के रूप में संचालन।

❷ शाला पूर्व शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु ईसीसीई दिवस का आयोजन।

❷ आंगनबाड़ी केंद्रों का ग्रेडिंग एवं मूल्यांकन का प्रावधान।

❷ निःशक्त बच्चों हेतु प्रावधान।

* आईसीडीएस सुदृढ़ीकरण एवं पुर्नसंरचना अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों को **"Vibrant ECD Center"** के रूप में विकसित किया जाना है एवं पोशण, स्वास्थ्य एवं शाला पूर्व शिक्षा हेतु गांव की प्रथम चौकी के रूप में निर्मित किया जावेगा। इस हेतु बाल विकास योजना अंतर्गत वर्तमान की 6 सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किया गया है।

कुपोषण की रोकथाम हेतु संचालित कार्यक्रम एवं योजनाएं– आई.आई.पी.एस. (इंटरनेशनल इस्टीट्यूट ऑफ पापुलेशन सांइसेज) की रिपोर्ट 2007 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में पांच वर्श आयु तक के बच्चों में कुपोशण **¼under weight children under five years½** का स्तर 47.6 प्रतिशत था। विभाग द्वारा कुपोशण को कम करने हेतु किये जा रहे प्रयासों से वर्ष 2013 में राज्य में किए गए वजन त्यौहार के आंकड़ों के अनुसार कुपोशण का स्तर 38 प्रतिशत है।

 कुपोषण मुक्ति अभियान– विभाग द्वारा मिलिनियम डेव्लपमेंट गोल (**MDG**) के लक्ष्यों की चुनौती को स्वीकार करते हुए कुपोषण, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर में कमी लाने हेतु ''शासन समाज की सहभागिता'' को मानक

सिद्धांत बनाते हुए कुपोषण मुक्ति अभियान प्रारंभ किया गया है। अभियान अंतर्गत समुदाय में सुपोषण की अवधारण स्थापित करने हेतु प्रचार–प्रसार निर्माण, समुदाय की सक्रिय सहभागिता, बाल विकास सेवाओं में चिन्हित की गई कार्यक्रमगत कमियों की पूर्ति करना, आंगनवाडी केन्द्रों को आवश्यक उपकरण वजन मशीन, ग्रोथ चार्ट इत्यादि उपलब्ध कराना, गंभीर कुपोषित बच्चों कों कुपोषण की चक्र से बाहर लाने हेतु अतिरिक्त चिकित्सीय सहायता, स्वास्थ्य परीक्षण, दवाईयां आदि की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ–साथ मैदानी अमलों – आंगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं पर्यवेक्षकों को महत्वपूर्ण तकनीकि विषयों पर प्रशिक्षण देकर उनमें परामर्शदायी क्षमता एवं कौशल विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है ।

- मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना– गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को चिकित्सकीय परीक्षण की सुविधा, चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाएं तथा आवश्यकतानुसार बाल रोग विशेषज्ञों की परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 06 जून 2009 से मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजनान्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जा रही है :–

* प्रत्येक विकासखंड में माह में 2 दिवस संदर्भ दिवस के रूप में चिन्हांकित ।
* बच्चों के संक्रमण की पहचान ।
* निजी चिकित्सा परीक्षण संस्थान – अधिकतम 300/– रूपये सीमा तक स्वास्थ्य परीक्षण ।
* एक हितग्राही को वर्ष भर में अधिकतम 500/– की दवाएं आवश्यकता होने पर चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से इससे अधिक राशि भी उपलब्ध कराई जा सकेगी।
* निजी शिशु रोग विशेषज्ञ की सेवा पर सम्मान स्वरूप 1000/– रूपये का मानदेय।

वर्ष 2012–13 में 101237 बच्चों को लाभान्वित किया गया। सितम्बर 2013 की स्थिति में 16366 बच्चों को योजना अंतर्गत लाभान्वित किया गया है।

- नवाजतन योजना– नवाजतन के माध्यम से पोषण शिक्षा एवं आवश्यक प्रशिक्षण द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों में सुपोषण मित्रों द्वारा अधिक से अधिक कम वजन वाले मध्यम व गंभीर कुपोषित बच्चों के पालकों के ज्ञान एवं कौशल को स्थानीय संदर्भ में बेहतर कर उन्हें समुदाय आधारित प्रबंधन के लिए तैयार कर बच्चों की स्थिति में छः माह में सुधार लाना लक्षित किया गया है। योजना के प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार है–

* वर्श 2013–14 में नवाजतन योजना में 573 पंचायतों के 42 हजार बच्चों को लक्षित किया गया है तथा वर्श 2014–15 में 1 लाख बच्चों को लक्षित करने का प्रयास है।

आईसीडीएस अन्तर्गत पूरक पोशण आहार का प्रदाय–

* 6 माह से 3 वर्ष आयु के बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं के लिये आहार :– इस श्रेणी के हितग्राहियों को टेक होम राशन पद्धति से रेडी टू ईट फुड, मुर्रा लड्डू एवं डबल फोर्टिफाइड साल्ट दिया जाता है।
* 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु के बच्चों को नाश्ता तथा गर्म पका हुआ भोजनः– ऑगनवाड़ी केन्द्र में आने वाले इन हितग्राहियों को मेनु नाश्ता तथा गर्म पका हुआ भोजन दिया जाता है।
* रेडी टू ईट फुड का निर्माण 1489 महिला स्व सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है। नाश्ता तथा गर्म पका हुआ भोजन 19008 महिला स्व सहायता समूहों, 570 ग्राम पंचायतों एवं 03 नगरीय निकायों के माध्यम से वितरित किया जा रहा है।

- ★ छत्तीसगढ़ नमक योजना – 06 माह से 06 वर्ष आयु के सामान्य तथा गंभीर कुपोषित बच्चों को प्रति माह 01 किलो ग्राम डबल फोर्टिफाइड साल्ट का प्रदाय किया जा रहा है। इस नमक में 15–30 पीपीएम आयोडिन एवं 850 से 1100 पीपीएम आयरन की मात्रा होती है। इस पर होने वाला व्यय पूरक पोषण आहार मद से विभाग द्वारा किया जाता है।
- ★ महतारी लइका नमक योजना – आं.बा. केंद्रों की गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को प्रति माह 01 किलो ग्राम डबल फोर्टिफाइड साल्ट का प्रदाय किया जा रहा है। इस नमक में 15–30 पीपीएम आयोडिन एवं 850 से 1100 पीपीएम आयरन की मात्रा होती है। इस पर होने वाला व्यय स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाता है।
- ★ वर्श 2012–13 में आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से 4.64 लाख गर्भवती/धात्री माताएं, छह माह से छह वर्श के 20. 67 लाख बच्चे इस प्रकार कुल 25.32 लाख हितग्राही पोशण आहार से लाभान्वित हुए हैं। सितम्बर 2013 की स्थिति में 4.60 लाख गर्भवती/धात्री माताएं, छह माह से छह वर्श के 20.58 लाख बच्चे इस प्रकार कुल 25.18 लाख हितग्राही पोशण आहार से लाभान्वित हुए हैं।

सबला योजना अन्तर्गत पूरक पोषण आहार प्रदाय –

- ★ 11 से 18 वर्ष आयु की किशोरी बालिकाओं के लिये संचालित सबला योजना प्रदेश के 10 जिलों क्रमशः रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, सरगुजा,बलरामपुर, सूरजपुर, बस्तर, कोडागांव, रायगढ़ एवं राजनांदगांव में संचालित है।
- ★ सबला योजना अंतर्गत किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार का प्रदाय किया जाता है।
- ★ योजनांतर्गत 11 से 14 आयु वर्ग शाला त्यागी किशोरी बालिकाओ, 14 से 18 वर्ग की शाला जाने वाली एवं शाला त्यागी किशोरी बालिकाओ को महिला स्व सहायता समूहो के माध्यम से टेक होम राशन पद्धति से रेडी टू ईट दिया जा रहा है।
- ★ किशोरी बालिकाओं को 165 ग्राम रेडी टू ईट फुड प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिन) दिया जाता है।
- ★ सर्वेक्षित 4.02 लाख बालिकाओं के विरूद्ध 3.98 बालिकाओं को पोषण आहार से प्रतिदिन लाभान्वित किया गया है।

विश्व बैक सहायित **ISSNIP (ICDS System Strengthening and Nutrition Improvement Project)** परियोजना

विश्व बैक सहायित **ISSNIP** परियोजना हेतु पूरे भारत वर्ष में 08 राज्यों (मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान) का चयन किया गया है। यह परियोजना 26 नवंबर 2012 (2012–13) से आरंभ होकर 31 अक्टूबर 2019 तक राज्य को 7 वर्ष की अवधि के लिए संचालित रहेगी। यह परियोजना छत्तीसगढ़ के 11 जिलों (महासमुंद, कोरबा, दुर्ग, कवर्धा, जशपुर, कांकेर, दंतेवाडा, बीजापुर, बस्तर, नारायणपुर, रायपुर) की 92 परियोजनाओं के 28,682 आंगनवाडी केन्द्रों में लागू की गई है।

भवन निर्माण

<u>आंगनबाडी भवन</u> :– वर्तमान में कुल स्वीकृत 43763 आंगनबाड़ी केंद्रों के विरूद्ध 37693 भवन स्वीकृत किये गये हैं।

पर्यवेक्षक कार्यालय सह आवास भवन – राज्य गठन पश्चात विभागीय पर्यवेक्षकों के आवास एवं कार्यालय संचालन की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुये 124 पर्यवेक्षक कार्यालय सह आवास हेतु भवन स्वीकृत किये गये हैं।

परियोजना कार्यालय भवन :– वर्तमान में कुल स्वीकृत 220 बाल विकास परियोजनाओं में से 206 परियोजनाओं हेतु भवन स्वीकृत किये जा चुके हैं।

बालक कल्याण समिति

- राज्य के 27 जिलों में से 25 जिलों में बालक कल्याण समिति गठित है।

किशोर न्याय बोर्ड

- राज्य के कुल 27 जिलों में से 17 जिलों में किशोर न्याय बोर्ड गठित है।

चाईल्ड लाईन

- राज्य के रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़ एवं जशपुर में चाईल्ड लाईन की सेवायें संचालित है।

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

- भारत शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2010–11 में राज्य के दो जिले धमतरी तथा बस्तर में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना **(Condinational Maternity benefit)** संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण ही स्थिति में सुधार के लिए प्रारंभ की गई है। योजना के तहत हितग्राहियों को निश्चित शर्तों के अधीन तीन किश्तों में राशि खाते के माध्यम से इनसेन्टीव के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।
- योजना के तहत 50 हजार से अधिक महिलाओं को लाभान्वित करते हुए 1500 लाख रूपये व्यय किये गये है। वर्ष 2013–14 में योजना संचालन हेतु 2000 लाख रूपये का प्रावधान उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

उद्देश्यः–

- ⊡ निर्धन परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाईयों का निवारण।
- ⊡ विवाह के अवसर पर होने वाली फिजूल खर्ची को रोकना एवं सादगीपूर्ण विवाहों को बढ़ावा देना।
- ⊡ सामूहिक विवाहों के आयोजन के माध्यम से निर्धनों के मनोबल/आत्मसम्मान में वृद्धि एवं उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार।
- ⊡ विवाहों में दहेज के लेन–देन की रोकथाम करना।
- ✶ पात्रताः–योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अन्तर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं को योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- ✶ सहायता का स्वरूपः– योजना के अंतर्गत 11500 रुपये तक की आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में तथा 2500 रूपये आयोजन व्यय के रूप में तथा 1000 रूपये चैक/ड्राफ्ट के रूप में अर्थात् प्रति कन्या कुल 15000 रूपये की सहायता का प्रावधान है। वर्ष 2012–13 में 9519 जोड़ों को तथा वर्ष 2013–14 में माह सितम्बर 2013 तक 4982 जोड़ों को लाभान्वित कराया जा चुका है।

आयुष्मति योजना

* हितग्राही – ग्रामीण क्षेत्र की भूमिहीन / गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं
* सहायता का स्वरूप – शासकीय अस्पतालों में एक सप्ताह तक उपचार हेतु भर्ती रहने पर 400 रूपये तक तथा एक सप्ताह से अधिक भर्ती रहने पर 1000 रूपये तक की चिकित्सा सहायता के तहत इलाज दवा, पौष्टिक आहार आदि उपलब्ध कराना।
* रोगी महिला के साथ आये परिचारक को भी सुविधाजनक विश्राम तथा दो समय के भोजन की सुविधा दी जाती है।

महिला जागृति शिविर

महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों,प्रावधानों के प्रति जागृत करने, विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें जागरूक एवं सक्रिय बनाने तथा विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओं की रोकथाम एवं महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के लिए विभाग द्वारा ग्राम पंचायत,जनपद एवं जिला स्तर पर शिविर आयोजित किये जाते है। वित्तीय वर्ष 2009–10 से महिला जागृति शिविरों को पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक आयोजित करने के निर्देश के साथ ही सभी स्तरों के लिए वित्तीय मापदंड निर्धारित किये गये है। आगामी तीन वर्षों के भीतर राज्य के सभी पंचायतों में कम से कम एक बार शिविर अनिवार्य रूप से आयोजित करने हेतु कार्ययोजना बनायी गयी हैं। वर्श 2012–13 में 1600 शिविरों के माध्यम से लगभग 5 लाख महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित किया गया है।

शक्तिस्वरूपा योजना

विधवा तथा तलाकशुदा महिलाओं के जिविकोपार्जन तथा आर्थिक स्वावलंबन के लिए नवीन शक्ति स्वरूपा योजना वितीय वर्ष 2009–10 में राज्य के बस्तर, नारायणपुर, दन्तेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव तथा बीजापुर जिले में प्रारंभ की गयी है ।योजना अन्तर्गत सहायता प्रावधान तीन भागों में विभक्त है।

स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु ऋण में सब्सिडी	ऋण राशि का 15 प्रतिशत अथवा 30 हजार रूपये जो न्यूनतम हो	व्यवसाय हेतु लिये गये ऋण पर अनुदान की प्रतिपूर्ति बैंकों को की जायेगी।
व्यवसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता	प्रशिक्षण हेतु सहायता की अधिकतम सीमा 25 हजार रूपये होगी ।इसके अतिरिक्त निवास स्थान से बाहर प्रशिक्षण प्राप्त करने पर 1 हजार रूपये हॉस्टल व्यय के रूप में प्रतिपूर्ति की जायेगी।	शासकीय/अशासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण से ऐसी महिलाओं को प्रशिक्षण दिलवाना जो महिला के स्वयं के व्यावसाय में लाभकारी हो
व्यवसायिक उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता	शिक्षा हेतु अधिकतम 1 लाख रूपये प्रति हितग्राही प्रतिवर्ष होगी। इसके अतिरिक्त निवास स्थान से बाहर प्रशिक्षण प्राप्त करने पर 1 हजार रूपये हॉस्टल व्यय के रूप में प्रतिपूर्ति की जायेगी।	यदि कोई महिला एमबीए/एमबीबीएस अथवा समतुल्य उच्च व्यावसायिक शिक्षा हेतु चयनित है तथा मापदण्डों के अधीन सहायता

योजनान्तर्गत पात्र महिलाओं के आवेदन जिला स्तर पर गठित समिति के अनुमोदन उपरान्त व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु प्राप्त प्रकरण बैंकों को प्रेषित किये जाते हैं।

छत्तीसगढ़ महिला कोष

महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास संबंधी कार्यो को बढ़ावा देने, महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक उपाय करने तथा महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन, सुदृढ़ीकरण एवं आर्थिक गतिविधि के लिए वित्तीय एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन छत्तीसगढ़ सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत दिनांक 2.2.2002 को किया गया है ।

- छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व–सहायता समूहों को आसान शर्तो पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ऋण योजना का संचालन दिनांक 15.8.03 से किया जा रहा हैं।
- योजनांतर्गत स्व–सहायता समूहों को अधिकतम 50000.00 रूपये तक का ऋण प्रथम बार में प्रदाय किया जाता है तथा प्रथम बार प्रदत्त ऋण की सफलतापूर्वक वापसी पर 100000.00 रूपये तक का ऋण द्वितीय बार में प्रदान किया जाता हैं।
- योजना के तहत छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व सहायता समूह को 3 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता हैं ।

छत्तीसगढ़ महिला कोष ऋण योजना अंतर्गत उपलब्धि

वर्ष	समूह संख्या	ऋण
2012–13	2970	678.50 लाख
2013–14	540	169.35 लाख

योजना प्रांरभ से अब तक 24 हजार 116 स्वयं सहायता समूहों को राशि रूपये 37 करोड़ 92 लाख 33 हजार का (रिवाल्विंग फण्ड) ऋण प्रदाय किया गया है।

सक्षम योजना – छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा वर्ष 2009–10 में ''सक्षम योजना'' आरंभ की गई है।

वर्ष	स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	पात्रता	ऋण राशि	स्वीकृत राशि
2012–13	226	महिलाओं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाओं अथवा कानूनीतौर पर तलाकशुदा महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु	1. 00 लाख रू तक तथा वापसी 5 वर्षों में 6.5 % की दर से	12075000
2013–14	41			4200000

स्वावलंबन योजना – छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा वर्ष 2009–10 में **''स्वावलंबन योजना''** आरंभ की गई है।

वर्ष	स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	पात्रता	ऋण राशि	स्वीकृत राशि
2012–13	138	निर्धन वर्ग की ऐसी महिलाओं को जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा जो कानूनीतौर पर तलाकशुदा है अथवा जो 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलायें है।	प्रति हितग्राही 5 हजार रूपये तक की अधिकतम व्यय सीमा	412780
2013–14	172			774000

योजना प्रारंभ से अब तक 765 महिलाओं को राशि रूपये 27 लाख 78 हजार 715 का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

WIFS (Weekly Iron and Folic Acid Supplementation)

- किशोरवयीन बच्चों में एनीमिया की रोकथाम हेतु प्रदेश में 01 जुलाई 2013 से कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।
- इसके तहत शाला जाने वाले किशोर बालक/बालिकाओं कों प्रति मंगलवार शाला में तथा शाला बाह्य बालिकाओं को प्रति शनिवार आंगनबाडी केन्द्र में आईएफए प्रदाय किया जा रहा है।
- वर्ष में दो बार– माह अगस्त एवं माह फरवरी माह में प्रथम शनिवार को कृमिनाशक दवाई शाला जाने वाले किशोर बालक/बालिकाओं को शाला में तथा शाला बाह्य बालिकाओं को आंगनबाडी केन्द्र में वितरण किया जावेगा ।
- आईएफए वितरण के समय किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा एवं परामर्श भी प्रदान किया जावेगा।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से लाभान्वित किये जाने हेतु सर्वेक्षित बालिकाओं की संख्या 2.34 लाख है जिनके विरूद्ध 1.68 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है।

सबला योजना

- राज्य के 10 जिलों रायपुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार, रायगढ़, राजनांदगांव, कोण्डागांव, बस्तर, सूरजपुर, बलरामपुर, एवं सरगुजा में संचालित है। इस योजना हेतु 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाएं लक्षित समूह है।

योजना के दो प्रमुख भाग हैं

- **किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार प्रदाय**– इस घटक अंतर्गत 11 से 14 वर्ष आयु की शाला त्यागी एवं 14 से 18 वर्ष आयु की सभी किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार दिया जाता है। वर्ष 2012–13 में 3.73 लाख बालिकाओं को तथा सितम्बर 2013 की स्थिति में 4.54 लाख बालिकाओं को पोषण आहार से लाभान्वित किया गया है।

किशोरी शक्ति योजना

सबला योजना संचालित 10 जिलों के अतिरिक्त शेष जिलों में किशोरी शक्ति योजना संचालित है। इस योजना में बालिकाओं को पूरक पोषण आहार प्रदाय नही किया जाता है। योजनांतर्गत प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियों के लिये प्रति परियोजना 300 बालिकाओं का चयन कर लाभान्वित किया जाता है। योजना अंतर्गत लक्षित बालिकाओं की संख्या 27600 है जिन्हे प्रशिक्षित किया जा रहा है।

विभाग द्वारा महिलाओं के लिए संचालित विभागीय संस्थाएं

* 16 वर्ष से अधिक आयु की अनाथ कन्याओं, विधवा, निराश्रित, परित्यक्ता, अविवाहित माताओं, तिरस्कृत व बेसहारा, समाज से प्रताड़ित महिलाओं को आश्रय, निःशुल्क आवास, प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था है । वर्तमान में रायपुर, सरगुजा, दंतेवाड़ा में संचालित है ।
* बिलासपुर, सरगुजा, कांकेर एवं जांजगीर में महिलाओं के आश्रय व पुनर्वास के लिए स्वाधार तथा अल्पकालीन आवास गृह संचालित है ।
* राज्य के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, धमतरी तथा राजनांदगांव में कामकाजी महिलाओं के लिए वसति गृह का संचालन किया जा रहा है ।

15

राज्य योजना आयोग के प्रमुख कार्य एवं गतिविधियां

15. राज्य योजना आयोग के प्रमुख कार्य एवं गतिविधियां

15.1 राज्य योजना आयोग का प्रमुख कार्य–पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाओं का निर्माण करना, संसाधनों का मूल्यांकन करना, योजनाओं की प्राथमिकताएं सुनिश्चित करना, क्षेत्रीय योजनाओं के निर्माण में सहयोग करना, आर्थिक एवं सामाजिक विकास में असंतुलन के कारणों को अभिज्ञापित करना तथा उसे दूर करने हेतु सुझाव देना, योजनाओं की प्रगति की समीक्षा/पुनर्विलोकन करना तथा नीतिगत निर्णयों को लेने के लिए तथ्यों के आधार पर आवश्यक सिफारिश करना है।

15.1.1 पंचवर्षीय योजनाएं – सामाजिक, आर्थिक संकेतांक

राज्य के लिये केन्द्रीय योजना आयोग, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लक्षित विकास संकेतकों के संदर्भ में 11वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य एवं अद्यतन स्थिति तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य।

सारणी 15.1 सामाजिक, आर्थिक संकेतांक

क्र.	विकास संकेतक	इकाई	अद्यतन स्थिति	12वी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य
1	2	3	4	5
1.	गरीबी में कमी (स्तर)	प्रतिशत	39.9	25
2.	शिशु मृत्यु दर	प्रति हजार जीवित जन्म पर	47	28
3.	मातृत्व मृत्यु दर	प्रति लाख जीवित जन्म पर	269	122
4.	सकल प्रजनन दर	प्रति महिला	2.7	2
5.	कुपोषण (0 से 3 वर्ष के बच्चें में)	प्रतिशत	37.3	26
6.	रक्ताल्पता (महिलाओं में 15–49 वर्ष)	प्रतिशत	57.6	28
7.	लिंगानुपात (0 से 6 वर्ष के बच्चें में)	प्रति हजार बालक	969	999
8.	शाला त्याज्य दर	प्रतिशत – कुल	2.6*	0
9.	साक्षरता दर	प्रतिशत	70.3	90
10.	महिला पुरूष साक्षरता अंतर	प्रतिशत	20.03	12
11.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि	प्रतिशत	7.7	9.1
	1. कृषि	प्रतिशत	6.4	5.0
	2. उद्योग	प्रतिशत	5.4	10.0
	3. सेवाएं	प्रतिशत	11.1	10.0

नोटः– बिन्दु क्रमांक– 11 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अद्यतन स्थिति 11वीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि को दर्शाता है।
* असर रिर्पोट 2012 अधारित।

स्त्रोत :– केन्द्रीय योजना आयोग, एसआरएस, जनसंख्या समंक, सीएसओ एवं राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण।

उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि सामाजिक क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक व्यय कर सामाजिक संकेतकों यथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आधारभूत सुविधाओं तथा राज्य के आर्थिक विकास के निर्धारित लक्ष्य को बहुत सीमा तक अर्जित कर लिया गया है।

15.1.2 12वीं पंचवर्षीय योजना – अनुमोदित योजना प्रावधान

योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा राज्य की 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए संभावित संसाधनों के आधार पर क्षेत्रकवार अनुमोदित योजना प्रावधान को तालिका क्रमांक– 2 में निम्नानुसार दर्शाया गया है :–

सारणी 15.2 अनुमोदित योजना प्रावधान (राशि करोड़ रूपये में)

क्र.	क्षेत्रक	अनुमोदित योजना प्रावधान	कुल योजना का प्रतिशत
1	2	3	4
1	कृषि एवं संबद्ध सेवायें	8283.74	6.29
2.	ग्रामीण विकास	3668.52	2.78
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	3313.50	2.52
4.	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	11952.26	9.07
5.	ऊर्जा	7337.03	5.57
6.	उद्योग तथा खनिकर्म	1972.32	1.50
7.	परिवहन	13017.31	9.88
8.	विज्ञान प्रौद्योगिक एवं पर्यावरण	2840.14	2.16
9.	सामान्य आर्थिक सेवायें	5206.92	3.95
10.	सामाजिक सेवायें	61260.26	46.51
11.	सामान्य सेवायें	0.00	0.00
	कुल बजटीय योजना	**118852.00**	90.23
	स्थानीय निकाय संसाधन	4421.00	3.36
	सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों के संसाधन	8455.00	6.42
	कुल योजना परिव्यय	**131728.00**	**100.00**

स्रोत– खण्ड–1, 12वी पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग, भारत सरकार

15.1.3 वार्षिक योजनाएं – वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धियॉ

योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा राज्य की वार्षिक योजना 2012–13 के लिये अनुमोदित राशि के विरूद्ध व्यय तथा वार्षिक योजना 2013–14 की अनुमोदित राशि का योजना प्रावधान क्षेत्रकवार तालिका क्रमांक– 3 में दर्शाया गया है।

वार्षिक योजना 2012–13 के लिये अनुमोदित परिव्यय (राज्य पोषित) रूपये 21,184.25 करोड़ के विरूद्ध रू. 16,520.96 करोड़ (77.99 प्रतिशत) का व्यय किया गया। कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं पर रूपये 2,284.24 करोड़ के अनुमोदित के विरूद्ध रूपये 2,271.89 करोड़, ग्रामीण विकास पर रूपये 806.97 करोड़ के विरूद्ध रूपये 397.44 करोड़ एवं सामाजिक सेवाओं पर अनुमोदित परिव्यय रूपये 9,579.00 करोड़ के विरूद्ध रूपये 7513.47 करोड़ का व्यय किया गया।

सारणी 15.3 वार्षिक योजनाएं – वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धियॉ

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र.	प्रमुख क्षेत्रक	वार्षिक योजना 2012–13			वार्षिक योजना 2013–14	
		अनुमोदित राशि	व्यय	प्रतिशत	अनुमोदित राशि	क्षेत्रक प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	कृषि एवं सम्बद्ध सेवायें	2284.24	2271.89	99.46	2304.98	9.13
2	ग्रामीण विकास	806.97	397.439	49.25	993.53	3.93
3	विषष क्षेत्र कार्यक्रम	761.46	539.536	70.86	840.43	3.33
4	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	2086.25	1598.08	76.60	2088.85	8.27
5	उर्जा	1263.56	1172.89	92.82	924.36	3.66
6	उद्योग तथा खनिकर्म	268.46	240.301	89.51	289.48	1.15
7	परिवहन	2740.74	1584.79	57.82	2589.25	10.25
8	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	505	489.362	96.90	530.77	2.1
9	सामान्य आर्थिक सेवायें	675.89	592.355	87.64	675.99	2.68
10	सामाजिक सेवायें	9579	7513.47	78.44	11756.84	46.56
11	सामान्य सेवायें	212.66	120.849	56.83	255.67	1.01
	एकमुश्त केन्द्रीय सहायता				59	0.23
	योग	**21184.25**	**16520.96**	**77.99**	**23309.14**	**92.31**
	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	2295.70			1940.86	7.69
	कुल योग	**23479.95**			**25250.00**	**100.00**

वार्षिक योजना 2013–14 के लिए योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा रूपये 25250.00 करोड़ के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है। कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं के लिए रूपये 2304.98 करोड़, ग्रामीण विकास के लिए रूपये 993.53 करोड़, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए रूपये 2088.85 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अनुमोदित परिव्यय में सर्वाधिक 46.56 प्रतिशत राशि रूपये 11756.84 करोड़ का प्रावधान सामाजिक सेवाओं हेतु किया गया है।

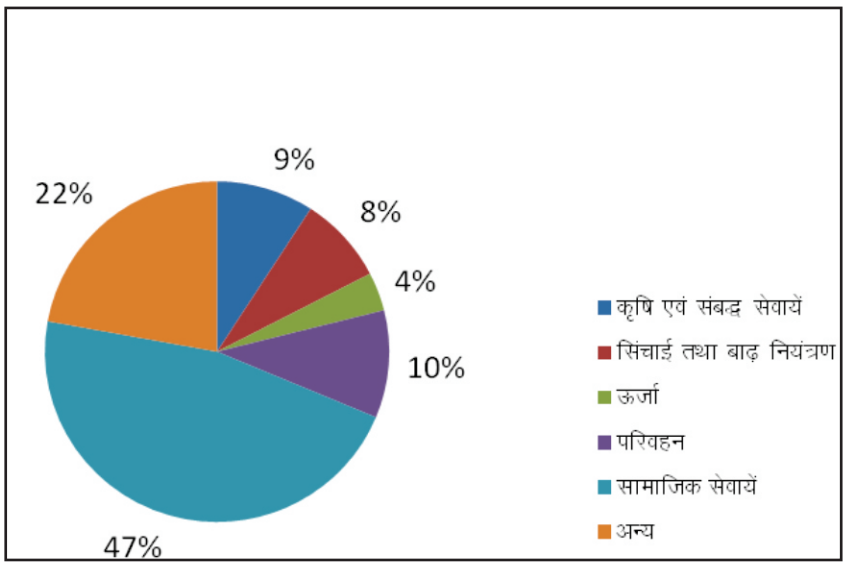

15.1.4. वार्षिक योजना 2013–14 – टीएसपी,एससीएसपी प्रावधान

योजना आयोग, भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में योजनाओं में प्रावधान किया जाना है। प्रदेश में 2011 की जनगणना अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 30.62 तथा अनुसूचित जाति का प्रतिशत 12.82 है। वार्षिक योजना 2013–14 में अनुसचित जनजाति के लिए (टीएसपी कम्पोनेन्ट) 34.12 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के लिए (एससीएसपी कम्पोनेन्ट) 12.57 प्रतिशत रखा गया है, जैसा कि तालिका क्रमांक– 4 में दर्शाया गया है–

सारणी 15.4 टीएसपी,एससीएसपी प्रावधान (करोड़ रूपये में)

क्र.	प्रमुख क्षेत्रक	वार्षिक योजना वर्ष 2013–14		
		अनुमोदित राशि	टीएसपी कम्पोनेन्ट	एससीएसपी कम्पोनेन्ट
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	कृषि एवं सम्बद्ध सेवायें	2304.98	776.12	274.59
2	ग्रामीण विकास	993.53	381.13	155.69
3	विषेष क्षेत्र कार्यक्रम	840.43	565.17	78.03
4	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	2088.85	580.39	420.20
5	उर्जा	924.36	149.75	72.85
6	उद्योग तथा खनिकर्म	289.48	65.17	13.75
7	परिवहन	2589.25	958.12	333.50
8	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	530.77	234.00	58.66
9	सामान्य आर्थिक सेवायें	675.99	232.01	89.19
10	सामाजिक सेवायें	11756.84	3946.43	1416.61
11	सामान्य सेवायें	255.67	45.00	4.50
	एकमुश्त केन्द्रीय सहायता	59.00	19.20	12.00
	योग	**23309.14**	**7952.49**	**2929.57**
	सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों के संसाधन	1940.86		
	कुल योग	**25250.00**	**7952.49**	**2929.57**
	प्रतिशत		**34.12**	**12.57**

सारणी 15.5 क्षेत्रकवार प्रमुख क्षेत्रकों के अंतर्गत टीएसपी एवं एससीएसपी कम्पोनेन्ट

क्र.	प्रमुख क्षेत्रक	योजना प्रावधान (प्रतिशत)	
		टीएसपी कम्पोनेन्ट	एससीएसपी कम्पोनेन्ट
1	2	3	4
1	कृषि एवं संबद्ध सेवायें	33.40	11.85
2	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	27.79	20.12
3	परिवहन	37.00	12.88
4	सामाजिक सेवायें	33.66	12.08
5	अन्य	37.08	10.48
	योग (औसत)	**34.12**	**12.57**

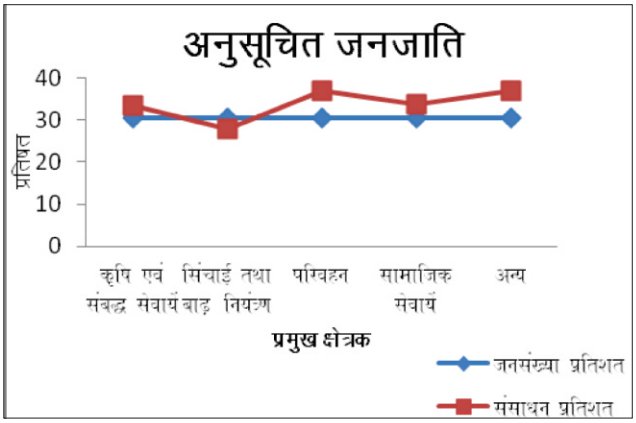

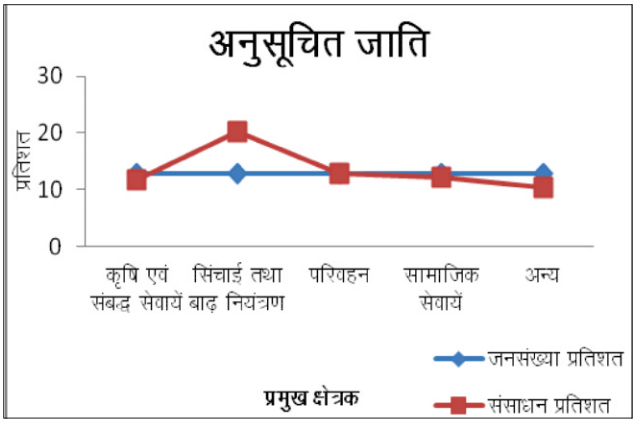

15.1.5. जिला वार्षिक योजना

भारत के संविधान के 73 वें एवं 74 वें संशोधन द्वारा स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है। जिसमें उसे विकेन्द्रीकृत नियोजन अपनाने का विस्तृत आधार प्रदाय किया गया है। वर्ष 2014–15 के संदर्भ में सभी जिलों से जिला योजना समिति के अनुमोदन उपरांत योजनाएं जनवरी 2014 तक प्राप्त किया जाना है।

जिला योजना के संदर्भ में संचालित कार्यक्रम/उपलब्धियॉ

1. यूनीसेफ की सहायता से प्राप्त गैर सरकारी संस्थान समर्थन तथा राज्य योजना आयोग के संयुक्त तत्वाधान में जिला वार्षिक योजना वर्ष 2014–15 के निर्माण के लिए जिले का स्थिति विश्लेषण निर्धारित सात क्षेत्रकों यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आजिविका, अधोसंरचना, उर्जा प्रबंधन तथा नागरिक अधिकार संरक्षण एवं सशक्तिकरण बिन्दुओं पर तैयार किया गया है।
2. क्षेत्रकों के स्थिति विश्लेषण पर प्रशिक्षण/कार्यशाला संभागीय स्तर पर आयोजित की गयी। प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण जिला स्तर पर कार्यरत् निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये किया गया :–
    1. उप संचालक/जिला योजना सांख्यिकी अधिकारी
    2. सहायक सांख्यिकी अधिकारी (जिला योजना प्रभारी)
    3. सहायक परियोजना अधिकारी (बीआरजीएफ/आरजीएसवाई)
    4. सहायक परियोजना अधिकारी (मनरेगा)/जिला अंकेक्षण पंचायत

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (Monitoring & Evaluation):–

प्रदेश में संचालित सभी योजनाओं के अनुश्रवण तथा मूल्यांकन हेतु विश्व बैंक की सहायता से वेब आधारित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पद्धति का विकास किया जा रहा है । पद्धति के विकास पश्चात कम्प्यूटर की एक क्लिक पर योजनाओं की प्रगति की जानकारी अनुश्रवणकर्त्ता अधिकारी के समक्ष होगी। राज्य जिला एवं विकास खण्ड स्तर तक योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ संबंधी अद्यतन जानकारी इस पद्धति के द्वारा प्राप्त की जा सकेगी । योजनाओं में हितग्राहियों की जानकारी प्राप्त करना भी संभव हो सकेगा । साथ ही यदि किसी योजना की प्रगति आशातीत नहीं है तो योजना में बाधा कहां पर आ रही है जिसके कारण योजना की प्रगति बाधित हो रही है, इसकी भी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी । हितग्राही मूलक एवं वर्क्स डिपार्टमेंट के योजनाओं की प्रकृति भिन्न–भिन्न होते हुये भी इन सभी का अनुश्रवण इस पद्धति के द्वारा किया जाना संभव हो सकेगा ।

भाग - 2

सांख्यिकी तालिकाएँ

–:: विषय सूची ::–

भाग–दो (सांख्यिकी तालिकाएँ)

1.1	छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में	1 – 4
2.1	छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों के आधार पर	5
2.2	छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों (2004–05) के आधार पर	6
2.3	छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों के आधार पर	7
2.4	छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों (2004–05) के आधार पर	8
2.5	छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (गत वर्ष से) प्रतिशत वृद्धि प्रचलित भावों के आधार पर	9
2.6	छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (गत वर्ष से) प्रतिशत वृद्धि स्थिर भावों (2004–05) के आधार पर	10
2.7	छत्तीसगढ़ का षुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (गत वर्ष से) प्रतिशत वृद्धि प्रचलित भावों के आधार पर	11
2.8	छत्तीसगढ़ का षुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (गत वर्ष से) प्रतिशत वृद्धि स्थिर भावों (2004–05) के आधार पर	12
3.1	प्रमुख फसलों के घोषित समर्थन मूल्य	13
4.1	महत्वपूर्ण खनिजों का मूल्य	14
4.2	महत्वपूर्ण खनिजों का प्रति टन औसत मूल्य	15
5.1	सड़को की लम्बाई	16
5.2	कुल पंजीकृत वाहन	17
6.1	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक	18
6.2	प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियॉ	19
6.3	जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	20
6.4	प्रतिवेदक अनुसूचित वाणिज्यिक बैकों की स्थिति	21

तालिका–1.1

छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में

क.	मद	इकाई	छत्तीसगढ़		
			2010–11	2011–12	2012–13
	1	2	3	4	5
1	**भौगोलिक क्षेत्रफल**	वर्ग कि. मी.	**137898**	**137898**	**137898**
2	**प्रशासनिक संरचना**				
	जिला	संख्या	**27**	**27**	**27**
	तहसीलें	–,,–	**149**	**149**	**149**
	विकास खण्ड	–,,–	**146**	**146**	**146**
	आदिवासी विकास खण्ड	–,,–	**85**	**85**	**85**
	कुल ग्राम	–,,–	**20306**	**20307**	**20306**
3	**जनसंख्या (जनगणना–2011)**				
	कुल जनसंख्या	हजार	**25545**	**25545**	**25545**
	पुरूष	–,,–	**12833**	**12833**	**12833**
	स्त्री	–,,–	**12712**	**12712**	**12712**
	ग्रामीण	–,,–	**19608**	**19608**	**19608**
	नगरीय	–,,–	**5937**	**5937**	**5937**
	अनुसूचित जाति	–,,–	**3274**	**3274**	**3274**
	अनुसूचित जनजाति	–,,–	**7823**	**7823**	**7823**
	जनसंख्या वृद्धि दर (2001–2011)	प्रतिशत	**22.61**	**22.61**	**22.61**
	जनसंख्या का घनत्व	प्रति वर्ग कि. मी.	**189**	**189**	**189**
	स्त्री–पुरूष अनुपात	प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियां	**991**	**991**	**991**
4	**राज्यीय आय**				
	प्रति व्यक्ति आय (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद–त्वरित अनुमान)				
	प्रचलित भावों पर	रूपये	**41167**	**46743**	**50691**
	स्थिर (2004–05) भावों पर	–,,–	**27156**	**26979**	**27400**
5	**कृषि**				
	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	हजार हेक्टर	**4697**	**4677**	**4671**
	कुल बोया गया क्षेत्र	–,,–	**5672**	**5664**	**5691**

क.	मद	इकाई	छत्तीसगढ़		
			2010–11	2011–12	2012–13
	1	2	3	4	5
	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	–,,–	**1355**	**1415**	**1449**
	कुल सिंचित क्षेत्रफल	–,,–	**1605**	**1648**	**1725**
	कृषि जोत (कृषि संगणना 2005–06)				(कृषि संगणना 2010–11)
	कृषि जोतों की संख्या	लाख	**34.61**	**34.61**	**37.46**
	कृषि जोतों का क्षेत्र	लाख हेक्टर	**52.10**	**52.10**	**50.84**
	कृषि जोतों का औसत आकार	हेक्टर	**1.51**	**1.51**	**1.36**
	कृषि उत्पादन (वास्तविक)				
	अनाज	हजार मेट्रिक टन	**6995**	**6653**	**8256**
	खाद्यान्न	–,,–	**7544**	**7205**	**8815**
	तिलहन	–,,–	**201**	**178**	**223**
	धान	–,,–	**9957**	**9451**	**11773**
	गेंहूं	–,,–	**122**	**135**	**143**
	मक्का	–,,–	**190**	**178**	**225**
	चना	–,,–	**240**	**261**	**305**
	तुअर	–,,–	**24**	**24**	**31**
	स्त्रोतः–आयुक्त भू–अभिलेख				
6	**पशु संगणना 2007**				
	गौवंश पशु	हजार में	**9486**	**9486**	**9486**
	भैंस वंशीय पशु	–,,–	**1603**	**1603**	**1603**
	भेंड़/भेंड़ी	–,,–	**140**	**140**	**140**
	बकरा/बकरी	–,,–	**2766**	**2766**	**2766**
	सूवर	–,,–	**412**	**412**	**412**
	अन्य पशु	–,,–	**3319**	**3319**	**3319**
	कुक्कूट	–,,–	**14245**	**14245**	**14245**
7	**विद्युत ***				
	अधिष्ठापित उत्पाद क्षमता	मेगावॉट	**1924.7**	**1924.7**	**1924.7**
	उत्पादन	मि.यू.	**14057.69**	**12982.78**	**12465.99**

क.	मद	इकाई	छत्तीसगढ़		
			2010–11	2011–12	2012–13
	उपभोक्ताओं की संख्या	हजार	**3305**	**3551**	**3803**
	घरेलू विद्युत उपभोक्ता	–,,–	**2793**	**2989**	**3185**
	विद्युतीकृत ग्राम	संख्या	**19177**	**19196**	**19224**
	एक बत्ती कनेक्शन	हजार	**1154.43**	**1327.34**	**1443.76**
	* प्रावधिक आंकड़ें **2013-14**				
8	**मत्स्योत्पादन**				
	मछली उत्पादन	हजार मीटरिक टन	**228.21**	**250.69**	**255.61**
9	**वन**				
	वनों का कुल क्षेत्रफल	वर्ग कि.मी. में	**59772**	**59772**	**59772**
	आरक्षित वन	–,,–	**25782**	**25782**	**25782**
	संरक्षित वन	–,,–	**24036**	**24036**	**24036**
	अवर्गीकृत	–,,–	**9954**	**9954**	**9954**
10	**परिवहन**				
	कुल सड़कों की लंबाई	कि.मी.	**33448.75**	**31803**	**32528**
	पंजीकृत वाहन	हजार	**2766**	**3099.73**	**3437.24**
11	**साक्षरता (जनगणना–2011)**				
	कुल	प्रतिशत	**70.28**	**70.28**	**70.28**
	पुरूष	–,,–	**80.27**	**80.27**	**80.27**
	स्त्री	–,,–	**60.24**	**60.24**	**60.24**
12	**शैक्षणिक संस्थायें**				
	पूर्व प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालय	संख्या	**38160**	**38398**	**38767**
	पूर्व माध्यमिक विद्यालय	–,,–	**16224**	**16364**	**16607**
	हाई स्कूल उ. मा. विद्यालय	–,,–	**2260**	**3259**	**2753**
	हायर सेकेण्डरी विद्यालय	–,,–	**2788**	**2884**	**3327**
	(स्कूल शिक्षा विभाग में निजी , ट्रायबल तथा शासन से अनुदान/गैर अनुदान प्राप्त, विद्यालय शामिल है)				
	सामान्य शैक्षणिक महाविद्यालय (शासकीय)	संख्या	**172**	**181**	**204**

क.	मद	इकाई	छत्तीसगढ़		
			2010–11	2011–12	2012–13
	विश्व विद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय सहित)	–,,–	**7**	**8**	**8**
	तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षण संस्थाएं	–,,–	**142**	**142**	**155**
13	**स्वास्थ्य सेवाएं**				
	जिला चिकित्सालय	संख्या	**18**	**27**	**27**
	सिविल अस्पताल	–,,–	**17**	**14**	**15**
	सामुदायिक स्वास्थ्य केंन्द्र	–,,–	**149**	**155**	**156**
	प्राथमिक स्वास्थ्य केंन्द्र	–,,–	**755**	**764**	**783**
	उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंन्द्र	–,,–	**5111**	**5136**	**5161**
	जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय	–,,–	**7**	**7**	**7**
	आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक औषधालय	–,,–	**693**	**693**	**694**
	आयुष विंग,स्पेस्लाइस्ड थेरेपी सेन्टर, स्पेशिलिटि क्लीनिक, आयुष केन्द्र	–,,–	**460**	**460**	**460**
14	**नियोजन**				
	जीवित पंजी पर दर्ज व्यक्ति	संख्या	**1391000**	**1327685**	**1944715**
	नौकरी दिलाये गये व्यक्ति (नियुक्ति)	–,,–	**2032**	**162**	**769**
15	**प्रतिवेदक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक** (मार्च की स्थिति में)				
	कार्यालय/शाखाऍं	संख्या	**1382**	**1522**	**1740**
	जमा राशि	राशि मिलियन रु.में	**57284**	**689169**	**838284**
	ऋण राशि	–,,–	**29983**	**368599**	**445033**

तालिका क्रमांक 2.1

छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों के आधार पर

(लाख रू. में)

क्र.	क्षेत्र	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12(P)	2012-13(Q)	2013-14(A)
1	कृषि (पशु पालन सहित)	967892	1295565	1314267	1519514	2019040	2187511	2600689	2793815
2	वन उद्योग	290518	311445	326370	364589	391343	429527	527364	573112
3	मत्स्य उद्योग	72536	75227	87008	114055	188920	234829	281666	317171
4	खनन तथा उत्खनन	810723	976239	1208213	935778	1182763	1363832	1398964	1571707
अ	**उप–योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	2141668	2658477	2935858	2933936	3782066	4215699	4808683	5255805
5	**विनिर्माण**	1490190	1801186	2021248	1707247	1729781	1732508	1963174	2048907
5.1	विनिर्माण पंजीकृत	1335169	1619746	1821725	1501793	1496570	1467013	1680727	1739206
5.2	विनिर्माण गैर पंजीकृत	155021	181440	199523	205454	233211	265495	282447	309701
6	निर्माण कार्य	644367	668015	795653	959843	1184310	1391717	1700662	1990428
7	विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति	235546	295678	746910	686166	741076	680411	667823	875343
ब	**उप–योग (द्वितीयक क्षेत्र)**	2370103	2764879	3563811	3353256	3655167	3804636	4331659	4914678
8	**परिवहन संचार एवं स्टोरेज**	316602	375366	443310	536940	594973	713649	842454	996219
8.1	रेलवे	76116	84313	93384	118888	104002	120590	133196	147035
8.2	परिवहन	187102	230940	280105	334880	408744	516845	630142	769750
8.3	स्टोरेज	6229	7518	9175	11596	13603	16039	18232	20891
8.4	संचार	47155	52596	60646	71576	68624	60175	60884	58543
9	व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट	575003	708245	899635	820769	1019450	1165364	1278719	1416290
10	**बैंकिंग, बीमा एवं स्थावर संपदा**	561058	667536	814650	950284	1157517	1399430	1684281	2049386
10.1	बैंकिंग एवं बीमा	157240	178150	215834	276052	375004	479215	599964	765416
10.2	स्थावर संपदा, रियल स्टेट	403818	489386	598816	674232	782513	920215	1084317	1283970
11	**सामुदायिक एवं निजी सेवाएँ**	723055	851007	1039954	1341241	1732803	1988415	2416273	2963733
11.1	लोक प्रशासन	205799	228362	297182	389007	487432	570880	691565	821814
11.2	अन्य सेवाएँ	517256	622645	742772	952235	1245371	1417535	1724708	2141919
स	**उप–योग (तृतीयक क्षेत्र)**	2175718	2602155	3197549	3649234	4504743	5266858	6221727	7425628
कुल योग (अ़ ब़ स) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद)		6687489	8025511	9697218	9936426	11941976	13287193	15362069	17596111
जनसंख्या (लाख में)		232	236	241	245	250	255	260	265
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (रूपयों में)		28825	34006	40237	40557	47768	52107	59085	66400

तालिका क्रमांक 2.2

छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों (2004–2005) के आधार पर

(लाख रू. में)

क्र.	क्षेत्र	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12(P)	12-13(Q)	13-14(A)
1	कृषि (पशु पालन सहित)	873831	974345	835891	926819	1166805	1182848	1308074	1330741
2	वन उद्योग	262794	273137	273002	278060	286536	287901	300967	310851
3	मत्स्य उद्योग	60191	60898	69342	73514	99714	109537	111687	124180
4	खनन तथा उत्खनन	640056	671729	740486	758353	802419	809216	811337	847652
अ	**उप–योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	1836872	1980108	1918721	2036746	2355474	2389502	2532065	2613424
5	**विनिर्माण**	1290532	1453736	1489014	1327348	1259171	1158912	1237304	1237931
5.1	विनिर्माण पंजीकृत	1155549	1304310	1335891	1167433	1090803	980522	1058176	1051232
5.2	विनिर्माण गैर पंजीकृत	134983	149426	153123	157915	168368	178390	179128	186699
6	निर्माण कार्य	574353	556165	595234	686329	784683	856960	973277	1056105
7	विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति	204466	227750	497366	457486	459340	398198	374650	461158
ब	**उप–योग (द्वितीयक क्षेत्र)**	2069351	2237650	2581614	2471163	2503194	2414070	2585231	2755194
8	**परिवहन संचार एवं स्टोरेज**	296819	333814	371151	407324	501128	547438	597763	652260
8.1	रेलवे	70727	73814	80957	91972	86681	99513	106817	115293
8.2	परिवहन	163381	185585	204699	220672	245522	272655	300637	330793
8.3	स्टोरेज	5513	6055	6749	7585	8075	8114	8305	8496
8.4	संचार	57198	68360	78746	87095	160850	167156	182004	197678
9	व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट	494142	556069	640277	638876	707992	739328	759445	798657
10	**बैंकिंग, बीमा एवं स्थावर संपदा**	524998	567975	619021	699108	786531	888698	1008067	1156080
10.1	बैंकिंग एवं बीमा	173825	198957	229633	294546	371533	459673	558968	687697
10.2	स्थावर संपदा, रियल स्टेट	351174	369018	389388	404562	414998	429025	449099	468383
11	**सामुदायिक एवं निजी सेवाएँ**	637634	688760	767427	181045	1035976	1029127	1130760	1244900
11.1	लोक प्रशासन	183538	187376	222301	261933	299682	305239	336902	363045
11.2	अन्य सेवाएँ	454097	501385	545126	619113	736294	723888	793858	881855
स	**उप–योग (तृतीयक क्षेत्र)**	1953594	2146618	2397876	2626353	3031627	3204591	3496035	3851897
कुल योग (अ+ब+स) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद)		5859816	6364377	6898211	7134262	7890295	8008163	8613331	9220515
जनसंख्या (लाख में)		232	236	241	245	250	255	260	265
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (रूपयों में)		25258	26968	28623	29119	31561	31405	33128	34794

तालिका क्रमांक 2.3

छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों के आधार पर

(लाख रू. में)

क्र.	क्षेत्र	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12 (P)	12-13 (Q)	13-14 (A)
1	कृषि (पशु पालन सहित)	881435	1197268	1205741	1388223	1856736	1995172	2367892	2511965
2	वन उद्योग	287128	308006	322149	360121	386696	424520	522059	567567
3	मत्स्य उद्योग	63528	65860	74775	96916	169764	194725	221970	226568
4	खनन तथा उत्खनन	662793	793736	962973	719017	948263	1103792	1132456	1286044
अ	**उप–योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	1894883	2364871	2565638	2564277	3361459	3718209	4244377	4592144
5	**विनिर्माण**	1140835	1412066	1544940	1176667	1199789	1142817	1328914	1374769
5.1	विनिर्माण पंजीकृत	1025411	1273572	1393360	1025868	1026026	943588	1120295	1146685
5.2	विनिर्माण गैर पंजीकृत	115424	138494	151580	150799	173763	199229	208619	228084
6	निर्माण कार्य	617370	638396	757549	909802	1121824	1311559	1597932	1859855
7	विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति	88145	105034	437190	380695	414327	279540	229166	379549
ब	**उप–योग (द्वितीयक क्षेत्र)**	1846350	2155496	2739679	2467164	2735940	2733916	3156012	3614173
8	**परिवहन संचार एवं स्टोरेज**	279181	334400	393500	482095	535623	645381	765252	909065
8.1	रेलवे	59270	65999	72250	100600	84162	100061	112770	125829
8.2	परिवहन	174865	217013	263068	313218	384368	487431	594811	728141
8.3	स्टोरेज	5982	7196	8781	11110	12941	15196	17146	19469
8.4	संचार	39064	44193	49401	57167	54152	42693	40525	35626
9	व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट	563604	694453	880989	802560	997019	1138743	1248591	1380635
10	**बैंकिंग, बीमा एवं स्थावर संपदा**	507174	604227	738307	860929	1051235	1273084	1534789	1871890
10.1	बैंकिंग एवं बीमा	154344	175031	212412	271716	369582	472682	591857	755428
10.2	स्थावर संपदा, रियल स्टेट	352830	429196	525895	589213	681653	800402	942932	1116462
11	**सामुदायिक एवं निजी सेवाएँ**	662379	781337	962759	1242561	1609891	1839369	2230596	2734431
11.1	लोक प्रशासन	165177	182239	249027	327751	409327	477384	574876	677113
11.2	अन्य सेवाएँ	497202	599098	713732	914811	1200564	1361985	1655720	2057318
स	**उप–योग (तृतीयक क्षेत्र)**	2012338	2414418	2975555	3388145	4193768	4896577	5779228	6896021
कुल योग (अ ब स) (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद)		5753571	6934785	8280872	8419586	10291167	11348702	13179617	15102338
जनसंख्या (लाख में)		232	236	241	245	250	255	260	265
प्रति व्यक्ति आय (रूपयों में)		24800	29385	34360	34366	41165	44505	50691	56990

तालिका क्रमांक 2.4

छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों (2004–2005) के आधार पर

(लाख रू. में)

क्र.	क्षेत्र	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12(P)	12-13(Q)	13-14(A)
1	कृषि (पशु पालन सहित)	796216	891150	764903	833500	1061063	1068050	1181466	1190539
2	वन उद्योग	259748	270234	269384	274371	283606	285021	298296	308340
3	मत्स्य उद्योग	51455	51689	58849	59786	84458	81237	72179	67871
4	खनन तथा उत्खनन	505982	513021	542841	586438	594669	625608	631588	665139
अ	**उप–योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	1613401	1726093	1635977	1754095	2023796	2059916	2183529	2231889
5	**विनिर्माण**	966800	1104456	1077915	883863	746023	700257	760801	749188
5.1	विनिर्माण पंजीकृत	867401	992140	965395	770770	625443	572256	635839	620191
5.2	विनिर्माण गैर पंजीकृत	99399	112316	112520	113093	120580	128001	124962	128997
6	निर्माण कार्य	549178	529410	566600	644778	730895	795533	898303	964825
7	विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति	71866	65854	265475	218026	189859	114518	70725	131620
ब	**उप–योग (द्वितीयक क्षेत्र)**	1587844	1699719	1909990	1746667	1666777	1610308	1729829	1845633
8	**परिवहन संचार एवं स्टोरेज**	262291	297798	329024	362319	454794	496314	542539	592699
8.1	रेलवे	55228	58065	64189	77007	71416	84364	92148	100718
8.2	परिवहन	151851	172862	189141	202427	225640	249557	274273	300976
8.3	स्टोरेज	5290	5782	6433	7229	7624	7580	7668	7723
8.4	संचार	49922	61089	69261	75656	150114	154813	168450	183282
9	व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट	483727	544126	625527	624787	691584	720979	739640	776461
10	**बैंकिंग, बीमा एवं स्थावर संपदा**	476862	515361	560702	633671	713849	807726	917682	1055370
10.1	बैंकिंग एवं बीमा	171152	196172	226694	290957	367228	454685	553017	680652
10.2	स्थावर संपदा, रियल स्टेट	305711	319189	334008	342714	346621	353041	364665	374718
11	**सामुदायिक एवं निजी सेवाएँ**	582352	628117	704954	804789	946897	927316	1010875	1105459
11.1	लोक प्रशासन	146647	147436	184192	215654	244842	243937	265030	279788
11.2	अन्य सेवाएँ	435706	480682	520762	589136	702055	683379	745845	825671
स	**उप–योग (तृतीयक क्षेत्र)**	1805233	1985402	2220207	2425566	2807124	2952335	3210736	3529989
कुल योग (अ+ब+स) (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद)		5006477	5411215	5766174	5926328	6497697	6622559	7124094	7607511
जनसंख्या (लाख में)		232	236	241	245	250	255	260	265
प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद (रूपयों में)		21580	22929	23926	24189	25991	25971	27400	28708

तालिका क्रमांक 2.5

छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (गत वर्ष से) प्रतिशत वृद्धि प्रचलित भावों के आधार पर

(प्रतिशत में)

क्र.	वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र **(X)**	द्वितीयक क्षेत्र **(#)**	तृतीयक क्षेत्र **($)**	कुल योग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	**2006-07**	**13.19**	**51.80**	**15.44**	**25.28**
2	**2007-08**	**24.13**	**16.66**	**19.60**	**20.01**
3	**2008-09**	**10.43**	**28.90**	**22.88**	**20.83**
4	**2009-10**	**-0.07**	**-5.91**	**14.13**	**2.47**
5	**2010-11**	**28.91**	**9.00**	**23.44**	**20.18**
6	**2011-12(P)**	**11.47**	**4.09**	**16.92**	**11.26**
7	**2012-13(Q)**	**14.07**	**13.85**	**18.13**	**15.62**
8	**2013-14(A)**	**9.30**	**13.46**	**19.35**	**14.54**

(X) = कृषि (पशुपालन सहित) वन उद्योग, मछली उद्योग एवं खनन तथा उत्खनन

(#) = विनिर्माण (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत), विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति एवं निर्माण कार्य

($) = परिवहन संचार व्यापार वित्त स्थावर संपदा सामुदायिक एवं निजी सेवायें

(P) = प्रावधिक अनुमान **(Q)** = त्वरित अनुमान **(A)** = अग्रिम अनुमान

स्त्रोत –आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

तालिका क्रमांक 2.6

छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (गत वर्ष से) प्रतिशत वृद्धि स्थिर भावों(2004–2005) के आधार पर

(प्रतिशत में)

क्र.	वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र (X)	द्वितीयक क्षेत्र (#)	तृतीयक क्षेत्र ($)	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	2006-07	6.96	40.82	11.38	18.60
2	2007-08	7.80	8.13	9.88	8.61
3	2008-09	-3.10	15.37	11.70	8.39
4	2009-10	6.15	-4.28	9.53	3.42
5	2010-11	15.65	1.30	15.43	10.60
6	2011-12(P)	1.44	-3.56	5.71	1.49
7	2012-13(Q)	5.97	7.09	9.09	7.56
8	2013-14(A)	3.21	6.57	10.18	7.05

(X) = कृषि (पशुपालन सहित) वन उद्योग, मछली उद्योग एवं खनन तथा उत्खनन

(#) = विनिर्माण (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत), विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति एवं निर्माण कार्य

($) = परिवहन संचार व्यापार वित्त स्थावर संपदा सामुदायिक एवं निजी सेवायें

(P) = प्रावधिक अनुमान **(Q)** = त्वरित अनुमान **(A)** = अग्रिम अनुमान

स्त्रोत –आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

तालिका क्रमांक 2.7

छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (गत वर्ष से) प्रतिशत वृद्धि प्रचलित भावों के आधार पर

(प्रतिशत में)

क्र.	वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र **(X)**	द्वितीयक क्षेत्र **(#)**	तृतीयक क्षेत्र **($)**	कुल योग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	**2006-07**	**12.39**	**61.56**	**15.81**	**26.00**
2	**2007-08**	**24.80**	**16.74**	**19.98**	**20.53**
3	**2008-09**	**8.49**	**27.10**	**23.24**	**19.41**
4	**2009-10**	**-0.05**	**-9.95**	**13.87**	**1.68**
5	**2010-11**	**31.09**	**10.89**	**23.78**	**22.23**
6	**2011-12(P)**	**10.61**	**-0.07**	**16.76**	**10.28**
7	**2012-13(Q)**	**14.15**	**15.44**	**18.03**	**16.13**
8	**2013-14(A)**	**8.19**	**14.52**	**19.32**	**14.59**

(X) = कृषि (पशुपालन सहित) वन उद्योग, मछली उद्योग एवं खनन तथा उत्खनन

(#) = विनिर्माण (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत), विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति एवं निर्माण कार्य

($) = परिवहन संचार व्यापार वित्त स्थावर संपदा सामुदायिक एवं निजी सेवायें

(P) = प्रावधिक अनुमान **(Q)** = त्वरित अनुमान **(A)** = अग्रिम अनुमान

स्त्रोत –आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

तालिका क्रमांक 2.8

छत्तीसगढ़ का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (गत वर्ष से) प्रतिशत वृद्धि स्थिर भावों(2004–2005) के आधार पर

(प्रतिशत में)

क्र.	वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र (X)	द्वितीयक क्षेत्र (#)	तृतीयक क्षेत्र ($)	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	2006-07	6.05	48.29	11.83	19.02
2	2007-08	6.98	7.05	9.98	8.08
3	2008-09	-5.22	12.37	11.83	6.56
4	2009-10	7.22	-8.55	9.25	2.78
5	2010-11	15.38	-4.57	15.73	9.64
6	2011-12(P)	1.78	-3.39	5.17	1.92
7	2012-13(Q)	6.00	7.42	8.75	7.57
8	2013-14(A)	2.21	6.69	9.94	6.79

(X) = कृषि (पशुपालन सहित) वन उद्योग, मछली उद्योग एवं खनन तथा उत्खनन

(#) = विनिर्माण (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत), विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति एवं निर्माण कार्य

($) = परिवहन संचार व्यापार वित्त स्थावर संपदा सामुदायिक एवं निजी सेवायें

(P) = प्रावधिक अनुमान **(Q)** = त्वरित अनुमान **(A)** = अग्रिम अनुमान

स्त्रोत –आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

तालिका क्रमांक 3

प्रमुख फसलों के घोषित समर्थन मूल्य

(रूपये प्रति क्विंटल)

फसल / किस्म	विपणन वर्ष				
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6
धान–सामान्य	950+100	1000+50	1080	1250	1310
धान– ग्रेड–ए	980+100	1030+50	1110	1280	1345
ज्वार, बाजरा आदि	840	-	980	-	1500
मक्का	840	880	980	1175	1310
गेंहूँ	1150	1100	-	-	-
चना	-	-	-	-	-
मूंगफली	-	-	2700	-	4000
तुअर	-	-	3200	-	4300
उड़द	-	-	3300	-	4300
मूंग	-	-	3500	-	4500
सूर्यमुखी	-	-	2800	-	3700
राई एवं सरसों	-	-	1050	-	1500
सोयाबीन काली / पीली	-	-	1650	-	2500
	-	-	1690		2560

रबी फसलें – गेहूँ, चना एवं राई व सरसों ।
खरीफ फसलें – धान, ज्वार, बाजरा व मक्का, तुअर, उड़द, मूँगफली, सोयाबीन, सूर्यमुखी ।
विपणन वर्ष – गेंहूँ, चना, राई व सरसों (अप्रैल–मार्च), अन्य फसलें (अक्टूबर से सितंबर) ।

स्त्रोत – संचालक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, छत्तीसगढ़

तालिका क्रमांक 4.1

महत्वपूर्ण खनिजों का मूल्य

(लाख रू. में)

वर्ष	कोयला	बाक्साईट	लौह आयस्क	डोलोमाईट	चूना पत्थर	टिन सान्द्र (कि.ग्रा.)
2000-01	**300026**	**2529**	**49042**	**1816**	**18495**	**10**
2001-02	**286880**	**1445**	**63231**	**2320**	**17022**	**11**
2002-03	**355239**	**2188**	**69834**	**2351**	**15145**	**9**
2003-04	**334587**	**2774**	**84162**	**2430**	**15492**	**13**
2004-05	**417436**	**2900**	**131138**	**2329**	**17090**	**35**
2005-06	**489378**	**3861**	**237338**	**2524**	**19316**	**148**
2006-07	**532010**	**5487**	**326767**	**2617**	**21402**	**184**
2007-08	**581204**	**7083**	**468950**	**2944**	**19394**	**146**
2008-09	**678736**	**5574**	**590643**	**3612**	**22082**	**213**
2009-10	**503083**	**6079**	**442272**	**3356**	**22319**	**229**
2010-11	**582562**	**7773**	**717121**	**3636**	**29978**	**278**
2011-12	**707403**	**14446**	**987415**	**3638**	**34777**	**261**
2012-13*	**731427**	**10472**	**876742**	**5074**	**35470**	**259**

स्त्रोत – संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ

* अनंतिम

तालिका क्रमांक 4.2

महत्वपूर्ण खनिजों का प्रति टन औसत मूल्य

(रूपयों में)

वर्ष	कोयला	बाक्साईट	लौह आयस्क	डोलोमाईट	चूना पत्थर	टिन सान्द्र (कि.ग्रा.)
2000-01	**597**	**454**	**245**	**261**	**133**	**77**
2001-02	**534**	**260**	**339**	**271**	**129**	**79**
2002-03	**525**	**358**	**353**	**256**	**111**	**85**
2003-04	**544**	**312**	**360**	**242**	**112**	**97**
2004-05	**603**	**261**	**567**	**223**	**115**	**149**
2005-06	**641**	**290**	**910**	**228**	**128**	**150**
2006-07	**639**	**345**	**1137**	**234**	**143**	**182**
2007-08	**645**	**395**	**1513**	**227**	**137**	**231**
2008-09	**666**	**333**	**1969**	**274**	**140**	**356**
2009-10	**458**	**360**	**1687**	**261**	**147**	**388**
2010-11	**621**	**368**	**2426**	**228**	**156**	**458**
2011-12	**621**	**604**	**3242**	**224**	**170**	**534**
2012-13*	**621**	**576**	**3138**	**271**	**176**	**542**

स्त्रोत – संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ

* अनंतिम

तालिका क्रमांक 5.1

सड़कों की लम्बाई

(किलोमीटर में)

वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्ग	राज्यीय राज्यमार्ग	मुख्य जिला मार्ग	अन्य जिला ग्रामीण मार्ग	कुल सड़कों की लम्बाई (लो.नि.वि.)	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
1	2	3	4	5	7	6
2000-2001	**1,827**	**2,197**	**3,532**	**27,526**	**35,082**	**0.00**
2001-2002	**1,827**	**3,611**	**2,118**	**27,526**	**35,082**	**0.00**
2002-2003	**1,827**	**3,611**	**2,118**	**28,768**	**36,324**	**683.47**
2003-2004	**2225**	**3213**	**2118**	**28768**	**36324**	**1071.77**
2004-2005	**2225**	**3213**	**4814**	**24678**	**34930**	**921.87**
2005-2006	**2225**	**3213**	**4817**	**24756**	**35728**	**2004.98**
2006-2007	**2228**	**3213**	**4818**	**25811**	**36066**	**3031.86**
2007-2008	**2228**	**3213**	**4818**	**25122**	**35381**	**2676.38**
2008-2009	**2228**	**3213**	**4818**	**25133**	**35392**	**2427.09**
2009-2010	**2228**	**3213**	**4814**	**25133**	**35407**	**4020.44**
2010-2011	**2226**	**5240**	**10539.80**	**15442.95**	**33448.75**	**1570.72**
2011-2012	**2226**	**5240**	**10539**	**13798**	**31803**	**1053.65**
2012-2013	**2226**	**5240**	**10539**	**14523**	**32528**	

स्त्रोत – मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण

तालिका क्रमांक 5.2

कुल पंजीकृत वाहन

(हजार में)

वर्ष (31 मार्च,)	कार एवं जीप	टेक्सीकेब / थ्री–व्हीलर	यात्री वाहन (बस)	माल वाहन (ट्रक)	द्विपहिया वाहन	अन्य (टेक्टर ट्रोली सहित)	कुल पंजीकृत वाहन
1	2	3	4	5	6	7	8
1999	**29**	**7**	**10**	**32**	**585**	**50**	**713**
2000	**31**	**7**	**12**	**35**	**643**	**53**	**781**
2001	**34**	**8**	**14**	**36**	**707**	**58**	**857**
2002	**38**	**10**	**15**	**39**	**793**	**65**	**960**
2003	**42**	**11**	**17**	**52**	**881**	**75**	**1078**
2004	**50**	**11**	**19**	**57**	**991**	**85**	**1215**
2005	**59**	**13**	**23**	**66**	**1719**	**97**	**1375**
2006	**68**	**14**	**24**	**73**	**1247**	**111**	**1540**
2007	**78**	**16**	**27**	**85**	**1396**	**126**	**1728**
2008	**90**	**18**	**31**	**97**	**1553**	**139**	**1928**
2009	**104**	**20**	**36**	**107**	**1745**	**155**	**2167**
2010	**121.6**	**22.5**	**38.5**	**116.8**	**1964.71**	**171.36**	**2435**
2011	**146.92**	**26.29**	**42.33**	**127.61**	**2232.93**	**189.95**	**2766.03**
2012	**171.09**	**31.39**	**45.78**	**141.44**	**2503.78**	**210.55**	**3104.03**
2013	**193.08**	**37.14**	**49.55**	**155.98**	**2768.73**	**232.04**	**3437.24**

स्त्रोत : परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़

तालिका क्रमांक 6.1

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक

(राशि लाख रू.)

विवरण	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
1	2	3	4	5	6	7	8
बैक संख्या	**06**	**06**	**06**	**06**	**06**	**6**	**7**
शाखाएँ	**198**	**198**	**198**	**198**	**198**	**215**	**225**
सदस्य (हजार)	**18440**	**20083**	**20010**	**43590**	**44741**	**56387**	**61390**
अंश पूँजी							
(1) कुल	**9968.17**	**8290.37**	**8492.46**	**14458.20**	**15784.63**	**19014.31**	**25113.29**
(2) शासकीय	**3333.13**	**799.14**	**768.43**	**1059.11**	**1152.03**	**1311.7**	**1410.70**
अमानतें	**159766.10**	**186593.36**	**178687.47**	**262492.96**	**228648.34**	**340363.61**	**460303.00**
कार्यशील पूँजी	**209180.69**	**252957.21**	**240832.13**	**369911.59**	**376708.016**	**428038.61**	**468030.00**
ऋण वितरण							
(अ) कुल	**83330.61**	**79891.90**	**17148.56**	**185577.84**	**142035.87**	**192426.5**	**250450.50**
(ब) अल्पकालीन	**62249.42**	**71394.13**	**60975.30**	**118389.16**	**129425.24**	**181693.5**	**221690.50**
(स) मध्यकालीन	**2743.62**	**8497.77**	**9173.26**	**67188.68**	**12610.63**	**10733.00**	**28760.00**
ऋण बकाया							
(अ) कुल	**81189.96**	**87938.90**	**80670.15**	**104698.91**	**107714.83**	**128368.86**	**148368.00**
(ब) अल्पकालीन	**62325.84**	**64279.32**	**57209.12**	**57699.58**	**71696.22**	**92734.38**	**107730.00**
(स) मध्यकालीन	**17958.62**	**23964.54**	**23461.03**	**46999.33**	**36018.61**	**35634.48**	**40638.00**
कालातीत ऋण	**41939.18**	**53937.66**	**50543.71**	**41840.02**	**45961.70**	**59298.3**	**46290.00**
लाभ							
(अ) बैंक संख्या	**05**	**05**	**04**	**04**	**05**	**152**	**06**
(ब) राशि	**2827.01**	**3376.83**	**2824.72**	**6166.59**	**5141.65**	**8662**	**8900**
हानि							
(अ) बैंक संख्या	**01**	**01**	**02**	**2**	**1**	**63**	**01**
(ब) राशि	**707.35**	**156.38**	**144.43**	**733.77**	**10.39**	**1204.81**	**--**

स्त्रोत–आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, छत्तीसगढ़

तालिका क्रमांक 6.2

प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियॉ

विवरण	इकाई	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
1	2	3	4	5	6	7	8	9
समितियाँ	संख्या	**1333**	**1333**	**1333**	**1333**	**1333**	**1333**	**1333**
सदस्य संख्या	हजार	**2099**	**2128**	**2109**	**1440**	**1415**	**1505**	**1610**
अनुसूचित जाति	–,,–	**301**	**329**	**340**	**291**	**246.6**	**287**	**299**
अनुसूचित जन जाति	–,,–	**638**	**643**	**639**	**359**	**417.5**	**447**	**480**
कुल ऋणी सदस्य	–,,–	**1240**	**1249**	**1305**	**909**	**935.6**	**987**	**998**
अनुसूचित जाति	–,,–	**173**	**190**	**201**	**336**	**233.1**	**243**	**255**
अनुसूचित जन जाति	–,,–	**320**	**238**	**245**	**179**	**227.1**	**247**	**260**
कुल अंशपूंजी	लाख रू.	**26224.85**	**24492.11**	**24071.23**	**12919.16**	**13346.01**	**14347.03**	**15553.00**
कुल ऋण वितरण	–,,–	**50397.13**	**46334.79**	**45343.97**	**98680.41**	**97694.59**	**99696.60**	**105676.00**
(अ) अल्पकालीन	–,,–	**45114.91**	**32085.10**	**32701.09**	**93671.97**	**95718.24**	**97714.26**	**101714.00**
(ब) मध्यमकालीन	–,,–	**5282.22**	**14528.72**	**12642.88**	**5008.44**	**1976.35**	**1982.34**	**3982.00**
कुल ऋण बकाया	–,,–	**53968.97**	**55058.34**	**31021.80**	**96624.38**	**89365.75**	**90265.74**	**91300.00**
(अ) अल्पकालीन	–,,–	**31237.37**	**30785.54**	**25231.20**	**79191.57**	**76135.00**	**78123.00**	**78623.70**
(ब) मध्यमकालीन	–,,–	**22631.60**	**23999.35**	**5790.60**	**17432.81**	**13230.75**	**12142.74**	**12676.30**
कालातीत ऋण	–,,–	**24813.94**	**284206.05**	**263104.03**	**29223.53**	**25563.10**	**27562.10**	**29600.00**

स्त्रोत–आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, छत्तीसगढ़

तालिका क्रमांक 6.3

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

(राशि लाखों में)

क्र.	विवरण	वर्ष 2012–13
1	2	3
1	**बैकों की संख्या**	**12**
2	**शाखाओं की संख्या**	**61**
3	**सदस्य (हजार)**	**82203**
4	**अंश पूँजी**	
	(1) कुल	**1153.18**
	(2) शासन	**295.80**
5	**अमानतें**	**2015.06**
6	**कार्यशील पूँजी**	**18482.38**
7	**ऋण वितरण**	
	(अ) कुल	**02.11**
	(ब) अल्पकालीन	**0.00**
	(स) मध्यकालीन	**------**
	(द) दीर्घकालीन	**02.11**
8	**ऋण बकाया**	
	(अ) कुल	**14688.88**
	(ब) अल्पकालीन	**0.00**
	(स) मध्यकालीन	**0.00**
	(द) दीर्घकालीन	**14688.88**
9	**कालातीत ऋण**	**9917.56**
10	**लाभ**	
	(अ) बैंक संख्या	**0**
	(ब) राशि	**0**
11	**हानि**	
	(अ) बैंक संख्या	**12**
	(ब) राशि	**1962.99**

स्त्रोत–आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, छत्तीसगढ़

तालिका क्रमांक 6.4

प्रतिवेदक अनुसूचित वाणिज्यिक बैकों की स्थिति

(राशि करोड़ रूपयों में)

वर्षान्त (अंतिम शुक्रवार की स्थिति)	प्रतिवेदक बैंक शाखायें	जमाराशि	ऋण राशि	ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5
1999–2000	**1045**	**6116**	**2379**	**38.91**
2000–2001	**1042**	**7458**	**2966**	**39.77**
2001–2002	**1036**	**9605**	**4219**	**43.93**
2002–2003	**1039**	**11443**	**4474**	**39.10**
2003–2004	**1319**	**15454**	**9101**	**58.89**
2004–2005*	**1331**	**17605**	**11269**	**64.01**
2005–2006*	**1334**	**22053**	**12684**	**57.52**
2006–2007*	**1356**	**26014**	**15420**	**58.27**
2007–2008*	**1416**	**31618**	**19094**	**60.39**
2008–2009*	**1500**	**39437**	**23043**	**57.99**
2009–2010*	**1590**	**49379**	**27943**	**56.59**
2010–2011 *	**1705**	**59032**	**33022**	**55.94**
2011–2012	**1912**	**70742**	**40135**	**56.73**
2012–2013	**2084**	**87338.98**	**49094.75**	**56.21**
2013–14 (सितंबर)	**2211**	**87796.31**	**51004.61**	**58.09**

स्त्रोत – भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई

* राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति छ.ग. 22, 34, 38, 40, 44, 48 एव 52 वीं बैठक प्रकाशन,